प्रकाशकः

प्रिन्टवैल

वितरक

रूपा बुक्स (प्रा) लिमिटेड

एस–12, शॉपिंग सेन्टर,

तिलक नगर जयपुर 302 004

प्रथम प्रकाशन : 1992

ISBN 81-7044-294-X

मुद्रक :

अग्रवाल प्रिन्टर्स, जयपुर

विषय सूची

दो शब्द

पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां कि भोगौलिक एवं पर्यावरण संबंधी परिस्थितियां भी पशुपालन के लिए अनुकूल है और यहां यह कार्य हजारों वर्षों से हो रहा है। यही कारण है की गाय, बैल, ऊंट, भेड़ आदि की उत्तम नस्लें विकसित हुई हैं। जिन अज्ञात पशु वैज्ञानिकों के प्रयत्नों से यह विकास और विस्तार संभव हुआ है, उनके प्रति हमें नतमस्तक होना चाहिये।

पशुपालन की इस पुरातन और अटूट परम्परा ने यहां के जीवन को ऐसी दिशा दी है जिसमें पशु यहां के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का केन्द्र बिन्दु बन गया है। लेकिन साथ ही यहां प्रकृति ने ऐसी बाधाएं भी प्रस्तुत कर दी हैं, जिनके कारण पशुपालन कठिन हो जाता है। पानी का अभाव एक ऐसी समस्या है जो पशु को मृत्यु के कगार पर पहुंचा देती है। अकाल इस क्षेत्र की स्थायी देन है। आजादी के बाद पशु विकास के अनेक कार्यक्रम हाथ में लिये गये और यह अपेक्षा रखी गई कि इससे पशुपालन की कठिनाइयां दूर होंगी–लेकिन इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है।

प्रस्तुत अध्ययन में उक्त संदर्भ में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के चार जिलों के 8 गांवों को नमूने के अध्ययन में शामिल किया गया है। वर्ष 1986–87 में किये गये इस अध्ययन में पशु पालन की स्थिति, उसके आर्थिक पक्ष, पशु पालन की बाधाएँ, पशु विकास कार्यक्रमों का प्रभाव, सीमायें आदि मुद्दों पर विचार किया गया हैं।

इस अध्ययन को पूरा करने में राजस्थान के पशुपालन निदेशालय एवं भेड़ ऊन निदेशालय का पर्याप्त सहयोग मिला है। जिला पशुपालन अधिकारी तथा

पशु चिकित्सा केन्द्रों के अधिकारियों, कर्मचारियों के सहयोग के लिए हम उनके आभारी हैं। सर्वेक्षण कार्य में क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाओं, राजस्थान गौ सेवा संघ एवं खादी संस्थाओं का भी सहानुभूतिपूर्ण सहयोग मिला है। वस्तु स्थिति से परिचित होने में गांव के लोगों ने विस्तार से तथ्य बताकर हमें सहयोग दिया, इसके लिए सभी गांवों के वरिष्ठ अधिकारियों के भी हम आभारी हैं। जैसलमेर जिले के चांधन गांव में स्थित थारपारकर नस्ल सुधार एवं विकास केन्द्र के प्रभारी ने भी हमें कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी दी।

इस परियोजना में संस्थान के उप निदेशक डा. अवध प्रसाद, मुख्य शोध अधिकारी श्री गोपीनाथ गुप्ता, श्री बलवीरसिंह भंडारी तथा श्रीमती करुणा का पूरा सहयोग तथा प्रयास रहा है।

इस परियोजना को पूरा करने एवं इसके प्रकाशन के लिए आर्थिक सहयोग भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली से प्राप्त हुआ है।

आशा है यह अध्ययन राजस्थान में पशु विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मददगार होगा।

कुमारप्पा ग्राम स्वराज्य संस्थान
बापू नगर, जयपुर

जवाहिरलाल जैन
मन्त्री-निदेशक

भूमिका

पशुधन की दृष्टि से राजस्थान भारत का सर्वाधिक सम्पन्न प्रदेश है। न केवल संख्या की दृष्टि से, गुणवत्ता के मापदण्ड के आधार पर भी राजस्थान के दुधारू पशु और भेड़-बकरी आदि भारत में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। राजस्थान के पश्चिम विभाग में विशेषकर, जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और वर्षा का प्रमाण मामूली और वह भी अनियमित है, पशु ही जीविका अर्जन के मुख्य श्रोत हैं। प्रदेश के इस विभाग में पशुपालन का महत्व कृषि से कहीं अधिक है। परन्तु इस विषय पर अभी भी वैज्ञानिक गवेषणा और गहन चिन्तन पर आधारित साहित्य बहुत कम है। कुमारप्पा शोध संस्थान से जुड़े डा. अवध प्रसाद की प्रस्तुत कृति इस विषय में एक महत्वपूर्ण योगदान है।

पुस्तक का महत्व तथ्यों पर आधारित संतुलित विवरण और नीतियों और कार्यक्रमों के गहन विवेचन से और बढ़ जाता है। इस पुस्तक में लेखक ने पश्चिम राजस्थान की पशु-पालन व्यवस्था के आर्थिक पहलुओं पर विषद प्रकाश डाला है और कई महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया है, उदारणार्थ लेखक ने आंकड़ों के आधार पर स्थापित कर दिया है कि पशुपालन का धन्धा राजस्थान में "लाभदायक" इसीलिए गिना जा सकता है कि लागत खर्च का अनुमान करते समय हर परिवार के श्रम, नियोजित पूंजी पर ब्याज और घर पर उपजाये घास-चारे का मूल्य लागत मूल्य में नहीं जोड़ते हैं। यदि वे सभी खर्च जोड़ दिये जांए—जैसा कि बड़ी उदारता के साथ सरकार अनाज के मूल्य निर्धारण के समय आज कर रही है—तो मरू क्षेत्र में भी अधिकतर पशुपालक हानि का धंधा करने वालों में शुमार किए जाऐंगें।

लेकिन इस समस्या का हल सरकारी या सहकारी दुग्ध डेयरी द्वारा ऊंचे भाव पुरूष्कृत करने से नहीं होगा, इसका निदान उत्पादकता बढ़ाकर प्रति लीटर दूध या प्रति किलो उन के लागत खर्च को कम करने से ही होगा । लेखक के द्वारा दिये गये तथ्यों से स्पष्ट है कि लागत खर्च को कम करने की बहुत सम्भावनाऐं हैं । डा. प्रसाद के अध्ययन से यह भी प्रमाणित होता है कि वर्तमान सरकारी नीतियां, कार्यक्रम और उन्हें कार्यान्वित करने के तरीकों से गरीब पशु पालकों को नहींवत लाभ पहुचा है । लेखक ने इन सब पर पुर्नविचार कर नये सिरे से, पशुपालकों को विश्वास में लेकर, उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रमों पर जोर दिया है ।

इस पुस्तक से कुछ ऐसे विवरणों पर भी पुर्नविचार करने की आवश्यकता महसूस होगी, जो विचारकों और कार्यकर्ताओं ने बिना ठोस आधार के लम्बे अर्से से अपना रखा है, उदारणार्थ, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि बाजारी दूध बिक्री व्यवस्था आने से परिवार में दूध के आवश्यक उपयोग की कमी हो जाएगी । हां, जहां धन के अभाव में दूध जैसी कीमती वस्तु को महज कैलारीज़ के बढ़ाने के लिए उपयोग करना पड़ता था वह उपयोग कम हो गया है । मगर इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वैज्ञानिक दृष्टि से आवश्यक दुग्ध सेवन की मात्रा दूध बेचने वाले परिवारों में कम हो गई है ।

पशुपालन की अर्थव्यवस्था, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों और पशु-पालक परिवारों के सामाजिक परिवेश से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए कुमारप्पा संस्थान का यह संशोधन कार्य उपयोगी होगा । इसके लेखक डा. अवध प्रसाद ने राजस्थान के मरू प्रदेश के जनजीवन की एक गम्भीर समस्या, अन्य संदर्भ में लाभदाई अवसर उन पर गहरा प्रकाश डाला है, और उनका तथ्यों के आधार पर असरकारक विवेचन किया है ।

विकास अध्ययन संस्थान
अगस्त 1990

विजय शंकर व्यास
निदेशक

पृष्ठ भूमि, उद्देश्य एवं पद्धति

राजस्थान का पश्चिमी भाग मरू क्षेत्र है। भारत के भौगोलिक मानचित्र में मरू क्षेत्र के इस भाग का प्रमुख स्थान है। देश में सूखा मरू क्षेत्र लगभग 3,17,090 वर्ग कि. मी. का माना जाता है। इसमें से करीब 62 प्रतिशत भाग राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में है। इस क्षेत्र का कुछ भाग अर्द्ध रेगिस्तान क्षेत्र भी है–पूरे क्षेत्र को एक जैसा मरू क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है।[1] राज्य के 11 जिलों को मरू क्षेत्र में शामिल किया जाता है (1) बाड़मेर (2) बीकानेर (3) चूरू (4) जैसलमेर (5) जालोर (6) झुंझुनू (7) जोधपुर (8) नागौर (9) पाली (10) सीकर और (11) सिरोही। गंगानगर जिला भी मरू क्षेत्रीय माना जाता रहा है।[2] लेकिन नहर आ जाने के कारण अब वहां सिचाई की पर्याप्त सुविधा हो गई। अतः इस जिले को सूखे मरू क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। मरु क्षेत्र की मुख्य विशेषता भू–जल की कमी, भू–जल का खारा होना, तेज हवायें चलना, हवा में नमी का अभाव, रेतीली जमीन, हवा के कारण रेत का स्थानान्तरण आदि है। विभिन्न क्षेत्रों में भू–जल की गहराई न्यूनतम 50 से 100 तथा अधिकतम 90 से 500 फुट तक पाई जाती है। उपरोक्त भौगोलिक-परिस्थिति में यहां पेड़–पौधे तथा फसलों का पूरा अभाव पाया जाता है। पेड़ के रूप में खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा. जाल, कूमट आदि पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त भुरट, सेवण आदि उपयोगी घास होती है जो पशु पालन के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करती है। फसलों में बाजरा, मोठ, मूंग आदि मुख्य है।[3]

पश्चिमी राजस्थान के मरू क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एक सी नहीं है। सुदूर उत्तर–पश्चिम का क्षेत्र आबादी तथा भू–रचना की दृष्टि से अत्यन्त सूखा

है जबकि अरावली से जुड़े क्षेत्र की स्थिति भिन्न है। पूरे मरू क्षेत्र को भू-संरचना भू-जल, फसलों एवं पेड़-पौधों आदि में भिन्नता की दृष्टि से तीन वर्गों में विभा-जित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी (Zone-I) में पूरे मरू क्षेत्र का 56.33% क्षेत्र है। यह पूर्णतया सूखा क्षेत्र है लेकिन इस क्षेत्र में पशुचराई की अच्छी अनुकूलता है और यहां पशुपालन की पुरानी परम्परा रही है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। वर्ग दो (Zone-II) में 22.52 प्रतिशत क्षेत्र आता है। यह क्षेत्र भी पशु चराई की दृष्टि से पशुपालन के लिए अनुकूल है। इस क्षेत्र में एक सीमा तक फसल भी होती है। अर्थात् कुछ फसलों के लिए यहां की भूमि अनुकूल है। तीसरे वर्ग (Zone-III) की स्थिति उक्त दोनों वर्गों से अच्छी है। इसे अर्द्ध-रेगिस्तानी क्षेत्र कहा जाता है। यहां की धरती में पानी है, हालांकि पानी की गहराई काफी है। नीचे पत्थर भी है फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से स्थिति ठीक है। यहां की जमीन खेती के लिए भी कुछ अनुकूल है। लेकिन उस वर्ग में कुल रेगिस्तानी क्षेत्र का मात्र 22.15 प्रतिशत क्षेत्र आता है। यदि राज-स्थान के कुल भौगिलोक क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो पाते हैं कि प्रथम वर्ग में 33.75 प्रतिशत, दूसरे में 13.49 प्रतिशत और तीसरे वर्ग में 12.67 प्रतिशत क्षेत्र समाहित हो जाता है।[4] ये तथ्य पूरे मरू क्षेत्र के हैं जिसमें सभी 11 जिले शामिल हैं। लेकिन ये तीनों प्रकार के क्षेत्र किसी खास जिले या क्षेत्र में नहीं है। एक से अधिक प्रकार के क्षेत्र सभी मरू क्षेत्रीय जिलों में पाये जाते हैं। किस वर्ग का कितना क्षेत्र किस जिले में है, इसकी जानकारी से मरू क्षेत्र की भौगो-लिक स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकती है।

सारणी 1 : 1

विभिन्न प्रकार के मरू क्षेत्र का विभाजन[1] (प्रतिशत)

जिले	वर्ग तथा क्षेत्र वर्ग कि. मी. में			
	वर्ग I	वर्ग II	वर्ग III	योग
1	2	3	4	5
1. बाड़मेर	32668 (85.58)	3460 (9.06)	2046 (5.36)	38174 (100)
2. बीकानेर	27282 (100)	—	—	27282 (100)

शेष पृष्ठ 3 पर

1	2	3	4	5
3. चूरू	—	12830 (76.10)	4028 (28 90)	16858 (100)
4. जालौर	—	64.54 (61.09)	4111 (38.91)	10565 (100)
5. जैसलमेर	38850 (100)	—	—	38850 (100)
6. झुंझुनू	—	3126 (52.72)	2803 (47.28)	5929 (100)
7. जोधपुर	15416 (69.04)	3514 (15.74)	3398 (15 22)	22328 (100)
8. नागौर	—	.9663 (54.83)	7959 (45.17)	17622 (100)
9. पाली	—	2792 (22.86)	9422 (77.14)	12214 (100)
10. सीकर	—	3805 (49.10)	3944 (50.90)	7749 (100)
11. सिरोही	—	—	5177 '100)	5177 (100)
योग—	114216 (56.33)	45644 (22.52)	42888 (21.15)	202748 (100)
राजस्थान के संदर्भ में कुल का प्रतिशत	(33.75)	(13.49)	(12.67)	(59.91)

❀ सांख्यिकी विभाग–राजस्थान सरकार तथा काजरी जोधपुर से प्राप्त तथ्यों के आधार पर। स्रोत, उपरोक्त पृष्ठ 5

नोट:–प्रस्तुत अध्ययन में सिरोही को पहाड़ी क्षेत्र में माना गया है। राजस्थान सरकार ने इसे ट्राइबल प्लान में शामिल किया है। गंगानगर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में है हालांकि अब वह मरू क्षेत्र नहीं रहा।

उपरोक्त तथ्यों से यह बात सामने आती है कि राजस्थान के मरू क्षेत्रीय जिलों में सबसे खराब स्थिति बीकानेर एवं जैसलमेर जिले की है जहां का शत प्रतिशत क्षेत्र प्रथम वर्ग में आता है। इसके बाद बाड़मेर तथा जोधपुर का स्थान है जहां क्रमशः 85.58 और 69.04 प्रतिशत क्षेत्र प्रथम वर्ग में आता है। अतः उक्त चार जिले सबसे कठिन स्थिति में हैं। चूरू तथा जालौर जिले में दूसरे वर्ग में काफी बड़ा क्षेत्र आता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सिरोही में प्रथम तथा दूसरे वर्ग में कोई क्षेत्र नहीं है। वास्तव में यह क्षेत्र पहाड़ी तथा पठारी है। यहां का आर्थिक जीवन कठिन अवश्य है लेकिन यहां की भौगोलिक परिस्थितियां मरू क्षेत्र जैसी नहीं है।

वर्षा

मरू क्षेत्र में वर्षा की विषम स्थिति है। कृषि पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है लेकिन वर्षा के अभाव के कारण खेती पूर्णतः अनिश्चित रहती है। पूरे मरू क्षेत्र में नाम मात्र की वर्षा होती है। डा. एस. एन. जोधा एवं व्यास ने 50 वर्षों में हुई वर्षा का औसत प्रस्तुत किया है जो निम्न प्रकार है :—

सारणी संख्या 1:2

मरू क्षेत्र में वर्षा[5]

(इंच में)

जिले	वर्ष संख्या जिसका औसत निकाला गया	औसत वर्षा	अधिकतम वर्षा	न्यूनतम वर्षा	वर्ष में वर्षा होने के औसत दिन
1	2	3	4	5	6
1. बाड़मेर	50	10.90	32.01	1.13	13
2. बीकानेर	50	11.96	29.46	1.06	17
3. चूरू	45	14.48	30.56	3.04	19
4. जालौर	50	14.29	33.73	1.07	19
5. जैसलमेर	50	7.03	22.77	0.00	8
6. झुंझुनू	50	15.26	29 84	3.65	27
7. जोधपुर	76	14.22	46.39	1.00	18
8. नागौर	50	12.20	31.75	2.48	22
9. पाली	50	16.19	37.19	3.10	23
10. सीकर	50	17.36	31.86	7 06	30

सारणी सं. 1 : 3

मरू क्षेत्र में वर्षा की स्थिति[6]

(सेन्टीमीटर में)

जिले	वर्ष			
	1975	1977	1979	1981
1	2	3	4	5
1. वाड़मेर	50.14	14.25	33 62	
2. वीकानेर	33.60	50.00	22.12	
3. चूरू	54.91	69.22	17.15	
4. जैसलमेर	41.22	13.10	24.45	
5. जालौर	72.08	54.24	59.66	
6. झुंझुनू	58.60	83.36	22.55	
7. जोधपुर	69.37	38.90	53.72	
8. नागौर	122.30	50.29	28.62	
9. पाली	77.54	54.37	94.34	
10. सीकर	90.30	109.50	30.80	
11.सिरोही	97.70	80.70	60.38	

दोनों सारणियों से इस वात की पुष्टि होती है कि पिछले 5–6 दशकों में राजस्थान के मरू क्षेत्र में वर्षा की स्थिति में खास अन्तर नहीं आया । दो–तीन वर्षों के अन्तराल में कुल अधिक वर्षा हो जाती है, जिससे चारा तथा वाजरा हो जाता है । पिछले कई वर्षों से लगातार वर्षा का अभाव होने के कारण इस क्षेत्र में लगातार अकाल की गंभीर स्थिति वन गई है ।

अकाल

भौगोलिक परिस्थिति, भू–संरचना तथा वर्षा की कमी का सीधा प्रभाव अकाल के रूप में सामने आता है । राजस्थान के इस मरू क्षेत्र में प्रायः हर वर्ष अकाल रहता है । यह अकाल या तो पूरे क्षेत्र या आंशिक क्षेत्र में रहता है । वैसे पूरा राजस्थान भी अकाल की चपेट में आता रहता है । राजस्थान में पड़ने वाले अकालों की स्थिति आगे की सारणी से स्पष्ट हो सकती है ।

सारणी सं. 1 : 4

राजस्थान में अकाल ग्रस्त क्षेत्र[7]

वर्ष	अकालग्रस्त जिले	अकाल घोषित तहसील	प्रभावित गांव
1	2	3	4
1967–68	12	41	2383
1968–69	26	172	21968
1969–70	23	114	11977
1970–71	8	15	504
1971–72	13	61	6135
1972–73	26	153	18868
1973–74	—	—	—
1974–75	25	165	13673
1975–76	—	—	—
1976–77	—	—	—
1977–78	19	109	12251
1978–79	26	133	5609
1979–80	26	188	31095
1980–81	26	157	21395
1981–82	26	171	23246
1982–83	26	164	22606
1983–84	—	—	—
1984–85	22	100	10276
1985–86	26	170	26859

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 19 साल में से केवल चार साल ऐसे रहे हैं जब राजस्थान के सभी जिले अकाल की विभीषिका से बचे रहे एवं 19 में से 8 वर्ष ऐसे रहे जब राजस्थान के सभी जिलों में अकाल रहा है।

जैसा कि उक्त सारणी दर्शाती है अकाल यहां की स्थाई स्थिति है। जिस क्षेत्र में खेती वर्षा पर पूर्णतः निर्भर करती हो, वहां पिछले 8 वर्षों में सात वर्ष

भयंकर अकाल रहा है । मरू क्षेत्रीय जिलों में गगानगर तथा वीकानेर के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जहां नहर से सिंचाई होने लगी है, शेप पूरे क्षेत्र में अकाल रहा है । अकाल के प्रश्न पर जैसलमेर, वाड़मेर तथा वीकानेर के किसानों से हुई चर्चा के दौरान अपने अनुभव वताते हुए किसानों ने कहा कि पिछले 35-40 वर्षों में अकाल के प्रभाव में वृद्धि हुई है । पहले तीन वर्षों में एक साल अच्छा वर्षा हो जाती थी जिससे चारा तथा अन्न हो जाता था । अब तो उत्तरोत्तर वर्षा की मात्रा कम होती जा रही है तथा वर्षा न होने वाले वर्षों की संख्या वढ़ती जा रही है । उदाहरण के लिए एक वर्ष छोड़कर 7 वर्षों से अत्यन्त कम वर्षा हो रही है । किसानों ने वताया कि 1950–60 के वीच की अवधि में कई वर्ष अच्छी वर्षा के थे । इसी प्रकार 1970–80 के वीच कई वर्ष अच्छी वर्षा हुई थी । उक्त तथ्यों की पुष्टि अकाल विभाग के आंकड़ों से भी होती है । उसके अनुसार वर्ष 1952–53 में मात्र 4 जिले अकालग्रस्त घोपित थे । इसी प्रकार वर्ष 1955–56 में 4, तथा 1958–59 में 6, 1959 में 60 कोई भी जिला अकालग्रस्त घोपित नहीं था । इसी प्रकार 1961 तथा 62 में 4 जिले अकालग्रस्त थे । कहने का तात्पर्य यह है कि पश्चिमी राजस्थान के मरू क्षेत्र में वर्षा कम एवं अनियमित होने की स्थिति वढ़ती जा रही है जिसके कारण अकाल का असर वढ़ता जा रहा है ।[8]

पश्चिमी राजस्थान में एकाध साल छोड़ कर वर्ष 1972 से लगातार अकाल पड़ रहा है । राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार वाड़मेर, वीकानेर, चुरू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर तथा पाली जिलों में 1972 से 86 तक लगातार अकाल पड़ते रहे हैं । अकाल की इस विभिषिका का सीधा प्रभाव पशुओं पर पड़ा है ।[9] गौ धन की संख्या में कमी आई व गाय का प्रतिदिन दूध उत्पादन भी घटा है ।[10]

पशुपालन

राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है, उसमें पशुधन जीविका का मुख्य स्रोत है । पशुपालन यहां परम्परागत धन्धा रहा है । यहां के पर्यावरण में पनपने वाले पशुओं की पर्याप्त संख्या है तथा उनकी नस्लें भी अच्छी हैं । गाय, वैल, भेड़, वकरी, ऊंट, घोड़े, गधे आदि मरू क्षेत्र की प्रमुख पशु जातियां हैं । गायों में थारपारकर, राठी आदि नस्लों की गायें प्रमुख हैं । पश्चिमी राजस्थान में पशुधन मनुष्य को आहार देने के साथ–साथ नकद आय का साधन भी है । इस क्षेत्र का मुख्य भोजन दूध–छाछ तथा वाजरी है । आज भी सुदूर गांवों में, जहां वर्षा के अभाव से भीपण अकाल चला आ रहा है, पशु

धन उनके लिए सुदृढ़ आर्थिक आधार बना हुआ है। जैसलमेर, बीकानेर तथा बाड़मेर क्षेत्र में घुमन्तू पशु पालक काफी संख्या में हैं जो पीढ़ियों से पशुपालन में लगे हुये हैं। ये पशु पालक अकाल के दिनों में अपने पशुओं को साथ लेकर राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में होते हुए मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि पड़ौसी राज्यों में चले जाते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद चली पंचवर्षीय विकास योजनाओं में पशुधन विकास के अनेक कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं। राजस्थान के पशुधन की महत्व-पूर्ण स्थिति को देखते हुए यहां भी राज्य सरकार की ओर से पशु धन विकास के अनेक कार्यक्रम चलाये गये हैं। इन कार्यक्रमों के तहत पशु–चिकित्सा, अच्छी नस्ल के पशु धन का प्रसार, नस्ल सुधार, पशु उत्पाद विपणन के लिए बाजार की सुविधा, अकाल के दिनों में पशु राहत कार्य आदि कार्यक्रम चल रहे हैं। गोधन विकास, भेड़ ऊन विकास, ऊंट विकास आदि के लिए अलग–अलग कार्य-क्रम भी चल रहे हैं। इनसे यह अपेक्षा रखी गई कि इन कार्यक्रमों का लाभ बहु-संख्यक पशुपालकों को मिले और पशुपालन का आधार अधिक मजबूत हो। इसलिए इस बात की जानकारी उपयोगी होगी कि पशुपालन एवं पशु विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ किस सीमा तक मिल रहा है। प्रस्तुत अध्ययन में मुख्य दो दृष्टियां रही हैं (एक) पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में पशु धन का क्या स्थान है, उसका विश्लेषण करना अर्थात् पशुपालन की परम्परागत व्यवस्था के अन्तर्गत वहां के आर्थिक जीवन में पशुधन का क्या स्थान है। इसमें इस बात की समीक्षा हो सकेगी कि पशु धन वहां के आर्थिक, सामाजिक जीवन में किस सीमा तक महत्वपूर्ण बना हुआ है। इस क्रम में पशु पालन की परम्परागत पद्धति तथा उनकी कठिनाइयों पर भी प्रकाश पड़ सकेगा। (दो) इस अध्ययन का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष पशु धन विकास में सरकार के प्रयासों का प्रभाव, उनकी स्वीकृति तथा कठिनाईयों को स्पष्ट करना है।

मोटे तौर पर इस अध्ययन के निम्न उद्देश्य माने गये हैं।

1. पारिवारिक आर्थिक संरचना में पशु धन का स्थान तथा उसकी भूमिका।

2. पशु धन विकास के कार्यक्रमों का लाभ किस सीमा तक उठाया जा रहा है, इसे स्पष्ट करना।

3. पशुपालन किस सीमा तक कृषि में सहायक है, उसे देखना।

4. पशुपालन की प्रमुख कठिनाइयों को स्पष्ट करना । इस क्षेत्र के पशु पालकों के सामने आने वाली बाधाओं की व्याख्या ।
5. कृषि में यंत्रों के उपयोग के कारण पशुधन के उपयोग की स्थिति को स्पष्ट करना ।
6. यहां की परिस्थिति में पशु पालन स्वतन्त्र व्यवसाय हो सकता है या नहीं, इस बारे में पशुपालकों की राय एवं अनुभव जानना ।
7. पशुपालक परिवारों की आय में पशु धन से होने वाली आय की स्थिति को स्पष्ट करना ।
8. पशु उत्पादों के उपयोग एवं विपणन की स्थिति को देखना ।

अध्ययन क्षेत्र एवं पद्धति

इस अध्ययन में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के निम्नलिखित 4 जिलों से एक-एक पंचायत समिति को चुना गया है ।

जिले	पंचायत समिति
1. बाड़मेर	बाड़मेर
2. बीकानेर	बीकानेर
3. जैसलमेर	जैसलमेर
4. पाली	बाली

उपरोक्त पंचायत समितियों में से प्रत्येक में से दो गांवों को सघन अध्ययन के लिए चुना गया है । इस प्रकार कुल 8 गांवों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया । सर्वेक्षित गांवों के कुल पशुपालकों में से 216 पशुपालकों को विशेष अध्ययन के लिए चुना गया । सर्वेक्षण के लिए परिवारों का चयन निम्नलिखित आधार पर किया गया । (1) पशु संख्या (2) जोत श्रेणी और (3) सामाजिक श्रेणी । चयनित गांव तथा परिवारों की स्थिति इस प्रकार है :—

सारणी सं. 1 : 5

चयनित गांव एवं परिवार

(संख्या)

पंचायत समिति	गांव	कुल परिवार	सर्वेक्षित परिवार
1	2	3	4
1. बाड़मेर	1. खडीन	468	27
	2 गंगाला	340	26
2. बीकानेर	3. छत्रगढ़	842	57
	4. मोतीगढ़	234	17
3. जैसलमेर	5. देवा	169	15
	6. चांघन	388	23
4. वाली	7. फालना	405	42
	8. खीमेल	648	9
योग	8	3494	216

तथ्य संग्रह

तथ्य संग्रह के लिए निम्न-लिखित अनुसूचियों का उपयोग किया गया—

1. पशुगणना अनुसूची-इसमें गांव के सभी पशुपालकों से पशुधन तथा भूमि सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी एकत्र की गई है।
2. परिवार अनुसूची-चयनित परिवारों से विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए परिवार अनुसूची का उपयोग किया गया है।
3. ग्राम अनुसूची-ग्राम स्तर की जानकारी के लिए ग्राम अनुसूची का उपयोग किया गया।
4. संस्थागत अनुसूची-विभागीय जानकारी तथा अन्य संस्थाओं के लिए संस्था अनुसूची तैयार की गई है।

तथ्य संग्रह के क्रम में सहायक सामग्री का भी उपयोग किया गया है। इस दृष्टि से पशुपालन निदेशालय, सांख्यिकी निदेशालय, तथा राजस्थान सहकारी दुग्ध फैडरेशन का सहयोग उल्लेखनीय है। सर्वेक्षण के दौरान पशुपालकों के साथ हुई चर्चा के आधार पर नोट भी तैयार किये गये।

सर्वेक्षित गांवों का परिचय

जनसंख्या एवं भूमि का उपयोग

सर्वेक्षिण में जिन 8 गांवों को शामिल किया गया है उनकी भौगोलिक आर्थिक तथा पशुपालन की परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं। सर्वेक्षण के मुद्दों पर विचार करने के पूर्व सर्वेक्षित गांवों का परिचय देना उपयोगी रहेगा ताकि परि-स्थिति-भिन्नता का अंदाज लग सके। नीचे की सारणी में सर्वेक्षित गांवों का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दी जा रही है—

सारणी सं. 1 : 6

क्षेत्रफल एवं जनसंख्या[12]

गांव का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टर)	परिवार संख्या	जन संख्या	अ. जा. अ. ज. जा.	प्रतिशत रूप में (कालम 4–5 का)
1	2	3	4	5	6
1. देवा	9713	169	981	426	43.43
2. चांधन	13853	388	1767	370	20.94
3. खडीण	9530	468	3047	288	9.45
4. गंगाला	6447	340	1822	409	22.45
5. छत्रगढ़	36490	842	3883	734	18.90
6. मोतीगढ़	9681	234	1156	287	24.83
7. फालना	1228	405	1903	439	23.07
8. खीमेल	3489	648	3584	762	21.26
योग	90431	3494	18143	3715	20.48

सर्वेक्षण में शामिल गांवों को प्रतिनिधि इकाई माना जा सकता है। इनमें आकार, आर्थिक स्थिति, सामाजिक श्रेणी सभी दृष्टि से साम्यक स्तर के गांवों का चयन करने का प्रयास किया गया। सर्वेक्षित परिवार में अ. जा. तथा अ. ज. जा. के परिवार भी हैं तथा छोटे-बड़े गांव भी हैं तथा छोटे-बड़े गांव भी हैं। देवा एक छोटा गांव है। चांधन, छत्रगढ़ आदि को बड़े गांवों में शामिल किया जाता है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र सामान्यतः मरू क्षेत्र है लेकिन कुछ क्षेत्रों में सिचाई की सुविधा भी उपलब्ध है। सर्वेक्षित गांवों में भूमि एवं उसके उपयोग सम्बन्धी जानकारी से आर्थिक एवं कृषि की स्थिति का परिचय मिलेगा। नीचे की सारणी में भूमि के उपयोग की जानकारी दी जा रही है।

सारणी सं. 1 : 7

भूमि का उपयोग[13]

(हैक्टर)

गांव	सिंचित भूमि	असिंचित भूमि	कृषि योग्य पडत	गैर कृषि योग्य पड़त	जंगल	योग
1	2	3	4	5	6	7
1. देवा	1 (–01)	498 (5–13)	4714 (48–53)	4500 (46–33)		9713
2. चांघन	10 (0–7)	1552 (11–20)	6673 (48–17)	5523 (39–87)	95 (–69)	13853
3. खडीण	—	6452 (67–70)	1886 (19–79)	1192 (12–51)	—	9530
4. गंगाला	—	5729 (88–36)	525 (8–14)	193 (3–00)		6447
5. छत्रगढ़	332 (%91)	6199 (16–99)	28832 (79–01)	1073 (2–95)	54 (–15)	36490
6. मोतीगढ़	—	2488 (25–70)	7098 (73–32)	95 (–98)	—	9681

[शेष पृष्ठ 14 पर]

[शेष पृष्ठ 13 का]

1	2	3	4	5	6	7
7. फालना	334 (27–20)	663 (53–99)	106 (8–63)	125 (10–18)	—	1228
8. खीमेल	636 (18–23)	2141 (61–36)	263 (7–54)	449 (12–87)	—	3489
योग	1313 (1–45)	25722 (28–44)	50097 (55–40)	13150 (14–54)	149 (–16)	90431

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों में कृषि बहुत व्यापक नहीं है और पशुपालन आय का प्रमुख स्रोत है। खड़ीण, गंगाला (बाड़मेर), देवा, चांधन (जैसलमेर) तथा मोतीगढ (बीकानेर) में सिंचाई का कोई साधन नहीं है। छत्रगढ़ में नहर आ जाने के कारण यहाँ कुछ खेतों में पानी पहुंच गया है। फालना एवं खीमेल [पाली] में भू-जल उपलब्ध है जिससे सिंचाई का सीमित साधन विकसित हो सका है। इन गांवों में अधिकांश जमीन असिंचित है जिसमें वर्षा होने पर थोड़ी बहुत फसल हो जाती है। सारणी से यह भी स्पष्ट होता है कि कृषि योग्य पड़त भूमि की बहुतायत है तथा गैर कृषि योग्य भूमि भी पर्याप्त है। यह परिस्थिति पशुपालन के लिए अनुकूलता पैदा करती है। इस क्षेत्र में पड़त भूमि तथा असिंचित भूमि पशु चराई के लिए उपयुक्त सुविधा उपलब्ध करती है। दूर-दूर तक खुले मैदान में पशु चरते देखे जा सकते हैं। पूरे क्षेत्र में छत्रगढ़ ऐसा गांव है जहाँ योजनाबद्ध विकास के अन्तर्गत नहर से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। सर्वेक्षण के दौरान गांवों में यह बात भी सामने आई कि सिंचाई की जमीन के विस्तार तथा असिंचित एवं पड़त भूमि की कमी के कारण चराई का क्षेत्र संकुचित हो गया है। फलस्वरूप पशुपालक चराई की कठिनाई महसूस करते हैं। छत्रगढ़ में इस कठिनाई को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

सुविधायें

इन गांवों में अनेक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं। प्राथमिक विद्यालय सभी गांवों में हैं। छत्रगढ़, फालना तथा खीमेल में हाई स्कूल तथा हायर सेकण्डरी विद्यालय भी हैं। खीमेल में महिला शिक्षा की अच्छी सुविधा है। चिकित्सा सुविधा सभी गांवों में समान रूप में उपलब्ध नहीं है। देवा, खड़ीण, मोतीगढ़ में चिकित्सा केन्द्र गांव से 10 किलोमीटर से भी दूर है। अन्य गांवों में किसी न किसी स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। लेकिन वह अपर्याप्त एवं असंतोषजनक है। मरू क्षेत्र में पानी का अभाव आमबात है। राज्य सरकार ने पेयजल की सुविधा के लिए अच्छा प्रयास किया है। पानी की टंकी बनाकर वहां से पाईप द्वारा गांवों में पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मोतीगढ़ तथा खडीण में काफी दूरी [10–15 कि. मी.] से पानी लाकर उसे टंकी में संग्रह कर पेयजल की सुविधा प्रदान की गई है। बड़े गांवों में डाकघर की सुविधा उपलब्ध है। मोतीगढ़ में यह सुविधा नहीं है। आवागमन के साधन की दृष्टि से देवा एवं गंगाला में कच्ची सड़क है। देवा में बस स्टेण्ड भी है। खडीण में पक्की सड़क है

लेकिन वस की सुविवा नहीं है। मोटेतौर पर यह कहा जा सकता है कि सर्वेक्षित गावों में कुछ मूलभूत सुविधायें पहुंचाने का प्रयास तो किया गया है लेकिन स्थिति पूर्णतः संतोष जनक नहीं।

संदर्भ सूची

1. डा. एस. एन. जोवा तथा डा. विजय शंकर व्यास, कंडीशन्स ग्राफ स्टेबिलिटी एण्ड ग्रोथ इन एरिड एग्रीकल्चर।

— मूल स्रोत : ए. कृष्णन, डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ एरिया इन इंडिया, 21 वां ग्रन्तर्राष्ट्रीय भूगोल कांग्रेस, जोधपुर।

2. इस ग्रव्ययन में सिरोही एवं जालोर को मरू एवं पश्चिमी क्षेत्र नहीं माना गया है। सिरोही को पहाड़ी क्षेत्र माना गया। गंगानगर पश्चिमी क्षेत्र में माना गया है।
3. डा. एस. एन. जोवा ग्रौर डा. विजय शंकर व्यास, उपरोक्त पृष्ठ–4
4. डा. एस. एन. जोवा ग्रौर डा. विजयशंकर व्यास, उपरोक्त पृष्ठ–6
5. लैण्ड यूटिलाइजेशन कमेटी, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. स्टेटिस्टिकिल एब्सट्रेक्ट, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार, 1979 पृष्ठ सं. 27
7. ग्रकाल विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त ग्रांकड़ों के ग्राधार पर।
8. बुजुर्ग किसानों से चर्चा के ग्राधार पर।
9. उद्धृत डा. एस. एन. जोवा एवं व्यास, उपरोक्त।
10. ग्रकाल विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के ग्राधार पर।
11. विभिन्न कार्यक्रमों के वारे में ग्रन्यत्र विचार किया गया है।
12. जनगणना रिपोर्ट 1981
13. जनगणना रिपोर्ट 1981

राजस्थान में पशुधन

प्रस्तुत अध्याय में पशुधन की संख्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया है। राजस्थान में पशुधन की स्थिति को स्पष्ट करने के पहले पूर्व भूमिका के रूप में देश की पशु सम्पदा पर भी संक्षेप में विचार किया गया है। इस प्रकार इस अध्याय में तीन स्तर पर पशुधन का विश्लेपण किया गया है। (1) भारत में पशुधन (2) राजस्थान में पशुधन और (3) राजस्थान के मरू क्षेत्र (पश्चिमी राजस्थान) तथा सर्वेक्षित जिलों में पशुधन की स्थिति। जहाँ तक पशुधन के प्रकार का प्रश्न है, इस विश्लेपण में मुख्यतः दुधारू पशु (गाय-भैंस), भेड़–बकरी, तथा ऊंट को शामिल किया गया है। जानकारी के लिए सारणी में अन्य पशुओं का उल्लेख भी है।

भारत की अर्थ–व्यवस्था में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 1972 की गणना के अनुसार देश में गायों की संख्या 17 करोड़ 20 लाख तथा भैंसो की संख्या 5 करोड़ 80 लाख थी।

जो विश्व के गोधन का छठा तथा भैंसो की संख्या का आधा हिस्सा है। दुधारू पशु खासकर गायों यहां के सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। इसका आर्थिक उपयोग भी कई रूपों में किया जाता है। आहार के रूप में दूध–घी दही छाछ आदि का उपयोग तो होता है साथ ही साथ कृषि कार्य तथा सामान एवं सवारियां ढोने में भी पशुओं का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। भेड़ के ऊन का वस्त्रों में उपयोग होता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः हर परिवार के पास पशुधन पाया जाता है।

भारत में पशुगणना का इतिहास 1919–20 से प्रारम्भ माना जाता है, हालांकि उन दिनों तथा वाद में भी विभिन्न देशी राज्यों में व्यवस्थित पशु गणना नहीं हो सकी, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने पशु गणना का जो प्रतिवेदन तैयार किया, उसे मोटा एवं स्थूल आधार माना जा सकता है। स्वतंत्रता के पूर्व की पशु गणना के अनुसार 1919–20 से 1929–30 के बीच में पशु संख्या में वृद्धि हुई जब कि वाद के वर्षों में 1929–30 से 1944–45 के बीच संख्या में ह्रास पाया गया। लेकिन भैंसों की संख्या में वृद्धि उत्तरोत्तर जारी रही।

आगे की सारणी में 1919–20 से 1944–45 के बीच भारत में पशुधन की स्थिति का विवरण दिया जा रहा है।

संलग्न सारणियों से ब्रिटिश भारत तथा स्वतन्त्र भारत में दुधारू पशुओं की संख्या में हुई वृद्धि एवं ह्रास की स्थिति का अन्दाज लगता है। ब्रिटिश भारत में संख्या का जो विवरण प्राप्त है उस पर से दिशा का सही अन्दाज नहीं लग सकता क्योंकि भौगोलिक सीमाओं में काफी अन्तर आ चुका है। उन दिनों जो पशु गणना हुई थी, वह नियमित नहीं थी तथा न पूरे क्षेत्र में हो पायी थी। स्वतन्त्र भारत में हुई पशुगणना से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि गायों की तुलना में भैसो की संख्या आधिक वढ़ी है। वर्ष 1951–72 के वीच में गायों में 15.1 प्रतिशत की वृदि हुई जव कि भैसो की संख्या 33.05 प्रतिशत वढ़ गई।

भेड़–देश में भेड़ पालने की पुरानी परम्परा रही है। देश के हर हिस्से में भेड़ वकरी पाई जाती है। फिर भी कुछ भागों में इसका पालन सघन रूप में किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र, कश्मीर, हिमालय, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में भेड़-पालन वड़े पैमाने पर होता है। वैसे हर प्रदेश में भेड़–पालक मिल जायेगे। 1972 की गणना के अनुसार देश में 4 करोड़ भेड़ें हैं जो कि विश्व की संख्या का छठा भाग है। अनुमान के अनुसार इससे 3 करोड़ 45 लाख किलो ग्राम ऊन, 10 करोड़ 10 लाख किलोग्राम मांस तथा 1 करोड़ 46 लाख चमड़े की खाले प्राप्त होती हैं। भेड़पालन रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों के लिए रोजगार तथा आय का एक मुख्य साधन है। ब्रिटिश भारत में 1919–20 में भेड़ों की कुल संख्या 2 करोड़ 26 उाख थी। 1934–35 तक यह संख्या करीव–करीव स्थिर रही। लेकिन 1944–45 में भेड़ों की संख्या घटकर 1 करोड़ 99 लाख 70 हजार हो गई। आजादी के वाद 1951 में भेड़ों की संख्या 3,89,62,000 थी जवकि 1972 में यह वढ़कर 4,03,95000 हो गयी। इन्हीं वर्षों की राज्यवार संख्या संलग्न सारणी में दी गई है। भारत में सामान्यत: यहां के पर्यावरण में विकसित देशी नस्ल की भेड़ें अधिक हैं। यहाँ भी पर्यावरण के अनुरूप भेड़ एवं ऊन के स्तर में अन्तर पाया

सारणी सं. 2 : 1

आजादी के पूर्व भारत में दुधारू पशुधन

[हजारों में]

श्रेणी	1919–20	1924–25	1929–30	1934–35	1939–40	1944–45
1	2	3	4	5	6	7
1. बैल	46742	48558	49352	48870	46856	47319
2. गाय	35863	36434	37295	37255	36445	35140
3. बछड़े–बछड़ी	30138	30299	31119	34463	32216	28998
4. भैंस–भैंसा, पाड़ा-पाड़ी	27444	29420	30601	33157	32095	32020
5. कुल दुधारू पशु	140187	144711	148367	153745	147612	143477

स्रोत :—रिपोर्ट आफ नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर 1976, खण्ड–7 भारत सरकार, पृष्ठ–103।

नोट :—उक्त वर्षों में ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में नियमित पशु गणना नहीं हो सकी थी। उक्त सारणी में पाकिस्तान तथा बंगलादेश के आंकड़े भी शामिल हैं क्योंकि उस समय पाकिस्तान एवं बंगला देश ब्रिटिश भारत के अंग थे।

सारणी

स्वतन्त्र भारत में[2]

	विवरण	1951	1956	पांच वर्षों में वृद्धि, ह्रास का प्र. श.	1961
	1	2	3	4	5
1.	कुल गाय, बैल बछड़े बछड़ी	155,239	158,669	+ 2–20	175,537
2.	भैंस, भैंसा	43,401	44,916	+ 3–59	51,220

सं. 2 : 2

पशुधन का विकास

[हजारों में]

1956 1961 में वृद्धि ह्रास का प्रतिशत	1966	वर्ष, 61 एवं, 66 में वृद्धि, ह्रास का प्रतिशत	1972	वर्ष, 51 एवं 72 में वृद्धि, ह्रास का प्रतिशत	वर्ष, 66 एवं 72 में वृद्धि, ह्रास का प्रतिशत
6	7	8	9	10	11
+ 10–6	176,182	+ 0–3	178,863	+ 15–2	+ 1–5
+ 14–00	52,955	+ 3–3	57,941	+ 33–5	+ 9–5

सारणी सं. 2 : 3

3. विभिन्न राज्यों में भेड़ों की संख्या 1951-72

[हजारों में]

राज्य	1951	1956	1961	1966	1972
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्रप्रदेश	10193	7846	8363	8004	8343
2. असम	33	169	54	49	25
3. गुजरात	3645	3715	1481	1652	1722
4. बिहार	908	1051	1156	1247	983
5. महाराष्ट्र	—	—	2093	2205	2128
6. हरियाणा	846	1230	925	516	459
7. पंजाब	—	—	—	444	436
8. हिमाचल प्रदेश	627	697	662	1049	1040
9. जम्मू कश्मीर	979	1465	1163	1152	1072
10. कर्नाटक	4346	4060	4765	4748	4827
11. केरल	432	98	24	12	10
12. मध्यप्रदेश	687	901	1009	1026	1000
13. मणिपुर	[+]	1	4	9	2
14. मेघालय	—	—	—	21	18
15. नागालैण्ड	—	—	—	—	—
16. उड़ीसा	682	1079	994	1182	1369
17. राजस्थान	5393	7373	7360	8806	8556
18. तमिलनाडु	7926	7042	7160	6621	5615
19. त्रिपुरा	1	7	3	2	2
20. उत्तर प्रदेश	1636	1906	2662	2623	1956
21. पं. बंगाल	622	611	535	639	808
22. केन्द्र शासित क्षेत्र	7	8	10	18	15
सम्पूर्ण भारत	38962	39259	40223	42015	40395

3. स्रोत :—कृषि आयोग प्रतिवेदन भाग 7, पृष्ठ 183

[+] 500 से कम संख्या

जाता है। राजस्थान की औसत भेड़ से प्रतिवर्ष करीब 1.4 किलो ऊन प्राप्त होता है। भारत के उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र में, जिसे रेगिस्तानी एवं अर्द्ध–रेगिस्तानी क्षेत्र कहा जाता है, कुल भेड़ों का 32.4 भाग निवास करता है जो कुल ऊन उत्पादन का 65 प्रतिशत भाग उत्पादन करता है। राजस्थान में पूंगल, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरा आदि नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं।

बकरी–कृषि एवं खाद्य संगठन (एफ. ए. ओ.) के अनुसार बकरियों की संख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। 1972 की पशु गणना के अनुसार भारत में बकरियों की कुल संख्या 6 करोड़ 80 लाख है। इसका उपयोग मुख्यतः मांस एवं दूध के लिए किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार स्वतंत्र भारत में बकरियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 1951 में इनकी संख्या 4 करोड़ 70 लाख थी, जो 1956 में बढ़कर 5 करोड़ 50 लाख [17 प्र. श.] हो गयी। वर्ष 1966 में यह संख्या 6 करोड़ 46 लाख तथा 1977 में 6 करोड़ 80 लाख हो गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि बकरियों की संख्या में यह वृद्धि बिना किसी सुनियोजित विकास योजना के हुई। सरकार की ओर से इसके विकास के लिए कोई कार्यक्रम हाथ में नहीं लिये गये हैं। वृद्धि का एक प्रमुख कारण यह है कि बकरी के रख रखाव, खूराक आदि पर पालक को खास खर्च नहीं करना पड़ता है। प्रकृति प्रदत्त घास, पत्तियां खाकर इनका जीवन चलता है। वैसे बकरी पूरे देश में पाई जाती हैं। फिर भी पहाड़ी एव रेगिस्तानी, अर्द्ध–रेगिस्तानी क्षेत्र में इनकी संख्या अधिक है।

ऊंट–ऊंट मुख्यतः एशिया तथा अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में 46 लाख [1961] ऊंट है जिसमें 25 प्रतिशत भारत में है। भारत में भी मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात में ऊंट पाये जाते हैं। सबसे अधिक ऊंट राजस्थान [कुल का 70 प्रतिशत] में है। जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थिति की दृष्टि से सूखा एवं मरुक्षेत्र ऊंट पालन के लिए अनुकूल है। ऊंट का मुख्य उपयोग सामान तथा सवारी ढोने में किया जाता है। कई क्षेत्रों में इसको जुताई के लिए भी काम में लेते हैं। इसकी कई नस्ले हैं जैसे बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, शेखावाटी, जालोरी आदि। आजादी के बाद देश में ऊंटों की संख्या निम्न प्रकार रही—

सारणी संख्या 2 : 4

ऊंटों की संख्या 1951–77

(हजार में)

वर्ष	संख्या
1	2
1951	629
1956	776
1961	903
1966	1023
1972	1126

सारणी सं. 2 : 5

विभिन्न राज्यों में ऊंटों की संख्या 1961–72

(हजारों में)

राज्य	1961	1966	वृद्धि 1966–72	1972	ह्रास, वृद्धि का प्र. श. 1966–72
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	अ	1	—	अ	—
2. असम	—	—	—	—	—
3. बिहार	अ	अ	—	अ	—
4. गुजरात	44	45	+ 2.27	63	+ 40.00
5. हरियाणा	—	132	—	133	+ 0.76
6. हिमाचल प्रदेश	अ	1	—	1	—
7. जम्मू–कश्मीर	2	2	—	3	+ 50.00
8. कर्नाटक	1	1	—	1	—
9. केरल	—	—	—	अ	—
10. मध्य प्रदेश	16	20	+ 25.00	14	(—) 30.00
11. महाराष्ट्र	1	2	+ 100.00	1	(—) 50.00
12. मनीपुर	—	—	—	—	—
13. मेघालय	—	—	—	—	—

(शेष पृष्ठ 26 पर)

(शेष पृष्ठ 25 का)

1	2	3	4	5	6
14. नागालैंण्ड	—	—	—	—	—
15. उड़ीसा	अ	—	—	—	—
16. पंजाब	224	119	—	121	(+) 1.68
17. राजस्थान	570	653	+ 14.56	745	+ 14.08
18. त्रिपुरा	—	—	—	—	—
19. उत्तर प्रदेश	43	50	+ 16.28	43	(—) 14.00
20. पं. बंगाल	अ	अ	—	अ	—
21. अंडमान निकोबार	—	—	—	—	—
22 चंडीगढ़	—	अ	—	—	—
23. तमिलनाडु	अ	अ	—	—	—
24. दादरनगर हवेली		अप्राप्य			
25. दिल्ली	2	2	—	1	(—) 15.00
26. गोवा	—	—	—	—	—
27. लक्ष्यद्वीप	—	—	—	—	—
28. मिजोरम	—	—	—	—	—
29. पांडिचेरी		अप्राप्य			
सम्पूर्ण भारत	903	1028	+ 13.84	1126	+ 9.53

अ=500 से कम

राजस्थान में पशुधन

राजस्थान में पशुधन की संख्यात्मक वृद्धि की तालिका नीचे दी जा रही है। ब्रिटिश काल में राजस्थान में पशुगणना की व्यवस्थित परम्परा नहीं रही। जो गणना हुई, उसमें सातत्य का अभाव होने के साथ-साथ समय-समय पर भौगोलिक सीमाओं में भी अन्तर होता रहा। इस स्थिति को देखते हुए 1951-83 की तुलनात्मक स्थिति दी गई है। 1983 की पशुगणना का अपेक्षाकृत विस्तृत विवरण दिया गया है। फिर भी जानकारी की दृष्टि से ब्रिटिशकाल में 1945 में हुई पशुगणना के अनुसार अजमेर एवं राजस्थान में पशुओं की संख्या निम्न प्रकार बताई गई थी। यहां यह माना गया है कि वर्तमान राजस्थान में अंग्रेजी शासन के जमाने का राजपूताना तथा अजमेर शामिल है। आज भी प्रायः यही भौगोलिक सीमा है।

सारणी संख्या 2 : 6

ब्रिटिश शासन के समय राजस्थान में पशुधन 1945

(संख्या)

विवरण	अजमेर	राजस्थान (राजपूताना)	योग
1	2	3.	4
1. बैल	83870	2623201	2707071
2. गाय	97786	3058865	3156651
3. बछड़े-बछड़ी	81111	3128028	3209139
4. भैंसा (नर)	5037	160015	165052
5. भैंस (मादा)	41858	1412649	1454507
6. पाड़ा-पाड़ी	35646	1374200	1409846
7. भेड़	379159	7082221	7461380
8. बकरे-बकरी	224932	7385595	7610527
योग	949399	26224774	27174173

स्रोत-एटलस ग्रान लाइवस्टाक, भारत सरकार कृषि मंत्रालय 1950, पशुगणना 1945 के आधार पर प्रकाशित उक्त स्रोत से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण।

सारणी 2 : 7

राजस्थान में पशुधन का विकास 1951–83

(वृद्धि + तथा ह्रास —) (लाखों में)

विवरण	1951	1956	1961	1966	1972	1977	1983
1	2	3	4	5	6	7	8
1. गो वंश	107–82	120–73	131–36	131–23	124–27	128–96	134–89
		+ 11–97	+ 8–80	+ 0–10	— 4–98	+ 3–42	+ 4–53
2. भैंस वंश	30–45	34–30	40–19	42–23	45–92	50–72	60–43
		+ 12–64	+ 17–17	+ 5–08	+ 08–76	+ 10–45	+ 19–14
3. भेड़ वंश	53–87	73–73	73–61	88–06	85–56	99–38	134–30
		+ 36–87	— 0–16	+ 19–64	— 2–84	+ 16–15	+ 35–14
4. बकरे–बकरी	55–62	87–80	80–52	103–23	121–62	123–07	154–79
		+ 56–96	— 7–77	+ 28–20	+ 17–81	+ 1–19	+ 25–77
5. ऊट वंश	3–41	4–36	5–70	6–54	7–45	7–52	7–56
		+ 27–86	+ 30–73	+ 14–74	+ 13–91	+ 0–94	+ 0–53
6. शंकर वंश	0–55	0–73	0–71	0–83	1–17	1–30	1–79
		+ 32–73	— 2–74	+ 16–90	+ 40–96	+ 11–11	+ 37–69

(शेष पृष्ठ 29 पर)

(शेष पृष्ठ 28 का)

1	2	3	4	5	6	7	8
7. अन्य	3–44	3–04	3–00	2–64	2–36	2–64	2–57
		— 11–63	— 1–32	— 12–00	— 10–61	+ 11–86	— 2–65
8. कुल पशुधन	255–16	324–28	335–09	374–76	388–78	413–59	496–24
		+ 27–09	+ 3–33	+ 11–84	+ 3–74	+ 6–38	+ 19–98

स्रोत :—पशुधन और प्रगति 1983, पशुपालन निदेशालय, जयपुर; पेज 27, पशुगणना 1983, राजस्व मंडल अजमेर ।

सारणी
राजस्थान में पशु धन की

क्र. सं.	जिले का नाम	गाय, बैल बछड़े–बछड़ी	भैंस, भैंसा पाडे–पाडी	भेड़, लरडा, मेमना–मेमनी
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	497515	171447	775208
2.	अलवर	411945	461553	152532
3.	बांसवाड़ा	533862	145689	27691
4.	बाड़मेर	491883	40933	1157324
5.	भरतपुर	261374	370019	111062
6.	भीलवाड़ा	718588	234007	952759
7.	बीकानेर	475666	57128	1078882
8.	बूंदी	336970	128446	124384
9.	चित्तौड़	817796	254457	206641
10.	चूरू	292952	152457	728203
11.	धौलपुर	150887	152270	15270
12.	डूंगरपुर	420705	146610	227186
13.	गंगानगर	611373	416570	612770
14.	जयपुर	870948	666799	521458
15.	जैसलमेर	261305	1070	876310
16.	जालौर	373060	142025	533485
17.	झालावाड़	513278	167317	26653
18.	झुंझनूं	159115	213959	236018
19.	जोधपुर	526495	98965	1148816
20.	कोटा	780299	214224	54790
21.	नागौर	598145	208184	1226237
22.	पाली	498572	180840	760766
23.	सवाईमाधोपुर	550977	400249	169637
24.	सीकर	282032	248391	416723
25.	सिरोही	241831	70583	190216
26.	टोंक	412937	171050	449048
27.	उदयपुर	1338235	528229	662619
	योग	13504345	6043372	13430788

स्रोत :—पशुगणना 1983, राजस्व मण्डल, अजमेर।

संख्या 2 : 8

जिलावार स्थिति 1983 (संख्या)

बकरे–बकरी	ऊंट–ऊंटनी	घोड़े	खच्चर	गधे	सूअर
5	6	7	8	9	10
521757	3534	547	25	4776	11369
583958	17270	968	302	10368	15247
305711	2779	884	12	8727	64
1334572	109133	2197	2	47376	794
224978	3356	926	374	8329	21687
752200	11859	1061	13	5980	8129
395578	59050	285	14	8307	52
364398	4183	732	42	2065	6492
547795	5708	2238	10	6399	3754
838578	110314	273	—	6464	245
126121	1602	528	216	2863	4640
302033	2025	668	5	3976	294
413767	116454	784	207	7874	5568
992495	25069	1943	109	9319	22440
416686	51699	684	7	23073	—
400871	15362	1310	20	6114	3499
283287	10557	3077	86	3151	4685
523733	37689	958	22	3140	2066
834996	49744	483	2	7746	490
410546	7319	2751	118	4875	14338
976187	39961	705	11	3210	3233
543513	11650	1002	17	9074	6726
628009	8915	932	440	10208	21764
766000	37811	680	5	3929	3845
250521	4619	356	12	2194	2044
391162	2543	640	6	2555	12687
1350060	14908	2936	39	12721	3375
15479521	755913	29848	2115	224813	179504

सारणी में दिये गये तथ्यों से स्पष्ट है कि आजादी के वाद 1951–83 के वर्षों में पशुधन में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को तुलनात्मक दृष्टि से देखे तो भैंस, गौवंश की तुलना में अधिक बढ़ी है। भैंसों की संख्या दुगनी हो गई है जबकि गौ वंश की संख्या 107–82 से बढ़कर 134–80 लाख तक पहुंची है। भेड़ एवं बकरियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। भेड़ 1951 में 53–87 लाख थी जो बढ़कर 1983 में 134–30 लाख हो गई है। सबसे अधिक वृद्धि बकरियों की संख्या में हुई जो कि 55–62 से बढ़कर 154–79 लाख हो गई है। ऊंटों की संख्या भी करीब दूनी हो गई। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि राजस्थान के मरू क्षेत्र में भेड़–बकरी पालन कम खर्चीला तथा लाभकारी धन्धा है। अभी भी वहां विस्तृत चारागाह क्षेत्र है तथा अकाल के दिनों में पशुधन को लेकर चराई के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाने की परम्परा कायम है। घुमन्तू पशुपालन राजस्थान की खास विशेषता है। राजस्थान सरकार की मरू क्षेत्र विकास सम्बन्धी रिपोर्ट के अनुसार करीब 15 लाख भेड़ें प्रति वर्ष राजस्थान से बाहर जाती हैं। इनमें से करीब 6 लाख भेड़ें तो पूरे वर्ष घूम–घूम कर चराई जाती हैं।[1]

पश्चिमी राजस्थान में पशुधन

पश्चिमी राजस्थान के मरू क्षेत्रीय जिलों में पशुपालन आय का प्रमुख स्रोत है। राजस्थान के इस क्षेत्र में तथा सर्वेक्षित जिलों में पशुधन की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण उपयोगी होगा। राजस्थान सरकार ने 8 जिलों को पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र माना है यथा–बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और पाली। इसमें बीकानेर तथा गंगानगर के कुछ क्षेत्रों में नहरी सिंचाई के कारण उसे मरू क्षेत्र से अलग माना गया है। प्रस्तुत सर्वेक्षण में इनमें से चार जिलों बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर तथा पाली को शामिल किया गया है। राजस्थान के इस क्षेत्र में दुधारू पशु गाय तथा भेड़ों की नस्ल तथा इनकी प्रकृति इस प्रकार है

सारणी सं. 2 : 9

पश्चिमी राजस्थान में पशुधन की नस्लें

नस्ल पशु		विशेपता	क्षेत्र
1		2	3
(क)	क–दुधारू पशु		
1.	नागोरी	कृपि कार्य के लिए अविक उपयुक्त, कम दूव 2 से 2.5 लीटर प्रतिदिन	नागौर, जोवपुर, वीकानेर, पाली
2.	कांकरेज	कृपि एवं दूव दोनों के लिए उपयुक्त, भारी शरीर, 5 से 10 लीटर प्रतिदिन	जालौर, पाली, वाड़मेर
3.	थारपारकर	कृपि एवं दूव दोनों में उपयुक्त 3–5 लीटर प्रतिदिन	वाड़मेर जोवपुर, जैसलमेर, प. जोघपुर
4.	राठी	दूव के लिए उपयुक्त, कृपि में कम उपयुक्त, 6–9 लीटर प्रतिदिन	वीकानेर, जैसलमेर
5.	हरियाणा	कृपि व दूव दोनों के लिए उपयुक्त 6–9 लीटर दूव	चूरू, पूर्वी वीकानेर, सीकर
6.	गीर	दूघ के लिए उपयुक्त, 7–8 लीटर दूघ प्रतिदिन	पाली, जोवपुर
(ख)	भेड़		
1.	शेखावाटी	अच्छी ऊन	चूरू, झुंझनू, सीकर, नागौर
2.	मागरा	सावारण ऊन	वीकानेर, नागौर, जैसलमेर
3.	पूंगल	मध्यम व मोटा ऊन	पूंगल, वीकानेर, जैसलमेर
4.	नाली	मध्यम, साघारण ऊन	वीकानेर, चूरू
5.	जैसलमेरी	अच्छी तथा साघारण	जैसलमेर, जोघपुर
6.	मेवाड़ी	साघारण	जोवपुर, नागौर, पाली, वाड़मेर

स्रोत : रिपोर्ट ग्राफ द स्टेट लैण्ड यूटिलाईजेशन कमेटी, राजस्थान सरकार, 1960।

पश्चिमी राजस्थान में गाय तथा भेड़ की अच्छी नस्लें हैं। बीकानेर एवं जैसलमेर के ऊंट भी अच्छे नस्ल के हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र के पशुओं का बाजार अच्छा है। यहां के घुमन्तू पशुपालक भी बड़े पैमाने पर पशु व्यापार करते हैं।

रेगिस्तानी क्षेत्र में पशुधन का विश्लेषण

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में पशुधन की जानकारी के लिए पशु संख्या के साथ--साथ प्रति परिवार पशुधन की तुलनात्मक स्थिति रूचिकर तथ्य प्रस्तुत करती है। गो धन के सन्दर्भ में देखें तो पूरे रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रति परिवार गो धन का औसत करीब 3 है जबकि प्रति परिवार भेड़ों की संख्या 6 के लगभग है। सबसे अधिक प्रति परिवार गो धन जैसलमेर में (करीब 7) है। बीकानेर का दूसरा स्थान (करीब–6) है। इसी प्रकार प्रति परिवार भेड़ें बीकानेर में सर्वाधिक 28 तथा जैसलमेर में 23 है। नीचे की सारणी में रेगिस्तानी क्षेत्र में गाय तथा भेड़ की जिलेवार स्थिति दी गई है।

संख्या 2 : 10

रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रति परिवार गाय तथा भेड़[1]

जिले	प्रति परिवार औसत गाय	प्रति परिवार औसत भेड़
2	3	4
1. बाडमेर	3	7
2. बीकानेर	6	28
3. चूरू	2	4
4. गंगानगर	2	2
5. जैसलमेर	7	23
6. जोधपुर	3	7
7. नागौर	3	6
8. पाली	3	4
योग मरू क्षेत्र	3	6

1. स्रोत–पशुगणना 1983 के आधार पर

पशुधन को यदि क्षेत्र के अनुसार देखें तो पाते हैं कि प्रति किलोमीटर सबसे कम गो धन जैसलमेर में है। जोधपुर में प्रति वर्ग किलोमीटर गो धन 23 और नागौर में 34 है। सर्वाधिक भेड़ें प्रति वर्ग किलोमीटर नागौर में 70. एवं पाली में 67 है। जैसलमेर में यह औसत 23 और बीकानेर में 40 पाई गई। संलग्न सारणी से यह बात स्पष्ट है कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर आदि रेगिस्तानी जिलों में आबादी कम है। इसका एक पक्ष यह भी है कि इन क्षेत्रों में गो धन एवं भेड़ों के चरने के लिए पर्याप्त स्थान है। आगे की सारणी में पशु एवं जमीन का अनुपात दिया गया है।

आगे की कुछ सारणियों में रेगिस्तानी क्षेत्र के प्रमुख पशुओं की संख्या का जिलेवार विश्लेषण दिया गया है। इनमें पूरे रेगिस्तानी क्षेत्र तथा राजस्थान की तुलनात्मक स्थिति को भी स्पष्ट किया गया है। देशी तथा शंकर नस्ल की गायों की संख्या सम्बन्धी सारणी से स्पष्ट है कि शंकर नस्ल के पशुओं की संख्या अत्यन्त कम है। उन्नत नस्ल के प्रसार के व्यापक कार्यक्रमों के बावजूद उन्नत या शंकर नस्ल के पशु गिने-चुने ही पाये जाते हैं। सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह कहना चाहेंगे कि पशुपालक शंकर या विदेशी नस्ल के पशु रखने में रूचि नहीं रखते हैं। सारणी के अनुसार पूरे राज्य में इस समय 10,778 शंकर नस्ल की गायें हैं। जिनमें रेगिस्तानी क्षेत्र में मात्र 1523 हैं। इनमें भी सबसे अधिक गंगानगर में 994 है। अन्य जिलों में तो गिनी-चुनी शंकर नस्ल की गाये हैं। इसमें बैल तथा बछड़े-बछड़ी भी शामिल हैं। बाड़मेर मात्रा चार गायें तथा जैसलमेर में 2 ऐसी गायें हैं।

सारणी

रेगिस्तानी जिलों में गो–वंश :

क्र. सं.	नाम जिला	दूध दे रही		गायें दूध नहीं नहीं दे रही	कमी ब्याई नहीं	1 वर्ष से नीचे
1	2	3		4	5	6
1.	बाडमेर	1–	नहीं	4	—	—
		2–	114756 (31.71)	106253	13449	61495
2.	बीकानेर	1–	357	269	11	195
		2–	122482 (32.01)	134418	7038	67315
3.	चूरू	1–	14	8	2	10
		2–	92747 (38.69)	51903	7039	49256
4.	गंगानगर	1–	1002	538	43	615
		2–	153811 (35.46)	94550	10011	86560
5.	जैसलमेर	1–	2	—	—	1
		2–	53319 (26.66)	84711	4897	29261
6.	जोधपुर	1–	216	126	41	107
		2–	121570 (29.90)	142103	11197	68778
7.	नागौर	1–	80	83	5	40
		2–	134,382 (30.95)	144362	14548	69635

[शेष पृष्ठ 34 पर]

2.11

देशी तथा शंकर नस्ल [संख्या/प्रतिशत]

1 से 3 साल	योग	3 वर्ष से ऊपर वैल	सांड	1 वर्ष से नीचे	1 से 3 वर्ष तक	महा योग
7	8	9		10	11	12
1	5		21	—	—	21
65867	361820	56177		48469	25191	129837
127	959		39	63	15	117
51482	382735	21255		50557	20043	91855
9	43		12	5	2	19
38792	239737	6525		39586	7042	53153
561	2759		322	355	317	994
88782	433714		78124	62064	33718	173906
—	3		1	1	13	15
27828	200016		19892	24471	16908	61271
138	628		53	95	52	200
67057	410705		4061	48854	25499	114964
47	255		32	26	13	71
71271	434198		67760	63745	32116	163621

[शेष पृष्ठ 35 पर]

[शेष पृष्ठ 32 का]

1	2		3	4	5	6
8.	पाली	1–	70	23	8	28
		2–	70589 (24.82)	102988	8276	41882
योग रेगिस्तान क्षेत्र		1–	1741	1051	110	996
		2–	363650 (31.40)	861288	76455	472461
सम्पूर्ण राजस्थान		1–	9905	4699	288	6426
		2–	2110405 (26.90)	2751619	236543	1209765

1. संकर नस्ल
2. देशी नस्ल

स्रोत :—पशुगणना 1983,

[शेष पृष्ठ 33 का]

7	8	9	10	11	12
77	206	41	25	20	86
64147	287882	136573	30846	42982	210401
960	4858	521	570	432	1523
476947	2750807	426917	368992	203499	999008
6019	27837	4586	3524	2668	10778
1537215	7845547	3646977	967351	1005955	5620183

सारणी सं. 2 : 12

रेगिस्तानी जिलों में पशुधन का अनुपात

क्रम संख्या	जिला	ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों की सं.	ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल (हैक्टर)	प्रति वर्ग कि. मी. भैंस—पाड़े	प्रति वर्ग कि. मी. गो धन	प्रति वर्ग कि. मी. भेड़	प्रति वर्ग कि. मी. बकरे—बकरी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बाडमेर	171,656	2831410	1–44	17	41	39
2.	बीकानेर	79,930	2647166	2–09	17	40	12
3.	चूरू	122,878	1649990	9–06	16	43	41
4.	गंगानगर	258,712	2107663	20–13	30	30	16
5.	जैसलमेर	38,486	3814523	0–28	7	23	9
6.	जोधपुर	169,658	2208965	4–33	23	51	30
7.	नागौर	220,755	1743560	11–75	34	70	47
8.	पाली	194,565	1189466	14–60	40	67	38
योग रेगिस्तानी क्षेत्र		1265,640	18192743	6.27	20	46	26

स्रोत :—जनगणना 1981

अगली सारणी में गाय एवं बैल का अनुपात दर्शाया गया है। पूरे राजस्थान की तुलना में प्रायः सभी रेगिस्तानी जिलों में बैलों की अपेक्षा गायें अधिक हैं। चूरू एवं बीकानेर में तो 81 एवं 80 प्रतिशत गायें हैं। इसी प्रकार बाड़मेर में 73–69 जैसलमेर में 76-55 तथा जोधपुर में 76–13% गायें तथा शेष बैल हैं। इससे स्पष्ट है कि दो फसली क्षेत्र कम होने के कारण इस क्षेत्र में बैलों को अधिक महत्व नहीं दिया गया। खेती का काम कम होने तथा ऊंट से खेती करने के कारण पशुपालक बैल को बेच देते हैं।

राज्य में कुल 755913 ऊंट हैं जिनमें 548005 (72.50 प्रतिशत) ऊंट रेगिस्तानी क्षेत्र में हैं। बाड़मेर, चूरू तथा गंगानगर में सर्वाधिक ऊंट हैं। जैसलमेर में ऊंटों की कुल संख्या 51699 है।

इसी प्रकार राज्य में देशी भेड़ों की कुल संख्या 13398096 है जिनमें 7581978 भेड़ें रेगिस्तानी क्षेत्र में हैं। देशी भेड़ों की संख्या की दृष्टि से बाड़मेर (1157292), बीकानेर (10,78,488) जैसलमेर, (8,76,100), जोधपुर (11,46,171) और नागौर (12,25,165) आदि का नाम उल्लेखनीय है। इसी प्रकार इस क्षेत्र में बकरियां भी पर्याप्त संख्या में पाई जाती हैं। भेड़ एवं बकरी एक ही प्रकृति के पशु हैं और दोनों एक साथ पल जाते हैं, अतः पशु पालक अक्सर दोनों प्रकार के पशु साथ रखते हैं।

सर्वेक्षित जिलों में पशुधन में वृद्धि–ह्रास (1957–83)

सर्वेक्षित जिलों में गत 25 वर्षों में गाय, भैंस एवं बकरी आदि पशुओं की संख्या में किस क्रम में वृद्धि या ह्रास हुआ, उसकी जानकारी संलग्न सारणी में दी गई है। वृद्धि या ह्रास को 15 एवं 25 वर्षों के अन्तराल में भी देखा गया है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विभिन्न जिलों की स्थिति में काफी अन्तर है। बाड़मेर में 1957–82 की अवधि में गो धन में 19/87 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि बीकानेर में यह वृद्धि 84 प्रतिशत रही। जैसलमेर में मात्र 11.69 और पाली में सबसे कम 3.47।

सारणी संख्या 2 : 13

रेगिस्तानी क्षेत्र में गो धन

संख्या/प्रतिशत

जिले	गाय एवं बछड़ी	बैल एवं बछड़े	योग
1	2	3	4
1. बाडमेर	361825	129858	491683
	(73 59)	(26.41)	(100)
2. बीकानेर	383694	91972	475666
	(80.66)	(19.34)	[100)
3. चूरू	239780	53172	292952
	(31.85)	(18.15)	(100)
4. गगानगर	436473	174900	611373
	(71.39)	(28.61)	(100)
5. जैसलमेर	200019	61286	261305
	(76.55)	(23.45)	(100)
6. जोधपुर	411333	115164	526497
	(78.13)	(21.87)	(100)
7. नागौर	434453	163692	598145
	(72.63)	(27.37)	(100)
8. पाली	288088	210487	498575
	(57.78)	(42.22)	(100)
योग रेगिस्तानी क्षेत्र	2755665	1000531	3756196
	(73.36)	(26.64)	(100)
सम्पूर्ण राज.	7873384	5630961	13504345
	(58.30)	(41.70)	(100)

1. स्रोत–पशुगणना 1983

सारणी सं. 2 : 14

रेगिस्तानी क्षेत्र में भेड़ (देशी)

(सं. एवं प्र. श.)

जिला	1 वर्ष से कम	एक वर्ष से अधिक	योग
1	2	3	4
1. बाड़मेर	173043	237075	410118
	(42.19)	(57.81)	(100)
2. बीकानेर	126319	179269	305588
	(41.34)	(58.66)	(100)
3. चूरू	89271	125016	214287
	(41.66)	(58.34)	(100)
4. गंगानगर	63239	95534	158773
	(39.83)	(60.17)	(100)
5. जैसलमेर	93784	121555	215339
	(43.55)	(56.45)	(100)
6. जोधपुर	142112	192615	340727
	(41.71)	(58.29)	(100)
7. नागौर	133716	223402	357118
	(37.44)	(62.56)	(100)
8. पाली	68964	132055	201019
	(34.31)	(65.69)	(100)
योग रेगिस्तानी क्षेत्र	890448	1312521	2202969
	(40.42)	(59.58)	(100)
सम्पूर्ण राजस्थान	1560255	2415673	3975628
	(39.25)	(60.75)	(100)

स्रोत : पशुगणना 1983, राजस्व मण्डल, अजमेर।

सारणी

राजस्थान के रेगिस्तानी

जिला	4 वर्ष के ऊपर			
	ऊंट	ऊंटनी	योग	ऊंट
1	2	3	4	5
1. बाड़मेर	34672	43271	779413	15407
2. बीकानेर	25356	19331	44687	7535
3. चूरू	34566	42101	76667	16687
4. गंगानगर	50932	50348	101280	7471
5. जैसलमेर	14834	21076	35910	7251
6. जोधपुर	15583	19037	34620	6848
7. नागौर	17367	11368	28735	5473
8. पाली	2188	5526	7714	1533
योग रेगिस्तान	195498	212058	407556	68205
सम्पूर्ण राज.	282622	280535	563157	93967

स्रोत–पशुगणना 1983

संख्या **2.15**

क्षेत्र में ऊंट

4 वर्ष की उम्र वाले		कुल योग		
ऊंटनी	योग	ऊंट	ऊंटनी	महायोग
6	7	8	9	10 कालम 8+9
15783	31190	50079	59054	109133
6828	14363	32891	26159	59050
16960	33647	51253	59061	110314
7703	15174	58403	58051	116454
8538	15781	22085	29614	51699
8276	15124	22431	27313	49744
5753	11226	22840	17121	39961
2403	3936	3721	7929	11650
72244	140449	263701	284302	548005
98789	192750	376589	379323	755913

सारणी सं. 2 : 16

उम्र के अनुसार देशी भेड़

(प्रतिशत के रूप में)

जिला	एक वर्ष से अधिक उम्र की भेड़	एक वर्ष से कम उम्र की भेड़
1	2	3
1. वाड़मेर	58.90	41.10
2. बीकानेर	57.04	42.96
3. चूरू	48.16	51.84
4. गंगानगर	40.79	59.21
5. जैसलमेर	38.01	61.99
6. जोधपुर	48.67	51.33
7. नागौर	45.16	54.84
8. पाली	39.90	60.10
योग रेगिस्तान	46.96	53.04
सम्पूर्ण राजस्थान	47.29	52.71

स्रोत :—पशुगणना 1983, राजस्व मण्डल, अजमेर

सारणी सं. 2 : 17

बकरे तथा बकरी

(सं. प्र. श.)

जिले का नाम	बकरे	बकरी	योग
1	2	3	4
1. बाड़मेर	234114	1100458	1334572
	(17.54)	(82.46)	(100)
2. बीकानेर	80277	315301	395578
	(20.29)	(79.71)	(100)
3. चूरू	154852	683726	838578
	(18.47)	(81.53)	(100)
4. गंगानगर	79112	334655	413767
	(19.13)	(80.87)	(100)
5. जैसलमेर	85402	331284	416686
	(20.50)	(79.50)	(100)
6. जोधपुर	159170	675826	834996
	(19.06)	(80.94)	(100)
7. नागौर	158529	817658	976187
	(16.24)	(83.76)	(100)
8. पाली	70091	473422	543513
	(12.90)	(87.10)	(100)
योग रेगिस्तानी क्षेत्र	1021547	4732330	5153877
	(17.75)	(82.25)	(100)
सम्पूर्ण राजस्थान	2703045	12776476	15479521
	(17.46)	(82.54)	(100)

स्रोत—पशुगणना 1983 के आधार पर

पशुगणना से स्पष्ट होता है कि 1972 के बाद गो धन में काफी वृद्धि हुई है। इन वर्षों में कुछ वर्ष अच्छी वर्षा के थे, इस कारण पशुधन में वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वृद्धि 1972–77 में बाड़मेर में हुई। बीकानेर में सबसे अधिक वृद्धि 1977–82 में 60.21 प्रतिशत हुई तथा जैसलमेर में भी इसी दौरान 110.49 प्रतिशत वृद्धि हुई। भैंस में 1962 से 1972 के बीच की अवधि में संख्या घटती रही। बाड़मेर में इन वर्षों में 7 से 57 प्रतिशत प्रतिशत तक पशु घटते पाये गये। लेकिन 25 वर्षों में यहां 87.38 प्रतिशत भैंस बढ़ी। इन्हीं 25 वर्षों में बीकानेर में 39.29 प्रतिशत वृद्धि पाई गई। जैसलमेर में 25 वर्षों में मात्र 8.20 प्रतिशत भैंस धन बढ़ा। लेकिन पाली में इस दौरान 67.43 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। यह कहा जा सकता है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी की अनुकूलता के साथ–साथ भैंस पालन में रूचि बढ़ रही है।

इस क्षेत्र में भेड़ें तथा बकरियों की संख्या में वृद्धि की स्थिति अच्छी रही है। भेड़–बकरी दोनों की ही संख्या काफी बढ़ी है। वर्ष 1967–72 की अवधि में संख्या में कमी अवश्य आई है लेकिन अन्य पशुगणना वर्षों में सभी जिलों में इनकी संख्या बढ़ती पाई गई है। बाड़मेर में 25 वर्षों में 145.72 प्रतिशत भेड़ें तथा 94.03 प्रतिशत बकरियां बढ़ी हैं। इसी प्रकार बीकानेर में इस दौरान भेड़ों की संख्या में 124 99 प्रतिशत तथा बकरियों की संख्या में उससे भी अधिक 165.56 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। जैसलमेर तथा पाली जिलों में तुलनात्मक दृष्टि से वृद्धि कम पाई गई। पिछले 25 वर्षों में जैसलमेर में भेड़ों की संख्या में 121.40 तथा बकरियों की संख्या में 114 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पाली जिले में यह वृद्धि कम है। यहां भेड़ों की संख्या में मात्र 16.57 तथा बकरियों की संख्या में 26.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रेगिस्तानी प्रदेश भेड़ तथा बकरी दोनों के लिए अनुकूल होने तथा इनके ब्याने का अन्तराल कम होने के कारण वृद्धि दर अधिक है। यह इस क्षेत्र में नकद आय का प्रमुख स्रोत भी है।

संदर्भ सूची

1. स्रोत, कृषि आयोग की रिपोर्ट भाग 7, पृष्ठ 178–179।
2. उद्धृत : कृषि आयोग की रिपोर्ट, भाग 7, पृष्ठ 189।

पशु विकास नीति एवं कार्यक्रम

इस अध्याय में भारत में पशु विकास संबंधी नीति तथा कार्यक्रम की क्या दिशा रही इस पर विचार किया गया है। जैसा की पिछले पृष्ठों में कहा गया है, भारत के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कृषि प्रधान इस देश में पशु कृषि का प्रमुख साधन है। परम्परा से कृषि एवं पशुपालन परस्पर पूरक रहे हैं और आज भी हैं। इस स्थिति को स्वीकार करते हुए ही हमेशा स्वतन्त्र भारत में पशुधन के विकास पर विचार किया जाता रहा है। ब्रिटिश भारत में भी इस पर गहराई से विचार किया गया था तथा अनेक व्यावहारिक सुझाव दिये गये थे।

ब्रिटिशकाल में पशु विकास

प्रस्तुत अध्याय को तीन मुख्य भागों में बांट सकते हैं-एक ब्रिटिश काल में पशुविकास के विभिन्न मुद्दों पर किये गये अध्ययन का विवरण। दो, स्वतन्त्र भारत में पंचवर्षीय योजनाकाल में देश में पशुविकास के बारे में किया गया विचार तथा इस संबंध में सुझाव तथा निर्धारित कार्यक्रम और तीन, पशु विकास की दृष्टि से बनाये गये कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। इन बातों को पूरे देश तथा राजस्थान-दोनों स्तर पर देखा जा सकता है। यहां यह स्पष्ट करना सामयिक होगा की राजस्थान में कोई अलग से पशुनीति नहीं बनायी गयी, बल्कि केन्द्र सरकार द्वारा तय की गयी नीति तथा बनाये गये कार्यक्रमों को को ही राजस्थान में भी लागू किया जाता रहा है। हां, यहां की परिस्थिति को देखते हुए कुछ कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया तथा कार्यक्रमों में भी कुछ

परिवर्तन किया गया। उदाहरण के लिए राजस्थान में ऊट भेड़, गोधन के विकास पर विशेपजोर दिया गया और विकास के लिए कार्यक्रम वनाये गये।

भारतीय कृषि में पशुधन की भूमिका को मान्य करते हुये यह कहा जाना उचित है कि कृषि कार्य के लिए कृषि में प्रयुक्त होने वाले पशुओं की आपूर्ति पशुपालन नीति का प्रमुख अंग रहा है। भारत के उपलब्ध प्रमुख नस्ले वे ही मानी जाती रही हैं जिनके वैल स्वस्थ एवं मजवूत होते हैं। ब्रिटिशकाल में कृपि एवं पशु-पालन के लिए वने रायल कमीशन ने माना है कि दूध कि तुलना में कृपि कार्य में पशुधन का उपयोग अधिक महत्वपूर्ण है। पशु आधारित कृपि यहां की कृपि का और इसी प्रकार ग्रामीण जीवन का आधार है। यहां एक उल्लेखनीय बात यह है कि रायल कमीशन ने पशु विकास में भारतीय नस्लों को अधिक महत्व दिया था। उसने माना था कि भारत में अनेक अच्छी नस्ले हैं जिनका व्यापक विस्तार किया जाना चाहिये क्यों कि वे कृपि कार्य तथा दूध दोनों दृष्टि से उच्च कोटि की हैं।

भारत में पशुधन के विकास के लिए विशेपज्ञों की राय ली जाती रही है। 1938 में इम्पीरियल काउन्सिल आफ एग्रीकाल्चरल रिसर्च। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली के पशुपालत विशेपज्ञ कर्नल ए. ओल-वर ने सरकार को एक रिपोर्ट पेश की थी। उनकी राय में भारत में विदेशी नस्ल के पशुओं का आयत या शंकर नस्ल का प्रचार, लाभकर एव स्वास्थ कर नहीं है। भारत के लिए यही उचित एवं लाभकर नीति होगी कि यहां कि अच्छी नस्ल के पशुओं को अच्छी खुराक एवं देखभाल आदि के द्वारा अधिक उपयोगी वनाया जाय। उनकी राय है कि कृपि एवं पशुपालन को कृपि का अभिन्न अंग माना जाय तथा मिक्स फार्मिग की नीति अपनायी जाय।

भारतीय नस्ल के संवंध में एक अन्य ब्रिटिश विद्वान श्री एन. सी. राइट की राय उल्लेखनीय है। उन्होने 1937 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को दी थी। उनकी रिपोर्ट देश में दुग्ध व्यवसाय के संदर्भ में थी। इनकी राय है कि नस्ल विकास में केवल दूध की मात्रा को ही ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिये। संकर नस्ल को स्वीकारते समय दूध के साथ अन्य मुद्दों को भी ध्यान में रखना आव-श्यक है। शहरों के लिए केवल दूध का मुद्दा महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन केवल यही मुद्दा स्वस्थ दिशा नहीं हो सकती। उनका मानना है कि भारत में ऐसी नस्लें हैं जो दूध एवं कृपि दोनों के लिए उच्च कोटि की है। अतः भारतीय नस्ल को विदेशी नस्ल द्वारा संकर नस्ल वनाने की जरूरत नहीं है। स्थानीय स्तर पर प्राप्त अच्छी नस्ल की गायों को ही सुधारना तथा प्रचारित करना उचित होगा।

उनका मानना है कि पशुधन विकास में पर्यावरण का प्रमुख स्थान है। यहां के पर्यावरण के अनुकूल नस्ल के पशुओं का विकास ही लाभकारी होगा-अनुकूल पर्यावरण में ही दूध बढ़ेगा तथा मजबूत बैल होंगे। श्री राइट ने इस बात से असहमति व्यक्त की है कि बाहर की नस्ल को लाकर यहां रखा जाय। उन्होंने माना है कि नस्ल सुधार द्वारा मात्र दूध आपूर्ति के लाभ को पूरा करना भारतीय भौगोलिक पर्यावरण, तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है।

उपरोक्त विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए 1944 में भारत सरकार के कृषि एवं पशुपालन बोर्ड ने स्थानीय नस्ल का विकास करने तथा कमजोर पशुधन को मजबूत बनाने की दृष्टि से निर्णय लिया कि स्थानीय कमजोर पशु को स्वस्थ एवं मजबूत करने, अच्छी खुराक देने, घाटिया नस्ल के सांड को बढ़िया करने आदि कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाये जायें। स्थानीय अच्छी नस्ल के सांड़ों का वितरण एक महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिये।

भारत सरकार ने 1944 में पशुपालन एवं डेयरी विशेषज्ञ श्री आर. ए. पेपरोल को देश में दूध की समस्या के सर्वेक्षण एवं सुझाव के लिए बुलाया। उन्होंने 1945 में अपनी रिपोर्ट पेश की[1] उनका मानना है कि यहां दुग्ध उत्पादन में भैंस की प्रमुख भूमिका है। उनका विकास भी उपयोगी होगा लेकिन भैंस की तुलना गाय से नहीं की जा सकती क्योंकि गाय दूध एवं कृषि दोनों के लिए उपयोगी है। भारत में कृषि को दुधारू पशु से अलग नहीं किया जा सकता इस दृष्टि से गाय का हमेशा अधिक महत्व रहेगा। लेकिन श्री पेपरोल भी इस पक्ष में नहीं थे कि यहां विदेशी नस्ल के पशु लाये जायें। उनका मानना है कि देश में दुग्ध उत्पादन वृद्धि के लिए स्थानीय दुधारू पशु को ही खुराक, अच्छी देखभाल, चिकित्सा आदि की सुविधा देकर उनका दूध बढ़ाया जाय। विदेशी सांड से शंकर नस्ल का विकास करना ठीक नहीं होगा।[1]

आजादी के बाद ग्रामीण विकास की अनेक योजनायें तैयार की गयी। इसी क्रम में पशुधन विकास की बात भी आयी। पशुधन विकास की स्वतन्त्र योजना के बजाय उसे कृषि विकास के साथ जोड़ा गया। देश में पशुधन के महत्व को स्वतन्त्रता आंदोलन के समय से ही स्वीकार किया जाता रहा है। गांधी ने गोधन विकास लिए गौ सेवा संघ की स्थापना की और गोधन विकास को बढ़ावा दिया। उन्होंने माना की गोधन भारतीय ग्रामीण जीवन का आधार है और वह कृषि का अभिन्न अंग है।

स्वतन्त्र भारत में पशु विकास की दिशा

1949 में गौ सेवा संघ, वर्धा ने देश में पशुधन खासकर गोधन के विकास

के लिए भारत सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये। गौ सेवा संघ ने माना कि भारतीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये दूध एवं कृषि दोनों को दृष्टि में रखकर सोचना चाहिये। गोधन को दूध एवं कृषि में सहयोग की दृष्टि से ही विकसित करना होगा। जिन क्षेत्रों में भैंसों का उपयोग कृषि कार्य में होता है, वहां भैंसों में भी दोनों प्रकार के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिये।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने गौ सेवा संघ के सुझावों को ध्यान में रखते हुए भारत में पशुधन के विकास की निम्न नीति 1949 में मान्य की[2]

(1) इस तथ्य के संदर्भ में कि हमारी अधिकांश गायें सामान्य किस्म कि गायें हैं उनकी उपादेयता बढ़ाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि उसकी दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ बैलों आदि की माल ढ़ोने एवं पानी खींचने की क्षमता में भी अधिकाधिक बढ़ोतरी हो। दूसरे शब्दों में सामान्य गायों में इन दोनों गुणों का प्रवेश होने पर इस उद्देश्य की प्राप्ति हो जायेगी।

(2) उन क्षेत्रों में, जहां विशेप प्रजाति की गायें पाई जाती हैं, चयनित गायों की नस्ज सुधार की नीति अपनाई जानी चाहिये ताकि उनकी दूध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हो और बैलों की कार्य–क्षमता में वृद्धि हो।

(3) उन्नत नस्ल की जानी–मानी नस्लों के मामले में, उनसे अधिकाधिक दूध लेने की नीति अपनाई जानी चाहिए लेकिन साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिये की बैलों की कार्यक्षमता पूर्ववत कायम रहे।

(4) उन्नत नस्ल की जानी–मानी नस्लों के संदर्भ में, जिनकी संख्या में देश के विभाजन के बाद कमी आई है, समिति की यह सुविचारित राय है कि यह देश के हित में होगा कि उनकी दूध देने की क्षमता का अधिकतम विकास किया जाये। इसके लिए नस्ल सुधार के लिए पशुओं की छांट की जाय और नस्ल सुधार के बाद तैयार हुए पशुओं को अल्प विकसित क्षेत्रों में गौधन सुधार के लिए प्रयुक्त किया जाय।

भारत सरकार के कृषि एवं पशुपालन बोर्ड ने इस बात पर बल दिया कि शहर के पास गांवों में अधिक दूध देने वाली गायों के पालन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। यह नीति शहरों में दूध आपूर्ति को ध्यान रखकर अप–

नाई गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्रामआधारित पशुविकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया जिसमें अच्छे सांड़ कि आपूर्ति, पशु आहार, स्थानीय नस्ल विकास आदि पर जोर दिया गया। 1959 में अ. भा. ग्राम आधार योजना के मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सुझाव दिया कि अधिक दूध उत्पादन के लिए भरसक प्रयास किया जाना चाहिये। इसके लिए अनुकूल क्षेत्रों में भैंस पालन को प्रोत्साहन दिया जाय। समिति ने अनुकूल क्षेत्रों में संकर नस्ल को प्रोत्साहन देने पर भी बल दिया लेकिन साथ-साथ इस बात पर भी जोर दिया कि जिन क्षेत्रों में अच्छी नस्ल की स्थानीय गायें हैं, वहां संकर नस्ल को रोका जाय। ऐसे क्षेत्र में स्थानीय नस्ल की पूरी सुरक्षा की जाय।[3]

बाद के वर्षों में पशु विकास के बारे में जो चिंतन चला, उससे स्पष्ट होता है कि योजना आयोग तथा नीति-निर्धारण करने वालों के मन में मुख्य मुद्दा अधिक दूध उत्पादन रहा। यहां यह उल्लेखनीय है कि गो सेवा संघ हमेशा स्थानीय नस्ल की रक्षा के पक्ष में तथा संकर नस्ल के प्रतिकूल राय रखता रहा और इस दिशा में तीव्रता से अपना पक्ष प्रस्तुत करता रहा। लेकिन यह स्वीकार करना चाहिये कि बाद के वर्षों में गौ सेवा संघ के तर्कों को अस्वीकार किया गया। 1960 में गौसंवर्धन कॉंसिल ने भी इस पर विचार किया और माना कि देश में गोधन विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

1961 की बैठकों में पशु विकास बोर्ड ने किसी भी कीमत पर दूध उत्पादन वृद्धि पर जोर दिया और यह कहा कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए संकर नस्ल को प्रोत्साहित करना चाहिये। यह भी कहा गया कि यहां की कमजोर तथा घटिया नस्ल को विदेशी नस्ल के साथ क्रास करके इसमें सुधार करना चाहिये और दूध उत्पादन बढ़ाना चाहिये। इस नीति की क्रियान्विति के लिए अच्छे नस्ल के विदेशी सांड गांवों में देने की बात स्वीकार की गई। यह भी माना गाय कि एक क्षेत्र में एक ही नस्ल विदेशी सांडों की आपूर्ति की जाय।

1965 में देश के पशुपालन विशेषज्ञों की समिति बनी जिसने पशु पालन सम्बन्धी नीति की समीक्षा की। इस समिति ने निश्चित नीति अपनाने की सिफारिश की। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि जिन क्षेत्रों में चारा एवं पानी पर्याप्त है, वहां संकर नस्ल का प्रचार किया जाना चाहिये तथा कृत्रिम गर्भाधान को प्रोत्साहित करना चाहिये। अधिक दूध उत्पादन की दृष्टि से जर्सी तथा ब्राउन स्वीस नस्ल को प्रोत्साहित किया जाय। इस विशेषज्ञ समिति को

आधार बनाकर आगे के वर्षों मे कार्यक्रम निर्धारित किये जाते रहे। चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में अधिक दूध उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर संकर नस्ल के प्रचार पर जोर दिया गया। इसके लिए विदेशी नस्ल के सांड तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का विस्तार किया गया।

कृषि आयोग ने अब तक के प्रयासों की समीक्षा करते हुए स्वीकार किया है कि देश में पशु नस्ल सुधार तथा दुग्ध उत्पादन दोनों दृष्टियों से अभी काफी प्रयास करने की आवश्यकता है। देश में दूध की आवश्यकता की दृष्टि से भी दूध की पूर्ति तथा आवश्यकता (मांग) में काफी अन्तर है जिसे दूर किया जाना चाहिये। इसके लिए दुधारू पशुओं के विकास पर जोर दिया जाना चाहिये। कृषि आयोग ने माना है कि इस दृष्टि से दुधारू पशुधन का विकास किया जाय— शहरों में दूध की मांग को देखते हुए गाय तथा भैंस दोनों का ही दूध उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। आयोग का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्य-शील पशु का विकास आवश्यक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दुग्ध उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर करने की सिफारिश की गई। दुग्ध व्यवसाय को आगे बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत दुग्ध विप-णन को भी शामिल किया।

पशु विकास नीति पर किये गये विचार विमर्श के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पशुधन में दुधारू पशुओं को ही मुख्य माना गया है। लेकिन कृषि के साथ जुड़े पशुधन को ध्यान में रखते हुए यह दृष्टिकोण एकांगी है। दुधारू पशुओं के अलावा अन्य पशुओं के विकास की बात भी महत्व की है। यहां यह कहना उचित होगा कि दुधारू पशु के विकास के लिए अपनाई गई नीति के अनु-रूप ही अन्य विकास कार्यक्रम हाथ में लिये गये तथा भेड़ विकास, ऊंट विकास, सूअर, घोड़ा आदि के विकास के कार्यक्रम में इन पशुओं के विकास के लिए आमतौर पर सकर नस्ल को प्रोत्साहित करने की नीति ही विशेषरूप से अपनाई गई है। उदाहरण के लिए भेड़, सूअर, आदि की संकर नस्ल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन ऊंट के बारे में यह लागू नहीं होता क्योंकि भारतीय ऊंट अच्छी नस्ल के है।

पंचवर्षीय योजनाएं

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रिटिशकाल से ही समय-समय पर पशु विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रम हाथ में लिये जाते रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल से ही व्यापक पशु विकास कार्यक्रम बने और उनकी क्रियान्विति की गयी। छठी पचवर्षीय योजना में कृषि आयोग के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते

हुए पशु विकास कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया। छठी योजना में कहा गया कि पशु विकास का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, खासकर कमजोर वर्ग को पशु-पालन के माध्यम से रोजगार देना तथा उन्हें आय वृद्धि में सहायक बनाना है। इसके लिए पशु नस्ल में सुधार, अच्छी खुराक तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर जोर देना जरूरी है। यह भी आवश्यकता है कि चारा उत्पादन, मिश्रित कृषि. फसल चक्र, आदि के संतुलित विकास पर जोर दिया जाय। छठी योजना में दुग्ध उत्पादन तथा अन्य पशु-उत्पादनों की बाजार व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया।[4] पशु विकास में नस्ल सुधार को प्राथमिकता देते हुए संकर नस्ल के विकास पर जोर दिया गया और विदेशी सांड तथा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाओं में वृद्धि की जाने लगी। ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग- खासकर सीमांतएवं लघु कृपकों- को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया गया और उन्हें दुधारू पशु दिये गये। यह भी निर्णय किया गया कि उन्हें संकर नस्ल के दुधारू पशु भी दिये जायें। कृषि आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए देश में संकर नस्ल पशु विकास की 99 परियोजनाएं स्वीकृत की गयीं। इसी प्रकार मुर्गीपालन की 68 तथा भेड़ पालन की 51 परियोजनाएं और सूअर पालन की 50 परियोजनायें स्वीकृत की गयीं।[5]

भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा कि अधिक दूध देने वाली गाय-भैंसों की संख्या बढ़ाई जाय। इसके लिए संकर नस्ल की कम से कम 1 करोड़ गायें तैयार। इस कार्य के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। राजस्थान के संदर्भ में भेड़ पालन का महत्व है। हाल के वर्षों में ऊन उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ है। ऊनी वस्त्र, कारपेट आदि उद्योगों ने ऊन की मांग को बढ़ाया है। यही कारण है कि उन्नत किस्म की ऊन के उत्पादन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राजस्थान में जयपुर के पास मालपुरा अविका-नगर में भेड़ विकास एवं अनुसंधान केन्द्र केमाध्यम से राजस्थान के अनुकूल उन्नत किस्म की भेड़ों के विकास का प्रयास किया जा रहा है। भेड़ का उपयोग मांस के रूप में भी होती है। अतः भेड़ पालकों को ऊन तथा मांस दोनों की ही बिक्री से आय प्राप्त होती है। इसी प्रकार राजस्थान की दृष्टि से ऊंट विकास कार्यक्रम भी महत्व का है। छठी योजना में ऊंट पालन केन्द्र तथा ऊंटों की नस्ल के सुधार की योजना मान्य की गई।[6] कहा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजना में विभिन्न प्रकार के पशुधन के विकास के कार्यक्रम हाथ में लिये गये। इन कार्यक्रमों में नस्ल सुधार के अतिरिक्त ये मुख्य हैं- चारा विकास कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य, पशु

चिकित्सा, पशुपालन पद्धति, डेयरी विकास, पशु वाजार, वीमा, तथा पशु राहत कार्यक्रम ;।

सातवीं योजना में इस वात पर जोर दिया गया है कि सीमांत एवं लघु कृषकों के लिए कम लागत वाली पशुपालन योजना तैयार कीं जा सकेगी। इसके लिये कम खर्चीली तकनीक उपयुक्त हो सकती है। कमजोर वर्ग के हित की दृष्टि से भेड़, वकरी, सूअर पालन अधिक अनुकूल हो सकता है। सातवीं योजना में पुनः इस वात पर जोर दिया गया है कि संकर नस्ल के साथ-साथ अच्छी नस्ल के स्थानीय पशुओं के विकास एवं रक्षा पर भी विशेप ध्यान दिया जाय। पशु धन विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति की सुविधा देना आवश्यक है। इस वात का भी ध्यान रखा जाय कि कृषि कार्य के लिए मजवूत पशुधन उपलध हो। सातवीं योजना में चारा विकास पर विशेप जोर दिया गया।[7]

राजस्थान की परिस्थिति में पशु विकास को अहम भूमिका है। राज्य सरकार ने इसके महत्व को स्वीकार किया है और पशु विकास के अनेक कार्यक्रम हाथ में लिये हैं। राज्य सरकार की छठी योजना में यह स्वीकार किया गया है कि पशु उत्पादनों की मांग को देखते हुए राज्य में पशु विकास की व्यापक संभावनायें हैं। यह आय में वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूघ, मुर्गी एवं अंडा, ऊन, मांस, मछली आदि प्रमुख उत्पादन हैं जिनसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय वढ़ सकती है। इस कार्य में वाजार की सुविधा के लिए उत्पादन एवं मार्केटिंग सहकारी समितियों का गठन आवश्यक है पशुपालन की वैज्ञानिक विघि का प्रसार किया जाय एवं अच्छा पशु आहार, अच्छी नस्ल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं विकसित की जायं। उपरोक्त मुद्दों को ध्यान में रखकर राज्य में पशु विकास के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।[8]

राजस्थान में पशु विकास

राजस्थान सरकार ने भारत सरकार तथा कृषि आयोग को आधार मानकर कार्यक्रम निर्धारित किये हैं। अतः यहां की नीति एवं कार्यक्रम भारत सरकार के अनुरूप ही हैं। राज्य सरकार ने दुधारू पशु विकास की दृष्टि से माना है कि राज्य डेयरी कोआपरेटिव फैडरेशन तथा पशुपालन विभाग इस कार्य को आगे वढ़ायेगें। राज्य के पूर्वी एवं दक्षिणी जिलों में दूघ व्यवसाय को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से पशुपालकों कोसहयोग दिया जाय। जिन क्षेत्रों में राठी एवं थार-पारकर जैसी अच्छी नस्ल की गायें हैं, वहां इन नस्लों की रक्षा की जानी चाहिये। यहां शंकर या विदेशी नस्ल को रोकना उचित होगा। लेकिन कांकरेज,

हरियाणा तथा मालवी नस्ल के क्षेत्र में शंकर नस्ल को साथ-साथ चलाया जाना चाहिये। राज्य के अच्छी नस्ल के पशुधन को प्रोत्साहित करने और उसे अन्य क्षेत्रों में प्रसारित करने तथा पशुपालकों को अधिक आर्थिक लाभ देने की दृष्टि से राज्य सरकार ने पशु मेले आयोजित करने का कार्यक्रम भी हाथ में लिया है।

राजस्थान में पशु चारे की कमी एवं कठिनाई है। सरकार की नीति के अनुसार किसानों को पशुपालकों के लिए चारा उगाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। यह लक्ष्य रखा गया कि प्रति वर्ष 1000 से 1500 तक चारा प्रदर्शन फार्म चलाये जायं। प्रत्येक फार्म आधा हैक्टर का होगा। ये प्रदर्शन फार्म किसान एवं पशुपालकों के खेत में स्थापित होंगे। उन्हें देखकर अन्य किसानों-पशुपालकों को इसकी प्रेरणा मिलेगी।

गाय भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। गो सेवा को यहां के नागरिक अपना सामाजिक एवं सांस्कृतिक दायित्व समझते है। राजस्थान में गौशालाओं के माध्यम से गौ सेवा की पुरानी परम्परा रही है। इस समय राज्य में 159 गौशालाओं द्वारा गो सेवा का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 20 गौशालाओं को पशुविकास के लिए चयनित किया है तथा आर्थिक साधन उपलब्ध कराये हैं।

राज्य मे बकरियों की संख्या को देखते हुए सरकार ने रामसर में बकरी नस्ल विकास की परियोजना को हाथ में लिया है। यह कार्य स्वीस सरकार के सहयोग से शुरू किया गया है। भेड़ भी राजस्थान का एक प्रमुख पशुधन है। भेड़ पालन को प्रोत्साहित करने के लिए भेड़ एवं ऊन विपणन फेडरेशन का गठन किया गया है। भेड़ नस्ल सुधार के कार्यक्रम भी हाथ में लिये गये हैं। राजस्थान में चार मुख्य नस्ले हैं—चोकला, नाली, मालपुरा और सोनाडी। राज्य में खास मौसम में भेड़ का स्थानान्तरण (घुमन्तू पशुपालन) होता है। इस प्रक्रिया में पशुपालकों के समक्ष कई प्रकार की कठिनाइयां भी आती हैं। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान के नहर कमांड क्षेत्र में भेड़ पालकों को स्थाई ढंग से बसाया जाय। इसके लिए 100 हैक्टर भूमि के क्षेत्र में (प्रति स्थान) 24 स्थानों पर भेड़ पालकों को बसाया जाय और वहां 245 पानी की टंकी बनाई जाय। इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्र में भी भेड़पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उपरोक्त पृष्ठ भूमि में कहा जा सकता है कि राजस्थान में भारत सरकार तथा कृषि आयोग की नीति के अनुरूप पशु विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं जिनमें नस्ल सुधार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, चारा विकास आदि कार्यक्रम शामिल है।

पशु विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति की दृष्टि से राजस्थान में मुख्य तीन विभाग एजेन्सियाँ लगी हैं :—

1. पशुपालन निदेशालय
2. भेड़–ऊन विकास निदेशालय
3. राजस्थान राज्य डेयरी सहकारी फैडरेशन

पशु विकास कार्यक्रम विस्तार

स्थानीय नस्ल के दुधारू पशुओं के विकास के लिए राज्य में कई केन्द्र चल रहे हैं। राठी नस्ल के लिए गंगानगर जिले के नोहर स्थान पर तथा हरियाणा नस्ल के लिए कुम्हेर (भरतपुर) में पशु संवर्धन शालाएं चल रही हैं। इसी प्रकार गीर व मालवी नस्ल के लिए झालावाड़ के डग स्थान पर तथा नागौरी नस्ल के लिए नागौर में पशु संवर्धन शालाएं चल रही हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से उन्नत नस्ल के सांड़ों का वितरण किया जाता है। थारपारकर नस्ल के विकास के लिए जैसलमेर के चांदन गांव में बड़ा केन्द्र है। अधिक दूध क्षमता वाले संकर प्रजातीय पशु उपलब्ध कराने के लिए जयपुर के पास बस्सी में विदेशी नस्ल का प्रजनन फार्म है।[9] अच्छे तथा उन्नत नस्ल के सांड़ों से विशुद्ध संतति उत्पादन के लिए कृत्रिम गर्भाधान को सरल एवं सुलभ उपाय माना गया है। इसके लिए ग्राम आधार योजना के अन्तर्गत 23 ग्राम आधार केन्द्र, एक जिला वीर्य संकलन केन्द्र तथा इनसे सम्बद्ध 171 उप केन्द्र राज्य के विभिन्न स्थानों पर चल रहे हैं।

राज्य में चल रही पशु विकास की सेवाओं का विवरण इस प्रकार है :—

सारणी सं. 3 : 1

राजस्थान में पशु विकास सेवायें

विवरण	संख्या
1	2
1. पशु चिकित्सालय	357
2. पशु औषधालय	210
3. पशु स्वास्थ्य केन्द्र	120
4. पशु चल चिकित्सालय	11
5. पशु चल इकाई	35
6. सर्रा (ऊंट रोग) नियन्त्रण इकाई	10

(शेष पृष्ठ 59 पर)

	1	2
7.	ग्राम आधार खण्ड	23
8.	ग्राम आधार उप केन्द्र	171
9.	पशु संवर्धन शालायें	4
10.	बकरी पालन फार्म	1
11.	संकर पालन फार्म	1

अन्य कार्यक्रम[10]

	विवरण	संख्या
	1	2
1.	जैविक उत्पादन प्रयोगशाला	1
2.	पशु रोग अनुसंधान प्रयोग केन्द्र	1
3.	रोग अनुसंधान प्रयोग शाला	1
4.	सरो अनुसंधान शाला	1
5.	क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र	1
6.	पशु रोग संनिरीक्षण इकाई	1
7.	पशु माता सतर्कता इकाई	9
8.	पशुमाता सुरक्षा चौकी	9
9.	पशु माता आरक्षण दल	3
10.	पशु माता सर्विलेन्स इकाई	1
11.	खुर एवं मुंह पका अनुसंधान इकाई	1
12.	पशुपालन प्रशिक्षण विद्यालय	3
13.	राज्य स्तरीय मेले	11
14.	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र	1

राज्य के विभिन्न स्थानों में पशु मेलों के माध्यम से पशु व्यापार को प्रोत्साहित किया जाता है। पशुपालन विभाग के अनुसार राज्य में 10 बड़े पशु मेले लगते हैं। ये मेले परम्परा से लगते आये हैं जिसे राज्य सरकार ने अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया है। आगे की सारणी में राज्य के प्रमुख पशु मेलों तथा उनमें आने वाले पशुओं का विवरण है। सारणी से स्पष्ट है कि विभिन्न

क्षेत्रों में स्थानीय मांग के अनुसार भिन्न-भिन्न नस्ल के पशु आते हैं। इन प्रमुख मेलों के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर अनेक पशु मेले लगते हैं जहां पशुधन का व्यापार होता है। राज्य के प्रमुख मेलों में हुए पशु व्यापार का विवरण इस प्रकार है :—

सारणी सं. 3 : 2

प्रमुख मेलों में व्यापार की स्थिति[11]

वर्ष	मेलों की संख्या	एकत्रित पशु सं. (लाख में)	बिके हुए पशु सं. (लाख में)	विभाग की आय (लाखों में) रुपयों में	खरीद-बिक्री से पशुपालकों की आय (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5	6
1978–79	10	3.46	1.65	11.38	1530.65
1979–80	11	3.62	1.65	11.55	1434.11
1980–81	11	[illegible].76	1.48	11.58	1276.41
1981–82	11	3.31	1.67	13.17	1632.79
1982–83	11	3.20	1.34	10.73	1273.41

भेड़-ऊन विकास

राज्य में भेड़ एवं ऊन विकास के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। भेड़ ऊन निदेशालय के अनुसार राज्य के 17 जिलों में जिला भेड़-प्रसार कार्यालय है। राज्य में कुल 135 भेड़-ऊन प्रसार केन्द्र तथा 32 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हैं। इस समय फतेहपुर (सीकर), जयपुर, चित्तौड़, वांकलिया (नागौर) में भेड़ प्रजनन फार्म चल रहे हैं। मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच जिलों-जोधपुर नागौर, चूरू, जालौर एवं बीकानेर में सौ-सौ हैक्टर के बंजर भू खण्डों पर भेड़ों की समुचित चराई के लिए चारागाह विकसित कर उन्नत भेड़ प्रबन्ध द्वारा भेड़ों का विकास किया जा रहा है। इस समय 103 भूखण्डों पर चारागाह का विकास कर लगभग 20 हजार भेड़ों को पाला जा रहा है। भेड़ पालकों की 99 भेड़ पालक सहकारी समितियां हैं जिसकी सदस्य संख्या 9823 है। भेड़ पालन के

प्रशिक्षण हेतु 18 जिलों में भेड़ पालक प्रशिक्षण शिविर चलाये जा रहे हैं। 1986 तक 62 शिविरों में 2431 भेड़ पालकों को प्रशिक्षण दिया गया।

पशु-निष्क्रमण के रूप में प्रति वर्ष लगभग 15-20 लाख भेड़ें अपने मूल स्थान से दूर राज्य के अन्य भागों में तथा दूसरे राज्यों में जाती हैं। इनकी सहायता के लिए 40 चेक पोस्ट स्थापित किये गये हैं जहां इन्हें मार्गदर्शन तथा सहायता दी जाती है। यहां उपचार दवा आदि की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

भेड़ नस्ल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रों पर उन्नत तथा देशी नस्ल की भेड़ के पालन की स्थिति इस प्रकार है।

सारणी सं. 3 : 3

भेड़ प्रजनन फार्मों पर पाली जा रही नस्लवार भेड़ों की संख्या[12]

भेड़ प्रजनन फार्म

भेड़ नस्ल	फतेहपुर	जयपुर	वांकलिया	चित्तौड़गढ़	योग
1	2	3	4	5	6
1. विदेशी	529	500	31	45	1105
2. संकर	2633	460	481	614	4188
3. देशी	907	90	51	121	1169
योग	4069	1050	563	780	6462

राज्य में भेड़-ऊन विकास के लिये चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का प्रगति विवरण इस प्रकार है।

सारणी सं. 3 : 4

विभिन्न कार्यक्रमों का प्रगति विवरण[13]

(रू. लाखों में)

कार्य का प्रकार	छठी योजना की प्रगति	वर्ष 1985–86 की प्रगति
1	2	3
1. प्रसार कार्य		
1. भेड़ वधियाकरण	25.16	4.76
2. भेड़ टीके	194.46	22 14
3. भेड़ दवा पिलाई	359.74	72.27
4. भेड़ उपचार	59.86	6.69
2. संकर प्रजनन (संस्था)		
1. भेड़ गर्भाधान	159480	43951
2. मेमने उत्पन्न हुए	88963	18272
3. फार्म द्वारा नर मेमनो का क्रय	4083	244
3. भेड़ प्रजनन फार्म (संख्या)		
1. पशुधन संसाधन खरीद		
(क) विदेशी	1215	1105
(ख) संकर	3974	4188
(ग) देशी	2007	1169
योग	7196	6462
2. मेमने उत्पन्न		
(क) विदेशी	1503	176
(ख) संकर व देशी	9539	1647
3. मेढ़ा वितरण (संस्था)	6112	1183
4. प्रशिक्षित भेड़ पालक	13246	2081
5. ऊन के नमूनों का विश्लेषण	68806	12722

स्रोत—उपरोक्त ।

इस अध्याय में भारत में पशु विकास की जो नीति अपनाई जा रही है तथा जो कार्यक्रम हाथ में लिये जा रहे हैं, उसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है। जैसाकि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है पशु विकास में भारतीय पशुओं की नस्ल सुधारने पर विशेष ध्यान दिया गया है—विकास का केन्द्र बिन्दु पशु की नस्ल को उन्नत करना माना गया। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भारतीय पशु नस्ल को घटिया दर्जे का माना गया है। दूसरी ओर ब्रिटिशकाल में पशु विशेषज्ञ भारतीय पशुधन की नस्ल को, यहाँ की परिस्थिति में उत्तम मानते रहे हैं और उन्हें ही अधिक खुराक, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा आदि की सुविधायें देकर अधिक उत्पादक एवं मजबूत बनाने के पक्ष में थे। इस बात को भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में भी स्वीकार तो किया गया है और यह कहा जाता रहा है कि भारतीय नस्ल की रक्षा की जाय तथा उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाय। लेकिन कार्यक्रमों को देखने पर ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को भुलाकर मुख्य जोर विदेशी एव संकर नस्ल को प्रोत्साहित करने पर रहा है। इसका एक मुख्य कारण शहरों में दूध की आपूर्ति हो सकती है।[14] राजस्थान में यहां की परिस्थिति को देखते हुए गो धन विकास एवं भेड़–ऊन विकास पर अधिक जोर दिया गया है। संक्षेप में पशु विकास कार्यक्रम को चार मुख्य वर्गों में विभाजित कर सकते हैं।

1. नस्ल सुधार—विदेशीतया संकर नस्ल का विकास–विस्तार।
2. पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विकास।
3. पशु आहार, चारा विकास तथा पशुपालन पद्धति में परिवर्तन संबंधी कार्यक्रम।
4. पशु राहत कार्य–खासकर गो रक्षा।

संदर्भ सूची :

1. उद्‌धृत : रिपोर्ट आफ द नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर, 1976 भाग 7, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उद्‌धृत : कृषि आयोग रिपोर्ट, खण्ड–7, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली 1976, पृष्ठ 23।
3. उपरोक्त पृष्ठ–24।

4. छठी पंचवर्षीय योजना 1980–85, योजना आयोग, भारत सरकार, पृष्ठ 129–30 ।
5. उपरोक्त पृष्ठ–129 ।
6. उपरोक्त पृष्ठ–132 ।
7. अप्रोच सेविन्थ फाईव इयर प्लान (1985–90), योजना आयोग, दिल्ली पृष्ठ–12 ।
8. छठी पंचवर्षीय योजना 1980–85, योजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
9. पशुधन और प्रगति 1983, पशुपालन निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर, पृष्ठ–2 ।
10. पशुधन और प्रगति 1986, पशुपालन निदेशालय, जयपुर पृष्ठ–57–38 ।
11. प्रगति विवरण, पशुपालन निदेशालय, जयपुर ।
12. भेड़ व ऊन विभाग प्रगति विवरण 1985–86, राजस्थान सरकार. जयपुर ।
13. उपरोक्त ।
14. इस मुद्दे पर अन्यत्र विचार किया गया है ।

सर्वेक्षित परिवारों का विश्लेषण

पृष्ठ भूमि

इस अध्याय में सर्वेक्षित गांवों का परिचय दिया गया है। इससे राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के गांवो के बारे ये सामान्य जानकारी मिलती है। इनमे यहां के सामाजिक-आर्थिक जीवन के कौन-कौन से केन्द्र बिन्दु हैं, इस पर भी प्रकाश पड़ता है। विकास के कारण यहां की परिस्थितियां बदल रही हैं तथा पेय जल, नहरों का विकास, डेयरी विकास, शहरों में दूध की मांग, पशुधन का व्यापार आदि ऐसे कारण हैं जिससे जीवन एवं जीने के ढ़ग में परिवर्तन आ रहा है। आवागमन तथा अन्य सुविधाओं के कारण भी जीवन की परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। अध्ययन के दौरान चयनित गांवों के कुछ परिवारों से विशेष जानकारी एकत्र की गई। ऐसे परिवारों की संख्या 216 है। आगे के अध्यायों में इन परिवारों से एकत्र तथ्यों का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन के अन्य मुद्दों का विश्लेषण करने के पूर्व यह उचित समझा गया कि सर्वेक्षित परिवारों की आर्थिक परिस्थिति का विश्लेषण किया जाय। इन गांवों की स्थिति को देखते हुए यह स्वाभाविक है। आर्थिक क्षेत्र में विश्लेषण का केन्द्र-बिन्दु भूमि, सिंचाई, कृषि तथा पशुधन है। विषय क्षेत्र को देखते हुए पशुधन का विस्तार से विश्लेषण भी सामयिक माना गया है। इसी के साथ-साथ साधन तथा अन्य मुद्दों पर भी संक्षेप में विचार किया गया है।

सर्वेक्षण में प्राप्त तथ्यों के आधार पर तैयार की गई सारणियां स्थिति का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती हैं। विभिन्न सारणियों में दिये गये आंकडे इन परिवारों में साक्षरता, भूस्वामित्व, कृषि विकास, पशुधन, पशु का प्रकार आदि की

स्यिति स्पष्ट करते हैं। सर्वेक्षित परिवारों (216) में से कुल 114 परिवार सवर्ण जातियों के हैं जबकि 41 परिवार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के है। शेप 61 परिवार अल्पसंख्यक समुदाय के (मुख्यतः मुसलमान) हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में मुसलमान तथा अनुसूचित जाति के लोग अच्छे पशुपालक माने जाते हैं। जैसलमेर के क्षेत्र में अनेक मेघवाल परिवार बड़े पैमाने पर भेड़–बकरी तथा अन्य पशु पालते पाये गये। सर्वेक्षण के दौरान ऐसे परिवारों से भी भेंट हुई जो घुमन्तू पशु पालक के रूप में राजस्थान के अन्य क्षेत्रों तथा मध्य प्रदेश में पशु ले जाते हैं और पशु व्यापार करते हैं। इसी प्रकार पाली जिले में रेवारी जाति के लोग बड़े पैमाने पर बकरी–भेड़ पालते पाये गये। सर्वेक्षित परिवारों में सभी प्रकार के पशुपालकों को शामिल किया गया है। इस अध्याय में दिये गये तथ्यों को मुख्य निम्न शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं–

1– परिवार का सामान्य परिचय, साक्षरता

2– जमीन तथा कृषि–जोत श्रेणी, सिंचाई आदि

3– पशुधन–संख्या, पशु श्रंखला, जोत श्रेणी एवं पशुधन, जाति एवं पशुधन।

4– साधन आदि

सर्वेक्षित परिवारों की आबादी का जातीय संदर्भ तालिका 4–1 से स्पष्ट होत है।

इस तालिका के अनुसार 51. 50 प्रतिशत सर्वेक्षित आबादी सवर्ण जातियों से संबंधित हैं और क्रमशः 29 48 प्रतिशत और 19.02 प्रतिशत अल्प संख्यक समुदाय एवं अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों से।

इन परिवारों में साक्षरता की स्थिति की झांकी तालिका 4–2 में मिलती है। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि केवल 12.57 प्रतिशत आबादी ही साक्षर की श्रेणी में आती है जिनमें पुरूप साक्षरता 19.71 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता केवल 4.40 प्रतिशत है। राष्ट्र एवं राज्य की साक्षरता की तुलना में शिक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र की दयनीयता स्पष्ट है। जनगणना 1981 के अनुसार देश में साक्षरता 36. 17 प्रतिशत है जब कि राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत 24.05 है।

उक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि साक्षरता कि स्थिति सभी क्षेत्रों एवं गावों में एकसी नहीं है। जहां देवा एवं खीमेल जैसे गांवों में पुरुप साक्षरता क्रमशः 45. 28 प्रतिशत और 34. 25 प्रतिशत है, वहीं गंगाला में, जहां अल्प–संख्यक

समुदाय (मुसलमान) का प्राधान्य है, यह प्रतिशत केवल 9.32 प्रतिशत है और मोतीगढ़ में 9.18 प्रतिशत। इसी प्रकार महिला साक्षरता जहां फालना में 10.77 प्रतिशत है, वहीं मोतीगढ़ में यह शून्य प्रतिशत है। खडीण में, जो शिक्षित रोजगार की दृष्टि से बाडमेर जिले का एक जाना–माना गांव है. और जहां अनेक महिलायें उच्च पदों पर आसीन बताई गई हैं, वहां भी महिला साक्षरता मात्र 1.04 प्रतिशत है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि केवल गिने–चुने परिवारों में ही महिला शिक्षा के प्रति अभिरुचि जागृत हो पाई है। शेष परिवार महिला शिक्षा के प्रति उदासीन हैं और इस उदासीनता का एक मुख्य कारण कन्या शिक्षण शालाओं की मुख्य आवासीय बस्तियों से दूरी होना भी है। पाली जिले में कन्या शिक्षण शालाओं की दूरी आवासीय बस्तियों से अधिक दूर नहीं है इसलिए वहां महिला साक्षरता अन्य जिलों की तुलना में कहीं अधिक है ।

सारणी सं. 4 : 1

सर्वेक्षित आबादी का जातीय संदर्भ

(संख्या/प्रतिशत)

गांव का नाम	अनुसूचित जातियां एवं जन जातियां	अल्प संख्यक	सवर्ण	योग
1	2	3	4	5
1. देवा	48 (44.86)	7 (06.54)	52 (48.60)	107 (100)
2. चांघण	18 (09.63)	61 (32.62)	108 (57.75)	87 (100)
3. खडीण	—	—	227 (100)	227 (100)
4. गंगाला	—	213 (100)	—	213 (100)
5. छत्रगढ़	83 (20.44)	163 (40.15)	160 (39 41)	406 (100)
6. मोतीगढ़	47 (23.98)	58 (29.59)	91 (46.43)	196 (100)
7. फालना	87 (32.83)	—	178 (67.17)	265 (100)
8. खीमेल	41 (40.20)	—	61 (59.80)	102 (100)
योग	324 (19.02)	502 (29.48)	877 (51.50)	1703 (100)

स्रोत :—सर्वेक्षण के अनुसार

सारणी सं. 4 : 2

सर्वेक्षित परिवारों में साक्षरता

गाँव का नाम	परिवार संख्या	कुल संख्या	पुरुष साक्षर	कुल का प्र. श.	कुल संख्या महिला	साक्षर	कुल का प्र. श.	साक्षरों की कुल संख्या	योग साक्षरता प्र. श.
1. देवा	15	53	24	45.28	54	4	7.41	28	26.17
2. चांवण	23	105	13	12.38	82	1	1.25	14	7.57
3. गंगाला	26	118	11	9.32	95	2	2.11	13	6.10
4. गडीणा	27	131	36	27.48	96	1	1.04	37	16.30
5. छतरगढ़	57	217	41	18.89	189	8	4.23	49	12.07
6. मोतीगढ़	17	98	9	9.18	98	—	—	9	4.59
7. फान्ना	42	135	26	19.26	130	14	10.77	40	15.09
8. नीगेल	9	51	19	34.25	51	5	9.80	24	23.53
योग	216	908	179	19.71	795	35	4.40	214	12.57

स्रोत—सर्वेक्षण के अनुसार

कृषि भूमि एवं जोत श्रृंखला

कृषि भूमि के संदर्भ में सर्वेक्षित परिवारों की स्थिति की झलक निम्न तालिकाओं से मिल सकती है ।

तालिका सं. 4 : 3

सर्वेक्षित परिवार एवं भूमि

(प्रति परिवार कृषि भूमि—हैक्टर में)

गांव का नाम	अनु. जाति एवं जनजातियां	अल्प संख्यक समुदाय	सवर्ण	योग
1	2	3	4	5
1. देवा	5.04	20.00	4.04	5.91
2. चांधरा	9.04	9.75	24.46	17.38
3. खडीण	—	—	16.50	16.50
4. गंगाला	—	33.98	—	33.98
5. छत्रगढ़	7.04	7.40	6.01	6.74
6. मोतीगढ़	13.75	8.55	9.27	9.50
7. फालना	3.54	—	4.87	4.42
8. खीमेल	12.50	—	9.36	10.41
योग	6.46	19.34	10.52	12.24

तालिका सं. 4 : 4

सर्वेक्षित आबादी एवं कृषि भूमि–प्रति व्यक्ति कृषि भूमि

(हैक्टर में)

गांव का नाम	अनु. जाति एवं जनजातियां	अल्प संख्यक समुदाय	सवर्ण	योग
1	2	3	4	5
1. देवा	0.787	2.86	0.59	0. 83
2. चांधरण	1.567	1.279	2.717	2 137
3. खडीरण	—	—	1.963	1.963
4. गंगाला	—	4.148	—	4.148
5. छत्रगढ़	1.018	0.953	0.902	0.946
6. मोतीगढ़	0.585	0.737	1.019	0.832
7. फालना	0.569	—	0.765	0.701
8. खीमेल	0.915	—	0 920	0.918
योग	0.809	2.350	1.367	1.553

स्रोत–सर्वेक्षण

उक्त तालिकाओं से ज्ञात होता है कि सर्वेक्षित परिवारों में प्रति परिवार सबसे अधिक भूमि गंगाला में हैं और ये सभी अल्प संख्यक समुदाय से सम्बन्ध रखते हैं। प्रति परिवार कृषि भूमि की दृष्टि से दूसरा स्थान चांधरण का है और तीसरा खड़ीण का। जैसलमेर जिले के देवा गांव में प्रति सर्वेक्षित परिवार औसत कृषि भूमि 5.91 हैक्टर है। फालना में जो खेती की दृष्टि से अधिक अनुकूल क्षेत्र है। यहां प्रति परिवार औसत कृषि भूमि 4.42 हैक्टर है जो देवा की स्थिति देखते हुए अधिक नहीं मानी जा सकती। सभी सर्वेक्षित परिवारों को लें तो प्रति परिवारों औसत कृषि क्षेत्र 12.24 हैक्टर हैं लेकिन अनुसूचित जाति एवं जन–जाति के परिवारों में प्रति परिवार औसत कृषि क्षेत्र जहां केवल 6.46 हैक्टर है, वहीं अल्पसंख्यक वर्ग प्रति परिवार औसत उनकी तुलना में लगभग तिगुना है।

प्रति व्यक्ति औसत के सन्दर्भ में कृषि क्षेत्र का विश्लेपण किया जाय तो स्थिति अधिक रोचक दिखाई देती है। गंगाला में प्रति व्यक्ति औसत कृषि क्षेत्र

4.148 हैक्टर है जबकि चांधरण और खड़ीण में यह क्रमशः 2.137 हैक्टर और 1.963 हैक्टर है । अनुसूचित जाति एवं जनजातियां इस दृष्टि से सबसे अधिक दयनीय स्थिति में हैं क्योंकि जहां अल्प संख्यक वर्ग के पास प्रति व्यक्ति कृषि क्षेत्र 2.350 हैक्टर है, वहीं अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पास प्रति व्यक्ति औसत कृषि क्षेत्र 0.809 हैक्टर पाया गया है ।

तालिका संख्या 4 : 5, 4 : 6, 4 : 7 से सर्वेक्षित परिवारों की जोत शृंखला का दर्शन हो सकता है । सर्वाधिक 11 भूमिहीन परिवार सवर्ण जातियों से सम्बन्वित हैं । सवर्ण जातियों के परिवार कृषि के अलावा अन्य धन्धों यथा व्यापार, व्यवसाय, नौकरी आदि में अन्य वर्गों की तुलना में अधिक मात्रा में लगे हुये हैं । 20 हैक्टर से अधिक कृषि क्षेत्र रखने वाले कुल 26 परिवार हैं जिनमें 19 परिवार अल्न संख्यक समुदाय के हैं और 7 सवर्ण जातियों के । अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसी भी परिवार के पास 20 हैक्टर से अधिक जमीन नहीं है । अल्प संख्यक समुदाय में जहां 31.14 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवार 20 हैक्टर से अधिक भूमि वाले हैं, वहीं केवल 1.64 प्रतिशत परिवार भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं । इसी प्रकार जहां केवल 17.07 प्रतिशत सर्वेक्षित अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार 10.20 हैक्टर कृषि जोत शृंखला में आते हैं, वहीं सवर्ण जातीय परिवारों में यह प्रतिशत 35.96 और अल्प संख्यक वर्ग में 32.79 प्रतिशत है ।

5 हैक्टर तक कृषि जोत वाले परिवार अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में लगभग 39 प्रतिशत है, जबकि सवर्ण परिवारों का यह औसत 22 प्रतिशत और अल्प संख्यक का यह औसत 10 प्रतिशत है । इस प्रकार अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां कृषि भूमि के मामले में सबसे अधिक पिछड़ी हुई हैं और उन्हें सदैव ही अपने भरणपोषण के लिए कृषि से ईतर साधनों की खोज में रहना पड़ता है । उन साधनों में मजदूरी सबसे मुख्य साधन है लेकिन इस क्षेत्र में न तो वह आसानी से सुलभ है और न उससे पेट भरने लायक आय ही हो सकती है । इस क्षेत्र में साल में बारहों महीने सतत एवं नियमित मजदूरी की कल्पना ही नहीं की जा सकती ।

तालिका सं. 4 : 5

अनुसूचित जातियां तथा जन–जातियां (सर्वेक्षित परिवार)

कृषि एवं भूमि की स्थिति

विवरण	देवा	चांधण	खड़ीण	गंगाला	छत्रगढ़	मोतीगढ़	फालना	खीमेल	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भूमिहीन	—	—	—	—	—	—	1	—	1 (2.43)
2– हैक्टर तक	—	—	—	—	—	—	5	—	5 (12.20)
2–5 हैक्टर तक	4	1	—	—	1	—	4	1	11 (26.83)
5–10 हैक्टर तक	2	—	—	—	10	—	4	1	17 (41.46)
10–30 हैक्टर तक	1	2	—	—	1	2	—	2	7 (17.07)
21 से अधिक	—	—	—	—	—	—	—	—	——
योग	7	3	—	—	12	2	14	3	41 (100)

स्रोत—सर्वेक्षण के अनुसार

सारणी सं. 4 : 6

अल्प संख्यक वर्ग एवं कृषि भूमि की स्थिति (सर्वेक्षित परिवार)

विवरण	देवा	चांधण	खड़ीण	गंगाला	छत्रगढ़	मोतीगढ़	फालना	खीमेल	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भूमिहीन	—	—	—	—	1	—	—	—	1(1.64)
2– हैक्टर तक	—	—	—	—	—	1	—	—	1(1 64)
2–5 ,,	—	2	—	—	3	—	—	—	5(8.20)
5–10 ,,	—	1	—	—	12	2	—	—	15(24.59)
10–20 ,,	1	5	—	7	5	2	—	—	20(32.79)
21 से अधिक	—	—	—	19	—	—	—	—	19(31.14)
योग	1	8	—	26	21	5	—	—	61 (100)

तालिका स. 4 : 7

सवर्ण जातियां एवं कृषि भूमि की स्थिति (सर्वेक्षित परिवारों)

विवरण	देवा	चांवण	खड़ीण	गंगाला	छत्रगढ़	मोतीगढ़	फालना	खीमेल	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भूमिहीन	—	—	—	—	3	1	6	1	11(9.65)
2– हैक्टर तक	2	—	—	—	—	—	2	1	5(4.39)
2–5 ,,	2	—	—	—	6	1	10	1	20(17.54)
5–10 ,,	3	1	—	—	13	3	8	2	30(26.32)
10–20 ,,	—	7	25	—	2	5	2	—	41(35.96)
21 से अधिक ,,	—	4	2	—	—	—	—	1	7(6.14)
योग	7	12	27	—	24	10	28	6	114 (100)

सिंचाई की स्थिति

सर्वेक्षित परिवारों के पास कुल 2621.96 हैक्टर कृषि भूमि है जिसमें 2248.42 हैक्टर अर्थात् कुल कृषि क्षेत्र का 85.75 प्रतिशत भाग असिंचित क्षेत्र है और केवल 14.25 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है। सभी गांवों में सिंचाई की स्थिति एकसी नहीं है। गंगाला, खड़ीण और मोतीगढ़ तथा चांधण के किसी भी सर्वेक्षित परिवार ने सिंचित क्षेत्र नहीं बताया। तालिका सं. 4 : 8 सिंचाई की स्थिति स्पष्ट करती है।

तालिका सं. 4 : 8

कृषक परिवार : सिंचित–असिंचित क्षेत्र

(हैक्टर में प्रतिशत)

गांव का नाम		कृषक परिवार	असिंचित	सिंचित	योग	औसत भूमि
1	2	3	4	5	6	7
देवा		15	74.30 (83.86)	14.30 (16.14)	88.60 (100)	5.91
चांधण		23	377.70 (100)	—	377.70 (100)	18.18
गंगाला		26	883.50 (100)	—	883.50 (100)	33.98
खड़ीण		27	445.50 (100)	—	445.50 (100)	16.50
छत्रगढ़		53	220.17 (57.81)	164.09 (42.19)	384.26 (100)	7.48
मोतीगढ़		16	163.00 (100)	—	163.00 (100)	10.19
फालना		35	65.50 (35.26)	120.25 (64.74)	185.75 (100)	5.31
खीमेल		8	18.75 (20.02)	74.90 (79.98)	93.65 (100)	11.71
योग		203	2248.42 (85.75)	373.54 (14.25)	2621.96 (100)	12.92

स्रोत :—सर्वेक्षण

पाली जिले के फालना एवं खीमेल के सर्वेक्षित परिवारों ने क्रमशः 64.74 प्रतिशत एवं 79.98 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित बताया है। यद्यपि वहां नहर नहीं हैं और सिंचाई का साधन मात्र कुएं हैं लेकिन वर्षा कम होने पर कुओं में जल स्तर नीचे चला जाता है और इस सिंचित क्षेत्र में अधिकांश भाग में रबी की फसल नहीं ली जाती। छत्रगढ़ के सर्वेक्षित परिवारों ने अपने कृषि क्षेत्र का 42.19 प्रतिशत भाग सिंचित बताया है और इसी क्षेत्र में रबी की फसलें लगाई गई हैं लेकिन वर्षा के अभाव एवं नहरों से पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने के कारण इस क्षेत्र में भी रबी की फसलों का उतना उत्पादन नहीं हो सका जितना पड़ोस के गंगानगर जिले में हुआ है।

विभिन्न गावों में कृषि क्षेत्र एवं जोतों की स्थिति की झांकी तालिका संख्या 4.9 से लग सकती है और पशु शृंखला की तालिका संख्या 4.10 से लग सकती है।

सारणी सं. 4 : 9

जोत शृंखला के अनुसार परिवार

(परिवार संख्या)

गांव	भूमिहीन	2 है. तक	2–5 है. तक	5–10 है. तक	10–20 है. तक	20 है. या अधिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1. देवा	–	2	6	5	2	–	15
2. चांधण	–	–	3	2	14	4	23
3. गंगाला	–	–	–	–	7	19	26
4. खड़ीण	–	–	–	–	25	2	27
5. छत्रगढ़	4	–	10	35	8	–	57
6. मोतीगढ़	1	1	1	6	8	–	17
7. फालना	7	7	14	12	2	–	42
8. खीमेल	1	1	2	2	2	1	9
योग	13 (6.02)	11 (5.09)	36 (16.67)	62 (28.70)	68 (31.48)	26 (12.04)	16 (100)

तालिका सं. 4 : 10

पशु शृंखला के अनुसार परिवार

गांव	पशु श्रेणी				
	1–10	11–20	21–50	51–100	योग
1	2	3	4	5	6
1. देवा	6	6	2	1	15
2. चांवण	11	4	5	3	23
3. गंगाला	14	12	–	–	26
4. खड़ीण	26	1	–	–	27
5. छत्रगढ़	39	14	4	–	57
6. मोतीगढ़	8	7	2	–	17
7. फालना	37	4	1	–	42
8. खीमेल	6	–	3	–	9
योग	147	48	17	4	216

कुल 216 सर्वेक्षित परिवारों में से 6.02 प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं और 5.09 प्रतिशत सीमान्त कृषक। 16.67 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवार लघु कृपक की परिभाषा में आते हैं यद्यपि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लघु कृपक इन परिवारों की तुलना में कृषि की दृष्टि से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। 20 हैक्टर से अधिक कृषि क्षेत्रधारी परिवार केवल 12.04 प्रतिशत हैं।

पशु–धन

सर्वेक्षित परिवारों के पास 2178 गाय–भैंस आदि पशुधन हैं और 8530 भेड़–बकरियां। तालिका सं. 4 : 11 गाय–भैंस, भेड़–बकरी एवं ऊंट आदि की गांववार स्थिति दर्शाती है।

सर्वेक्षित परिवारों में प्रति परिवार पशुधन

गांव	गाय–भैंस		ऊंट		भेड़–बकरी	
	कुल सं.	प्रति प.	कुल सं.	प्रति प.	कुल सं.	प्रति प.
	1	2	3	4	5	6
1. देवा	228	15	4	—	590	39
2. चांवरण	490	21	31	1	865	46
3. खडीरण	121	4	33	1	182	7
4. गंगाला	223	9	37	1	778	30
5. छत्रगढ़	514	9	44	1	2050	36
6. मोतीगढ़	189	11	17	1	3520	207
7. फालना	284	7	—	—	261	6
8. खीमेल	129	14	1	—	284	32
योग	2178	10	167	1	8530	40

स्रोत–सर्वेक्षण

इस तालिका से ज्ञात होता है कि प्रति परिवार गाय–भैंसों की सर्वाधिक संख्या चांवरण (जैसलमेर जिला) में है–प्रति परिवार औसतन 21। प्रति परिवार सबसे कम गाय–भैंसें खड़ीण में हैं–औसतन 4 प्रति परिवार। गाय–भैंसों की दृष्टि से दूसरा नम्बर देवा का है और तीसरा खीमेल का है। मोतीगढ़ में प्रति परिवार 11 गाय–भैंस हैं और सिंचित क्षेत्र छत्रगढ़ में केवल 9 इससे स्पष्ट है कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर गाय–भैंसों की संख्या पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता है तो केवल गुणात्मक प्रभाव पड़ता है अर्थात प्रति पशु उत्पादन अधिक होता है अथवा स्वास्थ्य की दृष्टि से पशु बेहतर स्थिति में हो सकते हैं और वर्षा की कमी अथवा अकाल के कारण पशु उतनी अधिक संख्या में नहीं मरते जितनी अधिक संख्या में असिंचित क्षेत्र में मरते हैं।

बहु संख्यक पशुपालक भेड़ बकरियों की गणना के समय सर्वेक्षित टोली को भेड़ बकरियों के लिंग एवं उम्र के अनुसार सही संख्या बताने में परेशानी महसूस करते पाये गये। इसलिए लिंग एवं उम्र के आधार पर उनकी विवेचना करना सम्भव नहीं हो सका। लेकिन भेड़ बकरियों की संख्या के संबंध में संग्रहीत तथ्य जानकारी के लिए नीचे प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

सारणी सं. 4 : 11

भेड़–बकरी की संख्या

गांव का नाम	भेड़ संख्या	बकरी संख्या	योग
1	2	3	4
1. देवा	492 (83–39)	98 (16–18)	590 (100)
2. चांधरा	737 (85–20)	128 (14–80)	865 (100)
3. खडीण	75 (41–21)	107 (58–79)	182 (100)
4. गंगाला	386 (49–61)	392 (50–39)	778 (100)
5. छत्रगढ़	1863 (90–88)	187 (9–12)	2050 (100)
6. मोतीगढ़	3130 (88–95)	390 (11–05)	3520 (100)
7. फालना	130 (49–61)	131 (50–19)	261 (100)
8. खीमेल	245 (86–27)	39 (13–73)	284 (100)
योग	7058 (82–74)	1472 (17–26)	8530 (100)

उक्त तालिका दर्शाती है कि खडीण एवं गंगाला (बाड़मेर) एवं फालना (जिला–पाली) में सर्वेक्षित परिवारों के पास भेड़ों की तुलना में बकरियां अधिक हैं। लेकिन जैसलमेर एवं बीकानेर जिले के सर्वेक्षित गांवों में भेड़ के मुकाबले बकरियों का अनुपात बहुत कम है। खीमेल में सर्वेक्षित परिवारों में रेबारी परिवारों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा होने से बकरियों का अनुपात कम आया है। सम्भव है उससे वहां की स्थिति के अनुमान में असंगतता लगे। हमारे देखने में आया कि इस अकाल की मार बकरे बकरियों पर अधिक तीव्रता से पड़ी है क्योंकि सर्वेक्षणके दौरान काफी मात्रा में सर्वेक्षित परिवारों ने अपने बकरे–बकरी बेचे हैं और वे बम्बई एवं अहमदाबाद आदि बड़े शहरों में कटने के लिए ले जाये गये हैं। कुछ बकरे बकरियां चोरी छिपे पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में भी ले जाये गये हैं।

जातीय सन्दर्भ में प्रति सर्वेक्षित परिवार पशुधन की स्थिति तालिका संख्या 4 : 12 से जानी जा सकती है।

सारणी संख्या 4 : 12

जातीय संदर्भ एवं सर्वेक्षित परिवारों में पशुधन

(औसत प्रति परिवार)

गांव	अनु. सु. जातियां एवं जन-जातियां		अल्प संख्यक वर्ग		सवर्ण	
	गाय, बैल, भैंस, ऊंट	भेड़-बकरी प्रति परि.	गाय, बैल ऊंट	भेड़-बकरी	गाय, बैल, भैंस-ऊंट	भेड़-बकरी
1	2	3	4	5	6	7
1. देवा	13	9	74	165	9	52
2. नानण	6	1	27	50	24	39
3. मड़ीगा	—	—	—	—	6	7
4. गंगाला	—	—	10	30	—	—
5. मोतीगढ़	9	350	17	120	10	222
6. छतरगढ़	6	21	14	74	8	10
7. फालना	5	16	—	—	8	1
8. मीगेन	13	84	—	—	15	15
योग	7	37	15	57	10	31

नोट :—प्रति परिवार औसत पशुधन (गाय-भैंस, बैल, ऊंट) 11

प्रति परिवार औसत भेड़-बकरी 37

यह तालिका दर्शाती है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों के पास गाय, भैंस देवा एवं खीमेल में ज्यादा हैं–प्रति परिवार 13; लेकिन कालना में यह संख्या प्रति परिवार मात्र 5 है और चांधरा तथा छत्रगढ़ में 6 । भेड़–बकरियों के सन्दर्भ में देखें तो भिन्न स्थिति दिखाई देती है । चांधरा में प्रति अनुसूचित एवं जनजाति परिवार मात्र एक भेड़ बकरी पाई गई जबकि मोतीगढ़ में यह संख्या 350 थी । वहां इस वर्ग का जो एक मात्र परिवार सर्वेक्षण में आया, वह बड़ा और संयुक्त परिवार था । खीमेल में भी रेवारियों की संख्या अधिक होने के कारण यह संख्या 84 पाई गई ।

अल्प संख्यक समुदाय कृषि क्षेत्र की ही तरह पशुधन के मामले में भी बेहतर स्थिति में हैं । अल्प संख्यक समुदाय में प्रति सर्वेक्षित परिवार गाय–भैंस, ऊंट आदि पशुधन का औसत 15 आता है और भेड़–बकरियों का 57 जबकि अनु–सूचित जाति एवं जन–जाति परिवारों में यह औसत क्रमशः 7 तथा 37 और सवर्ण परिवारों में 10 तथा 31 का रहा है । इस प्रकार पशुधन की दृष्टि से अल्प संख्यक (मुसलमान) समुदाय सबसे अच्छी स्थिति में हैं । देवा में अल्प संख्यक समुदाय का जो परिवार आया है वह पशु सम्पदा की दृष्टि के अन्यत्र समृद्ध परिवार है ।

कुल सर्वेक्षित परिवारों की पशुधन संबंधी स्थिति का विश्लेषण करें तो ज्ञात होता है कि गाय–भैंस–बैल–ऊंट आदि पशुओं की औसत संख्या प्रति परिवार 11 और भेड़-बकरियों की 31 । राजस्थान के अन्य जिलों एवं क्षेत्रों की तुलना में यह संख्या काफी अधिक है ।

पशु श्रृंखला एवं जातीय सन्दर्भ

जातीय सन्दर्भ में पशुधन की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी तालिका संख्या 4.13 से मिल सकती है ।

सारणी सं. 4 : 13

पशु शृंखला एवं जातीय संदर्भ (भेड़–बकरियों को छोड़कर)

परिवार सं. (प्र. श.)

पशु शृंखला	अनु. सू. जातियां एवं जन–जातियां	अल्प संख्यक	सवर्ण जातियां	योग
1–10	33 (80.49)	27 (44.26)	87 (76 32)	147 (68.06)
11–20	5 (12.20)	25 (40.98)	18 (15.74)	48 (22.22)
21–50	3 (7.31)	7 (11 48)	7 (6.14)	17 (7.87)
51–100	—	2 (3.28)	2 (1.75)	4 (1 85)
100 से अधिक	—	—	—	—
योग	41(100)	61(100)	114(100)	216(100)

तालिका सं. 4.14

पशु शृंखला एवं जोत श्रेणी

(भेड़–बकरियों को छोड़कर अन्य पशु)

परिवार सं.

पशु शृंखला	भूमिहीन	2 है. तक	2–5 है. तक	5–10 है. तक	10–20 है. तक	20 है से अधिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1–10	11	10	27	43	42	14	147
11–20	1	1	6	16	15	9	48
21–50	1	–	2	2	10	2	17
51–100	–	–	1	1	1	1	4
101 से अधिक	–	–	–	–	–	–	–
योग	13	11	36	62	68	26	216

इस तालिका से प्रकट है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जिन 41 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है उनमें 33 अर्थात् 80.49 प्रतिशत परिवार 1–10 पशु श्रृंखला में आते हैं और किसी भी परिवार के पास 50 से अधिक गाय–भैंस–ऊंट आदि पशुधन नहीं है जबकि अल्प संख्यक समुदाय में 3.28 प्रतिशत ऐसे परिवार भी हैं जो 51–100 पशु श्रृंखला में आते हैं । इस वर्ग में केवल 44.26 प्रतिशत परिवार ही ऐसे हैं जिनके पास 1–10 तक पशु हैं । जहां तक सवर्ण जातीय परिवारों की स्थिति का प्रश्न है 76.32 प्रतिशत परि–वार ऐसे हैं जो 1–10 पशु श्रृंखला में आते हैं अर्थात् अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों से अपेक्षाकृत कुछ बेहतर स्थिति में होते हुए भी विषमता अधिक नहीं है जबकि अल्प संख्यक समुदाय उनसे कहीं अधिक बेहतर स्थिति में है । इस तालिका से यह भी ज्ञात हो सकता है कि लगभग दो तिहाई (68.06) परिवार छोटे पशुपालकों की श्रेणी के ही हैं जिनके पास पशुओं की औसत संख्या 1 से 10 तक है और इनमें बछड़े–बछड़ी, पाड़े–पाड़ी एवं ऊंट के छोटे बच्चे भी शामिल हैं ।

जातीय सन्दर्भ, जोत श्रृंखला एवं पशु श्रृंखला-तालिका सं. 4.15 यह दर्शाती है कि जातीय सन्दर्भ में पशु श्रृंखला एवं जोत श्रेणी की कैसी स्थिति है । इस तालिका से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति का जो 1 भूमिहीन परिवार है, वह 1–10 पशु श्रृंखला मे पड़ता है । इसी प्रकार 2 हैक्टर तक भूमिधारी सभी परिवार 1–10 पशु श्रृंखला में ही पड़ते हैं । लेकिन 2 हैक्टर से 5 हैक्टर तक भूमिधारी 11 परिवारों में 2 अर्थात् 18.18 प्रतिशत परिवार ऐसे भी हैं जो 11–20 पशु श्रृंखला में आते हैं । 5–10 हैक्टर तक कृषि भूमिधारी परिवारों में 82.35 प्रतिशत परिवार तो 1–10 पशु श्रृंखला में ही पड़ते हैं लेकिन 1 परिवार ऐसा भी है जो अच्छा पशुपालक परिवार माना जा सकता है क्योंकि यह परिवार 21–50 पशु श्रृंखला में पड़ता है । 10–20 हैक्टर वाले भूमिधारी परिवारों में 57.14 प्रतिशत परिवार तो 1–10 पशु श्रृंखला में ही पड़ते हैं लेकिन 11–20 एवं 21–50 पशु श्रृंखला में पड़ने वाले परिवारों का प्रतिशत भी क्रमशः 14.29 एवं 28.57 है ।

सारणी सं. 4 : 15

पशु शृंखला, जोत शृंखला और सामाजिक श्रेणी (सभी गांवों का)

(क) अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां

कृषि भूमि की स्थिति

पशु शृंखला	भूमिहीन	2 हे. तक	2–5 हे. तक	5–10 हे. तक	10–20 हे. तक	20 से अधिक	परिवार सं. (प्र. श.) योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1–10	1	5	9 (81.82)	14 (82.35)	4 (57.14)	–	33
11–20	–	–	2 (18.18)	2 (11.76)	1 (14.29)	–	5
21–50	–	–	–	1 (5.89)	2 (28.57)	–	3
51–100	–	–	–	–	–	–	–
101 से अधिक	–	–	–	–	–	–	–
योग	1	5	11 (100)	17 (100)	7 (100)	–	41

(ख) अल्प संख्यक समुदाय

1	2	3	4	5	6	7	8
1–10	1	1	3 (60.00)	7 (46.67)	4 (20.00)	11 (57.89)	27 (44.26)
11–20	–	–	–	7 (46.67)	10 (50.00)	8 (42.11)	25 (40.98)
21–50	–	–	1 (20.00)	1 (6.66)	5 (25.00)	–	7 (11.48)
51–100	–	–	1 (20.00)	—	1 (5.00)	—	2 (3.00)
101 से अधिक	–	–	–	—	–	—	—
योग	1	1	5 (100)	15 (100)	20 (100)	19 (100)	61 (100)

(ग) सवर्ण हिन्दू

1	2	3	4	5	6	7	8
1–10	9 (81.82)	14 (80.00)	15 (75.00)	22 (73.33)	34 (82.93)	3 (42.86)	87 (76.32)
11–20	1 (9.09)	1 (20.00)	4 (20.00)	7 (23.33)	4 (9.76)	1 (14.28)	18 (15.79)
21–50	1 (9.09)	–	1 (5.00)		3 (7.32)	2 (28.56)	7 (6.14)
51–100	–	–	–	1 (3.33)	–	1 (14.28)	2 (1.75)
101 से अधिक	–	–	–	–	–	–	–
योग	11 (100)	5 (100)	20 (100)	30 (100)	41 (100)	7 (100)	114 (100)

तालिका सं. 4.16

जातीय संवर्ग एवं पशु श्रृंखला (गांववार स्थिति)

(क) अनुसूचित जातियां एवं जन-जातियां और पशु श्रृंखला

विवरण	देवा	चांधण	खड़ीए	गंगाला	छत्रगढ़	मोतीगढ़	फालना	खीमेल	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1–10	2	3	–	–	11	1	14	2	33
11–20	3	–	–	–	1	1	–	–	5
21–50	2	–	–	–	–	–	–	1	3
51–100	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101 से अधिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	7	3	–	–	12	2	14	3	41

(ग) अल्प संख्यक समुदाय एवं पशु शृंखला

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1–20	–	2	–	14	8	3	–	–	27
11–20	–	2	–	12	10	1	–	–	25
21–50	–	3	–	–	3	1	–	–	7
51–100	1	1	–	–	–	–	–	–	2
101 से अधिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	1	8	–	26	21	5	–	–	61

(ग) सवर्ण जातियाँ एवं पशु शृंखला

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1–10	4	6	26	—	20	4	23	4	87
11–20	3	2	1	—	3	5	4	2	20
21–50	—	2	—	—	1	1	1	—	5
51–100	—	2	—	—	—	—	—	—	2
101 से अधिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—
योग	7	12	27	—	24	10	28	6	114

इस सन्दर्भ में अल्प संख्यक समुदाय से सम्बन्धित परिवारों का विश्लेषण काफी रुचिकर दिखाई देता है। अल्प संख्यकों में एक व्यक्ति भूमिहीन है और एक के पास 2 हैक्टर से कम भूमि है। दोनों ही 1–10 पशु श्रृंखला में हैं। लेकिन 2–5 हैक्टर तक भूमिधारियों में एक परिवार 21–50 पशु श्रृंखला में और दूसरा 51–100 पशु श्रृंखला में भी हैं। यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि इस क्षेत्र में अल्प संख्यक वर्ग के पशु पालक अन्य वर्गों की तुलना में अच्छे पशुपालक हैं और जमीन की न्यूनता उन्हें अधिक पशु रखने से नहीं रोक पाती। 10–20 हैक्टर तक की जोत श्रृंखला का एक अल्प संख्यक समुदाय से सबंधित परिवार 51–100 पशु श्रृंखला में भी आता है जबकि 20 हैक्टर से अधिक श्रृंखला वाला कोई भी अल्प संख्यक परिवार 21–50 अथवा 51–100 पशु श्रृंखला में नहीं है।

सवर्ण हिन्दू भी इस मामले में अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में हैं। भूमिहीन होते हुए भी एक सवर्ण जातीय परिवार 11–20 पशु श्रृंखला में एवं एक अन्य 21–50 पशु श्रृंखला में हैं जबकि इसी जोत श्रेणी के एक परिवार के पास 21–50 के बीच पशुधन है। सवर्ण हिन्दुओं में 5–10 हैक्टर जोतधारी एक परिवार 51–100 पशु श्रृंखला में है तो 20 हैक्टर से अधिक कृषि जोत वाला एक अन्य परिवार भी इस श्रेणी में है।

इस तालिका से यह भी पता चलता है कि यहां अल्प संख्यक समुदाय के 40.98 प्रतिशत परिवारों के पास 11 से 20 तक पशुधन है, वहीं केवल 15.79 प्रतिशत सवर्ण जातीय परिवार इस स्थिति में आते हैं। कमोवेश यही स्थिति 21–50 पशु श्रृंखला के बारे में देखी जा सकती है।

जातीय संदर्भ : गांववार पशुधन की स्थिति

जातीय संदर्भ में विभिन्न परिवारों की पशु श्रृंखला का गांववार विश्लेषण किया जाय तो पता चलता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के छत्रगढ़ में 12 परिवार हैं जिनमें 11 परिवार 1–10 पशु श्रृंखला में आते हैं। इसी प्रकार फालना में 14 ऐसे परिवार हैं जिनमें किसी के पास भी 10 से अधिक पशु नहीं हैं। लेकिन अल्प संख्यक समुदाय की स्थिति भिन्न है। गंगाला में इस वर्ग के 26 परिवारों में केवल 14 (53.85) परिवार 1–10 पशु श्रृंखला में हैं और 46.15 प्रतिशत परिवार 11–20 पशु श्रृंखला में हैं। छत्रगढ़ में यह स्थिति और भी बेहतर है जहां 38.10 प्रतिशत परिवार 1–10 पशु श्रृंखला में हैं तो 47.62 प्रतिशत परिवार 11–20 श्रृंखला में और 14.29 प्रतिशत परिवार 21–50 पशु श्रृंखला में। सवर्ण जातियों से सम्बन्धित परिवारों की

ले तो देखेंगे कि खड़ीण, छत्रगढ़ तथा फालना में इस वर्ग के परिवारों के पास अधिक पशु नहीं हैं। हां मोतीगढ़, देवा एवं खीमेल में स्थिति कुछ भिन्न है।

प्रति परिवार पशुधन

तालिका सं. 4.17

प्रति परिवार पशुधन

सर्वेक्षित परि. सं. 216

,, आबादी 1703

गांव का नाम	परिवार	पशुधन का कुल मूल्य (रुपये)	प्रति परिवार पशु सम्पत्ति (रुपये)
1	2	3	4
1. देवा	15	253,100	16873
2. चांधण	23	521,300	22665
3. खड़ीण	27	252,000	9333
4. गंगाला	26	417,400	16054
5. छत्रगढ़	57	1121,360	19673
6. मोतीगढ़	17	972,200	57188
7. फालना	42	361,400	8605
8. खीमेल	9	209,300	23255
योग	216	4108,060	19019

इस तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वेक्षित परिवारों के पास जो पशु संपत्ति है, उसका वर्तमान मूल्य 41 लाख रुपये के लगभग है। वर्षा की कमी के कारण क्षेत्र में चारे का अकाल है और सर्वेक्षण के दिनों में हमने चारे का संकट इतना गहरा पाया कि इन गांवों के बाहर अनेक स्थानों पर हमें मृत बछड़े-बछड़ियों एवं गायों आदि के शव देखने को मिले। हमने पाया कि चारे की कमी के कारण गाय बैल आदि पशुओं के खरीददार प्रायः नहीं के बराबर हैं। हां, भेड़-बकरी आदि के खरीददार अवश्य देखने में आये जो इन पशुओं को औने-पौने मूल्य पर खरीदकर प्रदेश के बाहर भेज देते हैं और अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं।

उक्त तालिका से पता चलता है कि पशुधन का औसत मूल्य प्रति परिवार मोतीगढ़ में सर्वाधिक है—प्रति परिवार 57188 रुपये और सबसे कम 8605 रुपये फालना में है। खीमेल में प्रति परिवार पशु सम्पत्ति 23255 रुपया है

जबकि खड़ीण में, जो बाड़मेर जिले का एक अच्छा गांव है, प्रति सर्वेक्षित परिवार पशु सम्पत्ति का मूल्य मात्र 9333 रुपया आंका गया है ।

साधनों की स्थिति

सर्वेक्षित परिवारों के पास कृषि, यातायात एवं रोजगार के साधनों की स्थिति इस प्रकार पाई गई—

सर्वेक्षित परिवारों के पास उपलब्ध साधन

गांव का नाम	साधन	मूल्य	साधनों का औसत मूल्य प्रति परिवार
1	2	3	4
1. देवा	4 ऊंटगाड़ी	9,000)	600)
2. चांधण	4 ,,	10,000)	435)
	2 साईकिलें		
3. खड़ीण	9 ऊंटगाड़ी	18,000)	667)
4. गंगाला	14 ,,	29,000)	1.115)
5. छत्रगढ़	24 ,,	1,95,500)	3,430)
	5 साईकिलें		
	2 सिलाई मशीन		
	1 ट्रेक्टर		
6. मोतीगढ़	12 ऊंटगाड़ी	36.000)	2,118)
7. फालना	22 बैलगाड़ी	66.600)	1,586)
	28 साईकिलें		
	1 मोटर साईकिल		
8. खीमेल	3 बैलगाड़ी	23.000)	2,588)
	8 साईकिलें		
योग	67 ऊंटगाड़ी	3,87.400)	1,794)
	43 साईकिलें		
	2 सिलाई मशीन		
	1 ट्रेक्टर		
	25 बैलगाड़ी		

स्रोत—सर्वेक्षण

इस तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वेक्षित 216 परिवारों के पास 67 ऊंट गाड़ियां और 25 बैल गाड़ियां है। अर्थात् बहुसंख्यक परिवार ऐसे हैं जिनके पास ऊंट अथवा बैल गाड़ियां नहीं हैं जो कृषि एवं पशुपालन दोनों दृष्टि से उस क्षेत्र के सन्दर्भ में आधारभूत आवश्यकता मानी जा सकती है। साइकिलों की संख्या 43 है। इनमें भी देवा, गंगाला, खड़ीण और मोतीगढ़ में किसी भी परिवार ने अपने पास साईकिलें नहीं बताई हैं। 216 परिवारों में से केवल एक परिवार ऐसा है जिसके पास ट्रेक्टर है अन्य 3–4 लोगों ने ट्रेक्टर लिये लेकिन उन्हें घाटे में बेचने को मजबूर होना पड़ा। केवल 2 परिवारों के पास मोटर साईकिल थीं जिनमें एक मोटर साइकिल छत्रगढ़ में तथा एक फालना में थी। दोनों गांव सड़क से जुड़े हुये हैं इसलिए दूध बेचने वाले मोटर साइकिलों का उपयोग कर लेते हैं। केवल छत्रगढ़ के 2 परिवारों ने सिलाई मशीने होना बताया है और इन दोनों परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन सिलाई कार्य है।

आर्थिक विश्लेषण

पृष्ठ भूमि

इस अध्याय में आय पक्ष का विश्लेषण किया गया है। सर्वेक्षित परिवारों को विभिन्न स्रोतों से हुई आय को देखने के साथ-साथ पशुधन से होने वाली आय की स्थिति को भी स्पष्ट किया गया है। कुल पारिवारिक आय में पशुधन से होने वाली आय को भी देखा गया है। अध्याय में मुख्यतः इन पक्षों पर विचार किया गया है।

1. कुल आय तथा उसमें पशुधन से होने वाली आय का स्थान।
2. सामाजिक श्रेणी के अनुसार कुल पारिवारिक आय तथा पशुधन से आय की स्थिति।
3. पशु शृंखला के अनुसार आय का विश्लेषण।
4. जोत शृंखला के अनुसार आय का विश्लेषण।
5. पशुधन से होने वाली विभिन्न प्रकार की आय आदि।

उक्त पक्षों पर प्राथमिक तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया गया है।

पशुधन से हुई कुल आय तालिका सं. 5.1 में दर्शाई गई है :—

तालिका से पता चलता है कि प्रति परिवार पशु धन से होने वाली आय की दृष्टि से गंगाला का स्थान उल्लेखनीय है। वहां प्रति परिवार पशुधन का मूल्य मात्र 16054 रुपये है जबकि उससे प्रति परिवार 8318 रुपये आय हुई है। खड़ीण में जहां प्रति परिवार पशु सम्पत्ति का मूल्य 9333 रुपये है पशुधन से प्रति परिवार 940 रुपये वार्षिक आय हुई है। इसका मुख्य कारण

तालिका सं. 5.1

कुल आय में पशुधन से हुई आय का स्थान (1985-86)

(रुपये में)

गांव का नाम	पशुधन से कुल आय	प्रति परिवार पशुधन से आय	प्रति व्यक्ति पशु धन से आय
1	2	3	4
1. देवा	19,670	1311	184
2. चांघरण	166,404	7235	890
3. खडीरण	25,375	940	112
4. गंगाला	216,260	8318	1015
5. छत्रगढ़	400,295	7022	986
6. मोतीगढ़	311,965	18351	1592
7. फालना	204,160	4861	770
8. खीमेल	76,240	8471	747
योग	1,420,369	6576	834

यह है कि वहां दूध विपणन की समुचित व्यवस्था नहीं है। फलस्वरूप दूध का घरेलू उपयोग ज्यादा होता है और नकद पैसा नहीं मिलता। फालना में प्रति परिवार पशुधन का मूल्य 8605 रुपया है लेकिन प्रति परिवार पशुधन से आय 4861 रुपया रही है क्योंकि फालना गांव का दूध फालना स्टेशन पर वसी हुई व्यापारिक वस्ती में अच्छे मूल्य पर बिक जाता है।

पशुधन से हुई आय में चार स्रोतों से हुई आय सम्मिलित है-(1) पशु विक्री (2) ऊन विक्री (3) पशु गाड़ी/ऊंट आदि का किराया और (4) दूध घी की विक्री। इन चारों स्रोतों का पशुधन से हुई सकल आय में क्या स्थान है, इसकी विवेचना आगे की गई है लेकिन तालिका में दी गई आय सकल आय है। इसमें पशु पालन पर हुआ व्यय शामिल नहीं है और न पशुधन में विनियुक्त पूंजी का व्याज ही शामिल है। उसका विश्लेषण भी आगे चलकर करने का प्रयास किया गया है।

मोटे तौर पर तालिका यह दर्शाती है कि जितने मूल्य की पशु सम्पत्ति है, उससे लगभग एक तिहाई के बराबर आय पशु पालकों को साल भर में विभिन्न

तालिका सं. 5 : 2

सर्वेक्षित परिवारों की विभिन्न स्रोतों से आय (प्रतिशत सहित)

(रुपये में)

गांव	कृषि से आय	पशुओं से आय	अन्य श्रोतों से	कुल आय	प्रति परि आय
1	2	3	5	6	7
देवा	6050 (5.45)	19670 (17.74)	85200 (76.81)	110920 (100)	7395
नाथण	6200 (2.36)	166404 (63.42)	89800 (34.22)	262404 (100)	11222
योग	12250 (3.28)	186074 (49.84)	175000 (46.88)	373324 (100)	9824
गंगाना	37476 (14.02)	216260 (80.93)	13480 (5.05)	267216 (100)	10278
मडीला	5920 (3.60)	25375 (15.44)	133100 (80.96)	164395 (100)	6089
योग	43396 (10.05)	241635 (55.99)	146580 (33.96)	431611 (100)	8144

[शेष पृष्ठ 98 पर]

[शेष पृष्ठ 97 का]

1	2	3	4	5	6
छत्रगढ़	345406	400295	153500	899201	15775
	(38.41)	(44.52)	(17.07)	(100)	
मोतीगढ़	8750	311965	—	320715	18869
	(2.73)	(97.27)	—	(100)	
योग	354156	712260	151500	1219916	16485
	(29.03)	(58.39)	(12.58)	(100)	
फालना	47000	204160	104900	356060	8478
	(13.20)	(57.33)	(29.46)	(100)	
खीमेल	23100	76240	74400	173740	19304
	(13.20)	(43.88)	(42.82)	(100)	
योग	70100	280400	179300	529800	10388
	(13.23)	(52.93)	(33.84)	(100)	
महायोग	479902	1420369	654380	2554651	11827
	(18.79)	(55.60)	(25.61)	(100)	

स्रोतों से हुई है और वर्षा की कमी के कारण इस आय में पशु बिक्री से हुई आय का अंश उल्लेखनीय है।

सकल आय

तालिका सं. 5.2 गांववार सर्वेक्षित परिवारों की सकल आय को दर्शाती है। इस सकल आय में पशुधन से प्राप्त आय का जितना अंश रहा उसकी जानकारी है।

इस तालिका से ज्ञात होता है कि प्रति परिवार सर्वाधिक आय खीमेल में देखी गई है। वहां प्रति परिवार सकल औसत आय 19304 रुपये वार्षिक के लगभग आई है। खीमेल पक्के मकानों वाला एक पुराना गांव है जो रानी एवं फालना जैसे विकासोन्मुख कस्बों के बीच में स्थित है तथा यहां पक्की सड़क के अलावा रेलवे स्टेशन भी है। सकल आय की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर मोतीगढ़ है जहां पशुधन तो अधिक है ही पक्की सड़क की मौजूदगी एवं बीकानेर शहर के नजदीक में होने के साथ पशु उत्पादन विपणन के लिए अपेक्षाकृत बेहतर सुविधायें भी विद्यमान है और जहां अकाल के कारण अनेक परिवारों ने अपने भेड़-बकरियों के रेवड़ बेचे हैं। इस गांव में ग्रामवासियों को ऊन कताई के भी पर्याप्त आय होती है। तीसरा स्थान छत्रगढ़ का है जहां नहरी जल उपलब्ध है और काफी बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालय होने के कारण जहां दूध विपणन की सुविधा विद्यमान है। सर्वेक्षित परिवारों की सकल आय में खेती से होने वाली आय का भी यहां काफी अंश है।

सर्वेक्षित गांवों में प्रति परिवार सबसे कम सकल आय रटीण में आई है। यद्यपि वहां खेती एवं पशुधन से अन्य स्रोतों से काफी अधिक आय हुई है। कुल आय का 80.96 प्रतिशत अंश खेती एवं पशु पालन से इतर धन्धों से मिला है।

इस तालिका से ज्ञात होता है कि छत्रगढ़ में सर्वेक्षित परिवारों को जो आय हुई, उसमें कृषि का योग 38.41 प्रतिशत है जबकि इसी के पड़ोसी गांव मोतीगढ़ में जहां कृषि के लिए नहर का पानी नहीं पहुंचा है, सकल आय में कृषि का योगदान मात्र 2.73 प्रतिशत रहा है।

इसी प्रकार पाली जिले के दोनों सर्वेक्षित गांव फालना एवं खीमेल में सकल आय में कृषि का योगदान लगभग 13 प्रतिशत है और पशुधन का योगदान 52.93 प्रतिशत है।

सकल आय में पशुधन से हुई आय का अंशदान बीकानेर जिले के मोतीगढ़ में सबसे अधिक देखा जा सकता है जहां 97.17 प्रतिशत प्राप्ति पशु सम्पत्ति से

हुई है। इस दृष्टि से दूसरा स्थान गंगाला का है—सकल आय में 80.93 प्रतिशत। मोतीगढ़ में सर्वेक्षित परिवारों को कृषि एवं पशुधन के अलावा अन्य किसी स्रोत से आय नहीं हुई है। गंगाला में भी अन्य स्रोतों से हुई आय का अंश केवल 5.05 प्रतिशत रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि इन गांवों की अर्थ-व्यवस्था में कृषि एवं पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य स्रोतों से हुई आय की दृष्टि से खडीण और देवा ही ऐसे गांव हैं जहां 50 प्रतिशत से अधिक आय कृषि एवं पशु पालन के इतर धन्धों से हुई है। किसी भी गांव के किसी भी परिवार की सकल आय में कृषि आय का योग 40 प्रतिशत या उससे अधिक नहीं पाया गया।

इस क्षेत्र के लोग सामान्यतः कृषि और पशुपालन दोनों ही धन्धों को अपने आर्थिक जीवन का आधार मानते हैं लेकिन वर्षा न होने पर कृषि का महत्व किस सीमा तक कम हो जाता है, इसका दर्शन तालिका से हो सकता है। हमारे सर्वेक्षण का साल वह रहा है, जब वर्षा कम हुई और यह स्थिति बराबर दो साल से चल रही है। अकाल की इस विभिषिका में पशुधन ही उनके जीवन रक्षण का मुख्य आधार बन जाता है क्योंकि भेड़-बकरी आदि पशुओं को और भेड़ों से प्राप्त ऊन को बेचकर वे अपना गुजारा कर लेते हैं।

जातीय संदर्भ एवं सकल आय

जातीय संदर्भ में सकल आय की विश्लेषणात्मक स्थिति नीचे दी जा रही है।

तालिका सं. 5.3

जातीय संदर्भ एवं विभिन्न स्रोतों से हुई आय

(क) अनुसूचित जातियां एवं जन जातियां (रुपये)

गांव	परि. सं.	कृषि आय	पशु आय	मजदूरी	नौकरी	उद्योग व्यापार	कुल आय
1	2	3	4	5	6	7	8
देवा	7	–	3840	3800	12000	15400	35040
नांधण	3	6000	13500	330	6600	27100	53530
छत्रगढ़	12	30216	25900	20800	11100	6000	94016
मोतीगढ़	2	1750	46250	—	—	—	48000
फालना	14	6950	22800	37500	—	—	67250
लोमेल	3	—	17500	1000	14400	—	32900
योग	41	44916	129790	63430	44100	48500	330736
	—	(13.58)	(39.24)	(19 18)	(13.33)	(14.67)	(100)

(ख) अल्प संख्यक वर्ग

1	2	3	4	5	6	7	8
देवा	1	–	3500	—	—	—	3500
चांवण	8	–	106102	770	770	30000	137642
गंगाला	26	37476	216260	13480	—	—	267216
छत्रगढ़	21	160310	267300	7600	3600	10000	448810
मोतीगढ़	5	700	119225	—	—	—	119925
योग	61	198486	712387	21850	4370	40000	977093
		(20.31)	(72.91)	(2.24)	(0 45)	(4.09)	(100)

(ग) सवर्ण जातियां

1	2	3	4	5	6	7	8
देवा	7	6050	12330	6000	32400	15600	72380
चांघरा	12	200	44802	6720	17400	110	71232
खड़ीरा	27	5920	25375	69500	57600	6000	164395
छत्रगढ़	24	154880	107095	28200	27800	38400	356375
मोतीगढ़	10	6300	146490	—	—	—	152790
फालना	28	40050	181360	18000	32400	17000	288810
खीमेल	6	23100	58740	—	3000	29000	140840
योग	114	236560	579192	128420	197600	106110	1246822
		(18.97)	(46.37)	(10 30)	(15.85)	(8.51)	(100)
महायोग	216	479902	1420369	213700	246070	194610	2554651
		(18.79)	(55.60)	(8.36)	(9.63)	(7.62)	(100)

इस तालिका से प्रकट है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सर्वेक्षित परिवारों को 330,736 रुपये की सकल आय हुई जिसमें पशुधन से प्राप्त राशि 129,790 रुपया रही है। कुल सकल आय का 39.24 प्रतिशत। अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को सर्वाधिक आय नहरी क्षेत्र के गांव छत्रगढ़ में हुई है। इन जातियों में नौकरी से हुई आय अन्य स्रोतों से हुई आय से कम है जो इस तथ्य को उजागर करता है कि इस वर्ग के लोगों के लिए नौकरी का क्षेत्र सीमित है। पर इस मामले में उनकी स्थिति अल्प संख्यक समुदाय के लोगों की तुलना में बेहतर दिखाई देती है क्योंकि अल्प संख्यक समुदाय के 61 परिवारों की नौकरी से हुई आय मात्र 4370 रुपये (सकल आय का 0.45 प्र. श.) ही है जबकि पशुधन से हुई आय 712387 रुपये हैं–कुल सकल आय का 72.91 प्र. श.। इस वर्ग के परिवारों को भी खेती से अधिक आय छत्रगढ़ में हुई हैं। जहां तक सवर्ण परिवारों का सवाल है, 114 सर्वेक्षित सवर्ण परिवारों को नौकरी से 197,600 रुपये मिले हैं अर्थात् प्रति परिवार 1733 रुपये की आय हुई है लेकिन इन परिवारों की सकल आय में भी पशुधन से हुई आय का अनुपात ही अधिक है–सकल आय का 46.37 प्रतिशत।

उक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि सभी गांवों में विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय की स्थिति एकसी नहीं है। उदाहरण के लिए मोतीगढ़ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति से सम्बन्धित किसी भी परिवार को मजदूरी, नौकरी अथवा उद्योग व्यापार से कोई आय नहीं हुई है जबकि देवा और चांधण में बुनाई रोजगार के कारण वहां के सर्वेक्षित परिवारों को अच्छी आय हुई है, देवा में कुल सकल आय का 43.95 प्रतिशत और चांधण में 50.93 प्रतिशत।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों की सकल आय में मजदूरी से होने वाली आय का अंश 19.18 प्रतिशत है, अल्प संख्यक समुदाय के परिवारों में मात्र 2.24; प्रतिशत जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस वर्ग के लोग मजदूरी को बहुत महत्व नहीं देते अथवा इन्हें मजदूरी की अपेक्षाकृत कम जरूरत है। यह भी कहा जा सकता है कि या तो इन्हें मजदूरी के लिए समय ही नहीं मिलता अथवा ये लोग पशुपालन में बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं।

कृषि से होने वाली सकल आय के मामले में अल्प संख्यक समुदाय से सम्बन्धित परिवार अनुसूचित जाति एवं जनजातीय परिवारों से अधिक अच्छी स्थिति में हैं। इससे यह नतीजा निकलता है कि खेती के लिए जितनी कुशलता एवं साधनों की आवश्यकता होती है, उनका इस वर्ग के परिवारों के पास अभाव है।

सारणी सं. 5 : 4

जाति श्रेणी एवं आय (प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति औसत आय)

गांव	जाति श्रेणी एवं प्रति परिवार औसत व्यय (रुपये में)			जाति श्रेणी एवं प्रति व्यक्ति औसत आय		
	अनु. सू. जातियां एवं जन–जातियां	अल्प संख्यक	सवर्ण हिन्दू	अनु. सू. जातियां एवं अनु. जन. जातियां	अल्प संख्यक समुदाय	सवर्ण हिन्दू
1	2	3	4	5	6	7
जैसलमेर 1. देवा	5006	3500	10340	730	500	1392
2. चांधण	17843	17205	5936	2974	2256	660
योग	6857	15683	7559	1039	2076	898
बाड़मेर 1. सड़ीण	—	6089	—	—	—	724
2. गंगाला	10278	—	—	—	1255	—
योग	10278	6089	—	—	1255	724

(पृष्ठ 106 पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

1	2	3	4	5	6	7
वीकानेर 1. छत्रगढ़	7835	21347	14849	1133	2753	2227
2. मोतीगढ़	24000	23985	15279	1021	2068	1679
योग	10144	21874	14975	1092	2573	2029
पाली 1. फालना	4804	—	16045	773	—	1622
2. खीमेल	10967	—	23473	802	—	2309
योग	5991	—	12784	782	—	1798
महायोग	8067	16018	10937	1021	1946	1422

जातीय संदर्भ में प्रति परिवार प्रति व्यक्ति सकल औसत आय

सर्वेक्षित गांवों और परिवारों में प्रति परिवार प्रति व्यक्ति सकल आय की जानकारी तालिका सं. 5.4 से हो सकती है।

इस तालिका के विश्लेपण से कई रुचिकर तथ्य सामने आते हैं तथा अनु-सूचित जाति एवं जन जातियों में प्रति परिवार औसत सकल आय (24000 वार्षिक) सर्वाधिक मोतीगढ़ में है लेकिन प्रति व्यक्ति सर्वाधिक वार्षिक आय 2974 रुपये चांवण में हैं। इसका कारण यह है कि मोतीगढ़ में प्रति परिवार सदस्य संख्या चांवण की तुलना में अधिक है। इसी प्रकार अल्प संख्यक समुदाय के सन्दर्भ में जहां प्रति परिवार सर्वाधिक सकल आय 23985 रुपये वार्षिक मोतीगढ़ में है, वहीं सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय छत्रगढ़ में 2753 रुपया है। सवर्ण हिन्दुओं में प्रति परिवार औसत आय खीमेल में 23473 रुपये सर्वाधिक है जो अन्य सभी गांवों की तुलना में काफी दिखाई देती है। प्रति व्यक्ति औसत आय भी खीमेल में ही ज्यादा 2309 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक है।

यदि गांववार प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति सकल आय का विश्लेपण करें तो भिन्न स्थिति पाते हैं, यथा चांवण में सवर्ण हिन्दू परिवारों में औसत प्रति परिवार वार्षिक सकल आय केवल 5936 रुपये रही है और खडीण में 6089 रुपये। इन गांवों में प्रति व्यक्ति औसत आय भी क्रमशः मात्र 660 रुपये और 724 रुपये हैं। इसी प्रकार देवा गांव में अल्प संख्यक समुदाय में प्रति परिवार औसत वार्षिक आय 3500 रुपये हैं और मोतीगढ़ में उसकी तुलना में लगभग सात गुनी ज्यादा इसका एक कारण यह दिखाई दिया कि इस साल देवा के सर्वेक्षित अल्प संख्यक परिवार ने पशु बेचे और अकाल के कारण उसे खेत से कोई पैदावार नहीं मिली।

तालिका में दिये गये औसत आय के महायोग का विश्लेपण करें तो हमें ज्ञात होता है कि प्रति परिवार औसत सकल आय 16018 रुपये अल्प संख्यक समुदाय की है, दूसरे स्थान पर सवर्ण हिन्दू आते हैं (10937 रुपये वार्षिक आय) और सबसे निचले स्तर पर अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां हैं-मात्र 8067 रुपये वार्षिक अर्थात् अल्प संख्यक समुदाय की लगभग आधी। प्रति व्यक्ति वार्षिक सकल आय को देखे तो पाते हैं कि मोटे तौर पर स्थिति ऊपर जैसी ही है, लेकिन उसमें गुणात्मक फर्क है—जहां अल्प संख्यक समुदाय की प्रति

व्यक्ति औसत आय 1946 रुपये है, वहीं सवर्ण हिन्दू की 1422 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति से सम्बन्वित व्यक्ति की मात्र 1021 रुपये।

प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि बीकानेर जिले के अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों की आय अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा है। पाली जिले की 5991 रू. के मुकाबले बीकानेर जिले में यह आय 10144 रू. रही है। इसी प्रकार अल्प संख्यक समुदाय की प्रति परिवार औसत आय भी बीकानेर जिले में ही अधिक है 21874 रू. वार्षिक जबकि जैसलमेर जिले में यह 15683 रू. और बाड़मेर जिले में उससे काफी कम 10278 रू. मात्र ही है। इस दृष्टि से सवर्ण जातियां बीकानेर में अन्य जिलों की तुलना में बेहतर दिखाई देती ही हैं (14975 रू. वार्षिक) लेकिन पाली जिले मे भी वे जैसलमेर और बाड़मेर की तुलना में बेहतर है (वार्षिक 12784 रुपये)।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग में प्रति व्यक्ति आय 1092 रुपये वार्षिक बीकानेर में है तो पाली जिले में मात्र 782 रुपये। अल्प संख्यक समुदाय इस सन्दर्भ में बीकानेर जिले के छत्रगढ़ गांव में सबसे बेहतर स्थिति में दिखाई देता है–प्रति व्यक्ति 2753 रुपये। इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर चांघण गांव (प्रति व्यक्ति 2256 रुपये) दिखाई देता है। सवर्ण हिन्दुओं की बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में दयनीय स्थिति दिखाई देती है–जैसलमेर जिले में प्रति सवर्ण मात्र 998 रुपये और बाड़मेर में 724 रुपये। दोनों ही जिलों में सवर्ण अल्प संख्यक समुदाय के लोगों की तुलना में काफी विपन्नवस्था में दिखाई देते हैं। इस विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि रोजगार अथवा आय में आज के जमाने में जातीय संदर्भ एक तरह बेमाने हो गया है। जिस भी वर्ग को अधिक आय वाले रोजगार के साधन सुलभ हैं, इसी वर्ग का रहन सहन अधिक ऊंचा होता है। सामन्ती परम्परायें अब आय के मामले में अपना पुराना महत्व अथवा सार्थकता खो चुकी हैं।

सकल आय की दृष्टि से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग, अल्प संख्यक समुदाय एवं सवर्ण हिन्दू वर्ग की गांववार स्थिति की जानकारी तालिका 5.5 में दी जा रही है।

तालिका सं. 5.5

जातीय सन्दर्भ एवं आय (गांव–देवा)

परिवार सं.	कृषि से आय	पशुधन से आय	मजदूरी से आय	नौकरी से आय	उद्योग व्यवसाय	कुल आय
1	2	3	4	5	6	7
अनुसूचित जाति एवं जनजाति 7	—	3840	3800	12000	15400	35040
अल्प संख्यक समुदाय–1	—	3500	—	—	—	3500
सवर्ण हिन्दू–7	6050	12330	6000	32400	15600	72380
योग	6050 (5.45)	19670 (17.73)	9800 (8.84)	44400 (40.03)	31000 (27.95)	110920 (100)

गांव चांधण

1	2	3	4	5	6	7
अनुसूचित जाति व जनजातियां–3	6000	13500	330	6600	27100	53530
अल्प संख्यक समुदाय–8	—	106102	770	770	30000	137642
सवर्ण हिन्दू–12	200	46802	6720	17400	110	71232
योग 23	6200 (2.36)	166404 (63.42)	7820 (2.98)	24770 (9.44)	57210 (21.80)	262404 (100)

गांव खड़ौरा

1	2	3	4	5	6	7
सवर्ण हिन्दू–27	5920	25375	69500	57600	6000	164395
	(3.60)	(15.44)	(42.28)	(35.04)	(3.65)	(100)
गांव गंगाला						
अल्प संख्यक–26	37476	216260	13480	—	—	267216
	(14.02)	(80.93)	(5.05)	—	—	(100)
गांव छत्रगढ़						
अनुसूचित जाति एवं जनजातियां–12	30216	25900	20800	11100	6000	94016
	(32.14)	(27.55)	(22.13)	(11.81)	(6.38)	(100)
अल्प संख्यक	160310	267300	7600	3600	10000	448810
	(35.72)	(59.56)	(1.69)	(0.80)	(2.22)	(100)
सवर्ण हिन्दू 24–	154880	107095	28200	27800	30400	356375
	(43 46)	(30.05)	(7.91)	(7.80)	(10.78)	(100)
योग–57	345406	400295	56600	42500	54400	899201
	(38.61)	(44.52)	(6.29)	(4.73)	(06.05)	(100)

गांव–मोतीगढ़

1	2	3	4	5	6	7
अनुसूचित जाति व जनजातियां–2	1,50 (3.65)	46250 (96.35)	—	—	—	48000 (100)
अल्प संख्यक समुदाय–5	700 (0.59)	119225 (99.41)	—	—	—	119925 (100)
सवर्ण हिन्दू–10	6300 (4.12)	146490 (95.88)	— —	— —	— —	152790 (100)
योग–17	8750 (2.73)	311965 (97.27)	— —	— —	— —	320715 (100)

गांव फालना

1	2	3	4	5	6	7
अनुसूचित जाति एवं जनजातियां–14	6950 (10.33)	22800 (33.90)	37500 (55.76)	—	—	— (100)
अल्प संक्यक समुदाय	40050 (13.87)	181360 (62.80)	18000 (6.23)	32400 (11.22)	17000 (5.87)	288810 (100)
योग	47000 (13.20)	204160 (57.35)	55500 (15.59)	32400 (9.10)	17000 (4.77)	356060 (100)

गांव खोमल

1	2	3	4	5	6	7
अनुसूचित जाति एवं जनजातियां–3	—	17500 (53.19)	1000 (3.04)	14400 (43.77)	—	32900 (100)
अल्प संख्यक समुदाय	—	—	—	—	—	—
सवर्ण हिन्दू–6	23100 (16.40)	58740 (41.71)	— —	30000 (21.30)	29000 (20.59)	140840
योग	23100 (13.29)	76240 (43.88)	1000 (0.58)	44400 (25.56)	29000 (11.69)	173740 (100)

उक्त तालिका दर्शाती है कि देवा गांव में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसी भी परिवार को कृषि से कोई आय नहीं हुई है। इसी प्रकार अल्प संख्यक समुदाय से सम्बन्धित परिवार को मजदूरी नौकरी तथा उद्योग व्यवसाय में से किसी भी रोजगार स्रोत से कोई आय नहीं हुई है। उसके जीवनरक्षण का एक मात्र आधार पशुधन रहा है। विभिन्न स्रोतों से हुई आय का सकल आय में जो योगदान रहा है, वह दर्शाता है कि इस गांव में सबसे अधिक योगदान 40.03 प्रतिशत नौकरी का रहा है और दूसरा स्थान (27.95 प्रतिशत) व्यवसाय का है। सर्वेक्षित परिवारों की सकल आय में कृषि का मात्र 5.45 प्रतिशत अंश है और पशुधन का 17.73 प्रतिशत। मजदूरी ने सकल आय में 8.84 प्रतिशत योगदान दिया है।

इस सन्दर्भ में चांधण देवा से भिन्न स्थिति दर्शाता है। वहां सर्वेक्षित परिवारों की सकल आय में पशुधन से होने वाली आय का अंश 63,42 प्रतिशत है लेकिन मजदूरी का अंश मात्र 2.98 प्रतिशत और कृषि का 2.36 प्रतिशत ही रहा है। नौकरी का अंश भी मात्र 9.44 प्रतिशत रहा है। हां उद्योग व्यवसाय ने 21.80 प्रतिशत योगदान दिया है।

खड़ीण में, जहां अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग एवं अल्प संख्यक समुदाय का एक भी परिवार सर्वेक्षण में नहीं आया है, वहां सकल आय में मजदूरी का अंश 42.28 प्रतिशत है और नौकरी का 35.04 प्रतिशत। इन दोनों रोजगार साधनों से 77.32 प्रतिशत आय हुई है जबकि पशुपालन से 15.44 प्रतिशत। खेती एवं उद्योग व्यवसाय दोनों का कुल अंशदान सकल आय में मात्र 7.25 प्रतिशत रहा है। लेकिन गंगाला में, जहां सभी सर्वेक्षित परिवार अल्प संख्यक समुदाय के हैं, कुल आय मे पशु पालन का अंश 80.93 प्रतिशत रहा है और मजदूरी का मात्र 5.05 प्रतिशत। छत्रगढ़ गांव में अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों की सकल आय में पशुधन से प्राप्त आय का अंश 27.55 प्रतिशत है जबकि अल्प संख्यक समुदाय के परिवारों में 59.56 प्रतिशत यह दर्शाता है कि इस सारे इलाके में ही अल्प संख्यक समुदाय अपने भरण पोषण के लिए पशुधन पर अधिक आश्रित है। इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि वे अच्छे पशुपालक हैं। जहां तक सकल आय में कृषि के अंश का सवाल है, सवर्ण हिन्दुओं की सकल आय में कृषि आय का अंश 43.46 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में 32.14 प्रतिशत। लेकिन मजदूरी से होने वाली आय यह रूचिकर तथ्य प्रकट करती है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की सकल आय में मजदूरी का अंश 22.13 प्रतिशत है और नौकरी का 11.81 प्रतिशत। इसका मुख्य कारण वहां सरकारी कार्यालय होने के कारण इस वर्ग के लोगों के

लिए अधिक मात्रा में मजदूरी एवं नौकरी उपलब्ध होना है। उन्हें श्रम के अस्थाई काम भी मिल जाते हैं और चपरासी आदि की छोटी नौकरियां भी। तुलनात्मक दृष्टि से सवर्णों की सकल आय में उद्योग व्यवसाय का अंश उल्लेखनीय है। सवर्णों की सकल आय में यह अंश 10.78 प्रतिशत है जबकि अल्प संख्यकों की आय में मात्र 2.22 प्रतिशत।

मोतीगढ़ में रोजगार के मात्र दो साधन रहे हैं—कृषि एवं पशुधन। किसी भी सर्वेक्षित परिवार के मुखिया ने यह नहीं बताया कि उन्हें मजदूरी, नौकरी एवं उद्योग व्यवसाय से कोई आय हुई। यद्यपि ऊन कताई सम्बन्धी जानकारी एकत्रित करते समय हमारे देखने में यह तथ्य आया कि इस गांव में जो ऊन काता गया है, उससे सर्वेक्षित परिवारों की महिलाओं ने भी कुछ लाभ उठाया है।

फालना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सकल आय में भी सबसे अधिक अंश 55.76 प्रतिशत मजदूरी से प्राप्त आय का है लेकिन सवर्ण जाति की सकल आय में यह अंश मात्र 6.23 प्रतिशत है लेकिन पशुधन से होने वाली आय में स्थिति भिन्न हो जाती है जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों की सकल आय में पशुधन से होने वाली आय का अंश केवल 33.90 प्रतिशत है, वहीं सवर्ण समुदाय की आय में 62.80 प्रतिशत। इसके अलावा यहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आय में नौकरी एवं उद्योग व्यवसाय से कोई आय नहीं होती जबकि सवर्ण परिवारों की सकल आय में यह अंश क्रमशः 11 22 प्रतिशत तथा 5.87 प्रतिशत है।

खीमेल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति ने कृषि आय नहीं बताई है लेकिन उन्होंने सकल आय में पशुधन से होने वाली आय का अंश 53.19 प्रतिशत बताया है जबकि सवर्ण समुदाय ने 41.71 प्रतिशत। इसका कारण यह है कि खीमेल में इस वर्ग के परिवारों के पास भेड़ों के बड़े रेवड़ हैं जो उनकी आजीविका के प्रमुख आधार हैं। इन परिवारों की सकल आय में नौकरी की आय का अंश भी 43.77 प्रतिशत है। इसका मुख्य कारण उन्हें पड़ौस के रानी एवं फालना कस्बे में स्थित उद्योगों में स्थाई नौकरी मिल जाता है। इस गांव के सवर्णों की आय में उद्योग व्यवसाय से होने वाली आय का अंश 20.59 प्रतिशत है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पड़ौस में कस्बे में होने के कारण इस गांव के सवर्ण परिवारों को उद्योग व्यवसाय में प्रवृत्त होने के अधिक अवसर उपलब्ध हैं और इस क्षेत्र को भी अपने भरण पोषण का एक उल्लेखनीय आधार मानकर चलते हैं।

पशु शृंखला एवं आय

प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय–इस अध्ययन में पशु शृंखला निर्धारण के दो आधार माने गये हैं (1) भेड़ बकरी छोड़कर दुधारू एवं अन्य पशु (2) भेड़ बकरी सम्मिलित करके सम्पूर्ण पशुधन । दो अलग–अलग आधार रखने के पीछे हमारा यह दृष्टिकोण रहा है कि यह क्षेत्र अपने गोधन और दूध एवं घी उत्पादन की दृष्टि से देशभर में विख्यात है । साथ ही भारवाही एवं यात्री ढ़ोने वाले पशु ऊंटों के लिए भी यह जाना माना क्षेत्र है । इसलिए एक ओर तो इसमें भेड़–बकरियां शामिल न करके उक्त पशुधन के सन्दर्भ में पशु शृंलखा निर्धारित करके आय का आंकलन किया है और दूसरी ओर सम्पूर्ण पशुधन को आधार बनाकर पशु शृंखला निर्धारित की है ताकि स्थिति अधिक स्पष्ट हो सके । दो प्रकार से पशु शृंखला निर्धारित करने पर भी सकल आय में अन्तर नहीं है । लेकिन पशु शृंखला दो प्रकार से निर्धारण करने पर प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय का अन्तर स्पष्ट हो सकेगा । तालिका सं. 5.6 प्रथम आधार वाली पशु शृंखला में आने वाले परिवारों में प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति सकल आय की स्थिति दर्शाती है ।

इस तालिका से ज्ञात होता है कि पशुधन से होने वाली आय केवल मात्र पशुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करती । पशुओं की संख्या ज्यादा हो लेकिन पशु अनुत्पादक हो तो आय पर असर पड़ता है । इसी प्रकार चारे ढोने की उपलब्धि, वर्षा की मात्रा, एवं दूध तथा अन्य पशु उत्पादों के विपणन की व्यवस्था भी पशुओं से होने वाली आय को प्रभावित करती है । इसके अलावा पशु विक्रय से होने वाली आय का भी सकल आय में महत्वपूर्ण अंश रहता है । अकाल के दिनों में भेड़–बकरियां बिक जाय तो प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय बढ़ी हुई लग सकती है । उक्त सीमाओं को ध्यान में रखकर इस तालिका के निष्कर्षों को समझा जाना समीचीन होगा ।

तालिका सं 5.6

पशु श्रृंखला (भेड़–बकरी छोड़कर) के अनुसार प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति सकल आय

(रुपये में)

	पशु श्रृंखला एवं प्रति परिवार आय				पशु श्रृंखला एवं प्रति व्यक्ति आय			
गांव का नाम	1–10	11–20	21–50	51–100	1–10	11–20	21–50	51–100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जैसलमेर 1–देवा	4478	122250	3525	3500	726	1531	470	500
2–चांधण	8615	6351	17808	17733	1335	518	2120	2118
योग	7155	9890	13727	14175	1116	1020	1686	1772
बाड़मेर 1–खड़ीण	5844	11900	—	—	718	814	—	—
2–गंगाला	8214	12685	—	—	983	1586	—	—
योग	6700	12586	—	—	812	1487	—	—

(शेष पृष्ठ 118 पर)

[शेष पृष्ठ 117 का]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बीकानेर	1–छत्रगढ़ 10154	24868	38762	—	1630	3194	2871	—
	2–मोतीगढ़ 17141	15527	37450	—	1987	1279	1783	—
योग	11343	21754	38325	—	1709	2360	2390	—
पाली	1– फालना 7166	16425	25200	—	1194	2190	1938	—
"	2– खीमेल 18483	—	20947	—	1818	—	1533	—
योग	8746	16425	22010	—	1329	2190	1630	—
महायोग	8835	16355	2435	24175	1257	1821	2003	1772

उक्त तालिका दर्शाती है कि देवा गांव में 11–20 पशु श्रृंखला में आने वाले परिवारों में प्रति परिवार औसत आय 12250 रुपये एवं प्रति व्यक्ति औसत आय 1531 रुपये रही है लेकिन 51–100 पशु श्रृंखला वाले एक परिवार की औसत आय मात्र 3500 आई है और प्रति व्यक्ति औसत आय 500 रुपये। चांवण गांव में प्रति परिवार आय का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि 21–50 पशु श्रृंखला में आने वाले परिवारों की औसत आय प्रति परिवार 17808 रुपये हैं लेकिन 51–100 पशु श्रृंखला में आने वाले परिवारों में प्रति परिवार आय 17733 रुपये हैं जो पूर्व उल्लिखित श्रृंखला से कम है। दोनों गांवों को सम्मिलित करके देखने पर स्थिति बदल जाती है। यथा 1–10 पशु श्रृंखला में पड़ने वाले परिवारों की प्रति परिवार आय 7155 रुपये हैं। 11–20 पशु श्रृंखला में 9890 रुपये, 21–50 पशु श्रृंखला में 13727 रुपये और 51–100 में 14175 रुपये। पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी के साथ प्रति परिवार औसत आय बढ़ती गई है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय का विश्लेषण करें तो फिर स्थिति बदल जाती है क्योंकि जहां 1–10 पशु श्रृंखला में आने वाले परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय 1126 है, वहीं 11–20 पशु श्रृंखला में आने वाले परिवारों की आय घटकर 1020 रुपये रह गई है, 21–50 एवं 51–100 पशु श्रृंखला में आने वाले परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय में सुधार हुआ है।

बाड़मेर जिले के खडीण एवं गंगाला गांव में एक भी ऐसा परिवार सर्वेक्षण में नहीं आया जो 21–50 अथवा 51–100 पशु श्रृंखला में पड़ता हो। सभी परिवार 1–10 एवं 11–20 श्रृंखला में पाये गये। यहां प्रति परिवार औसत पशुओं की संख्या के साथ घटती बढ़ती है। 1–10 पशु श्रृंखला में औसत आय प्रति परिवार 6700 रुपये है तो 11–20 पशु श्रृंखला में 12586 रुपये हैं। यहां प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 812 एवं 1487 रुपये हैं।

बीकानेर के मोतीगढ़ में 11–20 पशु श्रृंखला में आने वाले परिवारों की प्रति परिवार आय में भी भिन्नता देखी न जा सकती है क्योंकि जहां 1–10 पशु श्रृखला में आने वाले परिवारों में प्रति परिवार आय 17141 रुपये रही है, वहीं 11–20 पशु श्रृंखला में आने वाले परिवारों की प्रति परिवार आय 15527 रुपये। लेकिन 21–50 पशु श्रृंखला में वह बढ़कर 37450 रुपये हो गई है। इन गांवों की प्रति व्यक्ति आय को देखें तो बिल्कुल भिन्न स्थिति दिखाई देती है। मोतीगढ़ में पशु श्रृंखला 1–10 में आने वाले परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 1987 रुपये हैं तो 11–20 पशु श्रृंखला में मात्र 1279 रुपये लेकिन

छत्रगढ़ में इस श्रृंखला में आने वालों परिवारों में प्रति व्यक्ति आय 3194 रुपये हैं–अर्थात मोतीगढ़ की तुलना में लगभग अढ़ाई गुना ज्यादा 21–50 पशु श्रृंखला में पड़ने वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति आय में 11–20 पशु श्रृंखला में आये परिवारों की तुलना में कमी आई है लेकिन छत्रगढ़ में स्थिति भिन्न है जहां 11–20 पशु श्रृंखला में पड़ने वाले परिवारों की 3194 रुपये प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 21–50 श्रृंखला में पड़ने वाले परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 2871 रुपये रही है। लेकिन दोनों गायों को मिलाकर देखें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि पशुओं की संख्या में वृद्धि के साथ प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होती रहती है। पाली जिले में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में स्थिति फिर बदल जाती है क्योंकि वहां फालना में 11–20 पशु श्रृंखला में पड़ने वाले परिवारों की आय 2190 रुपये हैं जबकि 21–50 श्रृंखला में पड़ने वालों की उसकी तुलना में कम–1938 रुपये (लगभग दस प्रतिशत कम) इसी प्रकार खीमेल में 1–10 पशु श्रृंखला में पड़ने वाले परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 1818 रुपये है लेकिन 21–50 पशु श्रृंखला में पड़ने वाले परिवारों में 1533 रुपये। दोनों गांवों को मिलाकर देखें तो भी स्थिति में विशेष अन्तर नहीं दिखता यद्यपि प्रति परिवार आय का विश्लेषण इसी नतीजे पर पहुंचाता है कि पशुओं की संख्या में वृद्धि के साथ प्रति परिवार आय में बढ़ोतरी हुई है।

सम्पूर्ण गांवों को सम्मिलित करके देखें तो देखेंगे कि 1–10, 11–20, एवं 21–50 पशु श्रृंखला में पड़ने वाले परिवारों की, प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय पशुओं की बढ़ती सख्या के साथ बढ़ती जाती है लेकिन 51–100 पशु श्रृंखला में पड़ने वाले परिवारों की स्थिति भिन्न दिखाई देती है–उस श्रृंखला में प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय अपनी पूर्ववर्ती श्रृंखला में आने वाले परिवारों की तुलना में कम है।

भेड़–बकरियों को सम्मिलित करके पशु श्रृंखला निर्धारित करने पर बदली हुई तस्वीर सामने आती है। उस सन्दर्भ में प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय की स्थिति की जानकारी तालिका संख्या 5.7 से होती है।

तालिका सं. 5.7

पशु श्रृंखला एवं प्रति परिवार सकल आय (भेड़–बकरी सम्मिलित)

पशु श्रृंखला (रुपये में)

जिला	गांव	1–20	11–20	21–50	51–100	101–200	200 से अधिक
	1	2	3	4	5	6	7
जैसलमेर	देवा	3613	17867	4096	4600	8950	3500
	चांधण	11350	3307	15999	22230	7793	13170
योग		8771	10587	10047	16353	8082	8335
बाड़मेर	खड़ीण	4779	5450	12110	—	—	—
	गंगाला	6783	7270	10015	12223	—	25720
योग		5380	5632	10539	12223	—	25720
बीकानेर	छत्रगढ़	9036	15340	23171	13321	26850	33325
	मोतीगढ़	9575	—	—	5900	20145	24127
योग		9081	15340	23171	11837	23193	26171

[शेष पृष्ठ 122 पर]

[शेष पृष्ठ 121 का]

1	2	3	4	5	6	7
-पाली फालना	7136	12814	14100	8950	8000	—
खीमेल	21875	12900	17800	27240	—	10500
योग	8820	12825	15950	18095	8000	10500
महायोग	8104	10924	14336	13189	16389	22187

स्पष्ट है कि जैसलमेर जिले के देवा गांव में जहां 11–20 पशु श्रृंखला में पड़ने वाले परिवारों की प्रति परिवार वार्षिक औसत आय 17867 है, वहीं 200 से अधिक पशु श्रृंखला वाले परिवार की औसत आय मात्र 3500 रुपये हैं अर्थात 1–10 पशु श्रृंखला में पड़ने वाले परिवार से भी कम । इसका कारण इस श्रृंखला में पड़ने वाले सर्वेक्षित परिवार का अकाल से अधिक प्रभावित होना तथा ऊन एवं अधिक मात्रा में पशु न बेचना है। बाड़मेर जिले के दोनों गांवों को लें तो फिर पूर्ववर्ती स्थिति आ जाती है–पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी के साथ–साथ प्रति परिवार आय में बढ़ोतरी होती रही है। लेकिन बीकानेर जिले के छत्रगढ़ में फिर बदली हुई स्थिति पाते हैं—वहां 21–50 पशु श्रृंखला में पड़ने वाले परिवारों में प्रति परिवार आय जहां 23171 रुपये रही है, वहीं 51–100 पशु श्रृंखला में घटकर 13321 रुपये रह गई है । इसी प्रकार मोतीगढ़ में जहां 1–10 पशु श्रृंखला में पड़ने वाले परिवारों की प्रति परिवार आय 9575 रही है, वहीं 51–100 श्रृंखला में घटकर 5900 रुपये रह गई हैं। दोनों गांवों को मिलाकर देखें तो भी स्थिति वहीं रहती हैं।

पाली जिले के फालना में भी 51–100 एवं 101–200 पशु श्रृंखला में आने वाले परिवारों की प्रति परिवार आय 21–50 पशु श्रृंखला में पड़ने वाले परिवारों की आय की तुलना में काफी कम हैं। खीमेल में तो और भी विचित्र स्थिति पाते हैं। वहां 1–10 पशु श्रृंखला में जहां प्रति परिवार औसत आय 21875 रुपये रही है, वहीं 11–20 पशु श्रृंखला में 12900 रुपये और 21–50 पशु श्रृंखला में 17800 रुपये। 200 से अधिक पशु रखने वाले एक मात्र सर्वेक्षित परिवार की औसत आय मात्र 10500 रुपये रही है जो सबसे कम है।

सभी आठों गांवों के सर्वेक्षित परिवारों को मिलाकर देखें तो 51–100 पशु श्रृंखला में पड़ने वाले परिवारों की प्रति परिवार आय भिन्न स्थिति दर्शाती है क्योंकि पशुओं की संख्या के साथ–साथ 14336 रुपये तक बढ़ता हुआ औसत 51–100 पशु श्रृंखला में घटकर 13189 रुपये तक आ पहुंचा है।

तालिका स. 5.8 भेड़–बकरी सम्मिलित करके बनाई गई पशु श्रृंखलाओं के अन्तर्गत आने वाले परिवारों की गांववार प्रति व्यक्ति सकल वार्षिक आय दर्शाती है।

तालिका सं. 5.8

पशु शृंखला एवं भेड़ बकरी सम्मिलित कर प्रति व्यक्ति आय

(रुपये में)

जिला	गांव	1–10	11–20	21–50	51–100	101–201	201 से
1		2	3	4	5	6	7
जैसलमेर—	1 देवा	633	2062	640	575	1053	500
	2 चांधण	1945	354	2286	2964	719	1463
योग		1518	1176	1500	2133	789	1042
बाड़मेर	1 खड़ीण	637	606	1182	—	—	—
	2 गंगाला	885	559	1214	1438	—	6430
योग		713	599	1205	1438	—	6430

(शेष पृष्ठ 125 पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

1	2	3	4	5	6	7
बीकानेर 1. छत्रगढ़	1506	2301	2524	2011	3051	4166
2. मोतीगढ़	1126	—	—	983	2158	1522
योग	1463	2301	2524	1821	2551	1855
पाली 1. फालना	1215	1725	1880	994	1143	—
2. लीमेल	1862	1843	1079	3405	—	1500
योग	1348	1739	1329	2129	1143	1500
महायोग	1228	1350	1651	1775	1734	1873

उक्त तालिका जैसलमेर जिले के सर्वेक्षित गांवों के वारे में एक रुचिकर तथ्य प्रस्तुत करती है। तथ्य यह है कि देवा गांव में 11–20 पशु शृंखला में प्रति व्यक्ति सकल वार्षिक आय 2062 रुपये आई है जवकि चांधण में यह मात्र 354 रुपये है। इसी प्रकार देवा में 101–200 वाली पशु शृंखला में आने वाले परिवारों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1053 रुपये हैं तो चांधण में 719 रुपये। दूसरा आश्चर्यजनक तथ्य यह देखने में आया कि 201 से ऊपर वाली पशु शृंखला में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय दोनों ही गांवों में अन्य पशु शृंखलाओं में पड़ने वाले परिवारों की तुलना में कहीं कम हैं–यथा देवा में 11–20 पशु शृंखला की 2062 रुपये के मुकावले केवल 500 रुपये और चांधण में 51–100 पशु शृंखला की 2964 रुपये की जगह 1463 रुपये। पशु संख्या में होती उत्तरोत्तर वढ़ोतरी ने प्रति व्यक्ति दैनिक वार्षिक आय को अप्रभावित रखा है।

वाड़मेर जिले के खड़ीण ग्राम में भी 11–20 पशु शृंखला में आने वाले परिवारों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 606 रुपया है जो 1–10 पशु शृंखला की तुलना में 31 रुपये कम है और 21–50 पशु शृंखला की तुलना में 576 रुपये कम है। गंगाला में भी 11–20 पशु शृंखला में आने वाले परिवारों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय मात्र 559 रुपये है जवकि 1–10 पशु शृंखला में आने वाले परिवारों की 885 रुपये। हां उससे ऊंची पशु शृंखला में आने वाले परिवारों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय उत्तरोत्तर वढ़ती गई है। 201 से ऊपर पशु शृंखला में आये एक मात्र परिवार की प्रति व्यक्ति आय 6430 रुपये है जो सर्वेक्षित क्षेत्र में सवसे ज्यादा दिखाई देती है।

वीकानेर जिले के छत्रगढ़ ग्राम में 51–100 पशु शृंखला में आये परि–वारों में प्रति व्यक्ति आय 11–20 एव 21–50 पशु शृंखला में आये परिवारों की प्रति व्यक्ति आय से कम है। इसी प्रकार मोतीगढ़ में 51–100 पशु शृंखला में आये परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय जहां मात्र 983 रुपये हैं वहीं 1–10 पशु शृंखला में 11–26 रुपये। इसी प्रकार इसी गांव में 201 से ऊपर वाली पशु शृंखला में आये परिवारों में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 1522 रुपये है जवकि इससे नीचे वाली पशु शृंखला (101–200) में आये परिवारों के सन्दर्भ में 2158 रुपये।

पाली जिले के फालना गांव में यही स्थिति है जहां 21–50 पशु शृंखला की 1880 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की तुलना में 51–100 पशु शृंखला में आये परिवारों की प्रति व्यक्ति आय मात्र 994 रुपये और 101–200 की मात्र 1143 रुपये हैं। खीमेल में स्थिति और भी असामान्य दिखाई दी। वहां 21–50 पशु शृंखला में आये परिवारों में प्रति व्यक्ति आय 1079 रुपये थी जबकि 1–10 पशु शृंखला मे आये परिवारों में यह 1862 रुपये और उससे

ऊंची 11–20 के परिवारों में 1843 रुपये। दूसरा दिलचस्प तथ्य यह है कि 201 से ऊपर वाली पशु शृंखला में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय मात्र 1500 रुपये हैं जबकि 51–100 पशु शृंखला में आये परिवारों की 3405 रू.।

सभी गांवों एव परिवारों को मिलाकर देखें तो यह स्थिति देखने में आई है कि 1–10, 11–20, 21–50 और 51–100 पशु शृंखलाओं में उत्तरोत्तर बढ़ती गई प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 101–200 वाली पशु शृंखला में कुछ घट गई है यद्यपि 201 से ऊपर वाली पशु शृंखला में इसमें फिर सुधार आ गया है।

उक्त तालिका भी हमारे पूर्ववर्ती निष्कर्ष को पुष्ट करती है कि आय में उत्तरोतर वृद्धि केवल मात्र उत्तरोतर बढ़ती जाने वाली पशुओं की संख्या पर ही निर्भर नहीं करती। वह निर्भर करती है वर्षा की मात्रा, पशुओं के रख-रखाव और उनके लिए पानी तथा चारे दाने की अपेक्षाकृत बेहतर ढ़ग की आपूर्ति पर संख्या एवं गुणात्मकता दोनों के समन्वय में ही पशुपालकों की समृद्धि का रहस्य छिपा हुआ है। उसके अलावा सकल आय को, नौकरी, उद्योग व्यवसाय एवं मजदूरी आदि से हुई आय भी प्रभावित करती है।

जोत शृंखला एवं प्रति परिवार–प्रति व्यक्ति सकल औसत आय

जोत शृंखला भी प्रति परिवार अथवा प्रति व्यक्ति औसत आय का सही मानदण्ड प्रस्तुत नहीं करती। उदाहरण के लिये जैसलमेर जिले के देवा गांव को ही ले लें। यहां जो परिवार 10–20 हैक्टर वाली जोत शृंखला में आये हैं, उनमें प्रति परिवार सकल वार्षिक आय 3350 रू. मात्र रही है जबकि 2–5 हैक्टर जोत वाले परिवारों में वह 11848 रू. आई है। इसका कारण इस शृंखला में आये परिवारों का खेती के अलावा अन्य आर्थिक कार्य कलापों में प्रवृत होना रहा है। जिन परिवारों को नौकरी उद्योग–व्यवसाय, अथवा पशु–पालन से आय होती है, वे परिवार उन परिवारों से अधिक बेहतर हालत में है, जो अनिश्चित वर्षा वाले इस मरू प्रदेश में मात्र कृषि पर जिन्दा रहने का सपना देखते हैं। वैसे तो सम्पूर्ण देश में ही कृषि मानसून का जुआ माना जाता है लेकिन मरू क्षेत्र में इसका स्वरूप और भी गहरा है।

चांधण में भी 2–5 हैक्टर जोत वाले परिवारों में प्रति व्यक्ति आय 15667 है जो 5–10 हैक्टर जोतधारी परिवारों की 6725 रू. और 20 हैक्टर से अधिक जोतवाले परिवारों की 6920 रू. आय से कहीं अधिक है।

बाड़मेर जिले के सर्वेक्षित गांवों–खड़ीण एवं गंगाला में विभिन्न जोत शृंखलाओं में आये परिवारों की वार्षिक आय उपरोक्त तस्वीर से भिन्न तस्वीर प्रस्तुत करती है। यहां 10-20 हैक्टर जोत वाले कुछ परिवारों की औसत वार्षिक आय 6197 रू. है तो 20 हैक्टर से अधिक जोत वालों की 11,111 रू. है।

बीकानेर जिले के सिचाई सुविधा भोगी छत्रगढ़ गांव में 2–5 हैक्टर जोत वाले परिवारों में प्रति परिवार सकल वार्षिक आय 9656 रू. देखी गई है जबकि भूमिहीन परिवारों में प्रति भूमिहीन परिवार यह आय 11725 रू. आई है। इससे भी सिद्ध होता है कि जमीन नहीं होने पर भी जिन परिवारों के पास रोजगार के अन्य साधन है यथा नौकरी अथवा उद्योग व्यवसाय, वे कृषि पर आश्रित रहने वाले छोटे भूमिधारियों की अपेक्षा अधिक पैसा कमाते हैं और वेहतर ढ़ंग से जीवन यापन करते हैं। मोतीगढ़ में तो और भी उल्लेखनीय स्थिति है–जहां 2 हैक्टर तक जोतधारी परिवारों में प्रति परिवार वार्षिक आय 44850 रू. रही है जबकि उससे वड़ी जोत वाले परिवारों की क्रमशः 14300, रू. 14746 रू. और 19844 रू.।

पाली जिले में भी कमोवेश यही स्थिति दिखाई देती है। जहां फालना में भूमिहीन परिवारों में प्रति भूमिहीन परिवार 6909 रू. की सकल वार्षिक आय आई है, वहीं खीमेल में 27240 रू. इसी प्रकार खीमेल में जहां 10–20 हैक्टर जोत श्रृंखला वाले परिवारों की औसत आय 11200 रू. पाई गई है, वहीं 2 हैक्टर तक वाले परिवारों में प्रति परिवार आय 36500 रुपये हैं।

तालिका इस निष्कर्ष पर पहुंचाती है कि यहां परिवारों को सकल आय की दृष्टि से वड़ी जोत श्रृखला वेमाने हैं और कृषि का सकल आय में वहुत मामूली स्थान है। जव तक कृषि के साथ पशुपालन एवं उद्योग व्यवसाय को नहीं जोड़ा जायेगा एवं हर परिवार के एकाध सदस्य के लिए किसी न किसी प्रकार की स्थाई नौकरी की व्यवस्था नहीं होगी उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार आना सम्भव नहीं है।

जोत श्रृंखला के सन्दर्भ में प्रति व्यक्ति सकल औसत वार्षिक आय का विश्लेषण करने पर भी उपरोक्त निष्कर्ष ही निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए देवा में 2–5 हैक्टर जोत श्रृंखला में आये परिवारों में प्रति व्यक्ति औसत आय 1481 रुपये हैं तो 10–20 हैक्टर जोत श्रृंखला में आये परिवारों में मात्र 515 रुपये। इसी प्रकार चांवण में 2–5 हैक्टर जोत श्रृंखला में जहां प्रति व्यक्ति आय 2611 रुपये रही है, वहीं 20 हैक्टर से अधिक जोत श्रृंखला में 602 रुपये।

बीकानेर जिले के छत्रगढ़ गांव में 2–5 हैक्टर जोत श्रृंखला में आये परि–वारों में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 1557 रू. हैं। जवकि भूमिहीनों में 2345 रुपये। इसी प्रकार मोतीगढ़ में 2 हैक्टर तक वाली जोत श्रृंखला में प्रति व्यक्ति आय 4485 रुपये हैं तो 10–20 हैक्टर में मात्र 1357 रुपये।

तालिका सं. 5.9

जोत शृंखला एवं प्रति परिवार सकल आय

जिला	गांव	भूमिहीन	2 हे. तक	2–5 हे. तक	5–10 हे. तक	10–20 हे. तक	20 हे. से अधिक
	1	2	3	4	5	6	7
जैसलमेर	1–देवा	—	4140	11848	4970	3350	—
	2–चांधण	—	—	15667	6725	12448	6920
योग		—	4140	13211	5471	11311	6920
बाड़मेर	1–खडीण	—	—	—	—	5458	13972
	2–गंगाला	—	—	—	—	8834	10809
योग		—	—	—	—	6197	11111

(शेष पृष्ठ 130 पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

1		2	3	4	5	6	7
बीकानेर	1—छत्रगढ़	11725	—	9656	14675	30262	—
	2—मोतीगढ़	14 ,40	44850	14300	14746	19844	—
योग		12248	44850	10078	14686	25053	—
पाली	1—फालना	6909	5000	9893	8579	15625	—
	2—खीमेल	27240	36500	15950	15950	11200	23800
योग		9450	8938	10650	9632	13412	23800
महायोग		10526	11330	11093	12504	12261	10954

तालिका सं. 5.10

जोत श्रृंखला एवं प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक सकल आय

(रुपये में)

जिला	गांव	भूमिहीन	2 हैक्टर तक	2–5 हैक्टर तक	5–10 हैक्टर तक	10–20 हैक्टर तक	20 हैक्टर से अधिक
1		2	3	4	5	6	7
जैसलमेर	1–देवा	—	753	1481	710	515	—
	2–चांधण	—	—	2611	673	1692	602
योग		—	753	1789	696	1560	602
बाड़मेर	1–सड़ीण	—	—	—	—	662	1331
	2–गंगाला	—	—	—	—	1 67	1284
योग		—	—	—	—	766	1289
बीकानेर	1–छतरगढ़	2345	—	1557	2324	2350	—
	2–मोतीगढ़	2049	4485	1430	1701	1357	—
योग		2268	4485	1540	2206	1822	—

(शेष अगले पृष्ठ पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

1	2	3	4	5	6	7
पाली 1–फालना	1099	1092	1371	1271	4464	—
2–खीमेल	3405	2607	2127	1876	659	1700
योग	1454	1554	1469	1376	1309	1700
महायोग	1732	1860	1572	1820	1311	1182

पाली जिले के खींमेल गांव में 10-20 हैक्टर जोत शृंखला में आये परिवारों में प्रति व्यक्ति आय 659 रुपये हैं तो भूमिहीनों में 3405 रुपये और 2 हैक्टर वालों में 2607 रुपये ।

सर्वेक्षित गांवों के समस्त सर्वेक्षित परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय का विश्लेपण करें तो देखेंगे कि 2 हैक्टर तक जोत वालों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1860 रुपये हैं जो सबसे ज्यादा है जबकि 20 हैक्टर से अधिक जोत वालों की 1182 रुपये ।

पशुधन से आय : प्रति परिवार प्रति व्यक्ति

सर्वेक्षित क्षेत्र में पशु सम्पदा से विभिन्न रूप में होने वाली आय की जानकारी तालिका सं. 5 11 से हो सकती है ।

उक्त तालिका दर्शाती है कि पशुपालन से होने वाली आय में सर्वाधिक हिस्सा दूध-घी की बिक्री से होने वाली आय का है, पशुधन से प्राप्त कुल आय का 64.49 प्रतिशत । पशुधन से होने वाली आय का दूसरा मुख्य श्रोत पशु बिक्री पाया गया है, कुल का 19.46 प्रतिशत । इस क्षेत्र में भेड़ों की पर्याप्त संख्या हैं और भेड़-पालन इस क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय है, भेड़ों से प्राप्त ऊन की बिक्री का पशुधन की सकल आय में 10 34 प्रतिशत अंश है । इससे स्पष्ट होता है कि भेड़ों के महत्व के बावजूद आय की दृष्टि से गोधन से प्राप्त आय का अंश सबसे अधिक रहता है । ऊन और पशु बिक्री दोनों से होने वाली आय का योग भी 30 प्रतिशत से कुछ कम ही है । (नोट :-पशु बिक्री से होने वाली आय में अधिकांश हिस्सा भेड़ बिक्री से होने वाली आय का ही है । अकाल के दिनों में भेड़-बकरियों की बिक्री और भी अधिक बढ़ जाती हैं ।)

गांववार देखें तो भिन्न स्थिति दिखाई देती है । यथा देवा में ऊन बिक्री से होने वाली आय पशुधन की कुल आय का 68.48 प्रतिशत है और मोतीगढ़ में 25.42 प्रतिशत । इसी प्रकार पशु बिक्री से होने वाली आय खड़ीण में पशुधन से हुई कुल आय का 62.86 प्रतिशत हैं तो मोतीगढ़ में 44.88 प्रतिशत और चांधण में 26.14 प्रतिशत ।

बैलगाड़ी एवं ऊंट गाड़ियां भी इस क्षेत्र में आय का एक उल्लेखनीय साधन हैं । देवा, फालना और खींमेल में पशु सम्पदा से जो आय हुई, उसमें 9 से 10 प्रतिशत आय ऊंट गाड़ियों एवं बैल गाड़ियों से हुई है ।

दूध-घी की बिक्री से सर्वाधिक आय गंगाला में हुई है जहां दूध वितरण की सरकारी व्यवस्था होने के कारण पशुपालकों को अपने दूध का समुचित पैसा

तालिका सं. 4.11

पशु आय में पशु बिक्री, ऊन बिक्री, पशु किराया, दूध, घी आदि का अंश

(रु./प्र.श.)

गांव	पशु बिक्री से आय	उन बिक्री से आय	बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी किराया	दूध–घी	पशुधन से कुल
1	2	3	4	5	6
देवा	3000	13470	2000	1200	19670
	(15.25)	(68.48)	(10.17)	(6.10)	(100)
चांघण	43500	9204	4000	109700	166404
	(26.14)	(5.53)	(2.10)	(65.92)	(100)
खडीण	15950	—	—	9425	25375
	(62.86)			(37.14)	(100)
गंगाला	11600	4200	—	200460	216260
	(5.36)	(1.94)		(92.69)	(100)
छत्रगढ़	41250	36805	28200	294040	400295
	(10.30)	(9.12)	(7.04)	(73.46)	(100)
मोतीगढ़	140000	79300	22000	70665	311965
	(44.8)	(25.42)	(7.05)	(22.65)	(100)

(पृष्ठ 134 पर)

[शेष पृष्ठ 135 का]

1	2	3	4	5	6	7
फालना	13000	600	18000		172560	204160
	(6.37)	(0.29)	(8.82)		(84.52)	(100)
सोमेल	8100	3240	7000		57900	76240
	(10.62)	(4.25)	(9.18)		(75.94)	(100)
योग	276400	146819	81200		215950	1420369
कुल का प्रति.	(19.46)	(10.34)	(5.72)		(64.49)	(100)

मिल जाता है। इस गांव में दूध घी विक्री की आय पशुधन से हुई आय का 92.69 प्रतिशत है। इस दृष्टि से फालना का नम्बर दूसरा है जहां यह आय 84.52 प्रतिशत है, खीमेल का स्थान तीसरा है जहां यह आय 75.94 प्रतिशत है और छत्रगढ़ का चौथा (73.46 प्रतिशत)। दूध–घी की विक्री से सबसे कम आय देवा में हुई है–पशुधन से हुई कुल आय का मात्र 6.10 प्रतिशत। इसका कारण देवा की दूध बाजार से दूरी और वहां पक्की सड़क का अभाव है।

पशुओं से सम्बन्धित विभिन्न स्रोतों से हुई आय का जातीय संदर्भ में विश्लेषण करें तो भिन्न स्थिति दिखाई देती है। तालिका सं. 5.12 दर्शाती है कि सर्वेक्षित गांवों के अनुसूचित जाति एवं जनजातीय परिवारों को पशुधन से जो आय हुई है, उसमें सर्वाधिक अंश पशु विक्री का रहा है–कुल का 47 प्रतिशत। इससे निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक सामाजिक दृष्टि से विपिन्न इस वर्ग को अपने जीवन रक्षण के लिए अकाल की इस विभीषिका में अपने पशु बेचने पड़े हैं। दूध–घी की विक्री ने उन्हें केवल मात्र 17.13 प्रतिशत आय दी है जो इस बात का परिचायक है कि एक ओर तो उनकी दूध उत्पादन क्षमता सीमित है और दूसरी ओर उनके दूध के खरीददार भी समाज के अन्य वर्गों की तुलना में कम हैं। यथा अल्प संख्यक समुदाय के लोगों की पशुधन से प्राप्त कुल आय में दूध घी की विक्री से हुई आय का अंश 75.48 प्रतिशत और सवर्णों में 61.58 प्रतिशत रहा है। इसी प्रकार पशु विक्री से हुई आय का अंश अल्प संख्यक वर्ग में 14.02 प्रतिशत है और सवर्णों में 19.98 प्रतिशत जबकि अनुसूचित जाति जनजाति में यह 47 प्रतिशत है।

पशुधन से सम्बन्धित विभिन्न स्रोतों से हुई आय को तालिका सं. 5.13 ग्रामवार स्थिति दर्शाती है। देवा में अल्प संख्यक समुदाय से सम्बन्धित परिवार में पशु सम्पदा से जो आय हुई, उसका 85.71 प्रतिशत पशु विक्री से आय है जबकि सवर्ण जातियों की हुई आय में सर्वाधिक अंश 83.78 प्रतिशत ऊन विक्री का रहा है।

आंधरा में अनुसूचित जातियां एवं जन जातियों को पशुधन से जो आय हुई, उसका शत प्रतिशत श्रेय पशु विक्री को जाता है। वहां अन्य किसी स्रोत से इस समुदाय के किसी भी परिवार को आय नहीं हुई। अल्प संख्यक समुदाय को पशुधन से हुई कुल आय में दूध की विक्री की आय का अंश 81.15 प्रतिशत है जो सवर्ण जातियों में 50.43 प्रतिशत।

तालिका सं. 5.12

जातीय सन्दर्भ एवं पशुओं से सम्बन्धित विभिन्न स्रोतों से आय

अनुसूचित जातियां एवं जन–जातियां (अ)

(रुपये में)

गांव का नाम	पशु विक्री से	ऊन विक्री से	बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी से	दूध–घी विक्री	पशुधन से सकूल आय
1	2	3	4	5	6
1. देवा	—	2640	—	1200	3840
2. नांगण	13500	—	—	—	13500
3. छत्रगढ़	5000	6920	—	13980	25900
4. मोतीगढ़	22000	14400	5000	4850	46250
5. फालना	13000	600	7000	2200	22800
6. मीमेन्	7500	3000	7000	—	17500
योग	61000 (47.00)	27560 ’21.23)	19000 (14.64)	22230 (17.13)	129790 (100)

अल्प संख्यक वर्ग (ब)

1	2	3	4	5	6
1. देवा	3000	500	—	—	3500
2. चांधरा	13000	3002	—	86100	106102
3. गंगाला	11600	4200	—	200460	216260
4. छत्रगढ़	24250	25360	17400	200290	267300
5. मोतीगढ़	44000	15400	9000	50827	119225
योग	99850	48 62	26400	537675	712387
	(14.02)	(6.80)	(3.71)	(75.48)	(100)

तालिका (स)

सवर्ण जातियां

1		2	3	4	5	6
1.	देवा	—	10330	2000	—	12330
2.	चांधरण	13000	6202	4000	23600	46802
3.	खड़ीण	15950	—	—	9425	25375
4.	छत्रगढ़	12000	4525	10800	79770	107095
5.	मोतीगढ़	74000	49500	8000	14990	146490
6.	फालना	—	—	11000	170360	811360
7.	सीमेल	600	240	—	57900	58740
	योग	115550	70797	35800	356045	578192
	कुल का प्रतिशत	(19.98)	(12.25)	(6.19)	(61.58)	(100)

सारणी

जातीय संदर्भ एवं पशुधन से सम्बन्धित

गांव व जातीय शृंखला विवरण	पशु विक्री से आय एवं आय का प्रतिशत	ऊन विक्री से आय एवं कुल आय का प्रतिशत
1	2	3
देवा		
1–अनुसूचित जाति एवं जनजातियां	—	2640 (68.75)
2–अल्प संख्यक वर्ग	3000 (85.71)	500 (14.29)
3–सवर्ण जातियां	—	10330 (83.78)
योग	3000 (15.25)	13470 (68.18)
चांधण		
1–अनु. जा. व जन. जा.	13500 (100)	—
2–अल्प संख्यक	17000 (16.02)	3002 (2.83)
3–स्वर्ण जातियां	13000 (17.78)	6202 (13.25)
योग	43500 (26.14)	9204 (.533)
खड़ीण		
1–सवर्ण जातियां	15950 (62.86)	—
गंगाला		
1–अल्प संख्यक वर्ग	11600 (5 36)	4200 (1.94)

(शेष पृष्ठ 142 व 143 पर)

सं. 5 : 13

विभिन्न स्रोतों से आय (गांववार स्थिति)

बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी किराये से आय एवं कुल आय का प्रतिशत	दूध बिक्री घी बिक्री से आय, कुल आय का%	पशुधन में कुल आय व प्रतिशत
4	5	6
—	1200 (31.25)	3840 (100)
—	—	3500 (100)
2000 (16.22)	—	12330 (100)
2000 (10.17)	1200 (6.10)	19670 (100)
—	—	13500 (100)
—	86100 (81.15)	106102 (100)
4000 (8.55)	23600 (50.43)	46802 (100)
4000 (2.40)	109700 (65.92)	166404 (100)
—	9425 (37.14)	25375 (100)
—	200460 (92.69)	216260 (100)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

1	2	3
छत्रगढ़		
1. अनुसूचित जाति एवं जनजातियां	5000 (19.31)	6920 (26.72)
2. अल्प संख्यक वर्ग	24250 (9.07)	25360 (9.49)
3. सवर्ण जातियां	12000 (11.21)	4525 (4.23)
योग	41250 (10.30)	36805 (9.19)
मोतीगढ़		
1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति	22000 (47.57)	14400 (11.14)
2. अल्प संख्यक वर्ग	44000 (36.91)	15400 (12.92)
3. सवर्ण जातियां	74000 (50.52)	49500 (33.79)
योग	140000 (44.88)	79300 (25.42)
फालना		
1. अनुसूचित जाति	13000 (57.02)	600 (2.63)
2. सवर्ण जातियां	—	—
योग	13000 (6.37)	600 (0.29)
खीमेल		
1. अनुसूचित जाति एवं जन जातियां	7500 (42.86)	3000 (17.14)
2. सवर्ण जातियां	600 (1.02)	240 (0.41)
योग	8100 (10.62)	3240 (4.25)

4	5	6
—	13980 (53.98)	25900 (100)
17400 (6.51)	200290 (74.93)	267300 (100)
10800 (10.08)	79770 (74.49)	107095 (100)
28200 (7.04)	294040 (73.46)	400295 (100)
5000 (10.81)	4850 (10.49)	46250 (100)
9000 (7.55)	50825 (42.63)	119225 (100)
8000 (5.46)	14990 (10.23)	146490 (100)
22000 (7.05)	70665 (22.65)	3111965 (100)
7000 (30.70)	2200 (9 65)	22800 (100)
11000 (6.07)	170360 (93.93)	181360 (100)
18000 (8.32)	172560 (84.52)	204160 (100)
7000 (40.00)	—	17500 (100)
—	57900 (98.57)	58740 (100)
7000 (9.18)	57900 (75.94)	76240 (100)

छत्रगढ़ में अनुसूचित जातियों जनजातियों को पशुधन से जो आय हुई है, उसमें सर्वाधिक अंश 53.98 प्रतिशत घी–दूध विक्री का है। इसका एक कारण तो इस गांव का कस्वानुमा स्वरूप है और दूसरा कारण दूध विपणन की सरकारी व्यवस्था है। लेकिन यहां भी इस मामले में अल्प संख्यक वर्ग एवं सवर्ण जातियां वेहतर स्थिति में हैं क्योंकि दोनों की पशु धन आय में इस स्रोत से हुई आय का अंश क्रमशः 74.93 प्रतिशत और 74.49 प्रतिशत है। इस गांव में भी अनु–सूचित जातियां एवं जन जातियों की पशुधन आय में पशु विक्री और ऊन विक्री से हुई आय का अंश तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा है, क्रमशः 19.31 प्रतिशत और 26.72 प्रतिशत।

मोतीगढ़ में सभी जाति वर्गों में पशुधन से होने वाली आय में सर्वाधिक अंश पशु विक्री का है। लेकिन दूध की विक्री से हुई आय का अंश यहां भी सवसे ज्यादा अल्प संख्यक वर्ग से सम्वन्धित परिवारों में हो रहा है।

फालना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों की पशुधन आय में 57.02 प्रतिशत अंश पशु विक्री का है तो 30.70 प्रतिशत वैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी से किराये का। जवकि सवर्ण जातियों की पशुधन आय मे दूध घी विक्री से आय का अंश 93.93 प्रतिशत है।

खीमेल में भी अनुसूचित जातियों जन जातियों की पशुधन आय में पशु विक्री का अंश 42.86 प्रतिशत है और दूध घी विक्री का अंश लगभग शून्य मात्र है जवकि सवर्ण जातियों को दूध घी से 98.57 प्रतिशत आय हुई है।

पशु श्रृंखला एवं पशुओं से सम्बन्धित विभिन्न स्रोतों से आय

पशु श्रृंखला को आधार मानकर पशुधन से होने वाली आय का विश्लेषण करें तो हम (तालिका सं. 5.14) देखेंगे कि देवा में 1–10 पशु श्रृंखला में ऊंट वैलगाड़ी से हुई आय का अंश अधिक रहा है कुल का 65.78 प्रतिशत जवकि 21–50 पशु वर्ग में ऊंट विक्री से हुई आय का अंश रहा है 63.96 प्रतिशत 51–100 तथा 101–200 पशु श्रृंखला में शत प्रतिशत आय ऊन विक्री से हुई है जवकि 200 से अधिक पशु श्रृंखला वाले वर्ग में पशु विक्री से हुई आय का अंश 85–71 प्रतिशत रहा है।

तालिका सं. 5.14

पशु शृंखला (भेड़–बकरी सम्मिलित) एवं पशुओं से सम्बन्धित विभिन्न स्रोतों से आय

(गांववार स्थिति)

देवा

पशु शृंखला	पशु विक्री से आय	ऊन विक्री से आय	पशु गाड़ी से आय	घी–दूध विक्री से आय	पशुधन से कुल आय योग
1	2	3	4	5	6
1–10	—	1040	2000	—	3040
		(32.41)	(65.78)	—	(100)
11–20	—	—	—	—	—
21–50	—	21–30	—	1200	3330
		(63.96)	—	(36.04)	(100)
51–100	—	1500	—	—	1500
					(100)
101–200	—	8300	—	—	8300
		(100)			(100)
201 से	3000	500	—	—	3500
अधिक	(85.71)	(14.29)	—	—	(100)

चांधन

1	2	3	4	5	6
1–10	13500	—	—	—	13500
	(100)				(100)
11–20	2000	—	—	—	2000
	(100)				(100)
21–50	—	774	4000	42000	46774
		(1.65)	(8.56)	(89.79)	(100)
51–100	—	360	—	44100	44460
		(0.81)	—	(99.19)	(100)
101–200	16000	6900	—	23600	46500
	(34.41)	(14.84)	—	(50.75)	(100)
201 से	12000	1170	—	—	12170
अधिक	(91.12)	(8.88)	—	—	(100)

खडीरण

1	2	3	4	5	6
1–10	4500	—	—	2200	6700
	(67.16)	—	—	(32.84)	(100)
11–20	6450	—	—	3400	9850
	(65.48)	—	—	(34.52)	(100)
21–50	5000	—	—	3825	8825
	(56.66)	—	—	(43.34)	(100)

गंगाला

1	2	3	4	5	6
1–10	2000	100	—	27600	29700
	(6.74)	(0.34)	—	(9 .93)	(100)
11–20	—	—	—	5800	5800
					(100)
21–50	6000	1400	—	84700	92100
		(1.52)	—	(91.97)	(100)
51–100	3600	2700	—	60360	66660
	(5.40)	(4.05)	—	(90.55)	(100)
201 से अधिक	—	—	—	22000	22000
				(100)	(100)

छत्रगढ़

1	2	3	4	5	6
1–10	—	—	11800	30630	42430
			(27.81)	(72.19)	(100)
11–20	22250	—	12000	33710	67960
	(32.74)				(100)
21–50	—	2395	2400	76590	813[illegible]5
		(2.94)	(12.95)	(94.11)	(100)
51–100	13000	8060	—	36110	57170
	(22.74)	(14.10)	—	(63.16)	(100)
101–200	6000	14950	2000	77750	100700
	(5.96)	(14.85)	(1.99)	(77.21)	(100)
201 से		11400	—	39250	50650
		(22.51)	—	(77.49)	(100)

मोतीगढ़

1	2	3	4	5	6
1–10	12000 (67.61)	—	3000 (16.90)	2750 (15.49)	17750 (100)
50–100	20007 (17.47)	2700 (23.38)	2000 (17.47)	4750 (41.48)	11450 (100)
101–200	80000 (67.98)	15100 (12.83)	12000 (10.20)	10570 (8.99)	117675 (100)
200 से अधिक	46000 (27.86)	61500 (37.25)	5000 (3.03)	52590 (31.86)	165090 (100)

फालना

1	2	3	4	5	6
1–10	—	—	16000 [16.12]	83260 [83.88]	99260
11–20	—	—	2000 [2.95]	65700 [97.05]	67700
21–50	—	—	—	22000 (100)	22000
51–100	5000 [69.45]	600 [8.33]	— —	1600 [22.22]	7200
101–200	8000 [100]	—	—	—	8000 [100]

खीमेल

1	2	3	4	5	6
1–10	20 [1.08]	—	—	18300 [98.92]	18500
21–50	400 [2.00]	—	7000 [35.00]	12600 [63.00]	20000
51–100	—	240 [0.88]	—	27000 [99.12]	27240
201 से	7500 [71.43]	3000 [28.57]	—	—	10500

चांवण में 1–10 एवं 11–20 पशु शृंखखा वाले परिवारों को पशुधन से जो भी आय हुई है, वह शतप्रतिशत पशु विक्री से हुई है जबकि 200 से अधिक पशु शृंखला वाले परिवारों में पशु विक्री की आय का अंश 91.12 प्रति–शत है । दूध–घी विक्री की आय भिन्न तस्वीर प्रस्तुत करती है क्योंकि 21–50 पशु शृंखला में दूध–घी विक्री से हुई आय का अंश 89.79 प्रतिशत और 51–100 पशु शृंखला में 99.19 प्रतिशत है ।

खड़ीण में, जहां 1–10, 11–20 एवं 21–50 इन तीन पशु शृंखलाओं में सारे सर्वेक्षित परिवार विभाजित हो जाते हैं, पशु विक्री की आय का अंश सभी शृंखलाओं में 50 प्रतिशत से अधिक है । 1–10 पशु शृंखला में तो वह 67.16 प्रतिशत है ।

गंगाला में पुनः भिन्न स्थिति सामने आती है । वहां पशु विक्री से हुई आय का अंश 5 से 7 प्रतिशत के बीच में है जबकि दूध–घी विक्री से हुई आय का अंश 90 प्रतिशत या अधिक रहा है ।

छत्रगढ़ में 11–20 पशु शृंखला में आने वाले परिवारों को हुई पशु आय में पशु विक्री की आय का अंश 32.74 प्रतिशत है लेकिन 101–200 पशु शृंखला में मात्र 5.90 प्रतिशत । ऊन विक्री से हुई आय का सर्वाधिक अंश 200 से अधिक पशु शृंखला वाले परिवारों ने बताया है तो पशु गाड़ी की आय का सर्वाधिक अंश 27.81 प्रतिशत 1–10 पशु शृंखला में आये परिवारों ने बताया है । 21–50 पशु शृंखला में आये परिवारों ने 94.11 प्रतिशत आय

दूध–घी की विक्री से बताई है तो 11.20 पशु शृंखला में आये परिवारों ने 49.60 प्रतिशत।

मोतीगढ़ में 1–10 पशु शृंखला वाले परिवारों की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। वहां 1–10 एवं 101–200 दोनों ही पशु शृंखलाओं में आये परिवारों ने पशु विक्री की आय का अंश कुल पशु आय का लगभग 68 प्रतिशत बताया है जबकि दूध–घी विक्री का अंश 101–200 पशु शृंखला वाले परिवारों ने मात्र 8.99 प्रतिशत बनाया है।

फालना में 101–200 पशु शृंखला वाले परिवारों ने शत प्रतिशत आयु पशु विक्री से बताई है। 51–100 पशु शृंखला ने इस मद से 69.45 प्रतिशत आय हुई बताई है लेकिन 1–10 पशु शृंखला वालों ने 83.88 प्रतिशत, 11–20 पशु शृंखला वालों ने 97.05 प्रतिशत और 21.50 पशु शृंखला वालों ने शत प्रतिशत आय दूध–घी की विक्री से हुई बताई है।

खीमेल में 200 से अधिक पशु शृंखला वालों ने पशु विक्री से हुई आय का अंश 71 43 प्रतिशत बताया है तो 51–100 पशु शृंखला वालों ने शून्य प्रतिशत। यहां दूध–घी की विक्री का अंश 1–10 पशु शृंखला वालों ने 98.92 प्रतिशत, 21–50 पशु शृंखला वालों ने 63 प्रतिशत एवं 51–100 पशु शृंखला वालों ने 99.12 प्रतिशत बताया है।

तालिका सं. 5.15 में भेड़ बकरियों को सम्मिलित करके सम्पूर्ण पशुधन से हुई आय का विश्लेषण किया गया है।

तालिका सं. 5.15

पशु शृंखला एवं पशुओं (भेड़ बकरी) से संबंधित विभिन्न स्रोतों से आय

(रुपये में)

पशु शृंखला	गांव	पशु विक्री से आय	ऊन बिक्री से आय	पशु गाड़ी से आय	दूध–घी बिक्री	पशुधन से कुल आय
1	2	3	4	5	6	7
1–10	देवा	—	1040	2000	—	3040
	चांधण	13500	—	—	—	13500
	खड़ीण	4500	—	—	2200	6700
	गंगाला	2000	100	—	27600	29700
	छत्रगढ़	—	—	11800	30630	42430
	मोतीगढ़	12000	—	3000	2750	17750
	फालना	—	—	16000	83260	99260
	खीमेल	200	—	—	18300	18500
योग		32200 (13.95)	1140 (0.49)	32800 (14.20)	164740 (71.35)	230880

1	2	3	4	5	6	7
11–20	चांधण	2000	—	—	—	2000
	खड़ीण	6450	—	—	3400	9850
	गंगाला	—	—	—	5800	5800
	छत्रगढ़	22250	—	12000	33710	67960
	फालना		—	2000	65700	67700
योग		30700	—	14000	108610	153310
21–50	देवा	—	2130	—	1200	3330
	चांधण	—	774	4000	42000	46774
	खड़ीण	5000	—	—	3825	8825
	गंगाला	6000	1400	—	84700	92100
	छत्रगढ़	—	2395	2400	76590	81385
	फालना	—	—	—	22000	22000
	खीमेल	400	—	7000	12600	20000
योग		11400 (4.15)	6699 (2.44)	13400 (4 88)	242915 (88.52)	274414

1	2	3	4	5	6	7
51–100	देवा	—	1500	—	—	1500
	चांधरण	—	360	—	44100	44460
	गंगाला	3600	2700	—	60360	66660
	छत्रगढ़	13000	8060	—	36110	57170
	मोतीगढ़	2000	2700	2000	4750	11450
	फालना	5000	600	—	1600	7200
	खीमेल	—	240	—	27000	27240
योग		23600 (10.94)	16160 (7.49)	2000 (0.93)	173920 (80.64)	215680

1	2	3	4	5	6	7
101–200	देवा	—	8300	—	—	8300
	चांधरण	16000	6900	—	23600	46500
	छत्रगढ़	6000	14950	2000	77750	100700
	मोतीगढ़	80000	15100	12000	10575	117675
	फालना	8000	—	—	—	8000
योग		110000 (39.12)	45250 (16.09)	14000 (4.98)	111925 (39.81)	281175
201 से अधिक	देवा	3000	500	—	—	3500
	चांधरण	12000	1170	—	—	13170
	गंगाला	—	—	—	22000	22000
	छत्रगढ़	—	11400	—	39250	50650
	मोतीगढ़	46000	61500	5000	52540	165090
	खीमेल	7500	3000	—	—	10500
	योग	68500 (25.87)	77570 (29.28)	5000 (1.89)	13840 (42.97)	264910

इस तालिका के विश्लेपण से पता चलता है कि 1–10 पशु शृंखला में पशु विक्री से हुई आय का अंश कुल पशुधन आय का मात्र 13 95 प्रतिशत है लेकिन दूध–घी विक्री की आय का 71.35 प्रतिशत। इसी प्रकार 11–20 पशु शृंखला में जहां पशु विक्री से हुई आय का अंश 20.02 प्रतिशत रहा है तो दूध घी विक्री की आय का 70.84 प्रतिशत लेकिन 21–50 पशु शृंखला में भिन्न स्थिति दिखाई देती है–वहां दूध घी विक्री की आय का अंश सकल पशु आय में 88.52 प्रतिशत है और पशु विक्री का मात्र 4.15 प्रतिशत। 51–100 पशु शृंखला में पशु विक्री का अंश 10.94 प्रतिशत है और दूध घी विक्री का अंश 80.64 प्रतिशत लेकिन 101–200 पशु शृंखला में बिल्कुल बदली हुई स्थिति नजर आती है। वहां सकल पशु आय में पशु विक्री का अंश 39.12 प्रतिशत है और दूध–घी की विक्री से हुई आय का 39.81 प्रतिशत। इसी प्रकार 200 से ऊपर वाली पशु शृंखला में पशु विक्री का अंश 25.87 प्रतिशत है और ऊन विक्री का 29.284 लेकिन दूध–घी विक्री से हुई आय का अंश मात्र 49.97 प्रतिशत।

इस तालिका से भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पशुओं से सम्बन्धित विभिन्न स्रोतों से जो आय हुई है अथवा होता है वह मात्र संख्या पर आश्रित नहीं है। संख्या के अलावा विपणन की सुविधा, गांव को शहर से जोड़ने की व्यवस्था और पशु पालकों की आर्थिक सामाजिक परिस्थिति पर भी पशु धन से होने वाली आय एक बड़ी सीमा तक निर्भर करती है।

तालिका सं. 5.16 भूमि शृंखला के आधार पर किये गये परिवार विभाजन के सन्दर्भ में पशुओं से सम्बन्धित विभिन्न स्रोतों से हुई आय का दिग्दर्शन कराती है।

तालिका सं. 5.16

जोत शृंखला एवं पशुओं से आय के स्रोत

देवा

(गांववार स्थिति)

भूमि शृंखला	पशु बिक्री से आय	ऊन बिक्री से आय	पशुगाड़ी से आय	दूध घी से आय	पशुधन से आय
1	2	3	4	5	6
2 हैक्टर तक	—	6980 (100)	—	—	6980 (100)
2–5 हैक्टर तक	—	2450 (100)	—	—	2490 (100)
5–10 हैक्टर तक	—	3500 (63.64)	2000 (36.36)	—	5500 (100)
10 हैक्टर से अधिक	3000 (63.83)	500 (10.64)	—	1200 (25.53)	4700 (100)
योग	3000	13470	2000	1200	19670

चांधरा

1	2	3	4	5	6
2–5 हैक्टर तक	12000 (27.05)	1170 (2.64)	— —	31200 (70.32)	44370 (100)
5–10 हैक्टर तक	—	1080 (8.52)	—	11600 (91.48)	12680 (100)
10–20 हैक्टर तक	20500 (25.02)	2534 (3.09)	4000 (4.88)	54900 (67.01)	81334 (100)
20 हैक्टर से अधिक	11000 (40.12)	4420 (16.12)	— (—)	12000 (43.76)	27420 (100)
योग	343500	9204	4000	105700	166404

खडीरा

1	2	3	4	5	6
10–20 हैक्टर तक	11950 (61.13)	—	—	7600 (38.87)	19550 (100)
20 हैक्टर से अधिक	4000 (68.67)	—	—	1825 (31.33)	5825
योग	15950	—	—	9425	25375

गंगाला

1	2	3	4	5	6
10–20 हैक्टर तक	5600 (11.03)	760 (1.50)	—	44400 (87.47)	50760 (100)
20 हैक्टर से श्रधिक	6000 (3.62)	3440 (2.08)	—	156060 (94.30)	165500 (100)
योग	11600	4200	—	200460	216260

छत्रगढ़

1	2	3	4	5	6
भूमिहीन	—	—	10800 (45.76)	12800 (54.24)	23600 (100)
2–5 हैक्टर तक	1000 (8.28)	— —	3000 (24.83)	8080 (66 89)	12080 (100)
5–10 हैक्टर तक	34250 (13.50)	28705 (11.32)	9000 (3.54)	181760 (71.64)	253715 (100)
10–20 हैक्टर तक	6000 (5.41)	8100 (7.30)	5400 (4.87)	91400 (82.42)	110900 (100)
योग	41250	36805	28200	254040	400295

मोतीगढ़

1	2	3	4	5	6
भूमिहीन	4000	3000	2000	5340	17340
	(27.89)	(20.92)	(13.95)	(37.24)	(100)
2 हैक्टर तक	40000	2100	—	2750	44 50
	(89.19)	(4.68)		(6.13)	(100)
2–5 हैक्टर तक	5000	9000	—	—	14000
	(35.71)	(64.29)			(100)
5–10 हैक्टर तक	40000	23600	9000	7575	85175
	(46.96)	(33.58)	(10.57)	(8.89)	(100)
10–20 हैक्टर तक	51000	36600	11000	55000	153600
	(33.20)	(23.24)	(7.16)	(35.80)	(100)
योग	140000	79300	22000	70665	311965

फालना

1	2	3	4	5	6
भूमिहीन	—	—	6000	11360	16360
			(34.56)	(65.44)	(100)
2 हैक्टर	—	—	4000	15000	19000
			(21 05)	(78.95)	(100)
2–5 हैक्टर	8000	—	—	78400	86400
	(9.26)			(90.74)	(100)
5–10 हैक्टर तक	5000	600	6000	42300	53900
	(9.28)	(1.11)	(11.13)	(78.48)	(100)
10–20 हैक्टर तक	—	—	2000	25500	27500
			(7.27)	(92.73)	(100)
योग	13000	600	18000	172560	204160

खंमेल

1	2	3	4	5	6
भूमिहीन	—	240 (0.88)	—	27000 (99.12)	271240 (100)
2 हैक्टर	200 (6.45)	—	—	2900 (93.55)	3100 (100)
2–5 हैक्टर	7500 (28.96)	3000 (11.58)	—	15400 (59.46)	25900 (100)
10–20 हैक्टर	—	—	7000 (100)	—	7000
20 हैक्टर से अधिक	400 (3.07)	—	—	12600 (96.93)	13000 (100)
योग	8100	3240	7000	57900	76240
महायोग	276400 (19.46)	146819 (10.34)	81200 (5.72)	915950 (64.49)	1420369 (100)

इस तालिका में गांववार स्थिति बताई गई है। देवा गांव में 10 हैक्टर से अधिक भूमि शृंखला वाले परिवारों को पशु बिक्री से सर्वाधिक आय हुई है। कुल पशु आय का 63.83 प्रतिशत जबकि 2 हैक्टर तक एवं 2–5 हैक्टर की भू शृंखला में आये परिवारों को शत प्रतिशत आय ऊन बिक्री से हुई है। छोटी जोत शृंखला वाले किसी भी परिवार ने दूध बिक्री से आय नहीं दर्शाई है। केवल 10 हैक्टर से अधिक भू–शृंखला में आये परिवारों में पशुधन से हुई आय का 25.53 प्रतिशत अंश दूध–घी बिक्री से हुई आय का है। केवल 5–10 हैक्टर भू–शृंखला वाले परिवारों ने ऊंट बैलगाड़ी से आय दर्शाई है जो उनकी कुल पशु आय का 36.36 प्रतिशत अंश है।

चांधण गांव में 2–5, 5–10 तथा 10–20 हैक्टर वाले जोतधारियों की पशुधन आय में दूध–घी बिक्री से प्राप्त आय का प्रतिशत क्रमशः निम्न प्रकार रहा है। 70.32 प्रतिशत, 91.48 प्रतिशत तथा 67 01 प्रतिशत लेकिन 20 हैक्टर से अधिक जोत वाले परिवारों की आय में दूध–घी बिक्री आय का अंश मात्र 43.76 प्रतिशत है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिक जोत वाले परिवारों में दूध–घी अधिक पैदा होगा ही, यह सुनिश्चित नहीं माना जा सकता इस जोत शृंखला में पशु बिक्री से उल्लेखनीय आय हुई है। यह सकल पशु आय का 40.12 प्रतिशत है।

खड़ीण में 10–20 हैक्टर वालों की पशु आय में जहां दूध–घी बिक्री का अंश 38.87 प्रतिशत है, वहीं 20 हैक्टर से ऊपर वाली जोत शृंखला में 31.33 प्रतिशत।

छत्रगढ़ में किसी भी भूमिहीन को पशु बिक्री से आय नहीं हुई है लेकिन उनकी आय में पशुगाड़ी किराये का अंश 45–76 प्रतिशत है और दूध–घी बिक्री का 54.24 प्रतिशत। 2–5 हैक्टर जोत वाले परिवारों ने भी कुल पशु आय का 24.83 प्रतिशत अंश पशु गाड़ी के किराये की आय का बताया है। किसी भी भूमिहीन एवं 2–5 हैक्टर भूमि शृंखला वाले परिवार ने ऊन बिक्री की आय नहीं बताई है।

मोतीगढ़ में 2 हैक्टर तक की जोतवाले परिवारों की पशु आय में पशु बिक्री का अंश 89–19 प्रतिशत रहा है जबकि 2–5 हैक्टर वाले जीतधारियों की पशु आय में ऊन बिक्री का 64.29 प्रतिशत। दूध–घी बिक्री की आय भूमि हीनों की पशु आय में 37.24 प्रतिशत और 10–20 हैक्टर जोतधारियों में 35. 0 प्रतिशत रही है लेकिन 2–5 हैक्टर वाले किसी भी जोतधारी ने दूध–घी बिक्री की आय नहीं दर्शाई है।

फालना में किसी भी भूमिहीन अथवा 2 हैक्टर जोत शृंखला वाले परिवार ने पशु विक्री अथवा ऊन विक्री से कोई आय नहीं ली है जबकि 2–5 हैक्टर जोत वाले किसी भी परिवार ने ऊन विक्री अथवा पशुगाड़ी के किराये से कोई पैसा नहीं कमाया है लेकिन भूमिहीन एवं 2 हैक्टर तक जोत वाले परिवारों को पशु गाड़ी किराये से उल्लेखनीय आय हुई है–कुल पशु आय का क्रमशः 34.56 और 21.05 प्रतिशत । कुल पशु आय में दूध–घी विक्री का अंश भूमिहीनों में सबसे कम 65.44 प्रतिशत रहा है जबकि इस दृष्टि से दूसरे नम्बर पर 5–10 हैक्टर जोत वाले परिवार आते हैं ।

खीमेल में 2–5 हैक्टर जोत शृंखला वाले परिवारों की पशु आय में पशु विक्री का अंश उल्लेखनीय है–कुल पशु आय का 28.96 प्रतिशत । लेकिन इस शृंखला में दूध–घी विक्री से हुई आय का अंश अपेक्षाकृत कम है । मात्र 59.46 प्रतिशत । लेकिन भूमिहीनों की कुल पशु आय में दूध–घी विक्री की आय का अंश 99.12 प्रतिशत है और 2 हैक्टर तक की जोत वालों में 93.55 प्रतिशत । 20 हैक्टर से अधिक जोत वालों में भी दूध–घी से हुई आय का अंश कुल आय का 96.93 प्रतिशत आया है ।

तालिका सं. 5.17 विभिन्न स्रोतों से हुई पशु आय की जोत शृंखलाओं के संदर्भ में निम्न स्थिति दर्शाई है ।

तालिका सं. 5.17

जोत शृंखला एवं पशुओं के विभिन्न स्रोतों से आय

भूमि शृंखला एवं गांव	पशु बिक्री से आय	ऊन बिक्री से आय	पशुगाड़ी से आय	दूध–घी बिक्री से आय	पशुधन से कुल आय
1	2	3	4	5	6
भूमिहीन					
छत्रगढ़	—	—	10800	12800	23600
मोतीगढ़	4000	3000	2000	5340	14340
फालना	—	—	6000	11360	17360
खीमेल	—	240	—	27000	27240
योग	4000	3240	18800	56500	82540
	(4.85)	(3.93)	(22.78)	(68.45)	(100)
2 हैक्टर					
देवा	—	6980	—	—	6980
मोतीगढ़	40000	2100	—	2750	44850
फालना	—	—	4000	15000	19000
खीमेल	200	—	—	2900	3100
योग	40200	9080	4000	20650	73930
	(54.38)	(12.28)	(5.41)	(27.93)	(100)

1	2	3	4	5	6
2–5 हैक्टर					
देवा	—	2490	—	—	2490
चांधण	12000	1170	—	31200	44370
छत्रगढ़	1000	—	3000	8080	12080
मोतीगढ़	5000	9000	—	—	14000
फालना	8000	—	—	78400	86400
खीमेल	7500	3000	—	15400	25900
योग	33500	15660	3000	133080	185240
	(18.08)	(8.45)	(1.62)	(71.84)	(100)
5–10 हैक्टर					
देवा	—	3500	2000	—	5500
चांधण	—	1080	—	11600	12680
छत्रगढ़	34250	28705	9000	181760	253715
मोतीगढ़	40000	28600	9000	7575	85175
फालना	5000	600	6000	42300	53900
योग	79250	62485	26000	243235	410970
	(19.28)	(15.20)	(6.33)	(59.19)	(100)

1	2	3	4	5	6
10–20 हैक्टर					
देवा	3000	500	—	1200	4700
चांधरा	20500	2534	4000	54900	81934
खड़ीरा	11950	—	—	7600	19550
छत्रगढ़	6000	8100	5400	91400	110900
मोतीगढ़	51000	36600	11000	55000	153600
फालना	—	—	2000	25500	27500
खीमेल	—	—	7000	—	7000
योग	92450	47734	29400	235600	405184
	(22.82)	(11.78)	(7.26)	(58.15)	(100)
20 हैक्टर से अधिक					
चांधरा	11000	44220	—	12000	27420
खड़ीरा	4000	—	—	1825	5825
गंगाला	6000	3440	—	156060	165500
खीमेल	400	—	—	12600	13000
योग	21450	7860	—	182485	211745
	(10.11)	(3.71)	—	(86.18)	(100)

इस तालिका से ज्ञात होता है कि भूमिहीनों को भी पशुधन से आय हुई है। उसमें दूध–घी बिक्री का अंश 68.45 प्रतिशत है। इस श्रृंखला के लिए दूसरा मुख्य स्रोत पशुगाड़ी किराया रहा है।

2 हैक्टर तक वाली जोत श्रृंखला वाले परिवारों में (सीमान्त एवं लघु कृषक) पशु बिक्री की आय का महत्वपूर्ण स्थान है–कुल पशु आय का 54.38 प्रतिशत। दूसरा स्थान दूध–घी की बिक्री से हुई आय का है–कुल पशु आय का 27.93 प्रतिशत। अन्य स्रोतों से हुई आय विशेष उल्लेखनीय नहीं है।

2–5 हैक्टर जोत श्रृंखला में दूध–घी बिक्री से हुई आय का अंश 71.84 प्रतिशत है। इस श्रृंखला के संदर्भ में पशु बिक्री से हुई आय का स्थान दूसरे नम्बर पर है–कुल पशु आय का 18.08 प्रतिशत।

5–10 है. जोत श्रृंखला में विभिन्न स्रोतों से हुई आय की स्थिति 2–5 जोत श्रृंखला से मिलती जुलती ही दिखाई देती है यहां सकल पशु आय में दूध–घी बिक्री से हुई आय का अंश 59.19 प्रतिशत है और पशु बिक्री से हुई आय का अंश 19.28 प्रतिशत।

10–20 है. वाली जोत श्रृंखला में दूध–घी बिक्री आय का अंश 58.15 प्रतिशत है और पशु बिक्री से हुई आय का 22.82 प्रतिशत। लेकिन 20 है. से अधिक वाली जोत श्रृंखला में स्थिति बदल जाती है। उस श्रृंखला में दूध–घी बिक्री से हुई आय का अंश कुल पशु आय का 86.18 प्रतिशत है और पशु बिक्री से हुई आय का मात्र 10.11 प्रतिशत।

शुद्ध आय

ऊपर सर्वेक्षित परिवारों को हुई सकल आय का विस्तृत विवेचन करने का प्रयास किया गया है। आय स्रोतों में कृषि एवं पशु सम्पदा से होने वाली आय मुख्य है। लेकिन कृषि एवं पशुपालन दोनों ही ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें आय प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ व्यय करना जरूरी होता है। कृषि में व्यय के अनिवार्य अंग होते हैं–लगान, सिंचाई शुल्क एवं विविध व्यय यथा यदि जमीन का कुछ अंश सिंचाई के अन्तर्गत आ जाता हो, तो सिंचाई प्रक्रिया में होने वाला व्यय, निज के जुताई साधन न होने पर खेत तैयार कराई पर यय तथा बीज। इसके अलावा मजदूरों से कृषि कार्य में योगदान लेने पर मजदूरी देनी पड़ती है तथा कृषि उपज खेत खलिहान से घर तथा मंडी तक ले जाने में खर्च करना पड़ता है। खाद, कीटनाशक दवाओं के उपयोग आदि पर भी कुछ खर्चा हो जाता है। इस क्षेत्र में सर्वेक्षित परिवारों ने कृषि व्यय की जो मदें बताई हैं, उनमें लगान, बीज एवं कुछ सीमा तक जुताई एवं कृषि उपज ढुलाई व्यय मुख्य

रही है। इस व्यय को कृषि आय में से बाकी निकालने पर जो आय शेष रही वही कृषि की शुद्ध आय मानी जा सकती है।

तालिका सं. 5.18 कृषि की सकल आय एवं कृषि पर व्यय की स्थिति दर्शाती है।

तालिका सं. 5.18

कृषि आय एवं व्यय की स्थिति

(रुपये में)

गांव का नाम	कृषि आय	कृषि व्यय	कृषि व्यय आय के% रुपये में
1	2	3	4
देवा	6050	4830	79.83
चांवरण	6200	17330	279.52
खड़ीरण	37476	22275	59.44
गंगाला	5920	22088	373.11
छत्रगढ़	345406	47726	13.82
मोतीगढ़	8750	6807	77.79
फालना	47000	37463	79.71
खीमेल	23100	8375	36.26
योग	479902	166894	34.78

उक्त तालिका दर्शाती है कि गगाला और चांवरण में कृषि से जो आय हुई है उसकी तुलना में कृषि पर हुये व्यय की मात्रा बहुत अधिक है। वहां सर्वेक्षित साल में वर्षा की कमी से फसलें एक दम चौपट हो गई थी और कृषि आय की तुलना में कृषि पर व्यय की मात्रा क्रमशः 373.11 प्रतिशत और चांवण में 279.52 प्रतिशत थी। अन्य गांवों में छत्रगढ़ ही मात्र ऐसा गांव है जहां कृषि आय की तुलना में कृषि पर व्यय मात्र 13.82 प्रतिशत रहा। इसका कारण वहां नहरी पानी की उपलब्धि थी। सर्वेक्षित गांवों में वही एक मात्र ऐसा गांव है जहां एक सीमा तक नहरी पानी की सुविधा उपलब्ध है। कृषि व्यय की तुलना में आय का आधिक्य दिखाने वाला दूसरा गांव खीमेल है जहां कृषि

व्यय आय का 36.26 प्रतिशत रहा है। सर्वेक्षित गांवों को एक इकाई मान लें तो कुछ कृषि आय में कृषि पर हुये व्यय की मात्रा 34.78 प्रतिशत रही है।

तालिका 5.19 से ज्ञात होता है कि अन्य वर्गों की तुलना में सवर्ण जातियों ने कृषि कार्यों पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय किया है।

तालिका सं. 5.19

जातीय संदर्भ में कृषि व्यय

गांव का नाम	अनु. जन जातियां	अल्प संख्यक समुदाय	सवर्ण जातियां	योग
1	2	3	4	5
1. देवा	1245	500	3085	4830
2. चांवण	705	1950	14675	17330
3. खड़ीण	—	—	22275	22275
4. गगाला	—	22088	—	22088
5. छत्रगढ़	6185	24360	17181	47726
6. मोतीगढ़	1100	1069	4638	6807
7. फालना	7088	—	30375	37463
8. खीमेल	1500	—	6875	8375
योग	17823 (10.68)	49967 (29.94)	99104 (59.38)	166894 (100)

विश्लेषण से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि अनुसूचित जातियां जन जातियां अल्प संख्यक वर्ग तथा सवर्ण जातियों की अपेक्षा खेती पर कम ध्यान देती हैं और जहां तक वस पड़ता है कृषि कार्यो पर कम पैसा व्यय करती है अर्थात मजदूरी पर उनका व्यय बहुत सीमित रहता है जबकि सवर्ण जातियां आवश्यकता पड़ने पर कृषि कार्यों के लिए मजदूरी की सेवायें भी काम में लेती है।

तालिका 5.20 विभिन्न जाति समूहों द्वारा सिंचित कृषि एवं असिंचित कृषि पर किये गये व्यय की स्थिति दर्शाती है।

इस तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति से सम्बन्धित परिवारों ने असिंचित क्षेत्र में कृषि पर मात्र 5644 रुपया व्यय किया है जबकि सिंचित क्षेत्र में 12177 रुपये। अर्थात असिंचित कृषि क्षेत्र

पर कुल व्यय का मात्र 31.67 प्रतिशत व्यय हुआ है जबकि अल्प संख्यक समुदाय ने कुल व्यय का 54.47 प्रतिशत असिंचित खेती पर व्यय किया है और 45.53 प्रतिशत सिंचित खेती पर। लेकिन रकम की दृष्टि से सिंचित खेती पर हुई धन राशि कम नहीं है।

सर्वेक्षित गांवों में सर्वेक्षित परिवारों द्वारा कृषि कार्यों पर किये गये व्यय का प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि प्रति परिवार औसत कृषि व्यय 773 रुपये और प्रति व्यक्ति व्यय 98 रुपये रहा है।

कृषि पर प्रति परिवार सबसे अधिक व्यय सवर्ण जातियों ने किया है—प्रति परिवार 869 रु. और सबसे कम अनुसूचित जाति एवं जनजातियों ने किया है 435 रुपये। अल्प संख्यक समुदाय इस दृष्टि से मध्यवर्ती स्थिति में हैं प्रति प्ररिवार 819 रुपये, जो सवर्णों की तुलना में थोड़ा कम है लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सन्दर्भ में काफी ज्यादा।

पशुपालन पर हुये व्यय की विस्तृत समीक्षा आगे के अध्याय में की गई है। कृषि की तुलना में पशुपालन पर सभी गांवों में अधिक व्यय हुआ है। औसतन प्रति परिवार 2444 रुपये और प्रति व्यक्ति 310 रुपये सबसे कम व्यय प्रति परिवार खड़ीण में हुआ है तो सबसे अधिक मोतीगढ़ में। पशुपालन पर

तालिका सं. 5.22

सर्वेक्षित गांवों में प्रति परिवार औसत शुद्ध आय

(रुपये में)

गांव का नाम	प्रति परिवार शुद्ध आय
1. देवा	6971
2. चांधण	8247
3. खड़ीण	5195
4. गंगाला	6237
5. छत्रगढ़	12087
6. मोतीगढ़	13374
7. फालना	4945
8. खीमेल	15132
योग	8610

तालिका सं. 5.20

जातीय संदर्भ में कृषि पर व्यय

(क) अनुसूचित जाति–जनजातियां

(क्षेत्र हैक्टर में/रुपये में)

गांव का नाम	असिंचित क्षेत्र	कृषि व्यय	सिंचित क्षेत्र	कृषि व्यय	योग कृषि क्षेत्र	व्यय
1	2	3	4	5	6 का. 2+4	7 का. 3+5
1. देवा	33.80	845	4.00	400	37.80	1245
2. चांघन	28.30	705	—	—	28.20	705
3. खड़ीएा	—	—	—	—	—	—
4. गंगाला	—	—	—	—	—	—
5. छत्रगढ़	61.25	1531	23.27	4654	84.52	6185
6. मोतीगढ़	27.50	1100	—	—	27.50	1100
7. फालना	23.50	588	26.00	6500	49.50	7088
8. खीमेल	35.00	875	2.50	625	37.50	1500
योग	209.25	5644	55.77	12179	265.02	17823

(ख) अल्प संख्यक समुदाय

1	2	3	4	5	6	7
1. देवा	20.00	500	—	—	20.00	500
2. चांधरा	78.00	1950	—	—	78.20	1950
3. खड़ीरा	—	—	—	—	—	—
4. गंगाला	883.50	22088	—	—	883.50	22088
5. छत्रगढ़	64.40	1610	91.00	22750	155.40	24360
6. मोतीगढ़	42.75	1069	—	—	42.75	1069
7. फालना	—	—	—	—	—	—
8. खीमेल	—	—	—	—	—	—
योग	1088.65	27217	91.00	22750	1179 65	49967

(ग) सवर्ण जातियां

1	2	3	4	5	6	7
1. देवा	20.50	1025	10.30	2060	30.80	30.85
2. चांधरा	293.50	14675	—	—	293.50	146.75
3. खड़ीरा	445.50	22275	—	—	445.50	22275
4. गंगाला	—	—	—	—	—	—
5. छत्रगढ़	94.52	4726	49.82	12455	144.34	171.81
6. मोतीगढ़	92.75	4638	—	—	92.75	4638
7. फालना	42.00	2100	94.25	28275	136.25	30375
8. खीमेल	40 00	2000	16.25	4875	56.15	6875
योग	1028.67	51439	170.12	47665	1199.29	99104

नोट :–व्यय में केवल बीज, लगान, सिंचाई शुल्क, इंजिन मोटर पम्प का व्यय और जुताई का वास्तविक व्यय (पैसे देकर कराई गई जुताई व्यय) शामिल है। इसमें कृषक परिवारों का श्रम एवं उनके पशुओं द्वारा दिये गये योग का मूल्य शामिल नहीं किया गया है।

तालिका 5.21

जातीय संदर्भ में कृषि पर औसत वार्षिक व्यय-प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति

गांव का नाम	अनु. सू. जाति व जन जातियां		अल्प संख्यक समुदाय		सवर्ण जातियां		योग	
	प्रति परि.	प्रति व्यक्ति	प्रति परि.	प्रति व्यक्ति	प्रति परि.	प्रति व्यक्ति	प्रति परि.	प्रति व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. देवा	178	26	500	71	441	59	322	45
2. चांवण	235	39	244	32	1223	136	753	93
3. खड़ीण	—	—	—	—	825	98	825	98
4. गगाला	—	—	850	104	—	—	850	104
5. छत्रगढ़	515	75	1160	149	720	107	837	118
6. मोतीगढ़	550	23	213	18	464	51	400	35
7. फालना	506	81	—	—	1185	171	892	141
8. खीमेल	500	37	—	—	1146	113	931	82
योग	435	55	819	100	869	113	773	98

व्यय का पशुधन की आय में कुल अंश 37.17 प्रतिशत है। फालना में सबसे ज्यादा 54.33 प्रतिशत और खड़ीण में सबसे कम 7.35 प्रतिशत।

कृषि एवं पशु पालन पर हुये व्यय को बाकी निकालने के बाद विभिन्न गांवों में प्रति परिवार शुद्ध आय की स्थिति सारणी 2.22 है।

शुद्ध आय की दृष्टि से देखें तो प्रति परिवार न्यूनतम औसत आय फालना में 4945 रुपये और सबसे ज्यादा खीमेल में 15132 रुपये है। लेकिन प्रति व्यक्ति शुद्ध आय की दृष्टि से छत्रगढ़ सबसे बेहतर स्थिति में हैं जहां प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 1696 है। (तालिका सं. 5.23) प्रति परिवार शुद्ध आय की दृष्टि से दूसरे स्थान पर मोतीगढ़ में प्रति परिवार 13374 रुपये और तीसरे नम्बर पर छत्रगढ़ में 2087 रुपये प्रति परिवार। मोतीगढ़ में शुद्ध आय अधिक होने का एक मुख्य कारण सर्वेक्षित अवधि में सर्वेक्षित परिवारों द्वारा भारी मात्रा में पशु बिक्री करना भी रहा है। वहां पशु बिक्री से प्रति परिवार औसत आय 8235 रुपये हुई है क्योंकि कई परिवारों ने अपने भेड़ों के रेवड़ का एक बड़ा हिस्सा बेच डाला है। इसी प्रकार खीमेल में शुद्ध आय अधिक होने का एक कारण वहां पशुधन से इतर श्रोतों से आय होना भी है। एक सर्वेक्षित परिवार के तो चार सदस्य नौकरी कर रहे हैं जिनकी पूरी आय परिवार के मुखिया को प्राप्त हो जाती है।

प्रति व्यक्ति शुद्ध आय की स्थिति तालिका सं. 5.23 से जानी जा सकती है।

तालिका का विश्लेषण करने पर हम पायेंगे कि यद्यपि प्रति परि-वार औसत शुद्ध आय की दृष्टि से खीमेल का पहला स्थान है लेकिन प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में उसका स्थान दूसरे स्थान पर रह गया है। इसी प्रकार मोतीगढ़ में प्रति परिवार शुद्ध आय 13370 रुपये हैं लेकिन प्रति व्यक्ति आय 1160 रुपये हैं जो छत्रगढ़ के 1696 रुपये की तुलना में, बहुत कम है।

फालना एवं गंगाला में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय देवा से भी कम है जबकि फालना में प्रति परिवार शुद्ध आय 4945 रुपये (न्यूनतम) होते हुये भी प्रति व्यक्ति शुद्ध आय गंगाला और खड़ीण दोनों की तुलना में अधिक है।

पशुपालन कार्य में होने वाले व्यय के सभी मुद्दों पर विचार करना आव-श्यक है। वैसे सामान्यतः पशुपालक पशुपालन व्यवसाय को एक उद्योग के रूप में न चलाकर परम्परागत कार्य तथा अपने सामाजिक-आर्थिक जीवन के अंग के रूप में चलाता है। लेकिन जैसा कि इस अध्ययन से स्पष्ट है पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन मुख्य आर्थिक व्यवसाय है। आर्थिक जीवन में इसके महत्व को देखते

हुए उसके व्यावसायिक पक्ष को सभी मदों के सन्दर्भ में देखना उचित होगा । हांलाकि पशुपालक कई मदों की ओर ध्यान नहीं देता, जैसे इस कार्य में लगने वाला स्वयं का एवं परिवार का श्रम, पशुधन में लगी पूंजी एवं उस पर व्याज, घर के चारे दाने की कीमत आदि ।

तालिका सं. 5. 23

सर्वेक्षित गांवों में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय

(रुपये में)

गांव का नाम	प्रति व्यक्ति शुद्ध आय (वार्षिक)
1	2
1. देवा	964
2. चांधरण	1037
3. खड़ीण	618
4. गंगाला	747
5. छत्रगढ़	1696
6. मोतीगढ़	1160
7. फालना	784
8. खीमेल	1335
योग	**1192**

आगे इस अध्याय में निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया है :—

1. व्यय के सभी मदों को शामिल करने पर पशु पालन व्यवसाय में लाभ हानि की स्थिति ।
2. दूध के उपयोग, बिक्री तथा पशुधन से होने वाली आय की मदों की व्याख्या ।
3. गाय भैंस की अलग-अलग स्थिति का स्पष्टीकरण ।
4. प्रति गाय तथा प्रति भैंस की उत्पादकता की स्थिति का विश्लेपण

पशुपालन पर व्यय

1. पशुपालन पर होने वाले व्यय की मुख्य मदें हैं :—व्यवसाय में लगी

पूंजी पशु संपदा की मूल्य राशि अन्य रोजगार श्रोतों में लगती है तो उससे प्राप्त होने वाला संभावित व्याज।

2. पशु आहार (दाना, चारा, वांट आदि, चाहे वह घर में पैदा हुआ हो या खरीदा गया हो।)
3. पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था (इस क्षेत्र में पशुओं के लिए पेयजल जुटाने में भी काफी श्रम एवं पैसा लगता है)
4. पशु रोगों की चिकित्सा एवं रोकथाम पर होने वाला व्यय आदि।

पशु पालन पर हुये नकद व्यय की विवेचना आगे की गई है। इस व्यय में उपरोक्त सभी मुद्दों पर हुये नकद व्यय की धनराशि जोड़ दी गई है लेकिन नकद व्यय के अलावा भी पशुपालन व्यवसाय में जो समय एवं साधन खर्च होते हैं, उनका अनुमानित मूल्य भी लगाकर इस व्यवसाय से होने वाली लाभ-हानि की समग्र स्थिति आंकना समीचीन होगा, इसी दृष्टि से पशुपालन पर हुये व्यय सम्बन्धी जानकारी नीचे की पंक्तियों में दी जा रही है।

इस क्षेत्र में दुधारू पशुओं में गोधन प्रथम स्थान पर है। उसके बाद भैंस का स्थान है। गोधन पर हुये नकद व्यय एवं पारिवारिक श्रम तथा घरेलू साधनों के उपयोग के रूप में हुये व्यय की गांववार स्थिति सारणी में दी गई है :—

सर्वेक्षित 8 गांवों में से केवल 4 गांवों में ही सर्वेक्षित परिवारों के पास भैंसे हैं। इन भैंसों के पालन पर हुये व्यय की स्थिति इस प्रकार है :—

इस सम्पूर्ण क्षेत्र में ही पशुधन में भेड़ बकरियों का उल्लेखनीय स्थान है। लेकिन भेड़-बकरियों को घर पर चारा-दाना खिलाने का रिवाज नहीं के बराबर है। बकरियां ब्याती हैं तो उन्हें जो विशेष आहार दिया जाता है, वह प्रायः नकद खरीदकर दिया पाया गया है। इसलिए नीचे दी जा रही नकद व्यय की राशियों में वह समाविष्ट है। इसके अलावा बड़े रेवड़ रखने वाले परिवार वैतनिक आधार पर जो मजदूर रखते हैं, उनका समावेश भी नकद व्यय में कर लिया गया है। भेड़ बकरियों पर हुए व्यय की निम्न स्थिति देखते हैं।

तालिका सं. 5.24

पशुपालन पर व्यय की मदें

(रुपयों में)

गांव का नाम	दाना	चारा	नकद व्यय	गोधन का ब्याज	घरेलू श्रम का मूल्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
देवा	14800	18500	1850	19065	58250	112965
चांधरा	31600	39500	49375	42945	105425	268845
खड़ीण	16000	20000	1500	22560	95298	155358
गंगाला	40200	50000	81400	228170	106255	306025
छत्रगढ़	49200	90000	137652	91254	155619	523725
मोतीगढ़	24600	30000	42940	33320	54016	184886
फालना	17200	30000	49162	30480	146673	273515
खीमेल	11200	20000	17994	15375	36143	100712
योग	204800	298000	381873	283179	757679	1925531

तालिका स. 5.25

भैंसों के पालन पर अनुमानित व्यय

(रुपयों में)

गांव का नाम	घर का दाना, बांट	घर का चारा	नकद व्यय (खरीदे गये चारे दाने का मूल्य एवं पशु चिकित्सा व्यय	धन का पूंजीगत ब्याज	घरेलू श्रम का मूल्य	व्यय योग
1	2	3	4	5	6	7
छत्रगढ़	4000	5000	6348	2250	4521	22119
मोतीगढ़	4000	4000	7685	1800	2857	20342
फालना	53000	50000	61238	15900	25162	205300
खोमेल	16000	16000	10606	7200	6512	56318
योग	77000	75000	85877	27150	39052	304079

तालिका सं. 5.26

भेड़ बकरियों पर व्यय

(रुपयों में)

गांव का नाम	नकद व्यय	पूंजीगत ब्याज	घरेलू श्रम	योग 2+4	कुल योग 2+3+4
1	2	3	4	5	6
देवा	1180	17700	15750	16930	34630
चांघरा	1730	25950	25185	26915	52865
खड़ीण	364	5460	14182	14546	20006
गंगाला	1556	23340	42705	44261	67601
छत्रगढ़	18500	61500	124830	143330	204830
मोतीगढ़	35840	105600	46537	82377	187977
फालना	522	7830	22995	23517	31347
खीमेल	568	85[illegible]0	9855	10423	1[illegible]943
योग	60260	255900	302039	362299	6[illegible]8199

दुधारू पशुओं की दृष्टि से पशु पालन व्यवसाय में हुए इस सम्पूर्ण व्यय के संदर्भ में पशुपालन व्यवसाय से हुई सकल आय (पशु उत्पाद की विक्री+पशु उत्पाद का उपयोग) का विश्लेषण करें तो स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकती है :

तालिका सं. 5.27

दूध उत्पादन से आय (गाय एवं भैंस दोनों सम्मिलित)

(रुपयों में)

गांव का नाम	दूध विक्री	दूध, घी का उपयोग	दूध उत्पादन का कुल मूल्य
1	2	3	4
देवा	1200	30230	31430
चांवण	109700	86215	195915
खड़ीण	9425	92307	101732
गंगाला	200460	139037	339497
छत्रगढ़	294040	156677	45017
मोतीगढ़	70665	60046	130711
फालना	172560	117080	289640
खीमेल	57900	43199	101099
योग	915950	724791	1640741

दूध के अलावा गोधन एवं भैंस सम्पदा दोनों से ही दो प्रकार की आय और होती है। एक तो नई व्यात के कारण पशुओं की संख्या वढ़ती है और वढ़े हुए पशुओं का अतिरिक्त मूल्य आय के रूप में जोड़ा जा सकता है। लेकिन सर्वेक्षित साल में अकाल की भयंकर स्थिति के कारण नई व्यात कम हुई है इसलिए पशुओं की संख्या में वढ़ोतरी नहीं हुई है क्योंकि जो कुछ वढ़ोतरी हुई है, उससे अधिक मात्रा में पशु भुखमरी के कारण मर गये हैं। इसके अलावा उनकी गुण-वता में कमी आई है। वैसे भी आय के आंकलन में दर गुजर नहीं किया जा सकता है। उक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पूंजीगत वढ़ोतरी वाली आय को हमने शून्य स्थिति के रूप में स्वीकार कर लिया है।

दूसरी आय इन पशुओं द्वारा कृषि में किये गये योगदान का आंकलन से देखी जा सकती है। वर्षा की कमी के कारण इस वार कृषि कार्यों की जो स्थिति रही है, उसमें पशुधन के उपयोग से अपेक्षित आय भी शून्य के वरावर रही है। हां, वैलगाड़ियों के माध्यम से कुछ आय अवश्य हुई है जो निम्न प्रकार है :—

गांव का नाम	वैलगाड़ियों से आय रुपये में
1	2
फालना	18000
खीमेल	6-00
योग	24400

नोट :—वैल गाड़ियों के अलावा माल ढुलाई का कार्य ऊंट गाड़ियों से भी किया गया है जो पशुधन से हुई आय में सम्मिलित है। (तालिका सं. 5.11) वैलगाड़ियों से 24400 रुपये की आय हुई है। और ऊंट गाड़ियों से 56800) रुपये।

गोधन से हुई सकल आय के सन्दर्भ में निम्न स्थिति रही है।

तालिका सं. 5.28

(रुपयों में)

गांव का नाम	गोधन से सकल आय दूध उत्पादन का मूल्य (विक्री किये गये दूध का मूल्य एवं घरेलू उपयोग सम्मिलित)	वैलगाड़ियों का किराया	योग
1	2	3	4
देवा	31430	—	31430
चांधरण	195915	—	195915
खड़ीरण	101732	—	101732
गंगाला	339497	—	339497
छत्रगढ़	410457	—	410457
मोतीगढ़	100729	—	100729
फालना	78120	18000	95120
खीमेल	44897	6400	51297
योग	1302777	24400	1327177

गोवन से हुई सकल आय एवं गोवन पर हुए सकल व्यय की तुलना करें तो निम्न स्थिति पाते हैं।

तालिका सं. 5.29

गांव का नाम	गोवन से सकल आय	गोवन पर सकल व्यय	लाभ–हानि + —
1	2	3	4
देवा	31430	112465	— 81035
चांवण	195915	268845	— 72930
खड़ीण	101732	155358	— 53626
गंगाला	339497	306025	+ 33472
छत्रगढ़	410457	523725	— 113268
मोतीगढ़	100729	184886	— 84157
फालना	96120	273515	— 177395
खीमेल	51297	100712	— 49415
योग	1327177	1925531	— 598354

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि गंगाला को छोड़कर सभी गांवों में पशुपालन व्यवसाय घाटे में चल रहे हैं। लेकिन आय व्यय की सकल राशि में से उनके द्वारा किये गये श्रम के मूल्य को निकाल दें तो निम्न स्थिति रहती है।

तालिका सं. 5.30

पारिवारिक श्रम को निकालकर आय व्यय की स्थिति (गोधन)

गांव का नाम	गोधन से आय	गोधन पर व्यय (घरेलू श्रम छोड़कर)	लाभ+हानि
1	2	3	4
देवा	31430	54215	— 22785
चांधण	195915	163420	+ 32495
खड़ीण	101732	60060	+ 41672
गंगाला	339497	199770	+ 139727
छत्रगढ़	410457	368106	+ 42351
मोतीगढ़	100729	130870	— 30141
फालना	96120	126842	— 30722
खीमेल	51297	64569	— 13272
योग	1327177	1167852	— 159325

इस प्रकार सर्वेक्षित चार गांवों–देवा, मोतीगढ़, फालना और खीमेल में घरेलू श्रम का मूल्य घटाने के बाद भी गौ पालक पशुपालन व्यवसाय घाटे में चला रहे हैं।

गौ धन में लगी पूंजी का व्याज भी घरेलू श्रम के मूल्य के साथ व्यय की राशि में से बाकी निकालें तो लाभ–हानि की स्थिति बदली हुई नजर आती है।

तालिका 5.31

ब्याज एवं श्रम को छोड़कर आय-व्यय की स्थिति

(रुपये में)

गांव का नाम	गोधन से आय	गोधन पर हुये व्यय में से घरेलू श्रम का मूल्य एवं लगी पूंजी का ब्याज निकालने पर व्यय	लाभ-हानि
1	2	3	4
देवा	31430	35150	— 3720
चांघरण	195915	120475	+ 75440
खड़ीरण	101732	37500	+ 64232
गंगाला	339497	171600	+ 167897
छत्रगढ़	410457	276852	+ 133605
मोतीगढ़	100729	97540	+ 3189
फालना	96120	96362	— 242
खीमेल	51297	49194	+ 2103
योग	1327177	884673	+442504

तालिका दर्शाती है कि गोधन में लगी पूंजी का ब्याज एवं परिवार के सदस्यों द्वारा किये गये श्रम का मूल्य व्यय में शामिल न करें तब भी देवा और फालना दोनों गांवों में सर्वेक्षित गोपालक परिवार गोपालन व्यवसाय घाटे में चला रहे हैं और खीमेल में भी बहुत मामूली लाभ देखने में आता है।

अपने श्रम, पूंजीगत ब्याज एवं अपने कब्जे की भूमि में पैदा किये गये चारे दाने का मूल्य गोपालन में हुये व्यय से बाकी निकाल दे तो स्थिति में गुणात्मक सुधार दिखाई दे सकता है।

तालिका सं. 5.32

श्रम, पूंजीगत ब्याज तथा घर के चारे-दाने को छोड़कर आय-व्यय

(रुपये में)

गांव का नाम	गोधन से आय	पारिवारिक श्रम, पूंजी गत ब्याज एवं अपनी भूमि एवं श्रम से उत्पादित चारे का मूल्य घटाने के बाद पशुपालन पर हुआ व्यय	लाभ-हानि
1	2	3	4
देवा	31430	1850	+ 29580
चांधण	195915	49375	+ 146540
खड़ीण	101732	1500	+ 100232
गंगाला	339497	81400	+ 258097
छत्रगढ़	410457	137652	+ 272805
मोतीगढ़	100729	42940	+ 57789
फालना	96120	49162	+ 46958
खीमेल	51297	17994	+ 33303
योग	1327177	381873	+ 945304

उक्त तालिका दर्शाती है कि केवल नकद व्यय को व्यय मानकर चलते हैं तभी गोपालन व्यवसाय नफे का सौदा रहता है। घरेलू श्रम, घर की पूंजी का ब्याज और परिवार के सदस्यों द्वारा गाढ़ी मेहनत से पैदा किये गये चारे-दाने को व्यय में शामिल करें तो घाटा रहता है और वर्षा की कमी होने पर घाटा बढ़ जाता है क्योंकि एक ओर पैदावार घट जाती है और दूसरी ओर पशुपालक को महंगे भाव पर दाना-चारा खरीदकर खिलाना पड़ता है। इसके अलावा दुर्भिक्ष की स्थिति में परिवार के सदस्यों को भी अपने पशुधन की रक्षा एवं देख-भाल के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है एवं अधिक पारिवारिक श्रम के अलावा पशुओं को बचाने के लिए वैतनिक मजदूर रखकर पशुओं को चराई के लिए बाहर भेजना पड़ता है।

भैंस पालन से हुई ग्राय एवं भैंस पालन पर हुये व्यय का विश्लेषण करने पर यह जानकारी मिल सकती है कि ग्रार्थिक दृष्टि से दुधारू पशुग्रों में गोपालन एवं भैंस पालन व्यवसाय की तुलनात्मक स्थिति कैसी है ?

सर्वेक्षित 8 गांवों में से चार गांवों में सर्वेक्षित परिवारों के पास भैंसें पाई गई है। सर्वेक्षित ग्रवधि में 536 गाय भैंस दूध दे रही थी ;जिनमें दूध दे रही गांयों की सख्या 458 ग्रौर भैंसों की संख्या 78 थी। गायों से कुल 548860 किलो दूध उत्पादन हुग्रा ग्रौर भैंसों से 88880 किलो।

भैंसों से हुई ग्राय की स्थिति निम्न प्रकार है।

तालिका सं. 5.33

भैंस पालन में सकल ग्राय

(रुपयो में)

गांव का नाम	भैंस के दूध उत्पादन से ग्राय	भैंस पालन पर सकल व्यय	लाभ—हानि
1	2	3	4
छत्रगढ़	40260	22119	+ 18141
मोतीगढ़	29982	20342	+ 9640
फालना	211520	205300	+ 622J
खीमेल	56202	56318	— 116
योग	337964	304079	— 33885

भैंस पालन पर हुये व्यय (तालिका सं. 5.33) के ग्रवलोकन से ज्ञात होता है कि भैंस पालन पर कुल मिलाकर 304079 रुपये व्यय हुये हैं। जबकि ग्राय 337964 रुपये हुई है ग्रर्थात कुल मिलाकर 33885 रुपये का मुनाफा हुग्रा है, ग्रकाल की विषम परिस्थिति में भी चार में से तीन गांवों के भैंस पालकों को भैंस पालन व्यवसाय में लाभ हुग्रा है केवल एक गांव के भैंस पालक परिवारों ने मामूली घाटा पाया गया है। यदि भैंस पालन की विभिन्न मदों पर हुये व्यय में से पारिवारिक श्रम का मूल्य वाकी निकाल दें तो भैंस पालन व्यवसाय का मुनाफा बढ़ जाता है। देखें नीचे तालिका सं. 5.34।

तालिका सं. 5.34

घर के श्रम को छोड़कर आय व्यय

गांव का नाम	भैंस पालन से आय	घरेलू श्रम का मूल्य छोड़कर शेष व्यय	लाभ हानि
1	2	3	4
छत्रगढ़	40260	17598	+ 22662
मोतीगढ़	29982	17485	+ 12497
फालना	211520	180138	+ 31382
खीमेल	56202	49806	+ 6396
योग	337964	265027	+ 72937

इस प्रकार सर्वेक्षित सभी गांवों के भैंस पालक परिवारों के लिए भैंस पालन आर्थिक दृष्टि से फायदे का सौदा है । यदि भैंस पालन व्यवसाय में लगी पूंजी का व्याज निकालकर लाभ-हानि का विश्लेषण करें तो निम्न स्थिति पाते हैं ।

तालिका सं. 5.35

व्याज निकालकर आय-व्यय-भैंस

(रुपये)

गांव का नाम	भैंस पालन से आय	घरेलू श्रम एवं पूंजीगत व्याज को निकालकर शेष व्यय	लाभ-हानि
1	2	3	4
छत्रगढ़	40260	15348	+ 24912
मोतीगढ़	29982	15685	+ 14297
फालना	211520	164238	+ 47282
खीमेल	56202	42606	+ 13596
योग	337964	237877	+ 100087

इस प्रकार सभी गांवों में भैंस पालक परिवारों का लाभ बड़ा है और लाभ की मात्रा 1 लाख रुपये से भी अधिक हो गई है।

यदि स्वयं के द्वारा उत्पादित चारे-दाने का मूल्य भैंस पालन पर हुए सकल व्यय में से बाकी निकाल दें तो निम्न स्थिति रहती है।

तालिका संख्या 5.36

(रुपयों में)

स्वयं उत्पादित चारे को छोड़कर (आय-व्यय) भैंस

गांव का नाम	भैंस पालन से आय	घरेलू श्रम, पूंजीगत व्याज एवं घर के चारे दाने का मूल्य सकल व्यय में से	लाभ-हानि
1	2	3	4
छत्रगढ़	40260	6348	+ 33912
मोतीगढ़	29982	7685	+ 22297
फालना	211520	61238	+ 150282
खींमेल	56202	10606	+ 45596
योग	337964	85877	+ 252087

भैंस पालन पर होने वाले व्यय में चारे दाने का अंश बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर 152000) रुपये भैंसों के चारे दाने पर व्यय हुआ है जबकि नकद व्यय रुपये 85877) हुआ है। इस प्रकार घर में उत्पादित चारे-दाने का मूल्य घटाने पर मुनाफा और बढ़ जाता है। लेकिन गाय और भैंस दोनों से होने वाली आय-व्यय का विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेपण करने पर पाते हैं कि गाय की तुलना में भैंस पशुपालक को अधिक सुदृढ़ आर्थिक आधार प्रदान करती है।

सर्वेक्षित गांवों में भेड़ बकरियों के पालन से हुई सकल आय एवं भेड़-बकरियां पालन के व्यवसाय में हुई व्यय की निम्न स्थिति है :—

तालिका सं. 5.37

भेड़–बकरी पालन में आय एवं व्यय

(रुपयों में)

गांव का नाम	भेड़ बकरी पालन से सकल आय	भेड़ बकरी पालन से सकल व्यय	लाभ हानि
1	2	3	4
देवा	16470	34630	— 18160
चांधरण	52704	52865	— 161
खड़ीरण	15950	20006	— 4056
गंगाला	15800	67601	— 51801
छत्रगढ़	78055	204830	— 126775
मोतीगढ़	219300	167977	+ 31323
फालना	13600	31347	— 17747
खीमेल	11340	18943	— 194980
योग	423219	618199	— 194980

सकल व्यय को सम्मिलित करके भेड़ बकरी पालन व्यवसाय का आय के संदर्भ में विश्लेषण करें तो देखते हैं कि अकेले मोतीगढ़ के भेड़–बकरी पालक ही मुनाफे में दिखाई देते हैं और उसका एक मुख्य कारण न केवल भेड़–बकरियों की सख्या अधिक होना है बल्कि अकाल के कारण भेड़ बकरियों की अधिक मात्रा में बिक्री होना भी है।

सकल व्यय में से घरेलू श्रम के मूल्य को बाकी निकालने पर निम्न स्थिति आती है।

तालिका सं. 5.38

घरेलू श्रम को छोड़कर भेड़–बकरी पालन में आय–व्यय

(रुपयों में)

गांव का नाम	भेड़ वकरी पालन से आय	घरेलू श्रम को छोड़कर भेड़ वकरी पालन पर व्यय	लाभ हानि
1	2	3	4
देवा	16470	18880	— 2410
चांवण	52704	27680	+ 25024
खड़ीण	15950	5824	+ 10126
गंगाला	15800	24896	— 9096
छत्रगढ़	78055	80000	— 1945
मोतीगढ़	219300	141440	+ 77860
फालना	13600	8352	+ 5248
सीमिल	11340	9088	+ 2252
योग	423219	316160	+107059

घरेलू श्रम को व्यय में शामिल न करे तो 5 गांवों के भेड़–वकरी पालक लाभ दर्शाते हैं और तीन गांवों–देवा, गंगाला और छत्रगढ़ के हानि।

भेड़ वकरियों के पालन पर हुये सकल व्यय में घरेलू श्रम एवं पूंजीगत ब्याज निकालकर व्यय को देखें तो गांववार निम्न स्थिति आती है :—

तालिका सं. 5.39

पूंजीगत व्याज छोड़कर आय-व्यय (भेड़-वकरी)

(रुपयों में)

गांव का नाम	भेड़ वकरी पालन से आय	पारिवारिक श्रम एवं पूंजीगत व्याज को निकालने के वाद व्यय	लाभ हानि
1	2	3	4
देवा	16470	1180	+ 15290
चांधण	52704	1730	+ 50974
खड़ीण	15950	364	+ 15586
गंगाला	15800	1556	+ 14244
छत्रगढ़	78055	18500	+ 59555
मोतीगढ़	219300	35840	+ 183460
फालना	13600	522	+ 13078
खीमेल	11340	568	+ 10772
योग	423219	60260	+ 362959

उक्त तालिका दर्शाती है कि व्यवसाय की दृष्टि से भेड़ एवं वकरी पालन भी सदैव नफे का सौदा नहीं रहता लेकिन यदि भेड़ वकरी पालकों का श्रम एवं भेड़ वकरी की कीमत के रूप में लगी पूंजी का व्याज व्यय में शुमार न करें तो भेड़-वकरी पालन लाभ दायक व्यवसाय वन जाता है।

सर्वेक्षित गांवों में दूध दे रही गायों की संख्या 458 है और भैंसों की संख्या 78। शेष गायों में वाखड़ी एवं वूढ़ी गायें तथा वछड़े वछड़ियां है जिनसे अभी कोई आय नहीं होती। इसी प्रकार दूध दे रही भैंसों के अलावा शेष वूढ़ी एवं वाखड़ी भैंसें तथा पाड़े-पाड़ी हैं जिनसे अभी कोई आय नहीं होती। इसलिए प्रति पशु आय एवं व्यय निकालते समय दूध दे रही गायें एवं भैंसे ही आय एवं व्यय के संदर्भ में ली जा रही है।

इन गायों तथा भैंसों के पालन एवं रख रखाव में लगे श्रम एवं पूंजीगत व्याज की मात्रा भी न्यूनाधिक कागजी जमा-खर्च ही होता है और पशुपालक व्यावहारिक जीवन में इसे उसी रूप में लेता है।

वह या तो नकद व्यय की भाषा समझता है या फिर चारे दाने के रूप में प्रयुक्त साधनों के मूल्य की भाषा समझता है क्योंकि वह उन्हें बेचकर नकद पैसा वसूल कर सकता है इसलिए हम इसी आधार को मानकर प्रति पशु आय एवं व्यय को दर्शाना उपयुक्त मानते हैं।

तालिका सं. 5.40

प्रति गोधन आय–व्यय

(रुपयों में)

गाव का नाम	दूध दे रही गायों से सकल आय (सकल दूध उत्पादन मूल्य)	प्रति गाय आय	दूध दे रही गायों पर व्यय	प्रति गाय व्यय
1	2	3	4	5
देवा	31430	849	35150	950
चांधण	195915	2479	120475	1525
खड़ीण	101732	2543	73500	937
गंगाला	339497	5067	171600	2561
छत्रगढ़	410457	3237	276852	2250
मोतीगढ़	100729	2456	97540	2379
फालना	78120	1816	96362	2240
खीमेल	44897	1603	49194	1756
योग	1302777	2844.49	884673	1931.60

तालिकाओं से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित गांवों में जहां प्रति दूध दे रही गाय से आय रुपये 2844 प्रति गाय है, वहीं खर्च रुपये 1931 है। इस प्रकार पशुपालक को प्रति दूध दे रही गाय 912 रुपये लाभ होता है, जबकि भैंस पालन में प्रति दूध दे रही भैंस से रुपये 1283 प्रति भैंस शुद्ध आय होती है। अलग–अलग गांवों में प्रति पशु आय एवं व्यय की स्थिति अलग है। उदाहरण के लिए जहां छत्रगढ़ में प्रति भैंस लाभ लगभग

5 हजार रुपये हैं, वहीं मोतीगढ़ में साढ़े तीन हजार रुपये के लगभग है और फालना में लगभग नौ सौ रुपये तथा खीमेल में लगभग 850 रुपये।

तालिका संख्या 5.41

प्रति भैंस आय व्यय की स्थिति

रुपयों में

गांव का नाम	दूध दे रही भैंसों से आय	प्रति भैंस आय	दूध दे रही भैंसों पर व्यय चारा दाना+ नकद व्यय	प्रति भैंस व्यय
1	2	3	4	5
छत्रगढ़	40260	8052	15348	3068
मोतीगढ़	29982	7495	15685	3921
फालना	211520	3990	164238	3098
खीमेल	56202	3512	42606	2662
योग	337964	4332	237877	3049

देवा में गोपालक सबसे अधिक घाटे में हैं क्योंकि उनके दूध उत्पादन की विक्री की समुचित व्यवस्था नहीं है और वे दूध का घी बनाकर बेचने में उन्हें दूध का 2 रुपये प्रति किलो भाव भी नहीं मिलता। गंगाला में प्रति गाय पशु पालक को 2500 रुपये के लगभग शुद्ध आय होती है जो अन्य गांवों की तुलना में सबसे अधिक है। इसके दो कारण है : एक तो उन्हें दूध डेयरी के कारण दूध का प्रति किलो भाव अधिक मिल जाता है दूसरे वे अच्छे पशुपालक होने के कारण दूध देने वाले पशुओं को चारा–दाना पर्याप्त में खिलाने का प्रयास करते हैं और उनसे अधिक दूध उत्पादन लेकर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर रखने का महत्व समझते हैं।

फालना एवं खीमेल में भी गोपालकों की स्थिति विशेष अच्छी नहीं है। चारे दाने के भाव तेज होने के कारण उन्हें प्रायः घाटा उठाना पड़ रहा है लेकिन भैंस पालन में घाटा नहीं है। इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि भैंस की तुलना में गोपालन के प्रति पशु पालकों में अभिरुचि कम है।

उत्पादकता

इस अध्याय में सर्वेक्षित परिवारों के दुधारू पशुओं की उत्पादकता पर विचार किया गया है। स्पष्ट है पशु उत्पाद में दुग्ध उत्पादन सर्व प्रमुख है। इसी दृष्टि से दुग्ध उत्पादन की स्थिति को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास किया गया है। इस अध्याय में दुग्ध उत्पादन के साथ-साथ विक्री पक्ष पर भी संक्षेप में विचार किया गया है।

प्रस्तुत अध्याय में मुख्य रूप से इन मुद्दों को शामिल किया गया है।

1. दुधारू पशुधन की स्थिति-संख्या, अनुपात, तथा सामाजिक सदर्भ में विवेचन।
2. प्रति पशु दूध उत्पादन
3. प्रति परिवार एवं व्यक्ति उत्पादन की स्थिति
4. पशु शृंखला के अनुसार दूध उत्पादन एव विक्री
5. जोत श्रेणी के अनुसार दूध उत्पादन एवं विक्री
6. अन्य मुद्दे

दुधारू पशु का कुल पशुधन में अनुपात

जैसा कि पहले संकेत दिया जा चुका है, दूध उत्पादन की दृष्टि से सर्वेक्षित क्षेत्र में दुधारू पशुओं-खासतौर से गायों का बहुत महत्व है। स्थानीय लोग अपने गोधन की नस्ल की उत्तमता के प्रति आश्वस्त हैं और संकर नस्ल के प्रति उनके मन में विपरीत धारणायें हैं। सर्वेक्षित गांवों में खीमेल में एक सर्वेक्षित

परिवार के यहां विदेशी नस्ल की एक जर्सी गाय देखने में आई जबकि चांधण स्थित कृषि अनुसंधान एवं नस्ल सुधार केन्द्र द्वारा वेची गई सकर नस्ल की दो तीन गाय व वछड़ियों की जानकारी भी मिली लेकिन वे गायें किसी सर्वेक्षित परिवार ने निलामी में नहीं खरीदी थी।

वर्षा अधिक होने पर चारे का वाहुल्य होने अथवा वारहों महीने चारा मिलने के कारण गायें न केवल ज्यादा मात्रा में ब्याती है वल्कि उनकी दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है। ऐसी गायें भी देखने में आई है जो एक व्यांत में 12 से 15 महीने तक दूध देती है लेकिन सुखी गायों की संख्या भी कम नहीं है।

कुल दुधारू पशुओं में (गाय–भैंस–वाछड़े–वाछड़ी, पाड़े–पाड़ी, वैल एवं भैंस सम्मिलित) दूध दे रहे पशुओं की संख्या 24.61 प्रतिशत है। लेकिन गांव-वार स्थिति देखें तो जहां खीमेल में दूध दे रहे पशु कुल संख्या का 34.11 प्रतिशत है, वहीं चांधण में यह मात्रा 16.12 और देवा में 16.33 प्रतिशत है। यह इस वात का संकेत देता है कि अकाल का सर्वाधिक असर जैसलमेर जिले में पड़ा हे और तुलनात्मक दृष्टि से कम असर पाली एवं वाड़मेर के सर्वेक्षित गांवों में देखने में आ रहा है। बीकानेर जिला वीच की स्थिति में दिखाई देता है। तालिका सं. 6.1 से स्थिति अधिक स्पष्टता से समझ में आ सकती है :—

तालिका सं. 6.1

कुल दुधारू पशुधन में दूध देने वाले पशु का अनुपात

गांव का नाम	कुल दुधारू पशु सख्या	दूध देने वाली गाय भैंस संख्या	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4
1. देवा	228	37	16.33
2. चांधण	490	79	16.12
3. खड़ीण	121	40	33.60
4. गंगाला	223	67	30.04
5. छत्रगढ़	514	128	24.90
6. मोतीगढ़	181	45	24.86
7. फालना	284	96	33.80
8. खीमेल	129	44	34.11
योग	2178	536	24.61

उक्त तालिका से संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में प्रति परिवार औसतन 10 पशु हैं जिनमें औसतन 2 पशु हर समय दूध देते हैं। इसके अलावा कुछ परिवारों में बकरी भी दूध का साधन है। लेकिन उनसे कितना दूध उपलब्ध होता है, उसके सही आंकड़े अलग से प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया। अधिकांश सर्वेक्षित परिवार यह जानकारी देने में अपने आपको असमर्थ अनुभव करते पाये गये।

दुधारू पशु एवं उत्पादकता

हमने दूध दे रहे पशुओं का जातीय संदर्भ में भी विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। तालिका संख्या 6.2 से इस सम्बन्ध में जानकारी मिल सकती है :—

तालिका सं. 6.2

सर्वेक्षित परिवारों में दूध दे रहा पशुधन (जातीय संदर्भ)

गांव का नाम	अनुसूचित जन-जातियां	अल्प संख्यक जा. समुदाय	सवर्ण जातियां	योग
1	2	3	4	5
1. देवा	3	14	2	3
2. चांवण	2	6	5	4
3. खड़ीण	–	–	2	1
4. गंगाला	–	3	–	2
5. छत्रगढ़	2	4	2	3
6. मोतीगढ़	2	5	3	3
7. फालना	1	–	3	2
8. खीमेल	2	–	3	2
योग	2	3	2	2

उक्त आंकड़ों के विश्लेषण से पहले इस तथ्य का उल्लेख करना भी जरूरी है कि पाली जिले में दूध दे रही गाय एव भैंसों का अनुपात 3:1 है जबकि जैसलमेर में यह अनुपात 230.1 है, बीकानेर में 9.1 और बाड़मेर में 12.1 भैंस गायों से अधिक दूध देती है और उन्हें खूंटे पर बांधकर खिलाने की भी

प्रथा है जबकि बहुत कम गायों को खूंटे पर बांधकर चारा–दाना दिया जाता है, यद्यपि अच्छी किस्म की गायें भी भैंसों की तरह 10–15 किलो तक दूध देती देखी गई है।

अब उपरोक्त तालिका का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि सर्वेक्षित अल्प संख्यक समुदाय में दूध दे रहे पशुओं का औसत 3 है जबकि अन्य वर्गों में 2। इसी प्रकार देवा में अल्प संख्यक समुदाय का एक मात्र सर्वेक्षित परिवार सबसे बेहतर हालत में है यद्यपि उसने दूध उत्पादन के जो आंकड़े बताये हैं, वे सही नहीं प्रतीत हुये। इस परिवार में 100 के लगभग पशु हैं जिनमें 14 पशु दूध देते हैं। इस साल की अकाल एव अन्य परिस्थितियों में दूध उत्पादन कम तो हो सकता है लेकिन इतना कम नहीं लगता, जितना बताया है। चांधण में प्रति सर्वेक्षित अल्प सख्यक परिवार में यह संख्या 6 पाई गई है तो मोतीगढ़ में 5 और छत्रगढ़ में 4। फालना में अनुसूचित जातियों के परिवारों में दूध दे रहे पशुओं का औसत 1 है जो सबसे कम है। इसी प्रकार चांधण में सवर्ण परिवारों में दूध दे रहे पशुओं की औसत संख्या लगभग 5 है।

दूध उत्पादन

दूध के औसत उत्पादन के मामले में विभिन्न गो नस्लों एवं भैंसों की क्या स्थिति है. इसका विश्लेषण दोनों प्रकार के पशुओं के अलग–अलग आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण सम्भव नहीं हो पाया। लेकिन दूध दे रही गाय भैंसों की सर्वेक्षित गांवों में कुल मिलाकर जो स्थिति पाई गई है, उसकी जानकारी तालिका सं. 6.3 से हो सकती है।

तालिका दर्शाती है सर्वेक्षित परिवारों में जितनी गाय–भैंस, पाड़े–पाड़ियां, बछड़े–बछड़ियां हैं, उनमें प्रति पशु औसत वार्षिक दूध उत्पादन 292.81 लिटर रहा है जबकि दूध दे रही केवल गायों एवं भैंसों का प्रति पशु 1189.81 लीटर है। अर्थात् जितनी गायें भैंसों ने इस साल दूधदिया है, उनकी औसत दैनिक दूध उत्पादन क्षमता लगभग 3.26 लिटर रही है लेकिन हर गांव में इस सबंध में जो भिन्नता है, वह भी स्पष्ट है। यथा जहां गंगाला में प्रति दूध दे रही गाय भैंस दूध उत्पादन का दैनिक औसत 6.79 लिटर रहा है वहीं देवा में मात्र 1.16 लीटर और खीमेल में 1.95 लीटर। देवा और खीमेल दोनों ही गांवों में चारे की भयंकर किल्लत देखने को मिली। खीमेल में तो हमने सर्वोदय आश्रम के निकट चल रहे पशु शिविर में अच्छी नस्ल की अनेक गायों को दान के चारे पर जीवित रहते देखा और देवा में गांव के एकदम निकट गायों की सड़ती

तालिका सं. 6.3

प्रति पशु औसत दूध उत्पादन (वार्षिक लीटर)

गांव का नाम	प्रति दुधारू पशु	दूध देने वाली गाय भैंस प्रति पशु	प्रतिदिन उत्पादन
1	2	3	4
1. देवा	68.93	424.73	1.16
2. चांवरण	133.28	826.65	2.26
*3. खड़ीण	431.16	1304.25	3.57
*4. गंगाला	744.93	2479.40	6.79
5. छत्रगढ़	359.38	1443.13	3.45
6. मोतीगढ़	274.59	1104.44	3.03
7. फालना	254.98	754.27	2.07
8. खीमेल	242.68	711.36	1.95
योग	292.81	1189.81	3.26

नोट :—इसमें वकरियों का दूध भी सम्मिलित है जिसे विक्री की सुविधा होने से ये लोग गाय भैंस के दूध में मिला लेते हैं। बाड़मेर जिले के दोनों गांवों में सर्वेक्षित परिवारों में भेड़ों की तुलना में वकरियों की संख्या भी अपेक्षाकृत अधिक देखी गई है।

हुई और कुत्तों द्वारा नोंच-नोंच कर खाई जा रही लाशें। गगाला के अल्प संख्यक समुदाय के पशु पालक जो अपने आपको वहुत अच्छा पशु पालक मानते हैं, अपने पशुओं से अधिक दूध प्राप्त करने के मामले में अधिक सचेष्ट नजर आये क्योंकि वे उन्हें दाना-चारा भी दे रहे थे। इसका कारण दव विपणन की अपेक्षाकृत वेहतर सुविधा उपलब्ध होना है। उनके पास दूध की बिक्री का नकद पैसा अधिक मात्रा में आता था जिसके कारण वे अपने दूध दे रहे पशुओं को अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मात्रा में चारादाना दे रहे थे और दूध उत्पादन में उसका महत्व भी समझ रहे थे।

प्रति दूध दे रही गाय एवं भैंस के औसत उत्पादन की गांववार स्थिति तुलना के उद्देश्य से नीचे दी जा रही है।

तालिका सं. 6.4

प्रति दुधारू पशु दुध उत्पादन

(किलोग्राम)

गांव का नाम	कुल गो दूध उत्पादन	प्रति गाय का उत्पादन	कुल भैंस दूध उत्पादन	प्रति भैंस दूध उत्पादन
1	2	3	4	5
देवा	15715–00	424–730	—	—
चांघण	65305–00	826–646	—	—
खड़ीरा	52170–00	1304–250	—	—
गंगाला	166420–00	2483–880	—	—
छत्रगढ़	173720–00	1412–358	11000–000	2200–000
मोतीगढ़	42100–00	1026–829	7600–000	1900–000
फालना	19530–00	434–186	52880–000	997–736
खीमेल	13900–00	496–429	17400–000	1087–500
योग	548860–00	1193–384	88880–000	1139–487

उक्त तालिका दर्शाती है कि सर्वेक्षित गांवों में से केवल चार गावों में सर्वेक्षित परिवारों के पास भैंसे हैं। इनमें गाय और भैंस के उत्पादन में जहां मोतीगढ़ में 873 किलोग्राम का अन्तर है, वहीं छत्रगढ़ में 788 किलोग्राम का। खीमेल में यह अन्तर 591 किलोग्राम आता है तो फालना में 543 किलो। लेकिन सयग्र दृष्टि से देखें तो अकेले गंगाला गांव के कारण स्थिति में वहुत अन्तर दिखाई देता है। उस गांव के गोपालक पर्याप्त चारा–दाना खिलाकर गायों की गुणवता कायम रखते हुये हैं। और गायों से भैंस जितना दूध लेने का प्रयास करते हैं। खड़ीरा में भी प्रति गाय दूध उत्पादन की मात्रा फालना और खीमेल के प्रति भैंस दूध उत्पादन के संदर्भ में अधिक दिखाई देती है। लेकिन आय एवं स्वयं द्वारा प्रयुक्त रूप एवं साधनों के संदर्भ में देखें तो आर्थिक दृष्टि से प्रति भैंस अधिक आय होती है क्योंकि चिकनाई ज्यादा होने के कारण भैंस का दूध गाय के दूध से महंगा विकता है। नीचे दी जा रही तालिका से प्रति किलो दूध का मूल्य और दूध प्राप्ति के लिए प्रति किलो हुए व्यय की स्थिति का दिग्दर्शन हो सकता है।

तालिका सं. 6.5

प्रतिकिलो दूध की लागत तथा दूध का मूल्य

(रुपयों में)

गांव का नाम	प्रति किलो गो दूव का मूल्य	प्रति किलो भैंस दूव का मूल्य	प्रति किलो गो दूव पाने पर हुआ व्यय	प्रति किलो भैंस दूध पर हुआ व्यय
1	2	3	4	5
देवा	2–00	—	2–24	—
चांधण	[illegible]–00	—	1–24	—
खडीण	1–95	—	[illegible]–72	—
गंगाला	2–04	—	1–03	—
छत्रगढ़	2–36	3–66	1–50	1–40
मोतीगढ़	2–39	3–94	2–32	2–06
फालना	4–00	4–00	4–93	3–11
खीमेल	3–23	3–23	3–54	2–45
योग	2–37	3–80	1–61	2–68

उक्त तालिका दर्शाती है कि औसतन प्रति किलो भैंस दूव का मूल्य गाय की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक मिलता है। यद्यपि फालना गांव के गोपालकों को औद्योगिक कस्बे की समीपता एव गो दूव का सेवन करने वालों की संख्या अधिक होने के कारण गो दूव के दाम भैंस के दूध के बराबर मिले हैं। यही स्थिति व्यापारी समुदाय के प्रभाव क्षेत्र खीमेल में भी रही है जहां समीपस्थ रानी गांव में गाय के दूध का अच्छा बाजार है।

प्रति किलो दूध उत्पादन पर हुए व्यय का विश्लेषण करें तो पायेंगे कि भैंस के दूध की प्रति किलो उत्पादन लागत गो दूध की तुलना में लगभग 66 प्रतिशत अधिक आई है। लेकिन इसका कारण सर्वेक्षित चार गावों में भैंस पालक परिवारों का न होना और गो दूध की उत्पादन लागत मोतीगढ़, फालना और खीमेल आदि महगाई प्रभावित गांवों से बहुत अधिक होना है। लेकिन यदि गाय एव भैंस दोनों पालने वाले चारों सर्वेक्षित गांवों को देखते हैं तो पाते हैं कि भैंस के दूध की प्रति किलो उत्पादन लागत गो दूध की तुलना मे कम रही है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जितना ज्यादा दूध पैदा होगा, प्रतिकिलो

उत्पादन लागत अनुपात में प्रायः उतनी ही कम होगी। खड़ीण और गंगाला के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं।

प्रति गाय और प्रति भैंस दूध उत्पादन के मूल्य और उस पर हुये व्यय के आंकड़े पूर्ववर्ती तालिकाओं में अन्यत्र दिये जा चुके हैं। पशु पालकों का झुकाव धीरे–धीरे भैंस पालन की ओर बढ़ता जा रहा है लेकिन उसके लिए सभी गांवों में समान रूप से सुविधायें एवं पर्यावरणीय अनुकूलता सुलभ नहीं है।

कुल दुधारू गायों और दूध देने वाली गायों तथा दुधारू भैंसों और दूध देने वाली भैंसों के अनुपात की जानकारी तालिका 6 : 6 से परिलक्षित होती है।

उक्त तालिका दर्शाती है कि कुल गायों में दूध दे रही गायों का अनुपात देवा में सबसे कम 22–42 प्रतिशत है तो फालना में सबसे ज्यादा 75 44 प्रतिशत है। समग्र दृष्टि से देखें तो कुल गायों में से 39–85 प्रतिशत दूध दे रही है जबकि दूध दे रही भैंसों का अनुपात कुल भैंसों का 79–59 प्रतिशत है–गाय की तुलना में दुगने से अधिक। मोतीगढ़ की चारों भैंसे दूध दे रही है। फालना में यह अनुपात 82–81 प्रतिशत और खीमेल में 80–00 प्रतिशत है जबकि दूध दे रही गायों का अनुपात खडीण, गंगाला, फालना एवं खीमेल में 50 प्रतिशत या अधिक है—शेष गावों में 22-42 प्रतिशत से 40–20 प्रतिशत मात्र है। वर्षा की कमी दूध दे रही गायों की संख्या को प्रभावित करती है—जितनी अधिक तीव्रता से दुर्भिक्ष पड़ा है, वहां दूध दे रही गायों का प्रतिशत उतरोत्तर घटता गया है। जहां पशुपालक अकाल के बावजूद चारा–दाना खरीदकर गायों को खिलाने की हैसियत रखते हैं एवं जहां पेयजल अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक स्थिति है वहां दूध दे रही गायों का अनुपात अच्छा है।

उपरोक्त तालिका यह भी दर्शाती है कि दूध दे रही भैंसों का प्रतिशत गायों की तुलना में कहीं अधिक है–चूंकि भैंसों पर अधिक व्यय होता है और भैंसों की दूध उत्पादक क्षमता अधिक होती है इसलिए भैंस पालक यह उपाय करते हैं कि अधिकाधिक संख्या में भैंसों की दूध उत्पादन क्षमता अप्रभावित रखी जाय। इसके लिए आवश्यक हो तो वे सूखी भैंसों को बेच देते हैं जबकि सूखी गायों को बेचने का रिवाज कम है चाहे फिर वे पेयजल एवं चारे–दाने के अभाव में भले ही भूखों मर जायें।

सर्वेक्षित परिवारों में दूध उत्पादन की प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति स्थिति तालिका सं. 6.7 से जानी जा सकती है।

तालिका सं. 6.6

कुल तथा दूध दे रही गाय भैंसों का अनुमान

गांव का नाम	कुल गायें (सं.)	दूध दे रही गायें (सं.)	दूध दे रही गायें कुल गायें के प्रतिशत के रूप में	कुल भैंसे (सं.)	दूध दे रही भैंसे (सं.)	दूध दे रही भैंसे के प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5	6	7
देवा	165	37	22–42	—	—	—
चांधण	256	79	30–86	—	—	—
खडीण	70	40	57–14	—	—	—
गंगाला	121	67	55–37	—	—	—
छत्रगढ़	306	123	40–20	10	5	50–00
मोतीगढ़	133	41	30–83	4	4	100–00
फालना	57	43	75–44	64	53	82–80
नीमेल	56	28	50–00	20	16	80–00
योग	1164	458	39–85	98	78	79–59

तालिका सं. 6.7

जाति संदर्भ में प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति दूध का दैनिक उत्पादन (कि. ग्रा.)

गांव	अनुसूचित जातियां जन जातियां		अल्प संख्यक समुदाय		स्वर्ण जातियां	
	प्रति परिवार	प्रति व्यक्ति	प्रति परि.	प्रति व्यक्ति	प्र. परि.	प्र. व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7
देवा	2.715	.396	4.932	.705	2.730	.367
चांधरण	3.114	.519	13.031	1.709	5.444	.605
खड़ीरण	—	—	—	—	5.294	.630
गंगाला	—	—	17.536	2.141	—	—
छत्रगढ़	3.272	.473	14.826	1.910	6.478	.972
मोतीगढ़	7.945	.338	14.707	1.268	4.674	.514
फालना	2.896	.466	—	—	5.637	.887
खीमेल	2.648	.194	—	—	12.968	1.276
योग	3.220	.407	15.574	1.892	5.835	.759

उक्त तालिका जातीय संदर्भ में प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति दैनिक दूध उत्पादन की स्थिति दर्शाती है। इस तालिका से पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति परिवारों में मोतीगढ़ में प्रति परिवार औसत दूध उत्पादन 7.945 लिटर पाया गया है जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन की दृष्टि से चांवरा का स्थान पहला है – प्रतिदिन .519 लिटर। इसी प्रकार अल्प संख्यक समुदाय में प्रति परिवार दैनिक दूध उत्पादन 17.536 लिटर है जो देवा के 4.932 प्रति परिवार उत्पादन की तुलना में लगभग चौगुना है। प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन की दृष्टि से गंगाला के सर्वेक्षित परिवार बेहतर स्थिति में है। वहां दैनिक औसत उत्पादन 2.141 लिटर आया है। सवर्ण जातियां खीमेल में इस दृष्टि से प्रथम स्थान पर है जहां प्रति परिवार औसत उत्पादन 12.968 लिटर और प्रति व्यक्ति 1.276 लिटर रहा है।

समग्र दृष्टि से देखें तो पायेंगे कि जहां अल्प संख्यक समुदाय में प्रति सर्वेक्षित परिवार औसत दैनिक दूध उत्पादन 15.574 और प्रति व्यक्ति 1.892 लिटर आया है, वहीं प्रति अनुसूचित जाति जनजाति परिवार का दैनिक उत्पादन औसत मात्र 3.220 और प्रति व्यक्ति औसत 407 लिटर है। सवर्ण जातियां इस दृष्टि से बीच की स्थिति में है प्रति परिवार 5.835 लिटर और प्रति व्यक्ति 759 लिटर।

पशु श्रृंखला के संदर्भ में प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन का चित्र तालिका सं. 6.8 से प्राप्त होता है।

1–10 पशु श्रृंखला में आये परिवारों में प्रति परिवार दूध उत्पादन गंगाला में सबसे ज्यादा है–प्रति परिवार 4366.667 लिटर और देवा में सबसे कम 363 लिटर। गंगाला में पशु श्रृंखला में वृद्धि के साथ–साथ प्रति परिवार दूध उत्पादन में भी उत्तरोतर वृद्धि नजर आती है। लेकिन देवा में भिन्न–स्थिति नजर आती है जहां 51–100 पशु श्रृंखला वाले परिवारों में जहां प्रति परिवार औसत दूध उत्पादन 1440 लिटर आया है, वहीं 101–200 पशु श्रृंखला में आये परिवारों में मात्र 552 लिटर। चांवरा में तो स्थिति और भी भिन्न है क्योंकि जहां 101–200 पशु श्रृंखला में आये परिवारों का औसत उत्पादन 3226.667 लिटर पाया गया है, वहीं 200 से अधिक वाली पशु श्रृंखला में मात्र 1800 लिटर। उत्पादन की इस भिन्नता का कारण इस पशु श्रृंखला में आये परिवारों के पास भेड़ों की संख्या अधिक होना है। छत्रगढ़ में भी यह औसत 51–100 पशु श्रृंखला में 2570 है जबकि 21–50 पशु श्रृंखला के 4528.182 लिटर प्रति परिवार। मोतीगढ़ में 101–200 पशु श्रृंखला में यही स्थिति आई है। 51–100 पशु श्रृंखला में प्रति परिवार

तालिका

पशु शृंखला (भेड़ बकरी सम्मिलित) एवं प्रति परिवार,

पशु शृंखला	देवा	चांवण	खड़ीण	गंगाला
1	2	3	4	5
1–10				
प्रति परिवार दूध उत्पादन	363.000	935.000	1697.142	4366.667
प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन	64.118	160.286	226.286	569.565
प्रति परि. दूध विक्री	—	8.333	100.000	2300.000
प्रति व्यक्ति दूध विक्री	—	1.429	13.333	300.000
11–20				
प्रति परि. दूध उत्पादन	1200.000	946.667	2022.222	5400.000
प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन	138.462	101.429	224.601	415.385
प्रति परिवार दूध विक्री	—	—	188.889	2900.000
प्रति व्यक्ति दूध विक्री	—	—	20.988	223.077

(शेष पृष्ठ 208 पर)

संख्या 6.8

प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन तथा विक्री (वार्षिक लिटर में)

छत्रगढ़	मोतीगढ़	फालना	खीमेल	योग
6	7	8	9	10
1304.091	1550.000	1221.290	2475.000	1547.841
217.348	182.353	208.022	210.638	234.441
402.272	550.000	665.806	1332.500	580.909
67.045	64.706	113.407	113.407	87.986

2483.333	—	3564.285	700.000	2364.848
372.500	—	479.808	100.000	292.285
1295.555	—	2342.857	—	989.697
194.333	—	315.385	—	122.322

(शेष पृष्ठ 209 पर)

(शेष पृष्ठ 206 का)

1	2	3	4	5
21–50				
प्रति परि. दूध उत्पादन	1324.000	3779.000	2552.500	5891.667
प्रति व्यक्ति उत्पा.	206.875	539.857	249.024	714.141
प्रति परि. दूध विक्री	—	2800.000	432.500	3041.667
प्रति व्यक्ति दूध विक्री	—	140.000	42.195	368.687

(शेष पृष्ठ 207 का)

6	7	8	9	10
4628.182	—	3150.000	4600.000	4215.488
504.059	—	420.000	278.788	485.492
2631.363	—	2750.000	1000.000	2201.829
286.584	—	366.667	109.090	2531.581

तालिका

पशु श्रृंखला (भेड़–बकरी सम्मिलित) एवं प्रति परिवार

पशु श्रृंखला	देवा	चांधरा	खड़ीरा	गंगाला
1	2	3	4	5
51–100				
प्रति परिवार दूध उत्पादन	1440.000	7850.000	—	8670.000
प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन	180.000	1046.667	—	1020.000
प्रति परिवार विक्री	—	7350.000	—	4710.000
प्रति व्यक्ति दूध विक्री	—	980.000	—	554.118
101–200				
प्रति परिवार दूध उत्पादन	552.000	3226.667		—
प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन	65.588	297.846	—	—
प्रति परिवार दूध विक्री	—	1166.667	—	—
प्रति व्यक्ति दूध विक्री	—	107.692	—	—

(शेष पृष्ठ 212)

संख्या 6.8

प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन तथा विक्री (वार्षिक लिटर में)

छत्रगढ़	मोतीगढ़	फालना	खीमेल	योग
6	7	8	9	10
2570.000	1850.000	2800.000	11000.000	5105.714
387.925	308.333	311.111	1375.000	687.308
1677.500	950.000	—	9000.000	3207.809
253.208	159.333	—	1125.000	431.282
8810 000	1745.000	500.000	—	3777.250
1001.136	186.964	71.429	—	399.709
6620.000	705.000	—	—	2215.000
752.273	77.536	—	—	234.550

(शेष पृष्ठ 213)

(पृष्ठ 212 का शेष)

1	2	3	4	5
201 से ऊपर				
प्रति परिवार दूध उत्पादन	1800.000	1800.000	—	12100.000
प्रति व्यक्ति दूध विक्री	257.143	200.000	—	3025.000
प्रति परिवार दूध उत्पादन	—	—	—	11000.000
प्रति व्यक्ति दूध विक्री	—	—	—	2750.000

(पृष्ठ 211 का शेष)

6	7	8	9	10
9080.000	4632.857	—	500.000	5222.308
1135.000	292.162	—	71.429	440.844
7850.000	2314.286	—	—	3300.000
981.250	145.945	—	—	278.571

तालिका

जोत श्रृंखला, दूध उत्पादन एवं

भूमि श्रृंखला	देवा	चांधण	खड़ीण	गंगाला
1	2	3	4	5
भूमिहीन				
प्रति परिवार उत्पादन	—	—	—	—
प्रति व्यक्ति उत्पादन	—	—	—	—
प्रति परिवार विक्री	—	—	—	—
प्रति व्यक्ति विक्री	—	—	—	—
2 हैक्टर तक				
प्रति परिवार उत्पादन	382.500	—	—	—
प्रति व्यक्ति	69.545	—	—	—
प्रति परिवार विक्री	—	—	—	—
प्रति व्यक्ति विक्री	—	—	—	—

(शेप पृष्ठ 216 पर)

संख्या 6.9

विक्रय–सर्वेक्षित परिवार (लिटर में)

छत्रगढ़	मोतीगढ़	फालना	खीमेल	योग
6	7	8	9	10
1800.000	2500.000	861.429	11000.000	2056.154
360.000	357.145	137.046	1375.000	338.354
1360.000	—	405.714	9000.000	1329.231
272.000	—	64.545	1125.000	218.734
—	1800.000	1078.571	4300.000	1310.455
—	180.000	235.937	307.143	215.149
—	1100.000	514.286	730.000	493.636
—	110.000	112 500	52.143	81.045

(पृष्ठ 214 का शेष)

2–5 हैक्टर				
प्रति परिवार उत्पादन	793.333	4770.000	—	—
प्रति व्यक्ति उत्पादन	99.167	795.000	—	—
प्रति परिवार विक्री	—	3666.667	—	—
प्रति व्यक्ति विक्री	—	577.778	—	—
5–10 हैक्टर				
प्रति परिवार उत्पादन	1238.000	4875.000	—	—
प्रति व्यक्ति उत्पादन	176.857	487.500	—	—
प्रति परिवार विक्री	—	1525.000	—	—
प्रति व्यवित विक्री	—	152.500	—	—

(शेष पृष्ठ 215 का)

1397.000	700.000	2242.857	2800.000	1948.333
225.323	70.000	310.891	373.333	873.984
120.000	—	1400.000	2200.000	988.889
19.355	—	194.059	293.333	139.062

3122.286	1361.667	1694.167	500.000	2496.613
894.480	157.115	250.988	58.824	363.357
2077.286	505.000	850.000	—	1435.242
328.982	58.269	125.926	—	208.885

तालिका

जोत श्रृंखला, दूध उत्पादन एवं

भूमि श्रृंखला	देवा	चांधण	खड़ीण	गंगाला
1	2	3	4	5
10–20 हैक्टर				
प्रति परिवार उत्पादन	2000.000	2270.357	1896.800	6214.286
प्रति व्यक्ति उत्पादन	307.692	308.592	230.194	820.755
प्रति परिवार विक्री	—	1307.143	164.000	3171.428
प्रति व्यक्ति विक्री	—	177.670	19.903	418.868
20 हैक्टर से अधिक				
प्रति परिवार उत्पादन	—	2365.000	2375.000	6469.474
प्रति व्यक्ति उत्पादन	—	205.652	226.190	768.250
प्रति परिवार विक्री	—	1000.000	365.000	3697.895
प्रति व्यक्ति विक्री	—	86.957	34.762	439.125

संख्या 6.9

विक्रय सर्वेक्षित परिवार (लिटर में)

छत्रगढ़	मोतीगढ़	फालना	खीमेल	योग
6	7	8	9	10
6858.750	4566.250	3550.000	1200.000	3347.132
532.718	312.222	1014.286	70.588	357.869
4041.250	2412.500	3150.000	100.000	1510.735
313.883	164.957	900.000	5.882	161.525
—	—	—	7000.000	5543.460
—	—	—	500.000	598.050
—	—	—	3600.000	3022.612
—	—	—	257.143	326.100

1850 लिटर की तुलना में 1745 लिटर। फालना में तो स्थिति और भी विचित्र है। वहां 11–20 पशु शृंखला में प्रति परिवार दूध उत्पादन 3564. 286 लिटर रहा है। बाद की पशु शृंखला में यह मात्रा उत्तरोत्तर घटती गई है। 21–50 शृंखला में 3150 लिटर, 51–100 शृंखला में 2800 लिटर, और 101–200 शृंखला में मात्र 500 लिटर। खीमेल में दूसरी स्थिति है—वहां 1–10 पशु शृंखला में प्रति परिवार दूध उत्पादन 2475 लिटर है। लेकिन 11–20 पशु शृंखला में मात्र 700 लिटर और 200 से ऊपर वाली शृंखला में मात्र 500 लिटर। समग्र दृष्टि से देखें तो 101–200 पशु शृंखला में आये परिवार में प्रति परिवार औसत दूध उत्पादन 3777.250 लिटर है जबकि 21–50, 51–100 और 200 से ऊपर की शृंखला में क्रमशः 4215.488, 5105.714 और 5222.308 लिटर रहा है।

भूमि शृंखला के संदर्भ में देखें तो प्रति परिवार औसत वार्षिक दूध उत्पादन सम्बन्धी देवा के आंकड़े बताते हैं कि कृषि जोत में बढ़ोतरी के साथ–साथ दूध उत्पादन बढ़ता गया है। लेकिन चांघरण में भिन्न स्थिति है। वहां 2–5 हैक्टर शृंखला में प्रति परिवार उत्पादन 4770 लिटर आया है जो 10–20 हैक्टर शृंखला में घटकर 2270.357 लिटर और 20 हैक्टर से अधिक वाली शृंखला में 2365.000 लिटर आया है। छत्रगढ़ में 2–5 हैक्टर की जोत शृंखला में प्रति परिवार उत्पादन 1397 लिटर है जबकि भूमिहीन शृंखला में यह 1800 लिटर रहा है। मोतीगढ़ में भी स्थिति वैसी ही है। वहां प्रति भूमिहीन परिवार औसत उत्पादन 2500 लिटर आया है जबकि 2 हैक्टर शृंखला में घटकर 1800 लिटर, 2–5 हैक्टर शृंखला में 700 लिटर, और 5–10 हैक्टर शृंखला में 1361.667 लिटर आया है। फालना में 5–10 हैक्टर शृंखला में स्थिति बदल गई है जो 2–5 हैक्टर जोत शृंखला की 2242.857 लिटर की तुलना में उस शृंखला में 1694.167 लिटर रह गई है।

खीमेल में प्रति भूमिहीन परिवार औसत दूध उत्पादन 11000 लिटर है। लेकिन कुछ अर्से पहले इस परिवार के पास काफी भूमि थी जो इसने कर्ज आदि के चुकाने के लिए बेच दी। यहां 2 हैक्टर तक की जोत शृंखला में प्रति परिवार वार्षिक उत्पादन 4300 लीटर, 2–5 हैक्टर शृंखला में 2800 लीटर, 5–10 हैक्टर शृंखला में मात्र 500 लीटर और 10–20 हैक्टर शृंखला में 1200 लीटर आया है।

जातीय संदर्भ में दूध उत्पादन की स्थिति सम्बन्धिततालिका में देखी जा सकती है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का कुल उत्पादन में 7.55 प्रतिशत अंश रहा

है जबकि अल्प संख्यक समुदाय के परिवारों का जो संख्या की दृष्टि से उनकी तुलना में मात्र डेढ़ गुना ज्यादा है, अंश 54.37 प्रतिशत रहा है और सवर्ण जातियों, का जिनकी संख्या अल्प संख्यक समुदाय की तुलना में लगभग दुगुनी है, अंश 38.07 प्रतिशत रहा है।

प्रति परिवार औसत दूध उत्पादन के संदर्भ में विचार करें तो निम्न स्थिति पाते हैं :—

तालिका सं. 6:10

औसत दूध उत्पादन

जातीय संदर्भ	प्रति परिवार औसत दूध उत्पादन (वार्षिक)
1	2
अनुसूचित जातियां-जनजातियां	1175.122 लीटर
अल्प संख्यक समुदाय	5684.426 ,,
सवर्ण जातियां	2129.912 ,,
योग :-	2952.500 ,,

उत्पादन में वृद्धि हुई अथवा ह्रास, इस बारे में पूर्ववर्ती वर्षों के प्रामाणिक और पूरे आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण सही विश्लेषण दे सकना संभव नहीं था लेकिन सर्वेक्षित परिवारों से इस संदर्भ में जो मूल जानकारी मिल सकी, उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्षा की कमी के फलस्वरूप चारे की मात्रा एवं गुणवता में आई कमी के कारण कुल उत्पादन में 10 से 20 प्रतिशत की कमी आई है। देवा और चांयण में यह कमी और क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा बताई गई है।

भेड़–बकरी एवं ऊंट–उत्पादकता—

जहां तक भेड़-बकरियों की उत्पादकता मापने का प्रश्न है, यह पाया गया है कि पशुपालकों को भेड़ों से विशेषकर ऊन प्राप्त होता है। भेड़ का दूध बहुत कम मात्रा में काम में लिया जाता है और जो काम में लिया जाता है वह घी की मात्रा अथवा बिक्री एवं दूध में चिकनाई का अंश बढ़ाने की दृष्टि से ही। भेड़ का दूध पीने के लिए उतनी अधिक मात्रा में प्रयुक्त नहीं किया जाता जितनी मात्रा में गाय-भैंस अथवा बकरियों का दूध काम में लिया जाता है। हां, भेड़ों के नर बच्चे बेचे अवश्य जाते हैं और उनकी बिक्री की आय परिवार की अर्थव्यवस्था

में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है । चूंकि मादा भेड़े वंश की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं इसलिए मादा भेड़ें प्राय: नहीं बेची जाती हैं। इस संबंध में पशु गणना 1983 को आधार मानकर कुछ तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं। भेड़-बकरी एवं ऊंट की संख्या, नर-मादा की स्थिति तथा बच्चों से संबंधित आंकड़ों से इनकी वृद्धि के संबंध में जानकारी मिलती है । इसकी पुष्टि नीचे की तालिका से हो सकती है—

तालिका सं. 6:11

भेड़ें

जिला	मादा (प्रतिशत)	नर (प्रतिशत)
1	2	3
1– जैसलमेर	78.54	21.46
2– बाडमेर	80·65	19.33
3– बीकानेर	72.14	27.86
4– पाली	83.61	16.39
योगः-रेगिस्तानी क्षेत्र	79.18	20.82
समस्त राजस्थान	80.78	19.22

स्रोत–पशुगणना 1983

उक्त तालिका से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नर भेड़ बड़े होने पर बेच दिये जाते हैं और मादा भेड़ों को वंश वृद्धि की दृष्टि से जीवित रखने का प्रयास किया जाता है । हर जिले में पांच भेड़ों में लगभग 4 मादा है और 1 नर । तुलनात्मक दृष्टि से नर पशुओं की अधिक संख्या बीकानेर जिले में है ।

इसी संदर्भ में निम्न तथ्यों का अवलोकन भी रुचिकर रहेगा-

तालिका सं. 6:12

उम्र के अनुसार देशी भेड़ (प्रतिशत के रुप में)

जिला	एक वर्ष से अधिक उम्र की भेड़	एक वर्ष से कम उम्र की भेड़
1	2	3
1– बाडमेर	58.90	41.10
2– बीकानेर	57.04	42.96
3– जैसलमेर	38.01	61.99
4– पाली	39.90	60.10
योग रेगिस्तान	46.96	53.04
संपूर्ण राजस्थान	47.29	52.71

स्त्रोत-पशुगणना 1983

उक्त तालिका दर्शाती है कि जैसलमेर और पाली में 1 वर्ष से अधिक उम्र की भेड़ें तुलनात्मक दृष्टि से कम है और इन्हीं भेड़ों में प्रजनन की शक्ति होती है। संपूर्ण रेगिस्तानी क्षेत्र एवं राजस्थान म जहां 100 में से 47 भेड़ें एक वर्ष से अधिक उम्र की हैं, वहीं जैसलमेर में यह संख्या 38 और पाली में 40 है। बाडमेर और बीकानेर में यह औसत रेगिस्तानी क्षेत्र की तुलना में काफी ज्यादा है यथा बाडमेर में 59 और बीकानेर में 57।

सर्वेक्षित परिवारों की सकल आय में पशु सम्पदा से हुई आय का अंश निम्न तालिका से जाना जा सकता है-

तालिका सं. 6.13

सकल आय में पशु सम्पदा से आय

जातीय संदर्भ	पशुधन से आय (कुल आय का प्रतिशत)
1	2
1– अनुसूचित जातियां-जनजातियां	39.24
2– अल्प संख्यक समुदाय	72.90
3– सवर्ण जातियां	46.37
योगः-	55.60

पशु धन से होने वाली प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति आय में भेड़ों का महत्व इससे स्पष्ट हो सकता है कि इसमें ऊन बिक्री का अंश 10.34 प्रतिशत और पशु बिक्री (70 प्रतिशत सीमा तक भेड़ें) का 19.46 प्रतिशत है।

बकरियां दूध उत्पादन में योग देती हैं। गर्भाधान के लिए प्रयुक्त बकरों को छोड़कर शेष बकरे मांसाहारियों को बेच दिये जाते हैं जो परिवार की कुल आय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बकरियों की दूध उत्पादन क्षमता के बारे में पशुपालक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाये। इसलिये आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि सर्वेक्षित जिलों में बकरी का औसत वार्षिक दूध उत्पादन कितना रहा है लेकिन सर्वेक्षित परिवारों से हुई चर्चा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र की बकरियां आधा से एक किलो दूध देती है और कहीं-कहीं बकरियो के दूध के कारण ही प्रति परिवार औसत वार्षिक दूध उत्पादन के आंकड़े प्रभावित हुये हैं यथा गंगाला और खडीण में, जहां सर्वेक्षित परिवारों में भेड़ों की अपेक्षा बकरियों को अधिक संख्या दिखाई दी थी।

बकरियों में मादा एवं नर के संदर्भ में विश्लेषण करने पर भी वही स्थिति सामने आती है—

तालिका सं. 6:14

नर एमं मादा बकरियों का अनुपात (प्रतिशत रूप में)

जिला	मादा (बकरी)	नर (बकरे)
1	2	3
1– बाडमेर	82.46	17.54
2– बीकानेर	76.71	20.29
3– जैसलमेर	79.50	20.50
4– पाली	87.01	12.90
रेगिस्तानी क्षेत्र	82.25	17.75
संपूर्ण राजस्थान	82.54	17.47

श्रोत–पशुगणना, 1983

उक्त तालिका इस तथ्य की पुष्टि करती है कि वंश वृद्धि को ध्यान में रख कर बकरों की तुलना में बकरियों को जीवित रखने की चेष्टा सभी जगह ज्यादा

है। जबकि ऊंटों के मामले में भिन्न स्थिति देखने में आती है।

दूध देने वाली एवं वाखड़ी (दूध देना बन्द की हुई) बकरियों की संख्या का अनुपात जानना भी बकरियों की दूध उत्पदान क्षमता एवं दूध उत्पादन में बकरियों के योगदान का मूल्यांकन करने की दृष्टि से उपयोगी रहेगा। तालिका इस संबंध में स्थिति दर्शाती है—

तालिका संख्या 6.15

दूध देने वाली बकरियों की स्थिति

जिला	दूध देने वाली कुल बकरियों का प्र. श.	वाखड़ी बकरियों कुल का प्रतिशत
1	2	3
1. बाड़मेर	62.97	37.03
2. बीकानेर	46.87	53.13
3. जैसलमेर	46.82	53.18
4. पाली	51.59	48.41
5. समस्त रेगिस्तानी क्षेत्र	59.65	40.35
6. समस्त राजस्थान	59.74	40.26

श्रोत–उपरोक्त

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि दूध देने वाली बकरियां बाड़मेर में 62.97 प्रतिशत हैं जबकि जैसलमेर में 46.82 प्रतिशत और बीकानेर में 46.87 प्रतिशत। बाड़मेर में जैसलमेर की तुलना में बकरियों से अधिक दूध भी मिलता है। समग्र दृष्टि से देखें तो हम पायेंगे कि दूध देने वाली बकरियां और दूध न देने वाली बकरियों का अनुपात 60:40 है।

सर्वेक्षित परिवारों की दृष्टि में बकरियों का कितना महत्व है, इसकी जानकारी बकरी एवं बकरों सम्बन्धी नीचे की तालिका से मिल सकती है :—

तालिका संख्या 6.16

एक वर्ष से नीचे के वकरी वकरों का अनुपात (प्र. श.)

जिला	वकरी	वकरे
1	2	3
1. वाड़मेर	57.67	42.33
2. वीकानेर	57.88	42.12
3. जैसलमेर	54.14	45.86
4 पाली	67.10	32.90
पूर्ण रेगिस्तानी क्षेत्र	59.21	40.79
सम्पूर्ण राजस्थान	60.54	39:46

श्रोत–पशुगणना 1983

उक्त तालिका दर्शाती है कि सभी जगह वकरों की तुलना में वकरियों की अधिक देखरेख की जाती है, क्योंकि उनसे न केवल वंश वृद्धि में मदद मिलती है वल्कि उनसे प्राप्त दूध भी परिवार की अर्थव्यवस्था एवं स्वास्थ्य रक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अधिक पैसा पाने की दृष्टि से एक साल की उम्र तक के छोटे वकरे नहीं वेचे जाते और वकरों को वड़ा करके वेचा जाता है। नीचे की तालिका इस स्थिति को अधिक स्पष्ट करती है।

तालिका 6.17

एक साल से नीचे वाले एवं ऊपर वाले वकरों का अनुपात

(प्रतिशत)

जिला	एक साल से नीचे	एक साल से ऊपर
1. वाड़मेर	84.06	15.94
2. वीकानेर	65.00	35.00
3. जैसलमेर	64.70	35.30
4. पाली	71.40	28.60
5. रेगिस्तानी क्षेत्र	78.55	21.45
6. सम्पूर्ण राजस्थान	79.02	20.98

श्रोत—उपरोक्त

उक्त तालिका दर्शाती है कि राजस्थान में 79 प्रतिशत बकरे एक साल से कम उम्र के हैं और 21 प्रतिशत एक साल से अधिक उम्र के हैं । बाड़मेर में तो यह प्रतिशत क्रमशः 84 और 16 है और पाली में 71 और 29 बीकानेर और जैसलमेर में स्थिति भिन्न है। वहां एक साल से कम उम्र के बकरों की संख्या 65 प्रतिशत है और एक साल से ऊपर वालों की 35 प्रतिशत इसका कारण यह है कि यहां बकरों को अधिक बड़ा करके बेचने से होने वाली आय का महत्व अधिक गहराई से समझा जाता है।

सर्वेक्षित क्षेत्र में ऊंट का महत्व अधिक है। नर व मादा ऊंटों का कृषि, माल ढुलाई एवं सवारी के रूप में समान रूप उपयोग किया जाता है। इसलिए नर एवं मादा दोनों ही प्रकार के ऊंटों को स्वस्थ रखने का प्रयास किया जाता है। वंश वृद्धि के लिए ऊंटनियों का भी महत्व तो है लेकिन ऊंट की अन्य उपयोगी भूमिकायें ऊंटनी की अपेक्षा अधिक होने के कारण नर ऊंट नर भैंसों, भेड़ों, बकरों आदि अन्य पशुओं की तुलना में उपेक्षा के शिकार नहीं होते।

तालिका संख्या 6.1

नर-मादा ऊंट की स्थिति

	जिला	ऊंटनी	ऊंट
	1	2	3
1.	बाड़मेर	54.11	45.89
2.	बीकानेर	44.30	55.70
3.	जैसलमेर	57. 8	42.72
4.	पाली	68.06	31 94
5.	रेगिस्तानी क्षेत्र	51 88	48.12
6.	समस्त राजस्थान	50 18	49.82

स्रोत-उपरोक्त

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि पाली जिले को छोड़कर जहां ऊंटनियों का अनुपात ऊंटों की तुलना में दुगुने के लगभग है, अन्य जिलों में स्थिति प्रायः समता की द्योतक है। बीकानेर में तो ऊंटों की तुलना में ऊंटनियों की संख्या कम है।

ऊंट-ऊंटनियों की उत्पादकता आंकने के लिए यह तथ्य जानना पर्याप्त होगा कि ऊंट गाड़ियों से कुल पशु आय का 5.72 प्रतिशत अंश प्राप्त होता है। इसके अलावा जुताई एवं माल और सवारी ढुलाई में उनका जो उपयोग होता है, उसका पैसे में हिसाब लगाना सम्भव नहीं होने के कारण वह पहलू शामिल नहीं किया गया है। लेकिन मोटे तौर पर सकल अर्थव्यवस्थायें यह योगदान 10 प्रतिशत से कम किसी भी स्थिति में नहीं है।

पशु उत्पादन का उपभोग एवं बिक्री

पश्चिमी राजस्थान में आहार में दूध का प्रमुख स्थान है। जिस प्रकार इस क्षेत्र के आर्थिक ढांचे में पशुधन प्रमुख है, उसी प्रकार व्यक्ति के भोजन में दूध एवं दूध से बने पदार्थों का भी प्रमुख स्थान रहा है। एक समय ऐसा भी था जबकि इस क्षेत्र में दूध बेचने की परम्परा नहीं थी—इसे धार्मिक रूप देकर 'दूध एवं पूत बेचना' पापा पूर्ण कार्य माना जाता था। लेकिन बाजार व्यवस्था के विकास तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण अब प्रायः सभी जगह दूध बेचना प्रारंभ हो गया है। फिर भी आज इस क्षेत्र में दूध प्रमुख आहार के रूप में काम आता है। सब्जी, फल के अभाव में दूध पौष्टिक तत्व की पूर्ति करता है। यहां के भोजन में रोटी के साथ छाछ, राबड़ी प्रमुख है। वर्तमान परिस्थिति में दूध एवं घी दोनों की बिक्री की जाती है। बिक्री की व्यवस्था मुख्यतः व्यक्तिगत स्तर पर एवं स्थानीय व्यापारियों के माध्यम से की जाती है। हाल के वर्षों में राजस्थान राज्य दुग्ध उत्पादन सहकारी फैडरेशन के सहयोग से स्थापित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से दुध की खरीद की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन यह व्यवस्था अभी सीमित क्षेत्र तक ही पहुच सकी है।

प्रस्तुत अध्याय में सर्वेक्षित परिवारों में दूध के उपभोग तथा बिक्री की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। यह विश्लेषण सामाजिक श्रेणी, जोत श्रेणी, पशु शृंखला आदि के सन्दर्भ में किया गया है। पशु उत्पाद में ऊन भी शामिल है। इसी के साथ पशु बिक्री से आय तथा पशु किराया (बैल एवं ऊंट गाड़ी) से होने वाली आय की स्थिति की जानकारी भी दी गई है। इस प्रकार इस अध्याय के निम्नलिखित भाग है—1. दूध का उपभोग 2. दूध बिक्री 3. ऊन बिक्री तथा 4. अन्य पशु उत्पाद से आय।

उपभोग का स्वरूप

सर्वेक्षित परिवारों में कुल दूध उत्पादन का 48.47 प्रतिशत अंश निजी उपभोग में आता पाया गया है। उपभोग के दो स्वरूप हैं; एक तो दूध के रूप में प्रयोग में लिया जाता है—इसमें चाय भी शामिल है। दूसरे दूध का घी बनाकर उपयोग लिया जाता है। लेकिन घर में तैयार सभी घी खाने के काम नहीं आता उसका कुछ अंश बेचा भी जाता है। घी विक्री से हुई आय के सही आंकड़े देने में सर्वेक्षित परिवार कठिनाई महसूस करते पाये गये हैं।

नीचे दी जा रही तालिका दूध के दोनों प्रकार के उपभोग की गांववार स्थिति की जानकारी देती है।

तालिका सं. 7.1

सर्वेक्षित परिवारों द्वारा पशु उत्पाद का उपभोग

गांव का नाम	दूध का कुल उत्पाद	उपभोग दूध के रूप में	उपभोग घी के रूप में	कुल उपभोग
1	2	3	4	5
1. देवा	15715	8405	7310	15715
	(100)	(53.43)	(46.52)	(100)
2. चांधण	65305	15025	14530	29555
	(100)	(23.01)	(22.25)	(45.[illegible]6)
3. खड़ीण	52170	23910	23430	47340
	(100)	(45.83)	(44.91)	(90.74)
4. गंगाला	166420	35410	38550	73960
	(100)	(21.28)	(23.16)	(44.44)
5. छत्रगढ़	184720	35295	37750	73045
	(100)	(19.11)	(20.44)	(39.54)
6. मोतीगढ़	49700	11350	14920	26270
	(100)	(22.84)	(30.02)	(52.86)
7. फालना	72410	20535	9335	29870
	(100)	(28.36)	(12.89)	(41.25)
8. खीमेल	31300	6770	6600	13370
योग	637740	156700	152425	309125
	(100)	(24.57)	(23.90)	(48.47)

उक्त तालिका दर्शाती है कि देवा गांव में सर्वेक्षित परिवार दूध विक्री नहीं करते। जितना दूध पैदा करते हैं, उस सभी को या तो दूध के रूप में काम ले लेते हैं या उसका घी बनाते हैं। इसी प्रकार खड़ीण के सर्वेक्षित परिवार भी अपने दूध उत्पादन का 90.74 प्रतिशत भाग काम में ले लेते हैं। उनके दूध उत्पादन का मात्र 9.26 प्रतिशत अंश बेचा जाता है। छत्रगढ़ में कुल दूध उत्पादन का 39.54 प्रतिशत भाग उत्पादक परिवारों के उपभोग में आता है तो फालना में 41.25 प्रतिशत अंश।

कुल दूध उत्पादन का 24.57 प्रतिशत अंश दूध के रूप में काम में आता है और 23.90 प्रतिशत घी के रूप में। कुल उत्पादन का 51.53 प्रतिशत अंश विक्री के काम में आता है।

प्रति परिवार उपभोग का विश्लेषण करें तो तालिका संख्या 7.2 से इसमें मदद मिल सकती है। उक्त तालिका दर्शाती है कि प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति दूध का दैनिक उपभोग सबसे अधिक गंगाला में किया जाता है-प्रति परिवार 7.793 किलो और प्रति व्यक्ति 951 ग्राम। प्रति परिवार सबसे कम उपभोग फालना के सर्वेक्षित परिवार करते पाये गये। यहां प्रति परिवार उपभोग 1.948 किलो है और प्रति व्यक्ति 309 ग्राम। समग्र दृष्टि से देखें तो प्रति परिवार दूध का दैनिक उपभोग 3.921 किलो और प्रति व्यक्ति 497 ग्राम है जो देश एवं राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है। लेकिन इस क्षेत्र में चिकनाई के तेल एवं वेजीटेबिल घी की न्यूनतम खपत को देखते हुए उपभोग की यह मात्रा बहुत अधिक भी नहीं है।

उपभोग का जातीय संदर्भ

तालिका सं. 7.2 जातीय परिपेक्ष में दूध उपभोग की स्थिति दर्शाती है—

तालिका संख्या 7.2

जाति शृंखला एवं दूध का उपभोग

(औसत प्रतिदिन/ग्रामों में)

गांव का नाम	अनुसूचित जातियां		अल्प सख्यक समुदाय		सवर्ण जातियां		योग	
	प्र. परि.	प्र. व्य.	प्र. परि.	प्र. व्य.	प्र. परि.	प्र. व्य.	प्र. परि	प्र. व्य.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. देवा	2.416	396	4.932	705	2.730	367	2 870	402
2. चांवण	3.114	519	3.185	418	3.846	427	3.521	433
3. खड़ीण	—	—	—	—	4.854	571	4.854	571
4. गंगाला	—	—	7.793	951	—	—	7.793	951
5. छत्रगढ़	2.354	340	4.140	533	3.539	531	3.511	493
6. मोतीगढ़	6.301	268	3.567	308	4.153	456	4.234	367
7. फालना	2 896	466	—	—	1.475	232	1.948	309
8. खीमेल	2.466	180	—	—	4.872	479	4.070	359
योग	2.857	362	5.538	673	3.438	447	3.921	497

उक्त तालिका दर्शाती है कि दूध के उपभोग की दृष्टि से अल्प संख्यक समुदाय सबसे बेहतर स्थिति में है। यहां प्रति परिवार दूध का औसत उपभोग 5.538 किलोग्राम प्रतिदिन रहा है और प्रति व्यक्ति 673 ग्राम। इस दृष्टि से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग सबसे नीचे के स्तर पर हैं—प्रति परिवार 2.057 किलो और प्रति व्यक्ति 362 ग्राम। खीमेल और मोतीगढ़ में तो इस वर्ग में प्रति व्यक्ति दूध उपभोग का प्रति व्यक्ति औसत क्रमशः 180 ग्राम और 268 ग्राम आया है। अल्प संख्यक समुदाय में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति दूध का उपभोग 951 ग्राम गगाला में और सबसे कम 308 ग्राम मोतीगढ़ में होता पाया गया। खड़ीण में सवर्ण जातियां दूध का अधिक उपभोग करती पाई गई। प्रति व्यक्ति 571 ग्राम और सबसे कम फालना में मात्र 232 ग्राम।

पशु शृंखला एवं उपभोग

पशु शृंखला के आधार पर दूध के उपभोग का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि 1–10 पशु शृंखला में आये परिवारों में गंगाला में प्रति व्यक्ति दुध का उपभोग सबसे ज्यादा होता है। यहा प्रति व्यक्ति 739 ग्राम और सबसे कम देवा में होता है 176 ग्राम दी जा रही तालिका सं. 7.3 से इस सम्बन्ध में अधिक स्पष्ट चित्र उभर सकेगा।

तालिका के अनुसार देवा में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति दूध का उपभोग 200 से ऊपर वाली पशु शृंखला में आये परिवार द्वारा किया जाता है और उपभोग की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर 21–50 पशु शृंखला मे आये परिवार रहते हैं।

11–20 पशु शृंखला में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक दूध की खपत 558 ग्राम खडीण में है तो सबसे कम 274 ग्राम खीमेल में।

21–50 पशु शृंखला में प्रति व्यक्ति दूध की सबसे अधिक खपत 946 ग्राम गंगाला में है तो सबसे कम 146 ग्राम फालना में।

51–100 पशु शृंखला में भी गंगाला की स्थिति सबसे बेहतर है प्रति व्यक्ति 1.276 किलो जबकि दूसरा नम्बर फालना का है 852 ग्राम प्रति व्यक्ति। इस शृंखला में सबसे कम उपभोग चांधण में होता पाया गया है।

101–200 पशु शृंखला में सबसे अधिक 682 ग्राम खपत छत्रगढ़ने इंगित की है तो सबसे कम 188 ग्राम देवा ने। फालना की स्थिति भी इस शृंखला में ठीक नहीं मानी जा सकती–प्रति व्यक्ति मात्र 196। ग्राम इस शृंखला में आये परिवारों द्वारा दूध की कम खपत होने का कारण देवा में अकाल एवं अन्य परिस्थितियों के कारण दूध देने वाली गायों द्वारा कम दूध देना और फालना में दूध

तालिका सं. 7.3

पशु श्रृंखला के संदर्भ में दूध का औसत उपभोग

(प्रति व्यक्ति प्रतिदिन/ग्राम में)

गांव का नाम	पशु श्रृंखला 1–10	11–20	21–50	51–100	101–200	201 व अधिक
1	2	3	4	5	6	7
देवा	176	379	567	493	188	704
चांधरा	433	278	383	183	521	883
खडीरा	583	558	567	—	—	—
गंगाला	739	527	946	1.276	—	753
छत्रगढ़	412	480	595	369	682	421
मोतीगढ़	522	—	—	411	305	401
फालना	259	450	146	952	196	—
खीमेल	268	274	465	685	—	196

विपणन की अधिक सुविधा होने से नकद आय के लिए अधिक मात्रा में दूध बेच देना है। विपणन की सुविधा दूध उत्पादकों द्वारा किये जाने वाले दूध के उपयोग को प्रभावित करती है ।

200 से ऊपर वाली पशु शृंखाला में चांवण ने सबसे अधिक उपभोग बताया है 883 ग्राम प्रति व्यक्ति और सबसे कम खीमेल ने 196 ग्राम प्रति व्यक्ति।

जोत शृंखला के संदर्भ में प्रति व्यक्ति दूध के औसत दैनिक उपभोग को देखें तो हम पायेंगे कि 20 हैक्टर से अधिक जोत धारियों में प्रति व्यक्ति दूध का औसत उपभोग 745 ग्राम प्रति व्यक्ति आया है। 2 हैक्टर तक की जोत वाले सीमान्त एवं लघु कृषकों में प्रति व्यक्ति खपत 367 ग्राम पाई गई है और 2–5 हैक्टर जोतधारियों में 370 ग्राम। इस दृष्टि से भूमिहीन बेहतर स्थिति में है जिनके दूध उपभोग की औसत मात्रा 602 ग्राम प्रति व्यक्ति आई है। इसका एक कारण यह भी है कि भूमिहीन मजदूरी करता है तथा उस आय से अन्न खरीदता है और अपने पास जो पशु रखता है उससे प्राप्त दूध को खा जाता है। इस वर्ग में दूध बेचने की प्रवृति अपेक्षाकृत कम पाई गई ।

गांववार स्थिति को देखें तो देवा में जोत शृखला में बढ़ाव के साथ–साथ दूध के दैनिक उपभोग में भी बढ़ाव आता गया है। तलिका सं. 7 4 इस स्थिति को अधिक स्पष्ट करती है।

उक्त तालिका दर्शाती है कि चांवण में 5 10 हैक्टर जोतधारी सबसे बेहतर स्थिति में हैं। उनके यहां प्रति व्यक्ति दूध का दैनिक उपभोग 918 ग्राम पाया गया है जबकि 10–20 हैक्टर एवं 20 हैक्टर से अधिक जोतवाले परिवारों में दूध के दैनिक उपभोग की औसत मात्रा क्रमशः 337 ग्राम एवं 325 ग्राम रही है।

खड़ीण में भी 10–20 हैक्टर जोतधारियों द्वारा प्रति व्यक्ति 576 ग्राम दूध का उपभोग किया जाता है तो 20 हैक्टर से अधिक जोतधारियों द्वारा 524 ग्राम गगाला में भी खडीण जैसी ही स्थिति है। वहां 10–20 हैक्टर वाले जोतधारी औसतन 1.101 किलो दूध का औसत दैनिक उपभोग करते पाये गये हैं तो 20 हैक्टर से बड़ी जोत वाले मात्र 902 ग्राम। छत्रगढ़ में 2–5 हैक्टर वाले परिवारों में दूध का प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोग 564 ग्राम है तो 5–10 हैक्टर में 453 ग्राम।

तालिका संख्या 7.4

जोत श्रृंखला एवं दूध का उपभोग

(प्रति व्यक्ति/ग्रामों में)

जोत श्रृंखला	देवा	चांधण	खड़ीण	गंगाला	छत्रगढ़	मोतीगढ़	फालना	खीमेल	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भूमिहीन	—	—	—	—	241	978	199	685	602
2 हैक्टर तक	191	—	—	—	—	192	338	699	367
2–5 हैक्टर तक	272	321	--	—	564	192	320	219	370
5–10 हैक्टर तक	485	918	—	—	453	271	344	161	423
10–20 हैक्टर	843	337	576	1 101	600	403	313	177	538
20 हैक्टर से अधिक	–	325	524	902	—	—	—	665	745

इस संबंध में मोतीगढ़ की स्थिति सबसे निराली है। यहां सर्वेक्षित भूमिहीन परिवारों ने प्रति व्यक्ति दूध की खपत 978 ग्राम बताई है जो बड़ी जोत शृंखला में आये परिवारों के प्रति व्यक्ति उपभोग से भी बहुत ज्यादा है।

खीमेल में भी कमोवेश वैसी ही स्थिति पाई गई है। वहां भूमिहीन एवं छोटे भूमिधारी परिवारों में प्रति व्यक्ति दूध के दैनिक औसत उपभोग की मात्रा क्रमशः 685 ग्राम और 699 ग्राम रही है और 5–10 हैक्टर एवं 10–20 हैक्टर की जोत शृंखला में आयेपरिवारों में क्रमशः मात्र 161 ग्राम और 177 ग्राम। ध्यान रहे यहां सर्वेक्षित परिवारों में रेबारी जाति के परिवार भी हैं जो भूमिहीन तो हैं लेकिन पशु सम्पदा की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध हैं और परम्परा से जाने माने पशुपालक माने जाते रहे हैं। भूमि शृंखला दूध के उपभोग के बारे में कोई स्पष्ट और निश्चित दिशा संकेत नहीं देती।

घीके रूप में हुए दूध के उपभोग को निकाल कर शेष शुद्ध दूध का उपभोग

प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति सकल दूध के उपभोग की स्थिति ऊपर दर्शाई जा चुकी है लेकिन यदि घी के रूप में हुये दूध के उपभोग को कम करके

सारणी सं. 7.5

दूध का उपभोग

गांव का नाम	प्रति परिवार दूध के रूप में दैनिक उपभोग (किलों में)	प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोग (ग्राम में) (दूध के रूप में)
1	2	3
1. देवा	1.535	215
2. चांधरा	1.790	220
3. खड़ीरा	2.426	289
4. गंगाला	3.731	455
5. छत्रगढ़	1.696	238
6. मोतीगढ़	1.829	159
7. फालना	1.340	212
8. खीमेल	1.061	182
योग	1.988	252

केवल दूध के रूप में ही किये गये दूध के उपभोग का मूल्यांकन करें तो निम्न स्थिति आती है।

तालिका दर्शाती है कि मोतीगढ़ में प्रति व्यक्ति दूध की खपत सबसे कम है। मात्र 159 ग्राम, जबकि पशु से होने वाली आय की दृष्टि से मोतीगढ़ का स्थान काफी ऊंचा है। खीमेल में भी दूध ज्यादा मात्रा में विकने के कारण प्रति व्यक्ति दैनिक दूध उपभोग की मात्रा 182 ग्राम ही है। गंगाला में जो दूधारु पशु पालन की दृष्टि से इस क्षेत्र में एक जाना माना गांव है, प्रति व्यक्ति दूध का दैनिक उपभोग 455 ग्राम है जबकि कस्बाई संस्कृति वाले नहरी क्षेत्र के गांव छत्रगढ़ में 238 ग्राम जो खड़ीण जैसे एकान्त गांव की तुलना में भी कम है। सभी गांवों के सर्वेक्षित परिवारों द्वारा किये गये दूध के उपयोग को देखें तो पाते हैं कि प्रति व्यक्ति दूध के दैनिक उपभोग की औसत मात्रा 252 ग्राम है।

सर्वेक्षित क्षेत्र में प्रति व्यक्ति दूध उपभोग की स्थिति की राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति दूध उपभोग की स्थिति से तुलना करने पर यह पाते हैं कि यहां उपेक्षाकृत अधिक दूध का उपभोग किया जाता है। देश में प्रति व्यक्ति दूध का दैनिक उपभोग औसत करीब 111 ग्राम है। यदि वैज्ञानिकों की राय की दृष्टि से देखें तो उनकी राय में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध का उपभोग कम से कम 210 ग्राम किया जाना चाहिये। इस परिपेक्ष में भी सर्वेक्षित परिवारों में अधिक उपभोग पाया गया। न्यूनतम आवश्यकता 210 ग्राम के स्थान पर इस क्षेत्र में उपयोग 252 ग्राम है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध का औसत उपभोग 265 ग्राम पाया गया जो कि सर्वेक्षित क्षेत्र के करीब है। कुमारप्पा ग्राम स्वराज्य सस्थान ने 1977 में बीकानेर के लूणकरणसर क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों का सर्वेक्षण किया था। इस समय लूणकरणसर (बीकानेर) क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध का उपभोग 395 ग्राम पाया गया था। यह कहा जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति दुध उपभोग की प्रवृत्ति घटने की रही है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर तो उपभोग की मात्रा काफी कम हो गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे दुध बेचने की वृत्ति में प्रवृत्ति, अकाल के कारण दुधारू पशु की संख्या घटना एवं गुणवत्ता में ह्रास के कारण प्रति पशु दुध कम पैदा होना आदि।

तालिका संख्या 7.6

दूध विक्री : जातीय संदर्भ और गांववार स्थिति (लिटर में)

गांव का नाम	अनु सू. जाति जन जाति	अल्प सं. समुदाय	सवर्ण जातियां	योग
1	2	3	4	5
देवा	—	—	—	—
चांघरण	—	28750	7000	35750
खड़ीरण	—	—	4830	4830
गंगाला	—	92460	—	92460
छत्रगढ़	4020	8·905	25750	111675
मोतीगढ़	1200	20330	1900	23430
फालना	—	—	42540	42540
खीमेल	200	—	17730	17930
योग	5420	223445	99750	328615

उक्त तालिका दर्शाती है कि सर्वेक्षित परिवारों द्वारा 328615 किलो दूध बेचा गया है जिसमें अनुसूचित जातियों का अंश मात्र 1.65 प्रतिशत है । अल्प संख्यक समुदाय ने सबसे अधिक मात्रा में दूध बेचा है–कुल विक्रीत दूध का 68 प्रतिशत अंश । शेष 30.35 प्रतिशत अंश सवर्ण जातियों का रहा है । गांववार देखें तो पायेंगे कि देवा को छोड़कर सभी सर्वेक्षित गांवों के अल्प संख्यक परिवारों ने दूध बेचा है । अनुसूचित जाति एवं सवर्ण जातियों को मिलाकर भी ज्यादा मात्रा में दूध बेचा है । स्पष्ट है कि आर्थिक सामाजिक कारणों से अनुसूचित जाति के लोग कम दूध बेचते हैं ।

दूध उत्पादन का कितना अंश विभिन्न जाति समूहों के सर्वेक्षित परिवारों ने बेचा है, यह नीचे दी जा रही तालिका से स्पष्ट हो सकता है ।

तालिका सं. 6.7

जातीय शृंखला और दूध बिक्री

(कुल दूध उत्पादन के प्र. श. रूप में)

गांव का नाम	अनु. सू. जाति जन जाति	अल्प सं. समु.	सवर्ण जातियां	योग
1	2	3	4	5
देवा	—	—	—	—
चांवरण	—	75.56	29.36	54.74
खड़ीरण	—	—	9.26	५.26
गंगाला	—	55.56	—	55.56
छत्रगढ़	28.05	72.07	45.37	60.46
मोतीगढ़	20.69	75.75	11.14	47.14
फालना	—	—	73.84	58.75
खीमेल	6.90	—	62.43	57.28
योग	11.25	64.44	41.08	51.53

उक्त तालिका दर्शाती है कि पांच में से चार गांवों के अल्प संख्यक परिवारों ने अपने दूध उत्पादन का 64.44 प्रतिशत अंश बेचा है। चांवरण, मोतीगढ़ और छत्रगढ़ में 72 से 76 प्रतिशत दूध उत्पादन बेचा है तो गंगाला में 55——56 प्रतिशत। अनुसूचित जाति, जनजाति परिवारों ने अपने दूध उत्पादन का मात्र 11.25 प्रतिशत अंश बेचा है–यह इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि वे दूध का अधिक मात्रा में उत्पादद नहीं कर पाते और उन्हें अपना अधिकांश उत्पादन घरेलू उपभोग मे लेना पड़ता है। सवर्ण जातियों ने अपने दूध उत्पादन का औसतन 41.08 प्रतिशत अंश बेचा है— खड़ीरण में बिक्री सुविधा न होने से मात्र 9.26 प्रतिशत लेकिन फालना, खीमेल और छगगढ़ में विपणन सुविधायें अधिक मिलने के कारण क्रमशः 73, 84, 62, 43 और 45, 37 प्रतिशत।

छत्रगढ़, फालना, खीमेल, गंगाला और चांवण में कुल दूध उत्पादन का अधिक अंश बेचा गया है।

पशु श्रृंखला के आधार पर दूध विक्री को देखें तो हमें पता चलता है कि विभिन्न पशु श्रृंखलाओं में आये परियारों ने निम्न प्रकार दूध वेचा है ।

तालिका सं. 7.8

पशु श्रृंखला के अनुसार दूध विक्री

पशु श्रृंखला	विक्री किया गया दूध (कुल दूध उत्पादन के प्रतिशत (रुपये में)
1	2
1–10	37.53
11–20	41.85
21–50	52.23
51–100	62.75
101–200	58.68
201 एवं ऊपर	63.19

उक्त तालिका दर्शाती है कि 101–200 पशु श्रृंखला में आये परिवारों को छोड़कर अन्य पशु श्रृंखला में आये परिवार पशु संख्या में बढ़ोतरी के साथ वेचे गये दूध का प्रतिशत (उत्पादन के संदर्भ में) बढ़ाते गये हैं । 101–200 पशु श्रृंखला में आये परिवारों ने 51–100 पशु श्रृंखला के परिवारों की तुलना में 4 प्रतिशत दूध कम वेचा है ।

पशु श्रृंखला के सन्दर्भ में दूध उत्पादन एवं विक्री की स्थिति तालिका संख्या 7.9 से अधिक स्पष्ट हो सकती है ।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 1–10 पशु श्रृंखला में आये परिवारों में से गंगाला, फालना एवं खीमेल के परिवारों ने अपने दूध उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक अंश वेचा है । इसी प्रकार 11–20 पशु श्रृंखला में गंगाला, छत्रगढ़ और फालना के सर्वेक्षित परिवारों की यही स्थिति रही है । 21–50 पशु श्रृंखला में चांधण, गंगाला, छत्रगढ़ और फालना सभी ने यही स्थिति दर्शाई है । 51–100 पशु श्रृंखल. में चांदण. गंगाला, छत्रगढ़, मोतीगढ़ और खीमेल 50 प्रतिशत से अधिक दूध उत्पादन का अंश वेचने वाले पाये गये हैं । 101-200 पशु श्रृंखला में केवल छत्रगढ़ ने ही अपने दूध उत्पादन का 75 प्रतिशत अंश वेचा है । इस श्रृंखला के दूध वेचने वाले परिवारों ने चांदण

ग्रौर मोतीगढ दोनों की ही दूध विक्री कुल उत्पादन के 40 प्रतिशत के लगभग रही है। 200 से ग्रधिक पशु श्रृंखला के परिवारों ने गंगाला में 50 प्रतिशत के लगभग ग्रौर छत्रगढ़ में 90 प्रतिशत के लगभग दूध उत्पादन वेचा है।

जोत श्रृंखला के संदर्भ में दूध विक्री की स्थिति तालिका संख्या 7.10 से ग्रधिक स्पष्ट हो सकती है।

तालिका दूध विक्री की गांववार स्थिति दर्शाती है। इस तालिका से ज्ञात होता है कि 11–20 हैक्टर एवं 2–5 हैक्टर जोत श्रृंखला वाले परिवारों ने सबसे ग्रधिक दूध वेचा है–कुल विक्री किये गये दूध में उनका ग्रंश क्रमशः 51.19 प्रतिशत ग्रौर 29.09 प्रतिशत रहा है। छत्रगढ़ में 5–10 हैक्टर वाले जोत धारियों का विक्री किये कुल दूध में ग्रंशदान 65.10 प्रतिशत रहा है तो 11–20 हैक्टर वाले जोतधारियों का 28.95 प्रतिशत। मोतीगढ़ में 11.20 हैक्टर वाले जोतधारियों का यह ग्रंश 82.37 प्रतिशत रहा है। फालना में 2–5 तथा 5–10 हैक्टर के जोत धारियों का बिक्री किये गये दूध में क्रमशः ग्रंश रहा है 46–07 तथा 23.98 प्रतिशत।

तालिका संख्या 7.9 (अ)

पशु शृंखला (भेड़-बकरी सम्मिलित) और दूध उत्पादन एवं बिक्री

(उत्पादन) (दूध उत्पादन लिटर में)

गांव	1–10	11–20	21–50	51–100	101–200	20. से अधिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
देवा	1090	3600	6620	1440	1165	1800	15715
नाथण	5610	2840	18895	15700	19360	2900	65305
सड़ौण	23760	18200	10210	—	—	—	52170
गंगाला	26200	5400	70700	52020	—	12100	166420
छत्रगढ़	28690	22`50	50910	20560	44050	18160	184720
मोतीगढ़	3100	—	—	5700	10470	32430	49700
फालना	37860	24950	6300	2 00	500	—	72410
मोगेल	9900	700	9200	11000	—	500	31300
योग	136210	78040	172833	107220	75545	67890	637740

तालिका 7.9 (ब)—बिक्री

गांव	1–10	11–20	21–50	51–100	101–200	201 से अधिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
देवा	—	—	—	—	—	—	—
चांधण	50	—	14000	14700	7000	—	35750
खड़ीण	1400	1700	1730	—	—	—	4830
गंगाला	13800	2900	36500	28260	—	11000	92460
छत्रगढ़	8850	11660	28945	13420	33100	15700	111675
मोतीगढ़	1100	—	—	1900	4230	16200	23430
फालना	20640	16400	5500	—	—	—	42540
खीमेल	5330	—	3600	9000	—	—	17930
योग	51120	32660	90275	67280	44330	42900	328615

तालिका संख्या 7.10

भूमि शृंखला और दूध विक्री

(लिटर में)

गांव का नाम	भूमिहीन	2 हे.	2–5 हे.	5–10 हे.	11–20 हे.	20 से अधिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
देवा	—	—	—	—	—	—	—
नांचण	—	—	10400	5050	18300	4000	35750
खड़ीण	—	—	—	—	4100	730	4030
गंगाला	—	—	—	—	22200	70260	92460
छत्रगढ़	5440	—	1200	72705	32330	—	111675
मोतीगढ़	—	1100	—	3030	19300	—	23430
फालना	2840	3600	19600	10200	6300	—	42540
सीमेल	5000	730	4400	—	200	3600	17930
योग	17280	5430	35600	80983	102730	78590	328615

तालिका सं. 7.11

जोत शृंखला एवं दूध उत्पादन

(लिटर में)

गांव का नाम	भूमिहीन	2 हे.	2–5 हे.	5–10 हे.	11–20 हे.	21 से अधिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1. देवा	—	765	4769	6190	4000	—	15715
2. चांधण	—	—	14310	9750	31703	9460	65305
3. खड़ीण	—	—	—	—	47480	4750	52170
4. गंगाला	—	—	—	—	43500	122920	166420
5. छत्रगढ़	7200	—	13370	109280	54878	—	184720
6. मोतीगढ़	2500	1800	700	8170	36530	—	49700
7. फालना	6030	7550	31400	20330	7100	—	72410
8 खीमेल	11000	4300	5600	1000	2400	7000	31300
योग	26730	14415	70140	154790	227605	144130	637740

जोत श्रृंखला तथा दूध विक्री

जोत श्रृंखला के संदर्भ में दूध विक्री की स्थिति नीचे की तालिका से अधिक स्पष्ट हो सकती है।

तालिका सं. 7.12

जोत श्रृंखला एवं दूध विक्री

जोत श्रृंखला	विक्री किया गया कुल उत्पादन के प्रतिशत रूप में
1	2
भूमिहीन	64.65
2 हैक्टर तक	37.67
2–5 हैक्टर	50.76
5–10 हैक्टर तक	57.49
10–20 हैक्टर तक	45–14
20 हैक्टर से अधिक	54–53

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि भूमिहीन परिवारों ने अपने दूध उत्पादन का 64.65 अंश वेचा है। इसका कारण एक सीमा तक भूमि न होने के कारण उनका पशु व्यवसाय पर केन्द्रित ध्यान रखना भी हो सकता है। दूसरा नम्बर 5–10 हैक्टर जोत श्रृंखला के परिवारों को आता है जिन्होंने अपने दूध उत्पादन का 57.49 प्रतिशत भाग वेचा है। 10–20 हैक्टर जोत श्रृंखला वाले परि-वारों ने अपने उत्पादन का अपेक्षाकृत कम प्रतिशत दूध वेचा है।

प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति दूध विक्री स्थिति तालिका सं. 7.13 से समझी जा सकती है।

तालिका दर्शाती है कि अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों में प्रति परिवार दूध विक्री का औसत मोतीगढ़ में 1.644 किलोग्राम रहा है। इसकी तुलना में इसी गांव में अल्प संख्यक समुदाय का दूध विक्री औसत 11.140 किलोग्राम रहा है। समग्र दृष्टि से तो स्थिति और भी दयनीय नजर आती है। अनुसूचित जनजाति का दैनिक दूध विक्री औसत जहां मात्र 363 ग्राम रहा है, वहीं प्रति अल्प संख्यक परिवार यह औसत 10 किलो 36 ग्राम

सारणी सं. 7.13

जाति शृंखला एवं प्रति परिवार प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक बिक्री

(किलो में)

गांव का नाम	प्रति परिवार	प्रति व्यक्ति	प्रति परिवार	प्रति व्यक्ति	प्रति परिवार	प्रति व्यक्ति
	अनु. जा. जन जातियां		अल्प संख्यक समुदाय		सवर्ण जातियां	
1	2	3	4	5	6	7
1. देवा	—	—	—	—	—	—
2. चांघण	—	—	9.846	1.291	1.598	.178
3. खड़ीण	—	—	—	—	0.490	.059
4. गंगाला	—	—	9.743	1.190	—	—
5. छत्रगढ़	.918	.133	10.686	1.377	2.939	.441
6. मोतीगढ़	1.644	.070	11.140	.960	.531	.058
7. फालना	—	—	—	—	4.162	.655
8. खीमेल	.182	.014	—	—	8.096	.797
योग	.363	0.45	10.036	1.219	2.3[illegible]7	.312

आया है । इसी प्रकार खीमेल में प्रति सवर्ण परिवार 8 096 दूध विक्री का औसत रहा है और खड़ीण में मात्र 490 ग्राम और मोतीगढ़ में 531 ग्राम ।

पशु शृंखला के संदर्भ में दूध विक्री की निम्न स्थिति पाई गई है ।

1–10 पशु शृंखला में गंगाला में प्रति परिवार 2300 किलोग्राम की वार्षिक औसत विक्री आई है । इस शृंखला में दूसरा स्थान 1332 किलो खीमेल का रहा है ।

11–20 पशु शृंखला में सर्वाधिक दूध प्रति परिवार गंगाला ने वेचा है 2900 किलो जबकि दूसरा नम्बर 2342.857 किलो पर फालना का रहा है । तीसरे नम्बर पर छत्रगढ़ दिखाई देता है जहां प्रति परिवार 1295.556 किलो दूध औसतन वेचा गया है ।

21–50 पशु शृंखला में गंगाला के बाद चांधण का स्थान है जहां प्रति परिवार 2800 किलो दूध विक्री का औसत आया है । गंगाला में इस शृंखला में प्रति परिवार दूध विक्री का औसत 3041 किलो 667 ग्राम रहा है । फालना और छत्रगढ़ में यह औसत क्रमशः 2750 किलो और 2631 किलो 363 ग्राम का रहा है ।

51–100 पशु शृंखला में खीमेल में प्रति परिवार दूध विक्री का औसत 9000 किलो रहा है जबकि चांधण में 7350 किलो और गंगाला में 4710 किलो ।

101–200 पशु शृंखला में छत्रगढ़ में प्रति परिवार दूध विक्री का औसत 6620 किलो रहा है और 200 से ऊपर वाली शृंखला में गंगाला में 11000 किलो ।

जोत शृंखला के संदर्भ में दूध विक्री की निम्न स्थिति रही है ।

भूमिहीन परिवारों में सर्वाधिक दूध खीमेल में 9000 लिटर एक भूमिहीन परिवार ने वेचा है लेकिन इस परिवार के पास पहले बहुत अधिक जमीन थी जो अब उसने वेच दी है ।

2 हैक्टर जोत शृंखला में प्रति परिवार सर्वाधिक औसत दूध विक्री 1100 किलो मोतीगढ़ में रही है । 2–5 हैक्टर शृंखला में खीमेल में दूध विक्री का प्रति परिवार औसत 2200 किलो खीमेल में रहा है तो 3666.667 किलो चांधण में जो इस शृंखला में सबसे ज्यादा है ।

5–10 हैक्टर जोत शृंखला में प्रति परिवार दूध विक्री छत्रगढ़ में 2077 किलो 286 ग्राम रही है और चांधण में 1525 किलो प्रति परिवार ।

10–20 हैक्टर जोत श्रृंखला में छत्रगढ़ में प्रति परिवार दूध विक्री 4041 किलो 250 ग्राम रही है। गंगाला में 3171 किलो 428 ग्राम तथा फालना में 3150 किलो। 20 हैक्टर से अधिक जोत श्रृंखला में छत्रगढ़ में प्रति परिवार दूध विक्री 3697 किलो 895 ग्राम रही है तो खीमेल में 3600 किलो।

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि दूध उत्पादन की तरह दूध विक्री की मात्रा जोत श्रृंखला पर पूर्णतः आश्रित नहीं रहती और न पशु श्रृंखला में ही उसे शतप्रतिशत सीमा तक प्रभावित करती है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं वहां उपलब्ध विपणन सुविधायें भी दूध विक्री को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित करती रहती है।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां

जैसा कि पहले वताया जा चुका है दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के बारे में सर्वेक्षित परिवारों की जानकारी वहुत सीमित है। जहां तक दूध सहकारी समितियों की सदस्यता का प्रश्न है, तालिका 7.4 वास्तविक मूल्यांकन में सहा-यक हो सकती है।

तालिका 7.14

दुग्ध सहकारी समिति एवं सर्वेक्षित परिवार
(दुग्ध सहकारी समिति की सदस्यता)

गांव का नाम	सदस्य हैं	नहीं हैं	कुल सर्वेक्षित परिवारों का योग
1. देवा	—	15(100)	15
2. चांवरा	—	23(100)	23
3. खड़ीरा	—	27(100)	27
4. गंगाला	19(73.08)	7(26.92)	26
5. छत्रगढ़	8(14.04)	49(85.86)	57
6. मोतीगढ़	9(52.94)	8(47.06)	17
7. फालना	3(7.14)	39(92.86)	42
8. खीमेल	—	9(100)	9
योग	39(18.06)	177(81.94)	216(100)

यह तालिका दर्शाती है कि पशु बहुल एवं दूध उत्पादन के लिए ख्याति प्राप्त इस क्षेत्र में मात्र 18.06 प्रतिशत ही दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्य पाये गये हैं। देवा, चांवरण, खडीरण, और खींमेल चारों गांवों में एक भी सर्वेक्षित परिवार ने दूध उत्पादक सहकारी समितियों की सदस्यता की बात स्वीकार नहीं की है यद्यपि चांवण में सहकारी आधार पर दूध विपणन की व्यवस्था हमारे देखने में आई है।

गंगाला में 73.08 प्रतिशत और मोतीगढ़ में 52.94 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवार दूध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्य हैं जबकि छत्रगढ़ और फालना में दूध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों का प्रतिशत बहुत कम छत्रगढ़ में 14.04 प्रतिशत और फालना में मात्र 7.14 प्रतिशत। इसका कारण

तालिका 7.15

दुग्ध सहकारी समिति के माध्यम से दुग्ध विक्रय

गांव	सहकारी समिति को दूध देने वाले परिवार	विक्री किये कुल दूध की मात्रा (किलो में)	दूध विक्री प्रति दूध विक्रेता परिवार	दूध से आय रुपये	प्रति परि. दूध विक्री से आय (रुपये में)
1	2	3	4	5	6
देवा	—	—	—	—	—
चांवरण	—	—	—	—	—
खडीण	—	—	—	—	—
गंगाला	18 (69.23)	53150	2953	109685	6094
छत्रगढ़	2 (3.51)	3200	1600	7600	3800
मोतीगढ़	9 (52.94)	24630	2737	61575	6842
फालना	2 (4.76)	600	800	1500	750
खीमेल	—	—	—	—	—
योग	31	81580	263:	180360	5818

छत्रगढ़ क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति हो सकती है, जहां अधिकांश दूध उत्पादक मुख्य गांव से 5 से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपनी ढाणियों में अथवा खेतों पर रहते हैं, और फालना में फालना स्टेशन और कस्बे से निकटता के कारण सहकारी समिति की तुलना में उन्हें दूध का ज्यादा मूल्य मिल जाता है।

तालिका सं. 7.15 सहकारी समिति के माध्यम से दूध देने वाले परिवारों के बारे में जानकारी देती है।

तालिका बताती है कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों की 81.58 प्रतिशत संख्या इन समितियों के माध्यम से अपने दूध का विपणन करती हैं। कुल 81580 किलो दूध सहकारी समितियों के माध्यम से बेचा गया है–औसतन प्रति परिवार 2632 किलो। कुल दूध बिक्री में दूध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से बेचे गये दूध की मात्रा 24.83 प्रतिशत है। इस संबंध में हर गांव में समान स्थिति नहीं है। गंगाला में कुल दूध बिक्री में दूध उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से बेचे गये दूध की मात्रा 57.48 प्रतिशत है जबकि मोतीगढ़ में सर्वेक्षित परिवारों ने अपना शतप्रतिशत दूध उसके माध्यम से बेचा है। यहां एक अन्य दूध विक्रेता ने भी सहकारी समिति के माध्यम से अपना संग्रहीत दूध बेचा है। छत्रगढ़ में दूध उत्पादक समितियों के माध्यम से बेचे गये दूध की मात्रा 4 प्रतिशत के लगभग है यद्यपि वहां 4 ऐसे व्यक्ति भी हमें मिले जो पड़ौस की ढाणियों से दूध लाकर डेयरी वालों को बेचते हैं लेकिन वे सर्वेक्षित परिवारों में समविष्ट नहीं किये गये हैं क्योंकि वे स्वयं दूध उत्पादन नहीं करते बल्कि दूध अन्य उत्पादकों से सस्ते भाव पर खरीद कर अपेक्षाकृत मंहगे भाव पर (25 से 50 पैसा प्रति किलो बीच का कमीशन लेकर) दूध उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से बेच देते हैं।

दूध उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से बेचे गये दूध से पशु पालकों को 180360 रुपये की आय हुई है। प्रति दूध विक्रेता परिवार 5818 रुपये आया। दूध उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से हुई है और उसके माध्यम से बिके दूध का औसत मूल्य 2 रुपये 21 पैसा विक्रेताओं को प्राप्त हुआ है।

ऊन बिक्री

सर्वेक्षित क्षेत्र में भेड़ों की संख्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। ऊन बिक्री से सर्वेक्षित परिवारों का सर्वेक्षत साल में 146819 रुपये की आय हुई है–प्रति परिवार औसत वार्षिक आय 680 रुपये। पशुधन से हुई कुल आय में

यह अंश 10.34 प्रतिशत है और सकल आय में 5.75 प्रतिशत। इसके अलावा अनेक सर्वेक्षित परिवारों ने भाव तेज होने की आशा में अपनी भेड़ों की ऊन संग्रहीत भी करके रख छोड़ी है जिसकी विक्री की आय इसमें समविष्ट नहीं कर पाये हैं। विना विकी ऊन का अंश कुल ऊन उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत आंका जा सकता है।

सर्वेक्षित गांवों में प्रति परिवार ऊन विक्री से हुई आय की जानकारी नीचे की तालिका से मिल सकती है।

तालिका सख्या 7.16

ऊन विक्री से आय

गांव का नाम	ऊन विक्री से प्रति परिवार आय	परिवार की सकल आय में अंश
1	2	3
देवा	·28	12.14
चांवण	400	3.51
खड़ीण	—	—
गंगाला	162	1.57
छत्रगढ़	646	4.09
मोतीगढ़	4665	24.73
फालना	14	0.17
खीमेल	360	1.86
योग	680	5.75

उक्त तालिका दर्शाती है कि सकल आय में ऊन विक्री की सर्वाधिक आय मोतीगढ़ में रही है–24.73 प्रतिशत। दूसरा स्थान देवा का है कुल आय का 12.14 प्रतिशत, तीसरा स्थान छत्रगढ़ का है कुल आय का 4.09 प्रतिशत। खड़ीण में ऊन विक्री की आय नहीं बताई गई है और फालना में यह अंश मात्र 0.17 प्रतिशत रहा है।

पशु विक्री

पशु विक्री से हुई आय का सकल आय में अंश है 10.82 प्रतिशत। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पशु विक्री से होने वाली आय इस क्षेत्र के आर्थिक जीवन का एक उल्लेखनीय आधार है।

पशु विक्री से गांववार प्रति परिवार औसत आय की स्थिति तालिका सं. 7.17 से जानी जा सकती है।

तालिका सं. 7.17

पशु विक्री से आय

गांव का नाम	प्रति परिव र आय (रुपयों में)
1	2
देवा	200
चांधरण	1891
खड़ीरण	592
गंगाला	446
छत्रगढ़	724
मोतीगढ़	8236
फालना	310
खीमेल	900
योग	1280

उक्त तालिका दर्शाती है कि मोतीगढ़ के सर्वेक्षित परिवारों ने अकाल की भीपरण विभीपिका को देखते हुए अपना पशुवन (भेड़ें) वहुत अधिक मात्रा में वेची हैं—रेवड़ के रेवड़ वेच दिये हैं।

पशु विक्री का सकल आय में क्या स्थान है, इसकी जानकारी नीचे की तालिका से जानी जा सकती है।

तालिका 7.18

कुल आय में पशु विक्री से आय का स्थान

गांव का नाम	प्रतिशत
देवा	2.70
चांवरण	16.58
खड़ीरण	9.73
गंगाला	4.34
छत्रगढ़	4.59
मोतीगढ़	43.65
फालना	3.63
खीमेल	4.66
योग	10.82

उक्त तालिका दर्शाती है कि मोतीगढ़ की सकल आय में पशु विक्री का अंश ज्यादा है। इस गांव में भेड़ें ज्यादा है। भेड़ पालक अकाल जन्य स्थिति के कारण अपनी भेड़ों की चराई की पूरी व्यवस्था नहीं कर पाये और उन्हें यह आशका हो गई कि यदि वे अपनी अतिरिक्त भेड़ें नहीं वेचेंगे तो वे वैसे ही मर जायेंगी इसलिए प्राकृतिक मौत से मरने देने के स्थान पर उन्हें वेचकर नकद आय करना आर्थिक दृष्टि से अधिक समीचीन समझा। इसलिए इस गांव में पशु विक्री ज्यादा हुई। इस गांव के सर्वेक्षित परिवार की सकल आय में पशु विक्री का अंश सर्वाधिक रहा है कुल आय का 43.65 प्रतिशत। चांवरण की सकल आय में यह अंश 16.58 प्रतिशत रहा। वहां भी अकाल के कारण भेड़ें काफी संख्या में विकी हैं। सकल आय में सबसे कम अंश देवा में है जहां अकाल के बावजूद अभी भेड़ विक्री का व्यापक सिलसिला नहीं चला है।

पशु गाड़ियों के माध्यम से ढुलाई की आय

पशु गाड़ियों से (प्रायः ऊंट गाड़ियों से) हुई आय का सकल आय में इसका अंश 3.18 प्रतिशत है। सर्वेक्षित गांवों में इस मद से हुई पारिवारिक औसत आय की जानकारी तालिका सं. 7.19 से मिल सकती है।

तालिका सं. 7.19

पशु ढुलाई से आय

(रुपये में)

गांव का नाम	प्रति परिवार औसत आय	सकल आय में अंश
1	2	3
देवा	133	1.80
चांधण	174	1.52
खड़ीए	—	—
गंगाला	—	—
छत्रगढ़	495	3.14
मोतीगढ़	1294	8.86
फालना	429	5.05
खीमेल	777	4.03
योग	376	3.18

उक्त तालिका दर्शाती है कि सकल आय के सन्दर्भ में मोतीगढ़, फालना, खीमेल और छत्रगढ़ में पशु गाड़ी किराये से प्राप्त आय क अंश उल्लेखनीय है। मोतीगढ़ में जंगल से जलावन की लकड़ी संग्रहीत करके लाई जाती है, जिससे पशु गाड़ियों को काफी काम मिल जाता है।

सामाजिक परिवेश

राजस्थान–खासकर पश्चिमी क्षेत्र में जहां का भौगोलिक पर्यावरण मरु–स्थलीय है, सामाजिक परिवेश में कठोर जीवन पाया जाता है। सुदूर मरुस्थलीय भौगोलिक परिवेश में गर्मी, सर्दी तथा तेज हवायें वहां के जीवन को कई सीमाओं में बांधती हैं। इनसे बनने वाले सामाजिक ढांचे में पशु पालन तथा घुमन्तुपन प्रमुख है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भौगोलिक कारणों से यहां के आर्थिक ढांचे में पशुपालन का प्रमुख स्थान है। पशुओं को केन्द्र बिन्दु मानकर ही यहां के सामाजिक ढांचा बनता है। यही कारण है कि सभी सामाजिक वर्गों के लोगों का आर्थिक जीवन पशुधन के इर्दगिर्द घूमता है और उसी के अनुरूप सामाजिक जीवन भी संचालित होता है। पशु के प्रकार को ध्यान में रखकर देखें तो पशुपालकों को दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। (1) ऐसे पशु पालक जिनके पास गोधन की संख्या अधिक है और (2) ऐसे जिनके पास भेड़, बकरी जैसे पशु अधिक संख्या में हैं। वैसे सामान्यतः पशु पालक दोनों प्रकार के पशु रखते हैं। जिनके पास गोधन अधिक है, उनका जीवन तुलनात्मक दृष्टि से अधिक स्थाई है। ये लोग प्रायः पानी की दृष्टि अनुकूल स्थान पर बसे हैं और स्थाई रूप से रहकर गौ पालन करते हैं जबकि भेड़–बकरी ऊंट आदि रखने वाले पशुपालकों में 'घुमन्तूपन' अधिक है। ऐसा पशु की प्रकृति के कारण भी है। भेड़, बकरी, ऊंट, दूर–दूर तक घूमकर चरने का अभ्यासी हैं। इस प्रकार के पशुपालक पशुधन के साथ निष्क्रमण करते हैं और राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तथा अन्य प्रदेशों तक चले जाते हैं। रास्ते में जरूरत पड़ने पर ऊन तथा पशुधन की बिक्री भी करते जाते हैं। ऐसे पशुपालक परिवारों के कुछ ही सदस्य मूल गांव में रह जाते हैं, शेष पशु के साथ बाहर निकल जाते हैं। स्पष्ट है इस प्रकार के

पशुपालकों का सम्पर्क दूर के क्षेत्र के लोगों से होता है। देश दर्शन भी होता है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि गोपालक उसी अनुपात में बाहर जाते हैं। गोपालक भी पानी एवं चारे की तलाश में दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। खासकर अकाल के दिनों में इन्हें पानी एवं चारे वाले क्षेत्र में जाना पड़ता है। यह कहना चाहिये कि गोपालक की प्रकृति स्थाई निवास की है तथा भेड़–बकरी, ऊंट पालक की प्रकृति घुमन्तु है। लेकिन यहां के पर्यावरण के कारण दोनों में कमोवेशी घुमन्तुपन आवश्यक है।

इस परिस्थिति ने उनका जीवन कठोर, परिश्रमी तथा कठिनाईयों से जूझने वाला बना दिया है। यहां के स्त्री–पुरुष दोनों मजबूत शारीरिक संरचना वाले हैं जिन्हें तेज गर्मी–सर्दी सहन करने का अभ्यास है। इन लोगों को सैकड़ों की संख्या में पशुधन लेकर मरुक्षेत्र से शस्य शामल मैदानी पहाड़ी क्षेत्र में घुमते देखा जा सकता है। सामान्यतः इन्हें जातीय रूप में विभाजित करना सही नहीं लगता, क्योंकि सभी जाति के लोग सभी प्रकार के पशु पालते हैं। फिर भी कुछ जातियां पशुपालन में विशेष रुचि रखती है जैसे रेबारी लोग बकरी, भेड़ तथा ऊंट पालने में विशेष रुचि रखते हैं। गोदूध के व्यापार ने गोपालकों को एक स्थान पर रहने की प्रेरणा दी है। वे चाहते हैं कि एक स्थान पर स्थाई रूप में रहें, ताकि दूध–घी, बेचने की अपेक्षाकृत अधिक सुविधा रहे योजनाओं की क्रियान्विति ने स्थाई निवास की अनुकूलता भी दी है। इसी प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों ने दूध विक्री की अनुकूलता दी है। लेकिन ये सुविधायें अभी सीमित हैं और बड़ी संख्या में गोधन पानी एव चारे की तलाश में दूरस्थ क्षेत्रों में जाता है। इस कारण पशु मरते भी हैं। पिछले 5–6 वर्षों से भीषण अकाल ने पशुपालकों की कमरतोड़ दी है, खासकर गोपालकों के सामने कठिनाई बढ़ गई है। गोधन को सशक्त एवं जिन्दा रखना असंभव दिख रहा है। पानी एवं चारे के अभाव में गोधन की संख्या कम होने के साथ–साथ प्रति गाय दूध का उत्पादन भी काफी कम हो गया है।

इस अध्याय में सर्वेक्षित क्षेत्र में पशुपालकों के सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए निम्न मुद्दों पर विचार किया गया है।

1. पशुधन के अनुसार पशुपालकों का सामाजिक परिवेश।

2. घुमन्तू पशुपालक एवं निष्क्रमण की स्थिति।

3. मेले एवं बाजार।

पशुपालन के लिए सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थिति

सर्वेक्षित क्षेत्र में पशुपालन के लिए सामाजिक परिस्थितियां अनुकूल मानी जा सकती है। इस तथ्य की पुष्टि इससे होती है कि राजपूत, जो उच्च सवर्ण जाति वर्ग में आते हैं बिना हिचक भेड़-बकरी पालते हैं, उन्हें चराई के लिए अपने अड़ोस-पड़ोस के क्षेत्रों में ले जाते हैं और मौका पड़ने पर उन्हें लेकर बाहर भी जाते हैं। अल्प संख्यक समुदाय के लोग भी गाय-भेड़, बकरियां एवं ऊंट सभी पशु पालते हैं। मालदार से मालदार अल्प संख्यक परिवार भी पशु पालन को प्राथमिकता देता है चाहे फिर पशुपालन में लगे रहने के कारण बच्चे अनपढ़ ही क्यों न रह जायें। सवर्ण जातियों में केवल ब्राह्मण एवं बनिये ही ऐसे हैं जो भेड़ बकरी नहीं पालते लेकिन उनके भरणपोषण में भी गोपालन से होने वाली आय एक मुख्य स्थान रखती है।

इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी अब तक पशु पालन के लिए अनुकूल रही है। एक तो इस क्षेत्र में सामान्य वर्षा होने पर भी चारा पैदा करने की क्षमता विद्यमान है और चारागाह क्षेत्र व्यापक होने तथा आबादी कम होने के कारण काफी मात्रा में खुली भूमि उपलब्ध रही है जो इस क्षेत्र के गोधन एवं भेड़-बकरियों तथा ऊंटों के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। ध्यान रहे इस क्षेत्र के पशु खुले में घूमघूम कर चरने के अभ्यस्त हैं और खूंटे पर खड़े रहकर दूध देना उनके स्वभाव एवं प्रकृति के कम अनुकूल है। घूम-घूम कर चराई करने पर वे अधिक दूध देती है तथा खूंटे पर खड़े रहकर चराई करने पर दूध की मात्रा में गिरावट आ जाती है। लेकिन नहर के आगमन के साथ छत्रगढ़ क्षेत्र में पूर्ववर्ती स्थिति में तेजी से बदलाव आ रहा है। प्रायः सभी पशु पालकों ने कृषि कार्यों के लिये भूमि का एलाटमेंट कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख करते हुए बताया कि अब चारागाह क्षेत्र संकुचित हो गया है और इसका पशुपालन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

जैसलमेर, पाली एवं बाड़मेर जिले के पशुपालक प्राकृतिक प्रकोप के कारण परेशान हैं-यहां पिछले तीन साल से वर्षा का भयंकर अभाव रहा है जिसके कारण चारे का गंभीर संकट है और पशु चारे की तलाश में मारे-मारे फिरने के लिए विवश हैं। इसका पशुओं के स्वास्थ्य एवं संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उनकी उत्पादकता घट गई है, गुणात्मकता कम हो गई है।

जैसलमेर जिले के चांधण गांव में गवारिया जाति के पशुपालक हैं जो मुख्यतः गधे पालते हैं-इस गधा पालक जाति के अधिकांश लोग मनिहारी का का व्यवसाय करते हैं—अपने पशुओं पर मनिहारी का सामान यथा चूड़ी, सूई,

धागा आदि लादकर ले जाते हैं और उसे अड़ोस–पड़ोस के गांवों में बेच देते हैं। कुम्हारों के पास भी गधे हैं।

ढ़ोली जाती के लोग घोड़े पालते देखे गये लेकिन घोड़ों की संख्या अधिक नहीं होने के कारण पशुपालकों का विभिन्न श्रेणियों में विभाजन करते समय अलग से उन्हें श्रेणीवद्ध करना उचित नहीं माना गया।

सर्वेक्षित परिवारों का पशुपालन की दृष्टि से श्रेणी विभाजन

सर्वेक्षित 216 परिवारों में 54 परिवार भेड़ पालक श्रेणी में आते हैं संख्या के आधार पर इनका निम्न विभाजन किया जा सकता है—

तालिका सं. 8.1

सर्वेक्षित परिवारों में भेड़ पालक

पशु शृंखला (भेड़)	परिवार संख्या	कुल सर्वेक्षित परिवारों का प्रतिशत
51–100	21	9.72
101–200	20	9.30
201 एवं ऊपर	13	6.10
योग	54	25.00

पशु पालकों का उक्त दोनों श्रेणियों के संदर्भ में विश्लेषण करें तो निम्न स्थिति रहती है।

तालिका सं. 8.2

सर्वेक्षित परिवारों में गोपालक एवं भेड़ पालक

गांव का नाम	मुख्यत: गोपालक	मुख्यत: भेड़ पालक	योग
देवा	11 (73.33)	4 (26.67)	15
चांवण	14 (60.87)	2 (39.13)	23
खड़ीण	27 (100)	—	27
गंगाला	12 (73.08)	7 (26.32)	26
छत्रगढ़	42 (73.68)	15 (26.32)	37
मोतीगढ़	2 (11.76)	15 (88.24)	17
फालना	40 (95.24)	2 (4.76)	42
खीमेल	7 (77.28)	2 (22.22)	9
योग	162 (75.00)	54 (25.00)	216

उक्त तालिकाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पशुधन की संख्या को आधार मानकर देखें तो 25 प्रतिशत परिवारों को मुख्य रूप से भेड़ पालक तथा 75 प्रतिशत को गो पालक कहा जा सकता है। यहां 51 या उससे अधिक भेड़ रखने वाले परिवार को भेड़ पालक माना गया है। वैसे अधिकांश परिवारों के पास कुछ न कुछ भेड़-बकरी अवश्य रहती हैं। सर्वेक्षित गांवों में सबसे अधिक भेड़ पालक मोतीगढ़ में (88.24) पाये गये। इसके बाद चांधरण छत्रगढ़, गंगाला, खीमेल आदि गांवों का स्थान आता है। यह कहा जा सकता है कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आज भी गोधन ही मुख्य पशुधन है और यही जीवन को आर्थिक आधार प्रदान करता है।

ऐसे परिवारों का जिन्हें ऊन-बिक्री से 1200 रुपये वार्षिक (100 रुपये माहवार) से अधिक आय हुई है, जातीय संदर्भ में विश्लेषण करें तो निम्न स्थिति रहती है।

तालिका सं. 8.3

100 रुपये मासिक से अधिक ऊन बिक्री से आय वाले परिवार

गांव का नाम	अनु. सू. जाति जनजाति	अल्प सं. समुदाय	सवर्ण जाति	योग
1	2	3	4	5
देवा	1	—	3	4
चांधरण	–	1	1	2
खड़ीण	–	—	—	—
गंगाला	–	1	—	1
छत्रगढ़	2	5	2	9
मोतीगढ़	2	4	9	15
फालना	–	–	–	—
खीमेल	1	–	–	1
योग	6	11	15	32

पशु निष्क्रमण

निष्क्रमण के कारण

जब वर्षा की कमी के कारण इस क्षेत्र में पेयजल का गंभीर संकट खड़ा हो जाता है, अन्न एवं घास पैदा नहीं होने के कारण चराई का संकट पैदा हो

जाता है और जब पशुपालकों को सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा पेय जल एवं चारा आपूर्ति की दिशा में किये गये प्रयास प्रभावशाली ढ़ंग से क्रियान्वित होते नजर नहीं आते तथा मंहगे भाव पर चारा खरीद कर अपने पशुओं को जीवित रखने की अपनी सामर्थ्य उन्हें पार पड़ती नहीं दिखाई देती तो वे पशुधन को बचाने के लिए उसे अपने साथ लेकर पेयजल एवं चारे की तलाश में बाहर चले जाते हैं। कभी–कभी तो उनकी यह निष्क्रमण यात्रा चार–पांच सौ किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है।

इस साल किये गये सर्वेक्षण की तिथि तक सर्वेक्षित परिवारों में 30 परिवार अर्थात् कुल परिवार संख्या का 13.89 प्रतिशत अपने पशुधन को लेकर बाहर गये हैं। तालिका सं. 8.4 से इस स्थिति का स्पष्ट दर्शन हो सकता है।

तालिका सं. 8.4

पशु निष्क्रमण

गांव का नाम	निष्क्रमण करने वाले परिवार	सर्वेक्षित परिवारों का प्रतिशत
1	2	3
देवा	3	20.00
चांवण	3	13.04
खड़ीण	–	–
गगाला	–	–
छत्रगढ़	13	22.81
मोतीगढ़	9	52.94
फालना	1	2.38
खीमेल	1	11 11
योग	30	13.89

उक्त तालिका निष्क्रमणकर्ताओं की गांववार स्थिति दर्शाती है। सबसे अधिक 32.94 प्रतिशत परिवार मोतीगढ़ से बाहर गये हैं। दूसरे स्थान पर छत्रगढ़ आता है। फालना से केवल एक परिवार गया है। खड़ीण और गंगाला से सर्वेक्षित तिथि तक कोई परिवार बाहर नहीं गया था। लेकिन गंगाला के तीन–चार परिवार बाहर जाने की तैयारियां कर रहे थे।

तालिका सं. 8.5

पशु निष्क्रमण का जातीय संदर्भ

जाति वर्ग	वाहर जाने वाले पशुपालक संख्या	कुल पशुपालकों का प्रतिशत
अनुसूचित जाति	7	17.07
जन जाति		
अल्प संख्यक समुदाय	14	22.95
सवर्ण जातियां	9	7.89

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चूंकि अल्प संख्यक समुदाय के पास पशु धन अधिक मात्रा में हैं, वे अपने पशुधन बचाने को के लिए अधिक संख्या में वाहर जाते हैं। अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के परिवार आर्थिक विपन्नता के कारण मंहगे भाव पर चारा खरीद कर पशुओं को नहीं खिला सकते इसलिए वे भी काफी संख्या में वाहर चले जाते हैं। सवर्ण जातियों के पशुपालक भी वाहर जाते हैं लेकिन जव तक उनका वश चलता है और आर्थिक साधनों का जुगाड़ रहता है, वे अपने घर में टिके रहकर अपने पशुधन की रक्षा में प्रयत्नशील रहते हैं।

तालिका सं. 8.6

जोत श्रृंखला एवं निष्क्रमण

जोत श्रृंखला	निष्क्रमणकर्ता (सं.)	कुल पशुपालकों का प्र. श.
1	2	3
+ भूमिगत	–	
2 हैक्टर तक	1	9.09
2–5 हैक्टर तक	–	–
5–10 हैक्टर तक	16	25.81
10–20 हैक्टर तक	9	13.24
20 हैक्टर से ऊपर	4	15.38
योग	30	13.89

इससे ज्ञात होता है कि 5–10 हैक्टर जोत श्रृंखला के परिवार अधिक संख्या में वाहर गये हैं और उसके वाद 20 हैक्टर से वड़ी जोत वाले परिवारों

का नम्बर रहा है। कोई भी भूमिहीन एवं 2–5 हैक्टर श्रृंखला वाला परिवार वाहर नहीं गया। 5 हैक्टर से अधिक जोत वाले परिवारों के पास अधिक भेड़ें थी और उन्हें वचाने के लिए उनका वाहर जाना आवश्यक था।

पशु श्रृंखला को आधार मानकर निष्क्रमण करने वालों को देखें तो निष्कर्ष निकलता है कि पशुओं की संख्या में वढ़ोतरी के साथ–साथ निष्क्रमणार्थी परिवारों का प्रतिशत वढ़ता गया है। नीचे तालिका स. 8.7 इस स्थिति को अधिक स्पष्ट कर सकती है।

तालिका सं. 8.7

पशु श्रृंखला एवं निष्क्रमण

पशु श्रृंखला	निष्क्रमणकर्ता	कुल पशुपालकों का प्र. श.
1	2	3
1–10	–	–
11–20	–	–
21 -50	3	6.82
51–100	6	28.57
101–200	11	55.00
201 से ऊपर	10	76.92
योग	30	13.89

इस तालिका से स्पष्ट है कि ̕00 से अधिक पशु श्रृंखला वाले 76.92 प्रतिशत परिवार अपना पशुधन वचाने के लिए वाहर चले गये हैं। दूसरा स्थान 101–200 पशु श्रृंखला में आये परिवारों का है–जिस श्रृंखला में कुल 55 प्रतिशत वाहर गये हैं।

मार्ग

देवा के पशुपालक मालवा की तरफ गये हैं। वे देसूरी, घाटा, चित्तौड़, इन्दौर होते हुए भोपाल तक जायेंगे। चांवरण के निष्क्रमणकर्ता परिवार भी मध्यप्रदेश की ओर गये हैं।

वीकानेर जिले के कुछ परिवार मुक्तसर होते हुए पंजाव एवं हरियाणा गये हैं। कुछ परिवार नाली (नहर) के साथ-साथ खारहाली, रोफड़ी, वड़साना एवं अनूपगढ़ तक गये हैं। वहां से वे पंजाव में प्रवेश करेंगे। कुछ परिवार

रामसरा, रायसिंहनगर होते हुए गंगानगर जायेंगे। वहां से पंजाब के फाजिलका, अबोहर एवं फिरोजपुर तक पहुंचेंगे। मोतीगढ़ के निष्क्रमणकर्ता हरिकेपत्तन, बरनाला होते हुए फाजिलका जायेंगे और फिर जैसी परिस्थिति होगी. आगे जाने के बारे में निर्णय लेंगे।

बाड़मेर के कुछ परिवार गुजरात जाने का भी कार्यक्रम बना रहे थे–खास तौर से गंगाला के पशुपालक देवा के एक पशुपालक परिवार ने बताया कि उनका टोला पाली होता हुआ ब्यावर जायेगा। वहा से अजमेर, विजयनगर, केकड़ी, टोडारायसिंह होते हुए टोंक पहुंचेगा और टोंक से बूंदी, कोटा होतेहुए झालरा-पाटन। उस समय तक वर्षा हो गई तो वापसी की यात्रा शुरू हो जायेगी।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए करीब–करीब आज भी पुराना मार्ग कायम कायम है। पिछले कुछ वर्षों में मध्यप्रदेश की ओर निष्क्रमण बढ़ा है। इस मार्ग में उदयपुर डिविजन में पशुओं का जाना भी बढ़ा है। इस प्रकार उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ आदि क्षेत्रों में होते हुए पशुधन आगे निकलता है।

घुमन्तु पशुपालन सेवा

राज्य सरकार ने राज्य में पशु निष्क्रमण को देखते हुए घुमन्तू पशुपालकों को कई प्रकार की सुविधायें देने सम्बन्धी कार्यक्रम हाथ में लिया है। इन पशुपालकों को पशु चिकित्सा, चारा आदि की कठिनाइयां होती है। कई बार मौसम सम्बन्धी कठिनाइयां भी आती हैं। वर्षा के दिनों में पशुधन बाढ़ की चपेट में आ जाता है। प्रति वर्ष ऐसी घटनायें होती रहती है जिसमें सैकड़ों पशु बाढ़ में फंस जाते हैं। इन्हें बाहर निकालना चिकित्सा, चारे आदि की सुविधा आदि कई आपातकालीन कार्य होते हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिलाधीश इन कार्यों को देखते हैं। राज्य के पशुपालन विभाग ने जगह–जगह पर चैक पोस्ट कायम किये हैं जहां घुमन्तु पशुपालकों के लिए सहायता एवं मार्ग–दर्शन उपलब्ध है। इस समय राज्य में 20 स्थाई चैक पोस्ट तथा उतने ही अस्थाई चैक पोस्ट तथा उतने ही अस्थाई चैक पोस्ट है। विभिन्न जिलों में चैक पोस्ट की स्थिति इस प्रकार है :—

(1) सवाई माधोपुर एवं भरतपुर जिला महुवा, नदबई और नगर[3]

(2) उदयपुर जिला सलुम्बर, झाडोल[2]

(3) झालावाड़ जिला झालरा पाटन, इकलेरा[2]

(4) चित्तौडगढ़ जिला–रावतभाटा, जावदा, भैंसरोड़ गढ़, अरनोदा, मण्डेसरा[5]

(5) भीलवाड़ा जिला–तिलरुपा महादेव, वनियां का तालाव[2]

(6) कोटा, इन्द्रगढ़[1]

(7) धौलपुर[1]

(8) वांसवाड़ा–पीपलखुड़, रानपुर,[2]

(9) डूंगरपुर–आसपुर[1]

(10) सिरोही–आवूरोड़[1]

यहां पशु निष्क्रमण मार्ग के वारे में पूर्व के अध्ययन तथा सरकारी तथ्यों का उल्लेख उपयोगी रहेगा। ब्रिटिश काल में (1945) की पशुगणना रिपोर्ट में जिसका प्रकाशन 1950 में किया गया, राजस्थान से पशु निष्क्रमण मार्ग सम्वन्धी जानकारी दी गई है। उक्त रिपोर्ट के चित्र सं. 30 एवं 31 में पशु निष्क्रमण मार्ग वताया गया है। चित्र 30 में गाय एवं वैल तथा 31 में भेड़–वकरी वहुत पशुपालकों का मार्ग दर्शाया गया है। गाय–वैल के मार्ग में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से चलकर मारवाड़ सिरोही होते हुए गुजरात के पालनपुर होकर सूरत की ओर जाने का मार्ग वताया गया है। दूसरी ओर अजमेर, ब्यावर, आवूरोड़ होकर गुजराता जाना भी यर्शाया गया है। इसी प्रकार गोपालक अलवर, भरतपुर, मथुरा, आगरा की ओर भी जाते थे। स्पष्ट है उन दिनों गोपालक मुख्यतः गुजरात एव तत्कालीन सयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) की ओर जाते थे।

जहां तक भेड़–वकरीपालकों का प्रश्न है, इनका मार्ग भी गोपालकों से मिलता–जुलता था। इनके मुख्य चार मार्ग थे—

(क) जैसलमेर–वाड़मेर-जोधपुर से पाली के रास्ते होकर सिरोही–पालनपुर आते हुए गुजरात में फैलना।

(ख) अजमेर, ब्यावर, पाली होते हुए सिरोही रास्ते से गुजरात जाना।

(ग) वीकानेर से वहादुरगढ़, सिरसा, फजिल्का होते हुए पंजाव के क्षेत्र में फैलना।

(घ) जयपुर, भरतपुर, वैराठ, रेवाड़ी आदि स्थानों से होते हुए संयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तरप्रदेश) की ओर जाना।*

---

* स्रोत–एटलस आन लाइव स्टाक (1945), भारत सरकार प्रकाशन 1950।

उक्त तथ्यों से यह बात सामने आती है कि सरकार ने पशुपालकों के लिए अपरिचित क्षेत्र एवं मार्गो पर चैक पोस्ट कायम किये हैं। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो पशु पालकों का अपना क्षेत्र है वहां चैक पोस्ट नहीं है। वहां क्षेत्र से परिचय रहने के कारण उनके लिए समस्यायें भी कम हैं जिन क्षेत्रों में चैक पोस्ट है, वे अपरिचित होने के साथ-साथ समस्याग्रस्त क्षेत्र भी हैं। आकस्मिक संकट (बाढ़ आदि), किसानों से विवाद. पशु बिमारी, चारा एवं पानी की कठिनाई आदि को देखते हुए ये सेवा एवं सहायता केन्द्र खोले गये हैं। इन चैक पोस्टों को देखते हुए भी यह कहा जा सकता है कि इस समय पशुपालक उदयपुर डिविजन होते हुए मध्यप्रदेश एवं गुजरात की ओर जाते हैं। दूसरी ओर भरतपुर होते हुए उत्तरप्रदेश की ओर जाते हैं।

राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के जिलों से काफी संख्या में पशुधन का अस्थाई निष्क्रमण होता है। यह निष्क्रमण सामान्यतः अक्टूबर से प्रारंभ होता है तथा जुलाई में पशु वापस आ जाते हैं। वर्ष 1983-84 में पश्चिमी क्षेत्र के जिलों से जितनी भेड़ें बाहर गई, उनकी अनुमानित संख्या इस प्रकार मानी गई है-(लाख में)।

(1) जालोर 2.20
(2) जोधपुर 2
(3) नागौर 1.10
(4) पाली 3.66
(5) जैसलमेर 1 33
(6) बाडमेर 2.85
(7) बीकानेर 1.46

अनुमान है कि वर्ष 1984-85 में इनकी संख्या में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

निष्क्रमण अवधि

सर्वेक्षण के अनुसार अनेक निष्क्रमणकर्त्ता 1985 में अक्टूबर नवम्बर के महीने में ही चले गये थे और जून में वर्षा होने पर आने वाले थे जबकि उनमें से कुछ परिवार फरवरी 86 तक गये हैं। ये सभी परिवार वर्षा होने पर आने वाले थे। इस साल वर्षा कम हुई, इसलिए संभव है, उनमें से कुछ परिवार वापस न भी आये हों और आये हों, वे भी फिर बाहर जाने की तैयारियां कर रहे हों। हम वर्षा होने के पहले ही उन क्षेत्र में गये थे। मोटे तौर पर निष्क्रमण अवधि 4 से 8 महिने तक की होती है।

रास्ते नें कठिनाइयाँ

मालवा जाने वाले निष्क्रमणकर्ता परिवारों के प्रतिनिधियों ने निम्न मुख्य कठिनाइयां वताई हैं—

1. रास्ते में जिन लोगों के खेत पड़ते हैं, वे झगड़ते रहते हैं । उनकी शिकायत रहती है कि घुमुन्तू पशु उनके खेत को हानि पहुंचाते हैं । कई वार गांव वाले सामूहिक तौर पर भी झगड़ा कर लेते हैं ।
2. वन विभाग वाले रास्तै में पड़ने वाले वन क्षेत्रों में पशु नहीं चरने देते क्योंकि उन्हें आशंका रहती है कि पशु संरक्षित वनों को नुकसान पहुंचायेंगे एवं वनस्पति तथा घास चर जायेंगे ।
3. सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी परेशान करते हैं क्योंकि पशुओं के कारण सड़क की मरम्मत में कठिनाई उपस्थित हो जाती है । गिट्टी एवं डामर विखर जाती है और काम रुक जाता है ।
4. पुलिस वाले परेशान करते हैं । उनकी शिकायत रहती है कि पशु सड़क रोक लेते हैं जिससे यातायात प्रभावित होता है ।

पशु पालकों ने यह भी शिकायत की कि रास्ते में कई जगह उनसे चराई का पैसा वसूल किया जाता है । पूरी निष्क्रमण अवधि में वीस पचीस वार उन्हें उन्हें 50 से 100 रुपये तक भेंट करने पड़ जाते हैं । एक रेवड़ पर (पशुपालकों पर) 200 से 300 तक खर्च आ जाता है । (सम्मिलित रेवड़ में 2 हजार से 4 हजार तक पशु हो सकते हैं ।

कुछ पशुपालकों ने यह भी शिकायत की कि रास्ते में उनके पशु चुरा लिये जाते हैं जिनके कारण झगड़े एवं मारपीट की नौवत आ जाती है । रास्ते में वीमार पशुओं के इलाज की भी कठिनाई रहती है । भेड़–वकरियों के नवजात वच्चों को साथ ले जाने की असुविधा होती है इसलिए शिशु पशुओं के गांव वालों के पास पालने के लिए छोड़ने को विवश होना पड़ता है और उन्हें इन नवजात वच्चों से कोई आय नहीं आती ।

कुछ पशुपालकों ने असामाजिक तत्वों की भी शिकायत की जो रास्ते में उन्हें डरा–धमका कर अपनी चौथ वसूली कर लेते हैं ।

यह आम शिकायत थी कि उनकी कठिनाई के दिनों में उनके साथ जैसा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिये, वैसा रास्ते में नहीं होता और अतिथि सत्कार तो दूर की वात है, कई जगह जो उनके साथ शत्रु के समान व्यवहार किया जाता है ।

चांवरा के सवर्ण जाति वर्ग (राजपूत) के एक निष्क्रमणकर्ता पशुपालक ने बताया कि उन्हें परिवार के एक सदस्य के साथ नौकर भी भेजना पड़ा है जिसका औसतन 500 से 600 रुपया माहवार खर्च पड़ता है। इसी प्रकार एक दूसरे पशुपालक ने बाहर गये पशुओं के साथ दो नौकर भेजने की बात बताई जिससे उन पर 1000–1200 रुपये महिने का अतिरिक्त भार पड़ गया है। उनका कहना था कि प्रवास में पशुओं की चौकसी का काम बड़ा कठिन होता है। खासतौर से रात में। टोले के एक दो व्यक्तियों को जागकर पहरा देना पड़ता है ताकि पशुओं की चोरी रोकी जा सके।

रास्ते में मौसाड़ा (चमड़ी से खून आना) आदि रोग होने पर देशी इलाज करते हैं—रास्ते में पशु चिकित्सा की सेवा बहुत कम जगह उपलब्ध होती है।

निष्क्रमण का आर्थिक पक्ष

बहु संख्यक निष्क्रमणकर्ताओं ने बताया कि वे रास्ते में न तो अपनी भेड़ों की ऊन कतराई कराते हैं और न पशु बेचते ही हैं लेकिन यदि पैसों की बहुत तंगी हो जाय तो एकाध भेड़–बकरी, अथवा पेटा घेटी बेचकर काम निकाल लेते हैं। कभी–कभी किसी टोले के साथ ऊन के व्यापारी साथ भी चले जाते हैं। उन्हें ऊन कतराई कराकर संभला दी जाती है। रुपया उनसे प्रायः अग्रिम लिया हुआ होता है या फिर वे गांव में रह रहे परिवारजनों को जमा करा देते हैं। कई जगह भेड़–बकरियों को खेत में बैठाने के बदले 100–50 रुपये खेतवालों से भी मिल जाता है। रास्ते में गायों एवं बकरियों का दूध बेचने का रिवाज नहीं है। साथ जाने वाले घर के सदस्य एवं नौकर अपने निजी काम में यह दूध ले लेते हैं। खाने पीने का सामान एवं घी आदि गधे पर या ऊंट पर लादकर साथ ले जाते हैं। जरूरत पड़ने पर राशन खरीदा भी जाता है।

निष्क्रमणकर्ताओं की सुविधा के लिए सरकार जो व्यवस्था करती है, उससे निष्क्रमणकर्ता प्रायः सन्तुष्ट नहीं पाये गये।

मेले एवं बाजार

पशु पालकों को आर्थिक आधार प्रदान करने में पशु मेलों एवं पशु हाटों का प्रमुख स्थान है। राजस्थान में पशु निष्क्रमण तथा मेलों की परम्परा काफी समय से चलती रही है। ये मेले कृषि व्यवस्था में फसलचक्र तथा पशु निष्क्रमण से जुड़े हुये हैं। पशु मेले के दिन निश्चित हैं और घुमन्तु पशुपालक भी अपना मार्ग मेले की तिथि के अनुसार निर्धारित करते हैं। मेले की तिथि सामाजिक, धार्मिक त्योंहारों तथा कृषि को ध्यान में रखकर स्थानीय परिस्थिति के अनुसार

तालिका

राज्य स्तरीय पशु

	मेले का नाम एवं स्थान	जिला	नजदीकी स्टेशश
	1	2	3
1.	श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा	वाडमेर	तिलवाड़ा
2.	श्री वलदेव पशुमेला मेड़तासिटी	नागौर	मेड़तासिटी
3.	श्री गोमती सागर पशुमेला झालरापाटन	झालावाड़	झालावाड़ भवानीमंडी
4.	गोगामण्डी पशु मेला गोगामंडी	गंगानगर	गोगामंडी
5.	वीर तेजाजी पशु मेला परवतसर	नागौर	परवतसर
6.	श्री जसवंत पशु मेला	भरतपुर	भरतपुर
7.	श्री पुष्कर पशु मेला पुष्कर	अजमेर	अजमेर
8.	श्री चन्द्रभागा पशु मेला झालरापाटन	झालावाड़	झालावाड़
9.	श्री रामदेव पशु मेला	नागौर	नागौर
10.	शिवरात्री पशु मेला करौली	स. माधोपुर	गंगापुर सिटी

स्रोत—पशुवन और प्रगति 1983,

संख्या 8.8

मेलों का विवरण

खरीद बिक्री वाले पशुओं के नाम	मेले की तारीख
4	5
थारपारकर, कांकरेज गाय, मालानी घोड़े, बीकानेर–जैसलमेरी ऊंट आदि।	चैत्र कृष्ण ग्यारस से चैत्र शुक्ल ग्यारस
नागौरी बैल, बीकानेरी ऊंट आदि	चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से बैसाख कृष्ण छठ तक
मालवी बैल आदि	बैसाख शुक्ल 13 से जेष्ठ कृष्ण पंचमी तक
हरियाणा बैल, बीकानेरी ऊंट आदि	श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से माह शुक्ल पूर्णिमा तक
नागौरी बैल, बीकानेरी ऊंट आदि	श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तक
हरियाणा बैल, मुर्रा भैंस आदि	अश्विन शुक्ल पंचमी से चौदस तक
बैल, बीकानेरी ऊंट आदि	कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्ण दूज तक
मालवी बैल आदि	कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक
नागौरी बैल, बीकानेरी ऊंट आदि	माघ शुक्ला दशमी से फाल्गुन कृष्ण पंचमी तक
हरियाणा बैल आदि	फाल्गुण कृष्ण छठ से फाल्गुण कृष्ण चौदस तक

पशुपालन निदेशालय, जयपुर।

निर्धारित हैं । आजादी के पूर्व राजस्थान में 8 प्रमुख मेलों का उल्लेख है । उन दिनों (1945) प्रमुख पशु मेले इन स्थानों पर लगते थे ।

1. परवतसर (नागौर)
2. नागौर (नागोर)
3. पुष्कर (अजमेर)
4. तिलवाड़ा (बाड़मेर)
5. गोगामांडी (गंगानगर)
6. नगर (भरतपुर)
7. डीग (भरतपुर)
8. भरतपुर
9. नंदबई (भरतपुर)

आजादी के बाद पशुधन, विकास के कार्यक्रमों में पशु मेलों एव पशु हट-वाड़ों के विकास को भी शामिल किया गया । पशुपालन विभाग के अनुसार इस समय राज्य के जितने प्रमुख मेले हैं, उनका विवरण नीचे की तालिका से ८.४ में अंकित है । इनके अतिरिक्त प्राय: सभी क्षेत्रों में स्थानीय पशु मेले भी लगते हैं । तालिका से यह भी स्पष्ट है कि सभी मेलों की अपनी विशेषता है ।

वहां खास प्रकार के पशुओं की बिक्री विशेष रूप से होती है । मेले में बिकने वाले पशुओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि किस मेले में गोधन ज्यादा बिका है, किसमें ऊंट तथा भैंस आदि प्रमुख होते हैं । यह बात भी सामने आई कि भेड़ एवं ऊन की बिक्री मेलों में न होकर निष्क्रमण मार्ग में होती है । ऊन विपणन की दृष्टि से बीकानेर, ब्यावर, अजमेर और जोधपुर प्रमुख है । भेड़ के व्यापारी स्वय भेड़पालकों के पास जाकर ऊन की खरीद करते पाये गये । पशुगणना 1945 में भी पशु एवं पशु उत्पाद बाजार का उल्लेख है । उन दिनों प्रमुख घी बाजार, अजमेर तथा ब्यावर आदि में थे जहां से बम्बई की ओर घी जाता था ।

इसी प्रकार चमड़ा बाजार केन्द्रों में जोधपुर, अजमेर, ब्यावर तथा नसीराबाद प्रमुख थे । ऊन का बाजार इन शहरों में था । बीकानेर, लुहारू, जयपुर, केकड़ी, ब्यावर और पाली । यहां से ये चीजें मख्यत: बम्बई, जामनगर तथा दिल्ली जाती थी । हाल के वर्षों में बाजार का विस्तार होने से राजस्थान से पशु उत्पाद अधिक व्यापक क्षेत्रों में बाहर जाता है । उदाहरण के लिए राजस्थान के सुदूर क्षेत्रों से दूध दिल्ली जाता है । आवागमन की सुविधा के कारण व्यापारी गांवों में जाकर माल खरीदने लगे हैं । यहां यह उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों

में घी व्यापार कम हुआ है क्योंकि पशुपालक दूध बेचना अधिक सुविधाजनक एवं लाभकारी मानते हैं।

संदर्भ सूची :

1. स्रोत–एटलस आन लाइव स्टाक (1945), भारत सरकार प्रकाशन 1950।
2. स्रोत–निदेशालय, भेड़–ऊन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. स्रोत–एटलस आन लाइव स्टाक (1945), भारत सरकार 1951 चित्र सं. 19।
4. स्रोत–एटलस आन लाइव स्टाक (1945), भारत सरकार, 1950

कर्जदारी एवं पशुपालन पर व्यय

प्रस्तुत अध्याय में सर्वेक्षित क्षेत्र में कर्ज की स्थिति तथा पशुपालन पर होने वाले व्यय पर विचार किया गया है। सभी सर्वेक्षित क्षेत्रों के पशुपालकों में कर्जदारी पाई गई। ये कर्ज आमतौर पर घर खर्च पशुपालन एव कृषि कार्य के लिए लिया जाता पाया गया। अकाल के कारण कृषि कार्यों में हुए व्यय ने भी कर्जदारी को बढ़ाया है। कर्जदारी एवं पशुपालन पर हुए व्यय का संदर्भ वर्ष 1985–86 माना गया है। पशुपालन में हुए व्यय की सीमा नकद व्यय मानी गई है।

इस अध्याय के मुख्य दो भाग हैं—(क) कर्जदारी, जिसमें प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति कर्ज और जोत श्रेणी, पशु श्रेणी एवं सामाजिक श्रेणी के अनुसार कर्ज पर विचार किया गया है। (ख) पशु पालन पर किया गया नकद व्यय जिसमें प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति पशु पालन पर किया गया नकद व्यय मान्य किया गया है। इसी के साथ–साथ कृषि के संदर्भ में हुए नकद व्यय को देखने का भी प्रयास किया गया है।

पशुपालकों पर कर्ज

कुल पशु सम्पदा के संदर्भ में कर्ज की मात्रा को देखें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वेक्षित परिवारों पर जो कर्ज है, वह कुल पशु सम्पदा के मूल्य के 10.28 प्रतिशत के बराबर है।

सर्वेक्षित परिवारों पर जो कर्ज है उसकी गांववार स्थिति निम्न प्रकार है—

तालिका सं. 9.1

कुल सर्वेक्षित परिवारों में कर्ज

गांव	परि. सं.	आबादी	कर्ज	कर्ज प्रति. परिवार	कर्ज प्रति व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
देवा	15	107	29600	1973	277
चांघण	23	187	45100	1961	241
खड़ीण	27	227	16000	593	70
गंगाला	26	213	—	—	—
छत्रगढ़	57	406	179400	3147	442
मोतीगढ़	17	196	14000	824	71
फालना	42	265	93700	2285	354
खीमेल	9	102	44700	4967	438
योग	216	1703	422500	1956	248

तालिका सं. 9.2

कर्जग्रस्त परिवारों में कर्जदारी

1	2	3	4	5	6
देवा	7	49	29600	4229	604
चांघण	14	116	45100	3221	389
खड़ीण	4	46	16000	4000	348
छत्रगढ़	35	245	179400	5126	732
मोतीगढ़	6	60	14000	2333	233
फालना	23	154	93700	4074	608
खीमेल	6	66	44700	7450	677
योग	95	736	422500	4447	574

उक्त तालिका दर्शाती है कि प्रति परिवार कर्ज सबसे ज्यादा खींमेल में 4967 रुपये और सबसे कम खड़ीण में 593 रुपये है। समग्र रूप से प्रति व्यक्ति कर्ज को देखें तो पायेंगे कि प्रति व्यक्ति सबसे अधिक कर्ज छत्रगढ़ में रुपये 442 है और सबसे कम 70 रुपये खड़ीण में है। प्रति सर्वेक्षित परिवार कर्ज की मात्रा 1956 रुपये है। सर्वेक्षित परिवारों में प्रति परिवार पशु सम्पदा 19019 रुपये के लगभग है।

कर्जदारी से ग्रस्त सर्वेक्षित परिवार तथा उनमें कर्ज की स्थिति तालिका संख्या 9.2 में दी गई है।

तालिका के अध्ययन से पता चलता है कि 43.98 प्रतिशत परिवार तथा 43.22 प्रतिशत आबादी कर्ज ग्रस्त है। प्रति ऋणग्रस्त परिवार औसत कर्ज की मात्रा 4447 रुपये है जबकि प्रति व्यक्ति कर्जदारी 574 रुपये पाई गई।

सामाजिक संदर्भ में कर्ज

जातीय सन्दर्भ में कर्ज की स्थिति नीचे की तालिका में देखी जा सकती है।

तालिका सं. 9.3

सामाजिक श्रेणी के अनुसार कर्ज

अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां					(रुपयों में)
गांव	परि. सं.	आबादी	कर्ज	कर्ज प्रति परिवार	कर्ज प्रति व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
देवा	4	25	12100	3025	484
चांवण	3	18	10500	3500	583
छत्रगढ़	11	79	70100	6372	887
फालना	8	46	29500	3688	641
खांमेल	1	19	13700	13700	721
योग	27	137	135900	5033	727

अल्प संख्यक वर्ग

1	2	3	4	5	6
चांवण	5	39	13900	2780	356
छत्रगढ़	10	77	41000	4100	532
मोतीगढ़	3	26	6000	2000	231
योग	18	142	60900	3383	429

सवर्ण जातियां

1	2	3	4	5	6
देवा	3	24	17500	5833	729
चांधण	6	59	20700	3450	351
खडीण	4	46	16000	4000	348
छत्रगढ़	14	89	68300	4879	767
मोतीगढ़	3	34	8000	2667	235
फालना	15	108	64200	4280	594
खीमेल	5	47	31000	6200	660
योग	50	407	225700	4514	555

इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति कर्ज का भार सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति–जनजाति परिवारों पर है, दूसरे स्थान पर सवर्ण जातियां हैं और सबसे कम कर्ज भार से ग्रस्त अल्प संख्यक समुदाय के लोग हैं। संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो पायेंगे कि जहां अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों में 65.85 प्रतिशत परिवार ऋणग्रस्त है, स्वर्ण जातियों में 43.86 प्रतिशत और अल्प संख्यक वर्ग में 29.51 प्रतिशत।

अनुसूचित जाति जनजातियों में प्रति परिवार कर्ज की मात्रा खीमेल में सबसे ज्यादा है। प्रति परिवार 13700 रुपये। अल्प संख्यक वर्ग में सबसे ज्यादा प्रति परिवार कर्ज छत्रगढ़ में है प्रति परिवार 4100 रुपये। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सन्दर्भ में यह राशि छत्रगढ़ में 6372 रुपये प्रति परिवार आती है।

स्पष्ट है यहां के अल्पसंख्यक समुदाय के परिवार, जिसमें मुख्यतः मुसलमान हैं, तुलनात्मक दृष्टि से कम कर्जदार हैं।

पशु शृंखला एवं कर्ज :

पशु शृंखला के सन्दर्भ में कर्ज का विश्लेषण करें तो देखेंगे (तालिका सं. 9.4) कि 1–10 पशु शृंखला में आये परिवारों में सबसे अधिक भार देवा में है, प्रति परिवार 7100 रुपये और सबसे कम मोतीगढ में है प्रति परिवार 2000 रुपये। इस शृंखला में प्रति व्यक्ति ऋणभार 724 रुपये है।

11-20 पशु शृंखला में छत्रगढ़ में प्रति परिवार सर्वाधिक ऋणभार 4333 रुपये है और सबसे कम खीमेल में है प्रति परिवार 1000 रुपये। इस शृंखला में प्रति परिवार ऋण की औसत राशि 3482 रुपये है।

21–50 पशु शृंखला में प्रति परिवार सर्वाधिक ऋण भार खीमेल में है। 5850 रुपये और सबसे कम चांवण में प्रति परिवार 1750 रुपये।

51-100 पशु शृंखला में प्रति परिवार औसत ऋणभार 4689 रुपये है-छत्रगढ़ में सबसे ज्यादा 5029 रुपया प्रति परिवार और मोतीगढ़ में सबसे कम 2000 रुपये प्रति परिवार।

101-200 पशु शृंखला में प्रति परिवार औसत ऋणभार 4125 रुपये हैं। सर्वाधिक देवा में जहां औसत कर्ज राशि 10500 रुपये है और मोतीगढ़ में मात्र 2000 रुपये।

200 से अधिक पशुओं की शृंखला में प्रति परिवार ऋण की मात्रा सबसे कम है। मात्र 2800 रुपये प्रति परिवार। खडीण में यह राशि सबसे ज्यादा है प्रति परिवार 4000 रुपये और चांवण में सबसे कम प्रति परिवार 900 रुपये।

प्रति परिवार सर्वाधिक ऋण राशि 21-50 पशु शृंखला में है और सबसे कम 200 से ऊपर वाली पशु शृंखला में।

कुल मिलाकर देखें तो यह कहा जा सकता है कि कम पशु रखने वाले परिवार पर प्रति व्यक्ति अधिक कर्जदारी है जबकि बड़े पशुपालकों पर प्रति व्यक्ति कर्ज का भार कम है। इसे नीचे की तालिका में इस रूप में देख सकते हैं।

तालिका सं. 9.4

पशु शृंखला (भेड़, बकरी सम्मिलित) एवं कर्ज

1–10 की पशु शृंखला

गांव	परिवार	आबादी	कुल कर्ज	कर्ज प्रति परिवार	प्रति व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
देवा	1	5	7100	7100	1420
चांवण	5	30	21000	4200	700
खड़ीण	1	10	3000	3000	300
छत्रगढ़	15	94	88700	5913	944
मोतीगढ़	1	10	2000	2000	200
फालना	17	108	70200	4129	650
खीमेल	2	18	7000	3500	389
योग	42	275	199000	4738	724

11–20 पशु शृंखला

1	2	3	4	5	6
देवा	2	14	4000	2000	286
चांधण	3	28	9200	3067	329
खड़ीण	1	7	4000	4000	571
छत्रगढ़	6	37	26000	4333	703
फालना	4	26	15000	3750	577
खीमेल	1	7	1000	1000	143
योग	17	119	59[illegible]00	3482	497

21–50की पशु श्रृंखला

1	2	3	4	5	6
देवा	3	19	8000	2667	421
चांवण	2	15	3500	1750	233
खड़ीण	2	29	9000	4500	310
छत्रगढ़	6	49	23500	3917	480
फालना	1	13	5000	5000	385
खीमेल	2	33	31700	15850	961
योग	16	159	80700	5044	511

51–100 की पशु श्रृंखला

1	2	3	4	5	6
छत्रगढ़	7	51	35200	5029	690
मोतीगढ़	1	6	2000	2000	333
खीमेल	1	8	5000	5000	6[illegible]5
योग	9	65	42200	4689	649

101–200 की पशु श्रृंखला

1	2	3	4	5	6
देवा	1	11	10500	10500	956
चांवण	3	34	10500	3500	309
छत्रगढ	1	14	6000	6000	429
मोतीगढ़	3	24	6000	2000	250
योग	8	83	33000	4125	39[illegible]

201 से अधिक

1	2	3	4	5	6
खड़ीण	1	20	4000	4000	200
चांवरा	1	9	900	900	100
फालना	1	7	3500	3500	500
योग	3	36	8400	2800	235

यहां एक बात यह भी विचारणीय है कि अधिक पशु श्रेणी में भेड़-बकरी प्रमुख हैं और गायों की संख्या कम है। गोपालक तो प्रथम पशु श्रेणी में ही मुख्यरूप से अधिक हैं। आगे की श्रेणी में भेड़ बकरी तथा अन्य पशु आते हैं। इस स्थिति में यह कहा जाना उचित होगा कि गोपालक अधिक कर्जदार हैं। यह भी उल्लेखनीय है भेड़ बकरी पालकों को ऊन की बिक्री से अधिक नकद आय होती है। भेड़ तथा मेंढें बकरे आदि नकद आय के मुख्य स्रोत हो जाते हैं। गोपालक की यह स्थिति नहीं है—अकाल में तो इनकी स्थिति अधिक कम-जोर हो जाती है।

जोत शृंखला

जोत श्रेणी के सन्दर्भ में ऋणभार की स्थिति तालिका सं. 9.5 से स्पष्ट हो सकती है :—

तालिका सं. 9.5

जोत श्रेणी और कर्ज-प्रति परिवार प्रति व्यक्ति

भूमिहीन

गांव	परि. संख्या	आबादी	कुल कर्ज	कर्ज प्रति परिवार	कर्ज प्रति व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
देवा	4	26	9200	2300	354
खीमेल	1	8	5000	5000	625
योग	5	34	14200	2840	418

2–5 हैक्टर

1	2	3	4	5	6
देवा	1	5	2000	2000	400
फालना	4	17	13000	3250	755
योग	5	22	15000	3000	682

5–10 हैक्टर

1	2	3	4	5	6
देवा	4	30	21600	5400	720
चांवण	2	14	2900	1450	207
छत्रगढ़	8	50	27800	3475	556
खीमेल	1	8	4000	4000	500
फालना	6	50	25500	4417	530
योग	21	152	82800	3943	548

5–10 हैक्टर

1	2	3	4	5	6
देवा	1	8	5000	5000	625
चांवण	2	20	8000	4000	400
मोतीगढ़	3	23	6000	2000	261
छत्रगढ़	23	154	139600	6070	906
फालना	7	54	85000	5000	648
खींमेल	2	17	4000	2000	235
योग	38	276	197600	5200	716

10–20 हैक्टर

1	2	3	4	5	6
देवा	1	6	1000	1000	167
चांवण	9	67	29200	3244	436
खडीग	3	32	14000	4667	437
छत्रगढ़	4	41	12000	3000	293
मोतीगढ़	3	37	8000	2667	216
फालना	2	7	10000	5000	1429
खीमेल	1	19	13700	13700	721
योग	23	209	87900	3822	421

20 हैक्टर से अधिक

1	2	3	4	5	6
चांवण	1	15	5000	5000	333
खडीग	1	14	2000	2000	143
खीमेल	1	14	18000	18000	1286
योग	3	43	25000	8333	581
महायोग	95	736	422500	4447	574

उक्त तालिका दर्शाती है कि प्रति परिवार सबसे अधिक ऋणभार 20 हैक्टर से बड़ी जोत श्रेणी के परिवारों पर है–प्रति परिवार 8333 रुपये और सबसे कम भूमिहीनों पर है। 2840 रुपये प्रति परिवार। 2–5 हैक्टर जोत श्रेणी में आये परिवारों पर प्रति परिवार ऋणभार 3000 रुपये है। और 10–20 हैक्टर जोत श्रेणी वालों पर 3822 रुपये। इस शृंखला में सबसे अधिक प्रति परिवार कर्ज खीमेल में है और 20 हैक्टर से अधिक जोत शृंखला में भी अधिक कर्जदारी वहीं है। कहा जा सकता है कि जोत की मात्रा में वृद्धि के साथ–साथ कर्जदारी भी बढ़ती गई है, हालांकि इसके अपवाद भी हैं। भूमिहीन के पास कर्जदारी सबसे कम है हालांकि उन पर जितना कर्ज है वह उनकी आर्थिक क्षमता से अधिक है। उनमें कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं है तथा उनका जीवन का स्तर भी निम्न है। जोत श्रेणी में वृद्धि के साथ–साथ कर्ज लेने की

क्षमता में भी वृद्धि होती है। कृषि कार्य के लिए कर्ज लेना पड़ता है। हाल के वर्षों में अकाल के कारण कृषि, उत्पादन नहीं हुआ जबकि इस पर व्यय होता रहा। बड़े किसानों में अधिक कर्जदारी होने का एक यह भी एक मुख्य कारण पाया गया।

कर्ज के श्रोत

कर्ज प्राप्ति के कई स्रोत हैं। यहां सरकारी एवं वित्तीय संस्थाओं के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त कर्ज और एक ही वर्ग में रखा गया है। कर्ज के स्रोत को नीचे की तालिका में देखा जा सकता है।

तालिका सं. 9.6

कर्ज के स्रोत (रु%)

गांव का नाम	वित्तीय एवं सहकारी संस्थाओं से	साहूकारों एवं नातेदारों से	कुल योग	प्रति परिवार कर्ज
1	2	3	4	5
देवा	16600 (56.08)	13000 (43.92)	29600 (100.00)	1973
चांधण	41100 (91.13)	4000 (8.87)	45100 (100.00)	1961
खडीण	—	16000 (100)	16000 (100)	593
गंगा ना	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.	एन. आर.
छत्रगढ़	97300 (54.24)	82100 (45.76)	179400 (100.00)	3147
मोतीगढ़	10000 (71.43)	4000 (28.57)	14000 (100.00)	824
फालना	71700 (76.52)	22000 (23.48)	93700 (100.00)	2285
खीमेल	44700 (100.00)	—	44700 (100.00)	4967
योग	281400 (66.60)	141100 (33.40)	422500 (100.00)	1956

उक्त तालिका दर्शाती है कि 66.60 प्रतिशत कर्ज वित्तीय एवं सहकारी संस्थाओं से मिला है और 33.40 प्रतिशत साहूकारों एवं नाते रिश्तेदारों से, लेकिन गांववार स्थिति भिन्न है। जहां खीमेल में वित्तीय एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा शतप्रतिशत ऋण दिया गया है और साहूकारों और नाते रिश्तेदारों का ऋण बिल्कुल नहीं है, वहीं खडीण में वित्तीय एव सहकारी संस्थाओं का ऋण कुछ भी नहीं पाया गया और सर्वेक्षित परिवारों ने सभी ऋण साहूकारों एवं नाते रिश्तेदारों से प्राप्त किया है। चांवण में 91.13 प्रतिशत ऋण वित्तीय एवं सहकारी संस्थाओं से मिला है तो छत्रगढ़ में 54.24 प्रतिशत। यहां खास बात यह है कि लोगों की रुचि सहकारी एवं वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेने में अधिक पाई गई। बातचीत के दौरान यह बात भी सामने आई कि वित्तीय संस्थाओं एवं सहकारी कर्ज में कर्ज वापस करने का दबाव कम रहता है। यह तत्व इस क्षेत्र के लोगों की इन एजेंसियों से कर्ज लेने के लिए अधिक प्रेरित करती है।

पशुपालन पर नकद व्यय

जैसा कि पहले इंगित किया जा चुका है, इस क्षेत्र में सम्पूर्ण सीमाओं के बावजूद पशुपालन कृषि पर आश्रित है क्योंकि जिस साल भी वर्षा अधिक हो जाती है, इस क्षेत्र में काफी मात्रा में बाजरा एवं मोठ पैदा होता है और जमाने को एक साल में पैदा हुआ चारा दो-तीन साल तक चल जाता है। यहां चारा बिक्री करने का रिवाज कम है और जो भी चारा पैदा होता है, वह लगभग सारा का सारा पशुओं के काम आता है। इसलिए कृषि पर हुआ व्यय भी एक बड़ी सीमा तक पशुपालन पर हुये व्यय में सम्मिलित किया जा सकता है।

सर्वेक्षित परिवारों ने पशुपालन पर जो नकद व्यय किया गया है, उसकी जानकारी तालिका सं. 9.7 से मिलती है।

तालिका सं. 9.7
पशुपालन में नकद व्यय

गांव का नाम	दुवारू पशु पर व्यय	भेड़ पर व्यय	योग
1	2	3	4
1. देवा	1850	1180	3030
2. चांवण	49375	1730	51105
3. खडीण	1500	364	1864
4. गंगाला	81400	1556	82956
5. छत्रगढ़	144000	18500	162500
6. मोतीगढ	50625	35840	86465
7. फालना	110400	522	110922
8. खीमेल	28600	568	29168
योग	467750	68260	528010

यह तालिका दर्शाती है कि पशुपालन की घर में सबसे अधिक व्यय छत्रगढ़ में होता पाया गया, दूसरे स्थान पर फालना है और तीसरे पर मोतीमढ़। चौथा नम्बर गंगाला का है। सबसे कम नकद व्यय खड़ीण वालों ने बताया है। देवा में भी पशुपालन पर हुई कुल खर्च की मात्रा 3030 रुपये मात्र बताई गई है।

पशुपालन में होने वाले खर्चे में दोनों प्रकार के पशुओं पर हुये व्यय की जानकारी समाविष्ट है-एक गोधन एवं भैंसों के पालन पर और दूसरे भेड़ पालन पर—किसी भी परिवार ने ऊंट पालन पर हुआ व्यय अलग से नहीं बताया है। पशुपालन व्यय में गोधन एवं भैंसों के पालन पर हुये व्यय का अंश 88.59 प्रतिशत है और भेड़ पालन पर हुये व्यय का 11.11 प्रतिशत।

सर्वेक्षित गाँवों में पशुपालन पर प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति व्यय की मात्रा तालिका सं. 9.8 से समझी जा सकती है।

तालिका सं. 9.8

प्रति परिवार प्रति व्यक्ति पशुपालन व्यय (रु.)

गांव का नाम	प्रति परिवार	प्रति व्यक्ति	प्रति दुधारु पशु
1	2	3	4
1. देवा	202	28	13
2. चांचरा	2222	273	104
3. खड़ीरा	69	8	15
4. गंगाला	3191	389	372
5. छत्रगढ़	2851	400	316
6. मोतीगढ़	5086	441	478
7. फालना	2641	419	391
8. खीमेल	3241	286	226
योग	2444	310	242

उक्त तालिका दर्शाती है कि प्रति परिवार सबसे अधिक व्यय मोतीगढ़ में हुआ है–प्रति परिवार 5086 रुपये और प्रति व्यक्ति 441 रुपये। सबसे कम प्रति परिवार व्यय खड़ीरा में हुआ है–प्रति परिवार 69 और प्रति व्यक्ति मात्र 8/– रुपये। प्रति परिवार व्यय की दृष्टि से दूसरे स्थान पर गंगाला आता है लेकिन प्रति व्यक्ति व्यय की दृष्टि से फालना।

पशुपालन व्यय को दुधारू पशुओं की संख्या के सन्दर्भ में देखा जाये तो हम पायेंगे (तालिका सं. 9.8) कि जहां मोतीगढ़ में प्रति दुधारू पशु व्यय की मात्रा 478 रुपये आई है, वहीं फालना में 391 रुपये। प्रति दुधारू पशु सबसे कम राशि पशु पालन पर देवा में हुई है। मात्र 13 रुपये प्रति दुधारू पशु। खड़ीरा में 15/– रुपये प्रति दुधारू पशु व्यय हुआ है। इन दोनों गांवों में पशु भगवान भरोसे ही जिन्दा रहते हैं। यहां पशु पालकों द्वारा व्यय नहीं के बराबर है।

पशुपालन पर हुये व्यय को पशु सम्पदा से हुई श्राय के सन्दर्भ में तालिका सं. 9.9 में देख सकते हैं ।

तालिका सं. 9.9

सर्वेक्षित गांवों में पशु सम्पदा से श्राय एवं पशुपालन में व्यय

गांव	पशु सम्पदा से श्राय	पशुपालन पर व्यय	पशुपालन पर हुश्रा व्यय कुल पशु सम्पदा के प्रतिशत रूप में
1	2	3	4
1. देवा	19670	3030	15.40
2. चांवण	106404	51105	48.03
3. खड़ीण	25375	1864	7.35
4. गंगाला	216260	82956	38.36
5. छत्रगढ़	4000295	162500	40.60
6. मोतीगढ़	311965	86465	27.72
7. फालना	204160	110922	54.33
8. खीमेल	76240	29168	38.26
योग	1420369	528010	37.17

इस तालिका में हम देखते हैं कि फालना में पशु सम्पदा से जितनी श्राय हुई है. उसका 54.33 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवारों ने पशुधन पर व्यय कर दिया है । चांधण में यह श्रंश 48.03 प्रतिशत, छत्रगढ़ में 40.60 प्रतिशत, गंगाला में 38.36 प्रतिशत श्रौर खीमेल में 38.26 प्रतिशत रहा है ।

खडीण में पशु सम्पदा से हुई श्राय का मात्र 7.35 ·प्रतिशत श्रंश पशु पालन पर खर्च किया गया है जबकि देवा में यह श्रंश 15.40 प्रतिशत रहा है ।

समग्र दृष्टि से देखने पर कुल श्राय का 37.17 प्रतिशत हिस्सा पशुपालन पर नकद व्यय हुश्रा है ।

कृषि एवं पशुपालन दोनों पर हुये व्यय का योग करके पशुपालन पर हुये व्यय का विश्लेपण करें तो व्यय की निम्न स्थिति पायेंगे :—

तालिका सं. 9.10

कृषि एवं पशुपालन पर प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति व्यय

(रुपये)

गांव	प्रति परिवार			प्रति व्यक्ति		
	कृषि व्यय	पशुपालन व्यय	योग	कृषि व्यय	पशुपालन व्यय	योग
1	2	3	4	5	6	7
1. देवा	322	202	524	45	28	73
2. चांवण	753	2222	2975	93	273	366
3. खडीएा	825	69	894	98	8	106
4. गंगाला	850	3191	4041	104	389	493
5. छत्रगढ़	837	2851	3688	118	400	518
6. मोतीगढ़	400	5086	5486	35	441	476
7. फालना	892	2641	3533	141	419	560
8. खीमेल	931	3241	4172	82	286	368
योग	773	2444	3217	98	310	408

इस तालिका से ज्ञात होता है कि दोनों मदों पर हुए व्यय को मिलाकर देखें तो मोतीगढ़ में प्रति परिवार सबसे अधिक व्यय हुआ है-प्रति परिवार 5486 रुपये वार्षिक। दूसरे स्थान पर खीमेल है प्रति परिवार 4172 रुपये और तीसरे नम्बर पर गंगाला है प्रति परिवार 3688 रुपये।

दोनों को मिलाकर देखने पर प्रति व्यक्ति सबसे अधिक व्यय 560 रु. फालना में आता है और दूसरा नम्बर छत्रगढ़ का रहता है—518 रुपये प्रति व्यक्ति। तीसरे स्थान पर मोतीगढ़ है–476 रुपये प्रति व्यक्ति और सबसे नीचे के स्तर पर देवा है मात्र 73 रुपये प्रति व्यक्ति।

विविध

पिछले अध्यायों में जिन मुद्दों पर विचार किया गया है उसके अतिरिक्त कुछ मुद्दे और हैं जिनके बारे में सर्वेक्षित परिवारों से जानकारी एकत्र की गई है। इस अध्याय में उन्हीं पर विचार किया गया है। सामान्यतः कृषि एव पशुपालन परस्पर पूरक कार्य हैं। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार है। उत्तरदाताओं से इस बारे में राय जानने का प्रयास किया गया है। पशुपालन स्वतन्त्र व्यवसाय हो सकता है अथवा कृषि का संपूरक व्यवसाय ही हो सकता है, इस बारे में रुचिकर जानकारी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार गोबर के उपयोग का स्वरूप तथा गोबर गैस के बारे में राय जानने का प्रयास भी किया गया है। इस बारे में भी तथ्य एकत्रित किये गये हैं कि इस क्षेत्र के लोग गोबर गैस लगाने में कितनी रुचि रखते हैं। बदलते परिवेश में परम्परागत धन्धे को छोड़ कर अन्य धन्धों में लगने की प्रवृति है। गांवों में कृषि एवं पशुपालन में लगा व्यक्ति इस कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लगना चाहता है अथवा वह अपने परम्परागत धन्धे से संतुष्ट है, इस दृष्टि से पूछे गये प्रश्नों के उत्तरों का भी विश्लेषण किया गया है। इसी प्रकार पशु विकास कार्यक्रमों की जानकारी तथा उसका लाभ उठाने की स्थिति के बारे में भी जानकारी संग्रहीत करके प्रस्तुत की गयी है। अकाल के कारण पशुधन में हुई क्षति की क्या स्थिति है, इस दृष्टि से एक वर्ष में हुए पशुधन के के ह्रास की जानकारी दी गई है। पशुधन बहुल इस क्षेत्र में होने वाले पशु रोग तथा उसके उपचार के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी एकत्र की गई है तथा पशुपालकों की तत्संबंधी राय प्रस्तुत की गई है।

निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया गया है :—

1. पशुपालन स्वतन्त्र व्यवसाय

2. कृषि पशुपालन की पूरकता
3. यन्त्रीकरण, पशुधन और कृषि कार्य
4. गोवर का उपयोग
5. गोवर गैस एवं उसमें रुचि
6. परम्परागत धन्धे के प्रति राय
7. पशु विकास कार्य की जानकारी एव लाभ उठाने की स्थिति
8. पशु रोग एवं उपचार
9. पशुधन का ह्रास

1. पशुपालन स्वतंत्र व्यवसाय

पशुपालन संबंधी अनेक मुद्दे ऊपर के विश्लेषण में अनुत्तरित रह गये हैं। इस संबंध में एक अत्यंत महत्व का मुद्दा यह है कि क्या पशुपालन अपने आपमें एक स्वतंत्र व्यवसाय वन सकता है। क्या इसमें इतनी क्षमता निहित है कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले ऐसे लोग. जिनके पास रोजगार के साधन कम हैं अथवा जिनके पास जमीन भी या तो विल्कुल नहीं है या वहुत कम है अथवा वर्षा के कारण जिनकी कृषि भूमि की उत्पादन क्षमता अत्यत सीमित है, वड़े पैमाने पर पशुपालन को एक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। ग्रामीण परिवारों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर उठाने के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके अन्तर्गत गरीवों को गाय, भैंस, वेल जोड़ी अथवा भेड़-वकरी की इकाई दी जा रही है विना इस वात की जांच किये कि उनके पास कृषि भूमि है अथवा वे पशुओं के लिए आहार-चारे-दाने की व्यवस्था जुटा सकते हैं या नहीं अथवा उनको पशु उत्पादों के विपणन की समुचित व्यवस्था सुलभ है या नहीं।

इस संबंध में सर्वेक्षित परिवारों की राय तालिक सं. 10.1 से दर्शित होती है :-

तालिका सं. 10.1

क्या पशुपालन स्वतन्त्र व्यवसाय हो सकता है ? सर्वेक्षित परिवारों की राय

गांव का नाम	स्वतन्त्र व्यवसाय हो सकता है	स्वतन्त्र व्यवसाय नहीं हो सकता	उतर नहीं	योग
1	2	3	4	5
देवा	13(86.67)	2(13.33)	—	15(100)
चांवरा	20(86 96)	3(13.04)	—	23(100)
खडीण	2(7.41)	25(92.59)	—	27(100)
गंगाला	1(3.85)	25(96.15)	—	26(100)
छत्रगढ़	36(63.16)	21(36.84)	—	57(100)
मोतीगढ़	14(82.35)	2(11.76)	1(51.88)	17(100)
फालना	9(21.43)	33(78.57)	—	42(100)
खीमेल	1(11.11)	8(88.89)	--	9(100)
योग	96(44.44)	119(55.09)	1(0.46)	216(100)

इस तालिका से संकेत मिलता है कि इस वारे में अलग-अलग गांवों के अलग-अगल ढंग के आर्थिक, सामाजिक आधार वाले परिवरों की राय में काफी भिन्नता है। उदाहरण के लिए जहां देवा, चांवरा और मोतीगढ़ के 80 प्रतिशत से अधिक परिवार यह मानते हैं कि पशुपालन स्वतन्त्र व्यवसाय हो सकता है, वहीं गंगाला और खडीण के ऐसी राय रखने वाले परिवारों की संख्या 8 प्रतिशत से भी कम है। राय में इतनी भिन्नता का एक कारण तो यह हो सकता है कि देवा चांवरा और मोतीगढ़ में भेड़ों से पर्याप्त आय हो जाती है जबकि गंगाला के दूध देने वाले पशुवन के लिए चारे की आवश्यकता अधिक महत्व रखती है और चारा प्राप्ति का एक मुख्य स्रोत कृषि है।

कुल सर्वेक्षित परिवारों में से 55.09 प्रतिशत की यह निश्चित राय पाई गई कि पशुपालन स्वतन्त्र व्यवसाय नहीं हो सकता। ऐसी राय रखने वाले अधि-सङ्ख्यक परिवार गंगाला, खडीण, खीमेल और फालना के हैं। इन गांवों को इस वर्ष तो सूखे के कारण कुछ अधिक परेशानी है अन्यथा इनकी दूध उत्पादन क्षमता भी कृषि एवं पशुपालन के समुचित विकास संबंधी इनकी धारणा को पुष्ट करती है।

देवा, चांधरण एवं मोतीगढ़ के मात्र 12:13 प्रतिशत परिवारों की धारणा है कि पशुपालना का धन्धा अपने आपमें एक स्वतन्त्र धन्धे की शक्ल नहीं ले सकता।

छत्रगढ़ सर्वेक्षित गांवों में एक महत्वपूर्ण एवं विकासोन्मुख गांव है जहां ग्रामीण एवं कस्बाई दोनों सस्कृतियों का संगम है और जहां नहरी पानी की सुविधा सुलभ हुये लगभग 20 साल हो गये हैं। इस गांव में पशुपालन और कृषि दोनों ही महत्वपूर्ण धन्धे हैं। इसके अलावा नौकरियों एवं व्यापार की दृष्टि से भी इस गांव की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस गांव के 63.16 प्रतिशत परिवार मानते हैं कि पशुपालन स्वतन्त्र व्यवसाय हो सकता है। केवल 36.84 प्रतिशत परिवारों की राय में पशुपालन लाभप्रद ढ़ंग के स्वतन्त्र व्यवसाय का स्वरूप ले सकता है।

2. कृषि एवं पशुपालन की पूरकता

सामान्यतः कृषि एवं पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक व्यवसाय माने जाते हैं लेकिन वर्तमान परिवेश में पुरानी मान्यतायें उतनी प्रासंगिक नहीं रहीं,

तालिका 10.2

कृपि एवं पशुपालन एक-दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं' सर्वेक्षित परिवारों की राय

(संख्या %)

गांव का नाम	कृषि एवं पशुपालन एक-दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं	कृषि एवं पशुपालन एक-दूसरे के पूरक व्यवसाय नहीं हैं	उत्तर नहीं
1	2	3	4
देवा	14(93.33)	1(6.67)	—
चांधरण	19(82.61)	4(17.39)	—
खडीरण	26(96.39)	1(3.70)	—
गंगाला	24(92.31)	2(7.69)	—
छत्रगढ़	55(96.49)	1(1.75)	1(1.75)
मोतीगढ़	17(100.00)	—	—
फालना	27(88.10)	4(9.52)	1(2.38)
सीमेल	6(66.67)	3(33.33)	—
योग	198(91.67)	16(7.41)	2(0.93)

जितनी पहले हुआ करती थी। इसलिए हमने सर्वेक्षित परिवारों से इस संबंध में उनका दृष्टिकोण जानने का प्रयास किया है। तालिका सं. 10.2 इस बारे में रूचिकर तथ्य प्रस्तुत करती है।

उक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष सामने आता है कि बहुसंख्यक लोग अब भी कृषि एवं पशुपालन को एक दूसरे का पूरक व्यवसाय मानते हैं। उनकी धारणा है कि अच्छी कृषि होने पर ही पशुपालन व्यवसाय में बढ़ोतरी हो सकती है तथा पशुओं की उत्पादकता एव कार्य क्षमता में वृद्धि हो सकती है। 91.67 प्रतिशतत लोग, चाहे उनकी आजीविका का मुख्य आधार जो कुछ भी रहा हो अथवा पशुपालन को सार्थक ढ़ंग का स्वतन्त्र व्यवसाय मानने के बारे में वे चाहे जो राय रखते हों, इस बारे में स्पष्ट है कि कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं और जहां अच्छी कृषि से पशुपालन में सुविधा रहती है, वहीं पशुपालन करने पर न केवल खेत की उर्वरा शक्ति कायम रखी जा सकती है बल्कि खेत जुताई, बुआई, सिंचाई एवं कृषि उपज ढुलाई में पशु महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर कृषि को लाभ पहुंचाने की क्षमता बढ़ा देते हैं।

3. कृषि में यन्त्रीकरण और पशुधन का उपयोग

इस क्षेत्र में भी कृषि का यंत्रीकरण होना प्रारम्भ हो गया है यद्यपि सिंचाई की सुविधाओं में विशेष बढ़ोतरी न होने के कारण और वर्षा की कमी से बार-बार पड़ने वाले अकालों के कारण यंत्रीकरण की गति उतनी तीव्र नहीं रही है जितनी देश और राज्य के अन्य क्षेत्रों में है। हमने कृषि में प्रारम्भ हुये यन्त्रीकरण और उसके पशुधन पर पड़ने वाले अथवा पड़े प्रभाव को आंकने की दृष्टि से सर्वेक्षित पशुपालकों की राय जानने का प्रयास किया था जिसके निष्कर्ष नीचे दी जा रही तालिका सं. 10.3 में देख सकते हैं :—

तालिका सं. 10.3

कृषि में यंत्रीकरण से पशुधन के उपयोग की स्थिति

गांव	घटा है	बढ़ा है	यथा स्थिति है	राय नहीं	सर्वेक्षित परिवार का योग
1	2	3	4	5	6
देवा	10(66.67)	—	5(33.33)	—	15(100)
चांपण	22(95.65)	—	1(4.35)	—	23(100)
खडीण	27(100.00)	—	—	—	27(100)
गंगाला	26(100.00)	—	—	—	26(100)
छत्रगढ़	55(96.49)	—	1(1.75)	1(1.75)	57(100)
मोतीगढ़	17(100.00)	—	—	—	17(100)
फालना	42(100.00)	—	—	—	42(100)
गीगेल	9(100.00)	—	—	—	9(100)
योग	208(96.30)	—	7(3.24)	1(0.46)	216(100)

तालिका नं. 10.3 दर्शाती है कि 96.30 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवारों की राय है कि यंत्रीकरण के कारण पशुधन के उपयोग में कमी आई है। इस क्षेत्र में ट्रेक्टरों से जुताई का रिवाज बढ़ा है। छत्रगढ़ में टीलों की जमीन को समतल करने के लिए यन्त्र ही एक मात्र साधन है क्योंकि टीलों की विषमता तथा ऊंचाई और गहराई देखते हुए ऊंटों एवं बैलों से यह कार्य होना सम्भव नहीं लगता। खीमेल एव फालना में सिचाई के लिए पम्पों का उपयोग बढ़ा है तो कृषि, उपज एवं दूध ढ़ोने के लिए ट्रकों/जीपों मोटर सायकिलों आदि का उपयोग भी बढ़ा है।

उक्त राय के बावजूद कृषि एवं अन्य कार्यों में बड़े पैमाने पर पशुओं का उपयोग किया जाता है। जुताई जैसे कार्यों को एक सीमा तक ट्रेक्टर द्वारा करने की प्रवृति बढ़ी है लेकिन अन्य कार्य आज भी पशुओं द्वारा ही किया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि सभी किसान जुताई ट्रेक्टर से करते हैं। उक्त राय मात्र दिशा बताती है। दिशा यन्त्रों के उपयोग के होते हुए भी आज भी कृषि कार्यों में पशु शक्ति महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

4. गोबर का उपयोग

इस क्षेत्र में पशुधन की मात्रा अधिक होने के कारण गोबर भी अधिक मात्रा में पैदा होता है। गोबर सम्पदा का ग्रामीण क्षेत्र के विकास में लाभप्रद ढ़ंग का उपयोग किया जा सकता है और इसकी मदद से ग्रामीण अंचल का आर्थिक जीवन बेहतर बनाया जा सकता है लेकिन गोबर के उपयोग की जो स्थिति दिखाई देती है, वह सन्तोषजनक नहीं मानी जा सकती।

तालिका सं. 10.4 दर्शाती है कि 11.11 प्रतिशत परिवारों के पशुओं का गोबर बिल्कुल बेकार जाता है। इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों एवं चराई के लिए पशुओं के उन्मुक्त विचरण करने की परम्परा के कारण अन्य क्षेत्रों की तरह गोबर का संग्रह संभव नहीं है और न गोबर के कंडे भी अन्य क्षेत्रों की तरह अधिक मात्रा में थापे जा सकते हैं। फिर भी जितनी अधिक मात्रा में गोबर का किसी रूप में उपयोग किया जा सके, यह तो अपेक्षित है ही।

उपरोक्त तालिका में दिये गये आंकड़ों के अनुसार केवल 40.74 प्रति. परिवार गोबर का खाद के रूप में प्रयोग करते हैं—इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सम्पूर्ण गोबर का खाद के रूप में उपयोग हो जाता है—उसका एक अंश जो संग्रह किया जा सकता है, खाद के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन देवा, गंगाला, खड़ीण और मोतीगढ़ में कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जो गोबर से

खाद बनाता हो । इसी प्रकार चांधरा में मात्र एक परिवार ने गोवर का खाद बनाने की बात स्वीकार की । गोवर के कंडे बनाकर जलाने की प्रथा इस क्षेत्र में भी किसी न किसी रूप में एक सीमा तक विद्यमान है । 76.39 प्रतिशत परिवारों ने गोवर का एक अंश कंडे बनाकर या वैसे ही ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने की बात बताई है लेकिन देवा और चांधरा में 50 प्रतिशत से कम परिवार ही ऐसे पाये गये जो गोवर का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं । खड़ीरा और मोतीगढ़ के सभी परिवारों ने गोवर को ईंधन के रूप में उपयोग में लाने की बात मानी ।

31.48 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो गोवर में मिट्टी मिलाकर उससे अपने घरों के आंगन की लिपाई करते हैं लेकिन चांधरा और खीमेल में एक भी ऐसा नहीं है जो गोवर का लिपाई के लिए उपयोग करता है । खीमेल में गोवर लिपाई के लिए प्रयोग में न लिये जाने का कारण अधिकांश घरों में आंगन पक्के होना भी हो सकता है । गोवर का सर्वाधिक उपयोग करने वाले परिवारों में गगाला, खडीरा और मोतीगढ़ के नाम उल्लेखनीय हैं । छत्रगढ़ (कस्बाई संस्कृति वाला गांव) में मात्र एक परिवार गोवर की लिपाई के लिए उपयोग करने वाला पाया गया है ।

88–89 प्रतिशत परिवार इस वारे में एकमत हैं कि वे गोवर का किसी न किसी रूप में उपयोग अवश्य करते हैं लेकिन साथ ही 24.54 प्रति. परिवारों ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके पशुओं के गोवर का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और एक अंश निश्चित रूप से वेकार चला जाता है ।

5. गोवर गैस की जानकारी

गोवर का गैस बनाकर उसका उपयोग करने के विषय में इस क्षेत्र के लोगों को कितना ज्ञान है, इसे आंकने के लिए हमने जो प्रश्न पूछे उनका निष्कर्ष तालिका सं. 10.5 से जाना जा सकता है ।

तालिका सं. 10.5

सर्वेक्षित परिवारों को गोवर गैस की जानकारी

गांव का नाम	हां (है)	नहीं	योग
1	2	3	4
देवा	8(53.33)	7(46.67)	15(100)
चांघण	20(86.98)	3(13.04)	23(100)
खड़ीण	3(11.11)	24(88.89)	27(100)
गंगाला	2(7.69)	24(92.31)	26(100)
छत्रगढ	38(66.67)	19(33.33)	57(100)
मोतीगढ़	7(41.18)	10(58.82)	17(100)
फालना	17(40.48)	25(59.52)	42(100)
खीमेल	5(55.56)	4(44.44)	9(100)
योग	100(46.30)	116(53.70)	216(100)

इस तालिका से ज्ञात होता है कि केवल 46.30 प्रतिशत लोगों ने गोवर गैस के वारे में सुना है लेकिन उनमें से वहुत कम लोगों ने गोवर गैस प्लांट चलते हुए देखे हैं। 53.70 प्रतिशत परिवारों ने गोवर गैस का नाम भी नहीं सुना है। चांवण जैसे रेल एवं सड़क से जुड़े पशुपालन सुविधाओं से भरे पूरे गांव के लोगों का भी गोवर गैस विषयक ज्ञान अत्यन्त स्वल्प है। ध्यान रहे वहां उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत भी एक अनुसंधान केन्द्र चलता है।

गोवर गैस लगाने में रुचि

हमने यह जानने का प्रयास किया कि ऊर्जा उपलब्धि के लिए की गई नई खोजों का लाभ उठाने के वारे में सर्वेक्षित परिवारों का कैसा मानस है। और ऊर्जा तथा सौर चूल्हों के वारे में उनका ज्ञान शून्य प्राय: होने के कारण हमने इस पहलू का विश्लेषण छोड़ दिया है लेकिन गोवर के वाहुल्य को देखते हुए गोवर गैस जैसी सरकार से अनुदान प्राप्त सस्ती व्यवस्था का लाभ वे किस सीमा तक उठाना पसन्द करेंगे, यह जानकारी प्राप्त करने का जो प्रयास किया है उसके निष्कर्ष तालिका 10.6 से जाने जा सकते हैं।

तालिका सं. 10.4

सर्वेक्षित परिवारों द्वारा गोबर का उपयोग

गांव का नाम	गोबर का खाद के रूप में उपयोग	गोबर का ईंधन के रूप में	गोबर की लिपाई के रूप में	गोबर का किसी न किसी रूप में	गोबर का कुछ अंश बेकार जाता है	गोबर पूर्णतः बेकार जाता है	सर्वेक्षित परिवार संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
देवा	—	7(46.67)	3(20.00)	8(53.33)	2(13.33)	7(46.67)	15
धांगण	1(4.35)	11(47.83)	—	11(47.83)	10(43.48)	12(52.17)	23
खड़ीण	—	27(100.00)	27(100.00)	27(100.00)	12(44.44)	—	27
गंगाला	—	23(88.46)	22(84.62)	24(92.31)	—	2(7.69)	26
छत्रगढ़	36(63 16)	40(70.18)	1(1.75)	54(94.74)	13(22.81)	3(5.26)	57
मोतीगढ़	—	17(100.00)	14(32.35)	17(100.00)	16(94.12)	—	47
फानना	42(100.00)	33(78.57)	1(2 38)	42(100.00)	—	—	42
गीगेल	9(100.00)	7(77.78)	—	9(100.00)	—	—	9
योग	88(40.74)	165(76.39)	68(31.48)	192(88.89)	53(24.54)	24(11.11)	216

तालिका सं. 10.6

गोवर गैस लगाने के वारे में सर्वेक्षित परिवारों की राय

गांव का नाम	राय नहीं	लगाना चाहते हैं	नहीं लगाना चाहते हैं	योग
1	2	3	4	5
देवा	2(13.33)	6(60.00)	7(46.67)	15(100)
चांघण	—	—	23(100.00)	23(100)
खडीरा	—	—	27(100.00)	27(100)
गंगाला	—	—	26(100.00)	26(100)
छत्रगढ़	—	20(35.09)	37(64.91)	57(100)
मोतीगढ़	—	—	17(100.00)	17(100)
फालना	—	--	42(100.00)	42(100)
खीमेल	—	—	9(100.00)	9(100)
योग	2(0.92)	26(12.04)	188(87.04)	216(100)

उक्त तालिका दर्शाती है कि 87.04 प्रतिशत परिवारों में गोवर गैस लगाने के प्रति अभिरुचि नहीं है। केवल 12.04 प्रतिशत परिवार गोवर गैस लगाने के प्रति रुचि रखते हैं यदि उन्हें गोवर गैस लगाने के लिए सरकार से पूरी राशि अनुदान के रूप में प्राप्त हो जाय अथवा सरकार गोवर गैस संयंत्र लगाकर उन्हें दे। केवल 2 परिवारों ने इस वारे में कोई राय प्रकट नहीं की।

चांघण, खड़ीरा, गंगाला, मोतीगढ़, फालना, एवं खीमेल इन गांवों में कोई भी सर्वेक्षित परिवार गोबर गैस लगाने की मन स्थिति में नहीं पाया गया। इसका मुख्य कारण उनकी आलस्यप्रियता दिखाई दी। गोवर संग्रह करके गैस संयंत्र में डालना और पानी मिलाकर गोवर को हिलाना जैसा सामान्य कार्य भी उन्हें श्रम साध्य प्रतीत होता दिखाई दिया।

गैस में खाना पकाने के वारे में उनके मन में भ्रान्त धारणायें भी हैं—वे लकड़ी या कंडों में खाना वनाना ज्यादा पसन्द करते हैं चाहे फिर लकड़ी या कंडों की जलावन से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर ही क्यों न पड़ता हो।

वन क्षेत्र में कमी और ईंधन उपलब्धि में पूर्वापेक्षा वढ़ती जा रही कठिनाई भी उनके मानस को अभी उद्वेलित नहीं कर पाई है। यह इस वात

का द्योतक है कि ग्रामीण विकास में लगी सरकारी एवं स्वैच्छिक एजेंसियां अभी उनमें सही ढ़ंग से प्रवेश नहीं कर पाई हैं। इस दिशा में काफी तेज गति से काम किये जाने की जरूरत है।

यह जानने का भी प्रयास किया गया कि परंपरागत धन्धे के बारे में उनका क्या मन्तव्य है और जो लोग परंपरागत धन्धों को जारी रखने के पक्षधर नहीं है अथवा परम्परागत धन्धों के प्रति जिनके रुझान में कमी आई है, वे किस प्रकार के धन्धों को पसन्द करते हैं ? इस सिलसिले में संग्रहीत जानकारी तालिका नं. 10.7 में देखी जा सकती है।

तालिका सं. 10.7

सर्वेक्षित परिवारों की चालू धंधे के प्रति अभिरुचि

(सं. प्रतिशत में)

गांव का नाम	परंपरागत धंधा चालू रखने की इच्छा है	परम्परागत धंधा नहीं करना चाहते	सर्वेक्षित परिवारों का योग
1	2	3	4
देवा	6(40.00)	9(60.00)	15(100)
चांधण	14(60.87)	9(39.13)	23(100)
खडीण	1(3.70)	26(96.30)	27(100)
गंगाला	1(3.85)	25(96.15)	26(100)
छत्रगढ़	21(54 39)	26(45.61)	57(100)
मोतीगढ़	15(88.24)	2(11.76)	17(100)
फालना	7(16.67)	35(83.33)	42(100)
खीमेल	7(77.78)	2(22 22)	9(100)
योग	82(37 96)	134(62.04)	216(100)

तालिका दर्शाती है कि 62.04 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवारों का परपरागत धन्धों के प्रति रुझान घटता जा रहा है। केवल 37.96 प्रतिशत परिवार ही परम्परागत धन्धा चालू रखने की इच्छा वाले पाये गये । इसमें भी गांववार राय अलग-अलग पाई गई है। जहां चांधण, छत्रगढ़, मोतीगढ़ और खीमेल के बहुसंख्यक परिवार परंपरागत धन्धे की श्रेष्ठता के प्रति आश्वस्त हैं, वहां

खड़ीण और गंगाला जैसे शहरी कस्बाई जीवन से दूर रहने वाले बहु संख्यक परिवार अपने धन्धों की कठिन परिस्थितियों के कारण दूसरे धन्धों में प्रवृत्त होना चाहते हैं।

इन लोगों में न केवल अपने धन्धों में होने वाले कठोर परिश्रम के कारण ही परम्परागत धन्धे के प्रति रुचि में कमी आई है बल्कि दूसरा मुख्य कारण प्रकृति जन्य परिस्थितियां भी है जिनमें वर्षा की कमी मुख्य है, जिसके कारण कृषि पर हुआ उनका सारा व्यय तो बर्बाद चला ही जाता है मेहनत से पाला हुआ पशुधन भी नष्ट हो जाता है, उसकी उत्पादकता घट जाती है और पशु की रक्षा के लिए उन्हें अपना गांव एवं घर छोड़कर दरदर की ठोकरें खाने के लिए और सस्ते चारे के डिपो खोलने के लिए गिड़गिडाने को विवश होना पड़ता है।

तालिका सं. 10.8 नये धन्धों के प्रति उनके रुझान को स्पष्ट करती है।

तालिका सं. 10.8

नये धन्धे के बारे में अभिरुचि की स्थिति

गांव	स्थाई मजदूरी चाहते हैं	स्थाई नौकरी चाहते हैं	उद्योग व्यवसाय करना चाहते हैं	अन्य धन्धे में लगाना चाहते हैं	नया धन्धा चाहने वालों का योग
1	2	3	4	5	6
देवा	—	4(44.44)	2(22.22)	3(33.33)	9(100)
चांधण	—	9(100.00)	—	—	—
खड़ीण	—	20(76.92)	1(3.85)	5(19.23)	26(100)
गंगाला	—	24(96.00)	—	1(4.00)	25(100)
छत्रगढ़	—	23(88.46)	2(7.69)	1(3.35)	26(100)
मोतीगढ़	—	2(100.00)	—	—	2(100)
फालना	—	12(34.29)	5(14.29)	18(51.43)	35(100)
सीमेल	—	1(50.00)	1(50.00)	—	2(100)
योग		95(70.90)	11(8.21)	28(20.89)	134(100)

134 परिवारों ने नये धन्धे के प्रति अभिरुचि व्यक्त की है या चाहते हैं कि उनके लिए सरकार नये धन्धे जुटाने का प्रयास करे। इनमें 70.90 प्रतिशत

यह चाहते हैं कि उनके परिवारजनों को कोई न कोई स्थाई नौकरी मिले। सरकारी नौकरियों अथवा कम्पनियों-कारखानों में अन्य स्थाई नौकरियों में मिलने वाले लाभ उन्हें इतने अधिक व्यापक और गहरे दिखाई देते हैं कि उनकी तुलना में अपना परम्परागत धन्धा अत्यंत असुविधापूर्ण और कष्टप्रद नजर आता है। नया धन्धा चाहने वालों में केलव 8.21 प्रतिशत ने यह अपेक्षा जाहिर की है कि यदि उन्हें साधन एवं सुविधा मुहैया की जायें तो वे उद्योग धन्धों में प्रवृत होना चाहते हैं। 20.89 प्रतिशत स्पष्टतः यह उल्लेख नहीं कर पाये कि उन्हें किन नये धन्धों के प्रति अभिरुचि है। वे यही कहते रहे कि उनके लिए किसी न किसी प्रकार के नये धंधे की व्यवस्था की जाय और उस नये धंधे का निर्धारण सरकारी एजेन्सी ही करे-वे अपने परम्परागत धंधे से सन्तुष्ट नहीं है और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं।

7. नस्ल सुधार

वैसे तो सम्पूर्ण देश में ही आजादी के बाद पशु विकास के अनेक कार्यक्रम चले हैं लेकिन पशुपालन कीं दृष्टि से राजस्थान की जो विशेष स्थिति है, उसमें इन कार्यक्रमों का बहुत महत्व है और यहां इस दिशा में सरकार ने काफी खर्चा करके अनेक कार्यक्रम चलाये हैं।

इन कार्यक्रमों में नस्ल सुधार एक मुख्य कार्यक्रम है। सर्वेक्षित क्षेत्र में गायों की विभिन्न नस्लें हैं—यथा बीकानेर जिले में राठी, जैसलमेर में राठी और थारपारकर तथा बाड़मेर में थारपारकर। ये सभी नस्लें दूध उत्पादन की दृष्टि से देश की अच्छी नस्लें मानी जाती हैं, यद्यपि वर्षा की कमी और अकाल के कारण इनकी उत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ा है और प्रतिकूल परिस्थितियों का यह क्रम अनवरत जारी है।

पशु नस्ल सुधार के सिलसिले में सर्वेक्षित परिवारों का ज्ञान कितना अल्प है, इसका दर्शन तालिका सं. 10.9 से हो सकता है।

यह तालिका बताती है कि 216 परिवारों में से केवल 5 अर्थात् 2.31 प्रतिशत परिवारों ने नस्ल सुधार कार्यक्रम के बारे में अपनी भिज्ञता प्रकट की है और देवा, खडीण, मोतीगढ़ और फालना जैसे पशुधन बाहुल क्षेत्र के लोगों का नस्ल सुधार कार्यक्रम विषयक ज्ञान शून्य है। जबकि फालना गांव पाली जिले की एक मुख्य सड़क पर पड़ता है और फालना जैसे बढते हुए औद्योगिक क्षेत्र एव कस्बे के सन्निकट है।

भेड़ों की उन्नत नस्ल के बारे में भी सर्वेक्षित परिवारों को पर्याप्त जानकारी नहीं है यथा गंगाला, खड़ीण और फालना के किसी भी सर्वेक्षित परिवार

तालिका सं. 10.9

(संख्या/प्रतिशत कोष्टक में)

पशु विकास कार्यक्रम की जानकारी की स्थिति

गांव का नाम	कार्यक्रम की जानकारी है पशु चिकित्सालय	नस्ल सुधार	भेड़ ऊन प्रसार कार्यक्रम	दुग्ध डेयरी
1	2	3	4	5
देवा	15(100.00)	नहीं	13(86.67)	नहीं
चांपण	16(69.57)	1(4.35)	3(13.04)	1 (4.35)
खडीण	22(81.48)	नहीं	नहीं	1 (4.35)
गंगाला	22(84.62)	1(3.85)	नहीं	12 (46.15)
छत्रगढ़	49(85.96)	2(3.51)	7(12.28)	23(40.35)
मोतीगढ़	15(88.24)	नहीं	9(52.94)	13(76.47)
फालना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
खीमेल	8(88.889)	1(11.11)	7(77.78)	6(66.67)
योग	147(68.06)	5(2.31)	39(18 06)	55(25 46)

को यह जानकारी नहीं थी कि सरकार की ओर से भेड़ ऊन प्रसार कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। सम्भव है इसका कारण इन तीनों गांवों में भेड़ों की अधिक संख्या न होना भी रहा है, देवा तथा मोतीगढ़ के वहुसंख्यक सर्वेक्षित परिवारों को उन्नत भेड़ों के बारे में जानकारी थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे इन कार्यक्रमों का मौके बमोके लाभ उठाते रहे हैं। खीमेल के सर्वेक्षित परिवारों ने भी माना कि उन्हें भेड़ों की उन्नत नस्ल के बारे में जानकारी है।

नस्लनिति की दिशा

कृत्रिम गर्भाधान तथा संकर नस्ल को बढ़ावा देने की सरकारी नीति के बावजूद हमने देखा कि सामान्य पशुपालक की इसमें रुचि नहीं है। लेकिन सर-कार इस नीति को प्रोत्साहित करने में रुचि रखती है। पशुपालन विशेषज्ञ एवं अर्थशास्त्री भी भारत में नस्ल सुधार एवं कृत्रिम गर्भाधान की शिफारिश करते हैं। सरकार द्वारा प्रायोगिक कृषि एवं पशु प्रयोग क्षेत्रों (फार्मो) में इस दिशा में प्रयोग भी किये जाते रहे हैं और यह देखा जाता रहा कि नस्ल सुधार एवं कृत्रिम गर्भाधान द्वारा दुधारु पशु में कितना दूध बढ़ता है, देशी, संकर, तथा विदेशी नस्ल के दुधारु पशु उत्पादन में कितना अंतर है—इन मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है। लेकिन इस प्रकार के परीक्षण प्रयोगात्मक फार्मो पर ही किये जाते हैं। सामान्य किसान तथा पशुपालक की इसमें रुचि कम पाई गई। वर्ष 1978 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (आनंद) ने संकर नस्ल पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की थी जिसमें पशु वैज्ञानिक, डेयरी विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री तथा अन्य विद्वानों ने भाग लिया था। सगोष्ठी की रिपोर्ट में नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान संकर नस्ल के अनेक पक्षों पर वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। कई विश्लेषण तो बहुत तकनीकी है जबकि कुछ आलेखों में प्रयोग केन्द्रों [फार्म] के निष्कर्षों का विश्लेषण किया गया है। विद्वानों ने कुछ समस्याओं को भी स्पष्ट किया है और कुछ ने उनका समाधान संकर नस्ल, कृत्रिम गर्भाधान तथा नस्ल सुधार बताया है।

श्री आर. एम. आचार्य तथा मनोहरसिंह ने अपने आलेख में बताया कि नस्ल सुधार एवं कृत्रिम गर्भाधान की कई बाधायें हैं जैसे—[1] भौगोलिक एवं भौतिक कारण—पशु की शारीरिक बनावट, पर्यावरण के साथ समरसता तथा प्राकृतिक वातावरण में अंतर के कारण विदेशी नस्ल एवं उससे उत्पन्न संकर नस्ल के पशु समरस नहीं हो पाता है। योरप का ठंडा वातावरण यहां नहीं मिल सकता। (2) विदेशी नस्ल तथा संकर नस्ल को जो आहार चाहिए, वह यहां नहीं मिलता है—पौष्टिक हरा चारा आदि हमेशा नहीं मिल पाता। ये बाधायें इस कार्यक्रम के विस्तार को सीमित करती हैं। इसीक्रम में यह उल्लेख-

नीय है कि आज पशुपालकों को उन्नत एवं स्वस्थ सांडों का अभाव का सामना करना पड़ रहा है। श्री के. एस. जौहर ने इस वात पर जोर दिया है कि उन्नत नस्ल के सांड की नस्ल सुधार में प्रमुख भूमिका है लेकिन आज इसका अभाव हो गया है।

संकर नस्ल के पशुपालकों के सामने कई प्रकार की कठिनाइयां पाई गई। सर्वेक्षित क्षेत्र में हांलाकि इस प्रकार के पशुपालक नगण्य हैं और जो हैं उन्होंने कई कठिनाइयां वताई हैं जैसे हरे चारा की कमी, अधिक देखभाल की आवश्यकता, वीमारी, पर्यावरण का अनुकूल नहीं होना, वछड़ा कमजोर और खेती के अनुपयुक्त होना आदि। इससे सम्वन्वित एक अध्ययन उड़ीसा में किया गया था। वहां के गांवों में संकर नस्ल के दुवारु पशु सघन रुप में दिये गये। वैज्ञानिक श्री प्रफुलकुमारदास ने इस परियोजना का मूल्यांकन किया। पशुपालकों ने संकर नस्ल के दुधारु पशु की कठिनाइयों एवं वाधाओं को स्पष्ट किया। पशुपालकों के अनुसार इस प्रकार के पशुओं के प्रचलन में निम्नलिखित कठिनाइयां हैं।*

संकर नस्ल के पशु की कठिनाइयां—वाधाएं

कठिनाई	प्रतिशत
1. अपेक्षित दूव उत्पादन नहीं हो पाना	78
2. वर्तमान भाव में लाभकर नहीं है	72
3. आहार महंगा	66
4. पर्याप्त चारा नहीं मिलता	60
5. वैल कृषि के उपयुक्त नहीं है	52
6. खर्चीला धन्वा	28

उपरोक्त परिपेक्ष में यह कहा जा सकता है कि संकर नस्ल एवं कृत्रिम गर्भाधान की नीतिगत स्वीकृति एवं कार्यक्रम विस्तार के वावजूद इसका व्यापक प्रसार नहीं हो पाया है तथा सामान्य पशुपालक ने इस कार्यक्रम को नहीं अपनाया है। यहां यह भी सत्य है कि इस कार्यक्रम की जो सीमायें हैं इसके कारण सामान्य किसान एवं पशुपालक इसे स्वीकारने को तैयार नहीं है। हां, कुछ दुग्ध व्यवसायी वृत्ति के लोगों ने इसे अपनाया और पूंजी निवेश के वल पर दूव का व्यापार प्रारंभ किया है। लेकिन इन्हें पशुपालक या ग्राम कृषक नहीं कहा जा सकता है—इन्हें दूध के व्यापारी कहना ठीक होगा।

इस वात के लिए किसी प्रकार के तर्क देने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में पशुधन और खासकर गोधन को समग्र सामाजिक, आर्थिक व्यवसाय का अभिन्न अंग माना गया है। यहां गोपालन को स्वतन्त्र व्यवसाय न मानकर उसे कृषि का पूरक माना गया है । आज भी यहां का आम नागरिक तथा कृषक एक दूसरे का पूरक मानता है । इस वात की पुष्टि इस अध्ययन से भी होती है । [देखें सम्बद्ध अध्याय] भारत में, प्राकृतिक परिस्थिति के अनुकूल नस्लों का विकास हुआ था जो कि अव समाप्त होती जा रही है । एक समय था जव गांव में उत्तम सांड पाले जाते थे और खासकर उत्तरी भारत में हरियाणा, राठी, गीर, थारपारकर, नागौरी आदि नस्लें तैयार की गई थी । लेकिन प्रचार करके विदेशों से मनमानी कीमत पर सांडों का वीर्य आयात कर कृत्रिम गर्भाधान किया जाने लगा और यहां की नस्लें वरवाद की जाने लगी । गोपालक के मन में अधिक दूध का लालच पैदा कर विदेशी जर्सी गायों का आयात किया गया जो इस देश की जलवायु और धरती के अनुकूल नहीं है...... भारतीय संस्कृति में गाय-वैल का जो विशिष्ट स्थान है वह केवल इसलिए नहीं कि वह सृष्टि का एक अंग है वल्कि इसलिए है कि वे खेती प्रधान मानव जीवन के अभिन्न और अनिवार्य अंग है ।*

पश्चिमी राजस्थान में पशुधन की स्थिति के विश्लेषण से यह साफ जाहिर होता है कि यहां की स्थानीय नस्ल उत्तम किस्म की है। अतः यहां संकर या विदेशी नस्ल लाने का प्रयास न तो लाभकर है और न ही उचित । राज्य के अन्य भागों में भी वाहरी नस्ल के पशु उपयोगी नहीं हैं। हम कहना चाहेंगे कि यहां की परिस्थिति में संकर एवं विदेशी नस्ल लाने की नीति को प्रोत्साहन देने की दिशा को रोकना होगा। इसके कुछ कारणों का जिक्र किया जा चुका है। कुछ वातों का थोड़ा अधिक स्पष्टीकरण उपयोगी रहेगा । यहां की परि-स्थिति में दुधारु पशु को मात्र दूध आपूर्ति का साधन नहीं माना जा सकता । भारत में दुधारु पशु की वहुउद्देशीय उपयोगिता है, दूध के साथ कृषि, माल वाहन, यातायात आदि में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। एक अध्ययन के अनुसार यंत्री-करण के व्यापक प्रचार-प्रसार के वावजूद देश में खेती के लिए जितनी शक्ति काम में आती है, उसका 66 प्रतिशत पशुधन से आता है. 23 प्रतिशत शक्ति मानव श्रम से आती है और मशीन [ट्रैक्टर आदि] का योगदान मात्र 11 प्रतिशत है। यह वात तो पशुओं द्वारा किये जाने वाले कृषि कार्यों की हुई। यातायात, खाद, माल ढोना आदि अनेक कार्य और भी हैं, जिनका अपना महत्व है।

यह आम धारणा है कि संकर एव विदेशी नस्ल को प्रोत्साहित करने की सिफारिश करते समय शहरों में दूध की आपूर्ति की समस्या का समाधान प्रमुख मुद्दा रहा है। शहरों को दूध मिले. इसके लिये अधिक दूध देने वाले पशु चाहिये। एक मात्र इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिये पशुनीति का निर्धारण किया गया और अन्य सभी को नजरंदाज कर दिया गया। लेकिन इस लक्ष्य की अनेक सीमायें तथा वाधायें सामने आ गई हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि सामान्य किसान संकर एवं विदेशी नस्ल के पशुपालन में सक्षम नहीं है—उसकी उस दिशा में विशेष रुचि भी नहीं है।

कहा जाता है कि पशु से अधिक दूध प्राप्त करने की क्षमता विकसित करने में संकर एव विदेशी नस्लें अधिक उपयुक्त हो सकती हैं। लेकिन यह तर्क अनुभव से नकारा जा चुका है। एक सर्वेक्षण के अनुसार सूखा भूसा तथा स्थानीय आहार देशी पशु आसानी से पचा लेता है, जवकि संकर विदेशी नस्ल के पशु के लिए यह संभव नहीं। भारत के पशु विशेषज्ञ प्रोफ़ेसर एम. जी. जेवसन के अनुसार संकर पशु तभी उत्पादन क्षमता वनाये रख सकते हैं जव उन्हें दलहनी चारा और अनाज अथवा खली पर रखा जाय। भारत जैसे गरीव देश में न तो वड़े पैमाने पर जमीन का चारा उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है और न ही विदेशों में खिलाई जाने वाली चारे की मात्रा ही पशुओं को दी जा सकती है और न पशुओं को अधिक मात्रा में अनाज दाना खिलाया जा सकता है। डा. औरस्कोव के अनुसार जिस प्रकार के चारे से स्थानीय पशु अपनी उत्पादकता वरकरार रखते हैं, विदेशी पशु उसमें जिन्दा भी नहीं रह सकते हैं।

क्रास वीडिंग का एक और गम्भीर परिणाम होगा, वह यह कि देश में पशुधन को आनुवंशिक विविधता नष्ट प्रायः हो जायेगी। वहुउद्देश्य कार्यों के सन्दर्भ में भारत के पशुधन को दुनियां में सर्वोत्तम माना जाता है। यहां गो वंश की 26, भैंस की 7, भेड़ की 24, वकरी की 18 तथा घोड़ों की 6 प्रमुख किस्में हैं। इनकी अपनी-अपनी विशेषतायें हैं। क्रासवीडिंग जैसी योजना से इनका नाश होगा और मात्र जरसी, होलस्टीन जैसी नस्ले ही रह जायेगी। देशी पशु हजारों-लाखों वर्षों से इसी वातावरण में रहे हैं, और वढ़े हैं। उनमें वातावरण की सभी विपमताओं को झेलने की शक्ति है, वीमारियों से लड़ने की ताकत है। विदेशी पशु जव हमारे वातावरण में जाते हैं तो एक और व्यवस्था कायम हो जाती है—वीमारी, अस्पताल, दवाइयां, वीर्य वैंक, डाक्टर आदि की। यहां का पशुपालक इन सवकी मार सहते हुये पशुपालने की शक्ति नहीं रखता है।

यहां पशु कृषि के साथ जुड़कर ही जिंदा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। दोनों परस्पर पूरक हैं। रासायनिक खाद के बल पर कृषि को बढ़ाने की गति में ठहराव आ गया है। आज विश्व में रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं के खिलाफ आवाज उठ रही है। इसका बुरा प्रभाव तो एक पक्ष है। एक मुख्य प्रश्न यह भी है कि क्या सामान्य किसान रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं का आर्थिक भार सहने की क्षमता रखता है ? इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है कि औसत किसान खाद, यंत्र, एव पानी की लागत के कारण संकट में है। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे शोध–सर्वेक्षणों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक तत्वों को प्राथमिकता देने के बजाय प्राकृतिक संसाधनों के बलबूते पर उत्पादन बढ़ाना ही लाभकर एवं स्थायी होगा। इनफारमेशन फार लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर (ILEIA) द्वारा प्रसारित सूचना पत्र में कई प्रकार की उपयोगी जानकारी दी गई है।* कई प्रयोगों से सिद्ध है कि कम्पोस्ट खाद तथा मिश्रित फसलचक्र के माध्यम से रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं से मुक्ति पा सकते हैं। यह छोटे किसानों के लिए वरदान साबित होगा। दक्षिणी मैक्सिको में छोटे किसान कम्पोस्ट खाद से कॉफी (Coffee) उगाकर कम से कम 10 प्रतिशत अधिक कीमत पर माल बेच रहे हैं, क्योंकि यह अधिक स्वास्थ्यकर सिद्ध हो चुका है। इसी प्रकार जर्मनी, नीदरलैण्ड, दक्षिणी मैक्सिको, निकारागुआ आदि राष्ट्रों में भी स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से कृषि विकास पर जोर दिया जा रहा है। स्वाभाविक है भारत में यहां के स्थानीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य चले। इस कार्य में पशुधन का प्रमुख योगदान होगा।

उपरोक्त संदर्भ में हमारा यह सुझाव है कि पशुधन विकास के साथ–साथ दीर्घकालीन कृषि विकास को भी ध्यान में रखा जाय तथा स्थानीय पशुनस्लों को ही अधिक सक्षम बनाकर अधिक उपयोगी बनाने की योजना बनायी जाय।

अन्य कार्यक्रम

अन्य पशु विकास कार्यक्रमों में पशु चिकित्सा और दूध के सहकारी विपणन सम्बन्धी कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं–पशुपालकों को चिकित्सा सुविधाओं का ज्ञान हो, और ऐसी सुविधायें पशुओं के आवास स्थलों से सुविधाजनक दूरी पर विद्यमान हों, वहां पशु चिकित्सक एवं दवाइयां समय पर उपलब्ध रहें तथा बिना किसी रुकावट एव बाधा के मिल जायें तो पशुपालकों को अपने पशुओं का स्वास्थ्य स्थिर अथवा उन्नत रखने में मदद मिल सकती है तथा पशुओं की उत्पादकता कायम रखकर वे अपना आर्थिक आधार सुदृढ़ रख सकते हैं। यही बात मुख्य पशु–उत्पाद दूध के विपणन के बारे में कही जा

सकती है । यदि पशुपालकों को अपना दूध बेचने के लिए साधन मिल जाय और घर बैठे उनका दूध बिक जाये अथवा दूध, विक्रय स्थल सुविधाजनक दूरी पर मौजूद रहे तो उन्हें अपने पशुओं का दूध, उत्पादन स्थिर रखने अथवा बढ़ाने की प्रेरणा मिल सकती है । साथ ही अधिक दूध उत्पादन करने की दृष्टि से वे अपने पशुओं की ठीक ढ़ंग से देखभाल करने के लिए अनुकूलता अनुभव कर सकते हैं और नये पशु खरीदकर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बना सकते हैं ।

यह पाया गया कि सरकार ने पशु चिकित्सा सम्बन्धी जो सुविधायें स्थापित की हैं, उनका ज्ञान मात्र 68.06 प्रतिशत परिवारों को ही है । शेष 31.94 प्रतिशत पशुपालकों ने पशु चिकित्सा सुविधाओं के प्रति अनभिज्ञता प्रकट की है ।

सहकारी दूध विपणन विषयक ज्ञान तो और भी कम है यथा इस क्षेत्र में, जहां भारी मात्रा में दूध पैदा होता है, जहां पशुपालन ग्रामीण जीवन का मुख्य आर्थिक आधार है और जहां सहकारी दुग्ध विपणन व्यवस्था में करोड़ों रुपये की पूंजी लगी हुई है मात्र 25 46 प्रतिशत परिवारों ने यह बताया कि उन्हें दूध डेयरी के बारे में जानकारी है अथवा वे इसका लाभ उठाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं । इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण सभी पशुपालकों के लिए समान रूप से दूध डेयरी सुविधा का लाभ उठाना संभव नहीं लेकिन डेयरी विषयक इतनी न्यून जानकारी होना यह संकेत देता है कि इस दिशा में या तो संगठित प्रयास किये ही नहीं गये हैं या फिर कोई अन्य संस्थागत अथवा व्यवस्थागत दोष है ।

सर्वेक्षित गांवों में से तीन–देवा, खड़ीण और फालना के सभी परिवारों ने दुग्ध डेयरी के प्रति अनभिज्ञता प्रकट की है जबकि फालना गांव न केवल सड़क के किनारे स्थित है बल्कि जिला मुख्यालय पाली अथवा तहसील हैडक्वार्टर बाली से भी विशेष दूरी पर नहीं है । मोतीगढ़ के 76.47 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवार दुग्ध डेयरी से लाभ उठाते पाये गये हैं । इस दृष्टि से दूसरा नम्बर खीमेल का है, जिन्हें सहकारी दुग्ध डेयरी के बारे में ज्ञान है चाहे इसका लाभ वे उल्लेखनीय सीमा तक न ले पाते हों । इस दृष्टि से बाड़मेर जिले का गगाला और बीकानेर का छत्रगढ़ भाग्यशाली माने जा सकते हैं, क्योंकि दुग्ध विपणन की सहकारी व्यवस्था के कारण केवल उन्हें अपना दूध उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा ही नहीं मिली है बल्कि दूध बिक्री से हुई आय उनके भरणपोषण का एक मुख्य जरिया भी बन गई है ।

8. पशुधन का ह्रास

सर्वेक्षित अवधि में इस क्षेत्र में भयंकर अकाल था। गत तीन साल में पानी कम बरस रहा था जिसके कारण पशुपालक अपने पशुओं के लिए चारे पानी की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाये। अधिकांश पशुपालक अकाल के कारण पशुओं को जीवित रख पाने की स्थिति में भी नहीं रहे और वे असहाय होकर अपनी आंखों के सामने अपने पशुधन को जिनमें गोधन मुख्य था मरता देखते रहे।

इस बारे में उपलब्ध जानकारी, जो तालिका नं. 10.10 में दर्शित है, से स्थिति का मोटा अनुमान लगाया जा सकता है।

हमने जिन आठ गांवों का सर्वेक्षण किया, उनमें चार गांवों के पशुपालकों ने पशुधन की क्षति सम्बन्धी सही आंकड़े बताने में रुचि प्रदर्शित नहीं की लेकिन फिर भी शेष चार गांवों में जो जानकारी मिली, वह दर्शाती है कि वर्षा की कमी से गत तीन साल में इस क्षेत्र में पशुधन का भारी ह्रास हुआ है। उदाहरण के लिए अकेले छत्रगढ़ में ही सर्वेक्षित परिवारों में 1550 भेड़ों की, 20 ऊंटों की और 382 गोधन की क्षति बताई है। इस प्रकार देवा में 7 परिवारों ने 15 गायों की और चांवग में 7 परिवारों ने 37 गायों तथा 8 बैलों की क्षति बताई है जो कम नहीं है।

जिन गांवों में पशु ह्रास की जानकारी मिली है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पिछले दिनों यहां के लोगों को पशुधन के संदर्भ में बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा है—और आज भी उसका सामना करना पड़ रहा है।

9. पशु स्वास्थ्य, पशु आहार, पेयजल एवं पशु रोग

पशु स्वास्थ्य के लिए पशु आहार, चारा एवं दाना तथा पानी की समुचित व्यवस्था आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि पशु रोगों की रोकथाम के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाये जायें और पशु रोगों का समय पर इलाज होता रहे।

सर्वेक्षित क्षेत्र में पशुओं के खुला घूमने के लिए अभी तक पर्याप्त जगह रही है लेकिन राजस्थान नहर के आगमन के साथ कृषि क्षेत्र का विस्तार होने के कारण अब पशुओं के लिए उन्मुक्त चरागाहों के स्थान सीमित होने लग गये हैं और वह दिन दूर नहीं, जब खुले में पशु चराने की आदत रखने वाले पशु-पालकों और कृषकों में झगड़े होना शुरु हो जाय और मुकदमें बाजी का नया सिलसिला पैदा हो जाय।

तालिका सं. 10.10

अकाल में पशुधन का ह्रास–1983–86

गांवव का नाम	परि. सं.	गोधन	बैल	भैंस	ऊंट	भेड	योग	प्रति. परिवार पशुधन का औसत ह्‌वास
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देवा	7	15	—	—	2	250	267	38
चांधण	7	37	18	—	—	214	263	38
खडीण								
गंगाला								
छत्रगढ़	12	382	5	—	20	1550	1957	163
मोतीगढ़	1	—	—	—	—	60	60	60
फालना								
खीमेल								

(कई गांवों के लोगों ने संकोचवश तथा कतिपय कारणों से मृत पशुओं की संख्या नहीं बताई है।)

इस क्षेत्र में वर्षा की कमी होने पर चारे का संकट पैदा हो जाता है और लोगों के लिए अपने खेत में मोठ, बाजरी पैदा न होने पर खाद्यान्न जुटाना ही मुश्किल हो जाता है । ऐसे लोग महंगे भाव पर चारा खरीदकर अपने पशुओं को खिला सकें, यह सम्भव नहीं हो सकता । एक तो वैसे ही यहां पशुओं को घर पर चारा खिलाने की परंपरा कम है और केवल दूध देने वाले पशुओं को मामूली चारा-दाना दिया जाता है अथवा दूध बिक्री का नकद पैसा मिलने की सुविधा होने पर पैसा कमाने की दृष्टि से दूध देने वाले पशुओं के लिए आहार की व्यवस्था करना भी सार्थक दिखाई दे सकता है, वहां खरीद करके चारा खिलाना और अनुत्पादक पशुओं को जीवित रखना उनकी समझ से बाहर की बात है । अनेक परिवार तो अपने पशुओं को मरने के लिए भगवान भरोसे छोड़ देते हैं । जिन लोगों में पशुओं के लिए अधिक ममता होती है वे अपने पशुओं को लेकर पड़ौस के ऐसे स्थलों में चले जाते हैं जहां मुफ्त का चारा-पानी उपलब्ध हो सके ।

दाना केवल दूध देने वाले पशुओं को दिया जाता है लेकिन उसकी मात्रा एकाध किलो से ज्यादा नहीं होती । खल एव काकड़ा खिलाने की प्रवृत्ति कम है रियायती दर पर कारखानों में बना पशु आहार मिल जाय तो भले ही खिला दें । हां, पशु ब्याने पर अपनी हैसियत एवं पशु की दूध उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखकर कुछ दाना, गुड़, तेल आदि अवश्य खिलाया जाता है ।

पेय जल का इस क्षेत्र में सदैव संकट रहता है । जब मनुष्यों के लिए ही उपयुक्त पेय जल उपलब्ध न हो और पेय जल के लिए प्रतिकूल भौगोलिक वातावरण में मीलों चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ता हो, वहां पशुओं के पेयजल की कैसी स्थिति होगी, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है ।

पशु रोग

सर्वेक्षित क्षेत्र में गोधन के मुख्य रोग हैं—गले एवं छाती में सूजन, गलघोंटू, पैर और मुंह की बीमारियां, विटामिन की कमी, न्यूनता रोग, स्तन विकार, पशुप्लेग, पशु माता, जहरवाद, लंगड़ी आदि ।

ऊंट भी इस क्षेत्र का मुख्य पशुधन है—ये न केवल कृषि के लिए सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करते हैं बल्कि सवारी एवं माल ढोने में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है । ऊंटों का महत्व पशुधन से होने वाली आय में आंका जा सकता है । ऊंट रोगों में कालिया एवं तिबूरसा मुख्य हैं ।

भैंस इस क्षेत्र में अधिक नहीं है फिर भी दूध उत्पादन की दृष्टि से भैंस पालन के लिए बढ़ती जा रही अभिरुचि के कारण भैंसों की संख्या उत्तरोत्तर

बढ़ती हो रही है। भैंसों को होने वाले रोगों में मंजा (चर्म रोग) और चीरी (फैफड़ों में सूजन) मुख्य हैं।

भेड़–बकरियां गलटिया, बुरकिया एवं फेफड़ियां आदि रोगों की अधिक शिकार बनती हैं।

उक्त रोगों की रोकथाम की दृष्टि से जो सरकारी प्रयास चल रहे हैं, उनके बारे में न तो सर्वेक्षित परिवारों को कोई अधिक जानकारी है और न उन प्रयासों का विशेष लाभ ही ले पाये हैं।

तालिका सं. 10.11

पशु चिकित्सा व्यवस्था के उपयोग की स्थिति

(परिवार सं./प्रतिशत)

गांव का नाम	कोई इलाज नहीं कराते	केवल घरेलू इलाज	केवल पशु चिकित्सक द्वारा इलाज	देशी एवं पशु चिकित्सक द्वारा इलाज
1	2	3	4	5
देवा	2(13.33)	2(13.33)	7(46.67)	4(26.67)
चांवरण	3(13.04)	4(17.39)	5(21.74)	11(47.83)
खड़ीण	—	6(22.22)	1(3.70)	20(74.07)
गगाला	1(3.85)	6(23.08)	5(19 23)	14(53.84)
छत्रगढ	4(7.02)	11(19.30)	23(38.60)	20(35.08)
मोतीगढ़	1(5 .88)	—	7(41.18)	9(52.94)
फालना	1(2.44)	41(97.56)	—	—
खीमेल	—	—	—	9(100.00)

नोट :— इस क्षेत्र में पैदा होने वाले प्रमुख चारे निम्न हैं–बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में सेवण घास जो गोवन के स्वास्थ्य, पौष्टिकता एवं दूध उत्पादकता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होती है। इसके अलावा भूरी, बारू, धामन, लेनपानी, बाजरे की कड़बी और चूरी, फालगनी, मोठ का चारा, गवार एवं ज्वार की फलसी, रिजका एवं नेपीयर (सभी सर्वेक्षित क्षेत्रों में नहीं) चांदी जुवार, मेथा एवं चरी मेथी, छेकी, करार, गुंजली, सुरवाला तथा सेरम।

पशु रोगों के इलाज की स्थिति का ज्ञान हमें तालिका स. 10.12 से हो सकता है ।

तालिका सं. 10.12

पशु चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने की स्थिति

गांव का नाम	देशी इलाज	डाक्टरी इलाज	इलाज नहीं	दोनों इलाज
1	2	3	4	5
देवा	2(13.33)	7(46.67)	2(13.33)	4(26.67)
चांवण	4(17.39)	5(21.74)	3(13.04)	11(47.83)
खड़ीण	6(22.22)	1(3.70)	—	20(74.08)
गंगाला	6(23.08)	5(19 23)	1(3.05)	14(53.85)
छत्रगढ़	11(19.30)	13(22.81)	13(22.81)	20(35.09)
मोतीगढ़	—	7(41.18)	1(5.88)	9(52.94)
फालना	41(97.62)	—	1(2.38)	—
खीमेल	9(100.00)	—	—	—
योग	79(36.57)	38(17.59)	21(9.72)	78(36.11)

इस तालिका से पता चलता है कि देवा के 13.53 प्रतिशत और चांवण ने 13.04 प्रतिशत परिवार अपने रोगी पशुओं का कोई भी इलाज नहीं कराते– वे इस मामले में भगवान भरोसे रहते हैं । फालना के 97 62 प्रतिशत परिवार केवल घरेलू इलाज करा पाते हैं जबकि गंगाला के 23.08 प्रतिशत और खड़ीन के 22.22 प्रतिशत ।

देवा के 45.67 और मोतीगढ़ के 9 41.18 प्रतिशत सर्वेक्षित परिवारों ने बताया है कि वे केवल पशु चिकित्सक से ही अपने पशुओं का इलाज कराना पसन्द करते हैं । खीमेल के सभी परिवारों ने बताया है कि वे अपने रोगी पशुओं का देशी इलाज करते हैं लेकिन सुविधा होने पर और व्यवस्था बैठने पर वे अपने पशुओं को पशु चिकित्सालयों में भी ले जाते हैं ।

पशु चिकित्सा सुविधाओं का लाभ

सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई पशु चिकित्सा सुविधाओं का लाभ सर्वे–

क्षित परिवारों ने किस सीमा तक उठाया है, इसकी जानकारी भी उक्त तालिका सं 10.12 से मिलती है।

यह तालिका संकेत देती है कि 9.72 प्रतिशत पशुपालक अपने पशुओं के इलाज के प्रति लापरवाह हैं और वे कोई इलाज नहीं कराते। केवल मात्र 17.59 प्रतिशत परिवारों ने यह बताया है कि वे अपने रोगी पशुओं के इलाज के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध पशु चिकित्सा सेवाओं का उपयोग करते हैं। 36.57 प्रतिशत पशुपालक देशी इलाज कराते हैं। इससे यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि या तो उन्हें चिकित्सा सुविधायें सुलभ नहीं है अथवा चिकित्सा सेवाओं में लगे लोगों का उनके प्रति जो व्यवहार रहता है, उसमें कोई कमी है अथवा उन्हें चिकित्सालय में पूरी दवा नहीं मिलती या महंगे भाव पर दवा खरीदकर पशुओं को दे पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता।

36.11 प्रतिशत परिवार दोनों प्रकार की पशु चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेते पाये गये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. श्री आर. एम. आचार्य एवं मनोहरसिंह केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन प्रयोग केन्द्र अविक नगर, जयपुर, प्रोसीडंग आफ नेशनल कांफ्रेंस आन क्रासवीडिंग, पृष्ठ 78–79, 1978।
2. श्री पी. के. दास, वैज्ञानिक, भा. कृ. ज प., क्रास ब्रीड इन उड़ीसा, प्रोसीडिंग आफ नेशनल कांफ्रेंस आन. क्रास वीडिंग, पृष्ठ 273
3. नेशनल डेयरी डे. बोर्ड, आनन्द, 1978।
4. श्री सिद्धराज ढड्ढा, गौवंश की महिमा, इतवारी पत्रिका, 23 नवंबर, 1986, जयपुर।
5. देखें, इतवारी पत्रिका, 2 फरवरी, 86 अंक में श्री वीरसिंह का लेख।
6. इनफारमेशन सेंटर फार लो एक्सटरनल इनफुट एग्रीकल्चर, नीदरलैण्ड, नवम्बर, 1986।
7. देखें–उपरोक्त
   (क) ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट
   (ख) नेचुरल कृषि प्रोटेक्शन।

सार, बाधायें तथा नीतिगत टिप्पणी

अध्ययन में प्राप्त तथ्यों के संदर्भ में पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन एवं पशु विकास योजनाओं की अनेक बाधायें हैं जिन्हें दूर करने का प्रयास किया

सर्वेक्षित गांव

गांव का नाम	सकल आय में पशुधन से प्राप्त आय का अंश	जिले	सकल आय में अंश
1	2	3	4
मोतीगढ़	97.27	1–बीकानेर	58.39
गंगाला	80.93	2–बाड़मेर	55.99
चांघण	63.42	3–पाली	52.93
फालना	57.34	4–जैसलमेर	49.84
छत्रगढ़	44.52		
खीमेल	43.88		
देवा	17.74		
खडीण	15.44		
योग	55.60		

जाना चाहिये। इन बाधाओं को दूर करके ही पशु विकास नीति को आगे बढ़ाया जा सकता है। अध्ययन के सार को संक्षेप में इस रूप में प्रस्तुत किया जा

सकता है। पशुधन से प्राप्त आय का सकल आय में अंश 55.60 प्रतिशत है। सर्वेक्षित आठ गांवों में एवं चारों जिलों में पशुधन से प्राप्त आय का अंश निम्न प्रकार रहा है।

सामान्यतः उक्त तथ्य दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र के बहु संख्यक परिवारों की सकल आय में पशुधन से प्राप्त आय का अंश अन्य स्रोतों से होने वाली आय की तुलना में अधिक है। इस क्षेत्र में वर्षा नियमित रूप से बराबर होती रहे और वर्षा के अभाव में अकाल की परिस्थितियां पैदा होना कम हो जाय तो इस स्थिति में कुछ अंतर आ सकता है। फिर भी कृषि की अपेक्षा पशुधन से होने वाली आय का अंश अधिक ही रहेगा, क्योंकि अभी तो सकल आय में कृषि का अंश मात्र 1·8 79 प्रतिशत है। केवल छत्रगढ़ में यह अंश 38.41 प्रतिशत है। यहां राजस्थान नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। लेकिन इस गांव में भी पशुधन से प्राप्त आय का अंश कृषि से प्राप्त आय से अधिक है।

(2) क–इस क्षेत्र में उपलब्ध गोधन की नस्लें पहले से ही दूध उत्पादन की दृष्टि से उन्नत किस्म की रही हैं। पशुपालन योजनाओं के अन्तर्गत नस्ल सुधार के लिये किये गये कार्यक्रमों का असर इस क्षेत्र में नहीं के बराबर हुआ है। स्थानीय नस्ल के सांड़ों के रखरखाव एवं पोषण की दृष्टि से सरकार द्वारा उठाये गये कदम अपर्याप्त रहे हैं। उनके रक्षण एवं पोषण की समुचित व्यवस्था होने पर एवं अच्छी नस्ल के सांड़ों की संख्या बढ़ाने पर गोधन की नस्ल में सुधार हो सकता है। भेड़ों का नस्ल सुधार कार्यक्रम भी धीमी गति से चला है। उनकी संख्या में पूर्वापेक्षा कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है।

(ख) लगातार पड़ रहे अकाल के कारण पशुओं के स्वास्थ्य में गिरावट आई है— फलस्वरूप उनकी गुणवता घटी है। पशुपालकों को सस्ते मूल्य पर चारादाना उपलब्ध कराने की योजनायें अपर्याप्त रही हैं। फलस्वरप पशु अकाल के शिकार हुये हैं। पशुपालक उनकी जीवन रक्षा के लिये उन्हें साथ लेकर पानी एवं चारे की तलाश में प्रदेश के बाहर जाने को विवश रहते हैं जिसका पशुधन के स्वास्थ्य एव संख्या पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है।

(ग) पशु रोगों की चिकित्सा के लिये खड़ी की गई चिकित्सा व्यवस्था भी अपर्याप्त है। पशु चिकित्सालयों में आवश्यक दवायें नहीं मिलती। टीके लगाने के लिये चिकित्सालय के कर्मचारियों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है जो अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर ही पशुपालक को उपलब्ध सुविधायें देने के अभ्यस्त हैं। पशु चिकित्सालयों की संख्या कम है - अनेक पशुपालकों को अपने बीमार पशु लेकर चिकित्सालय तक पहुंचने के लिये 15–20 किलोमीटर से

भी अधिक चलना पड़ता है। समय पर टीके न लगाने एवं पानी तथा चारे की कमी के कारण बीमारी का प्रतिरोध करने की पशुओं की शक्ति घटी है।

(3) विभिन्न पशु विकास कार्यक्रमों के बारे में पशुपालकों को जानकारी अपर्याप्त है। उदाहरण के लिये पशु चिकित्सालयों एवं अन्य पशु चिकित्सा सुविधाओं के बारे में 68.06 प्रतिशत परिवारों को ही जानकारी थी। पशु-नस्ल सुधार के बारे में तो पशुपालकों का ज्ञान अत्यंत अल्प था। केवल 2.31 प्रतिशत उत्तरदाता पशु नस्ल सुधार के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते थे। इस क्षेत्र में भेड़ों की संख्या बहुत अधिक है लेकिन सरकार द्वारा चलाये जा रहे भेड़, ऊन प्रसार कार्यक्रम की जानकारी मात्र 18.06 प्रतिशत लोगों को थी। इसी प्रकार इस क्षेत्र में, जो दूध उत्पादन के लिये देश में विख्यात है और जहां से काफी अधिक मात्रा में दूध एवं दूध उत्पादन बाहर भेजे जाते हैं, दूध डेयरी की जानकारी मात्र 25.46 प्रतिशत उत्तरदाताओं को थी। इससे यह दिशा संकेत मिलता है कि पशुपालन विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लगे लोगों को अधिक चुस्ती एवं दायित्व के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना होगा, न केवल पशुपालकों का तद्विषयक ज्ञान बढ़ाना होगा, बल्कि इन कार्यक्रमों का लाभ वे अधिक संख्या में एवं अधिक गहराई से उठा सकें, इसके लिये भी प्रयत्नशील रहना होगा। यह तभी संभव है जब वे अपने व्यवहार में परिवर्तन लायें और गरीब की सेवा को पूजा एवं कर्तव्य समझें।

(4) पशुपालन कृषि में सहायक है इस तथ्य की पुष्टि, इस क्षेत्र, जहां कृषि अत्यंत अनिश्चित एवं वर्षा की कमी तथा सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण अक्सर घाटे का सौदा रहती है, के पशुपालकों ने भी की है। 91.67 प्रतिशत परिवारों की यह धारणा है जबकि मात्र 7.41 प्रतिशत अन्यथा राय रखते हैं। यदि इस क्षेत्र में कृषि की अनुकूलता रहे तो पशुपालन में अधिक सहूलियत हो सकती है, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ाने पर चारे की उपलब्धि बढ़ेगी जो पशुपालन की सुविधा बढ़ायेगी। इसी प्रकार यदि इस क्षेत्र में सिंचित कृषि के लिये सुविधा बनी तो लोगों में गोबर एवं मींगनी, जो कीमती खाद का काम दे सकता है, संग्रह करने की रुचि बढ़ेगी जिससे पशु पालकों की आय बढ़ेगी और साथ ही कृषि पैदावार में बढ़ोतरी का मार्ग प्रशस्त होगा।

(5) इस क्षेत्र में पशुपालन व्यवसाय के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां निम्न प्रकार पाई गई हैं :—

(क) वर्षा की अनिश्चितता तथा कमी जिससे पशुओं के लिये पेयजल एवं चारे का संकट प्रायः हमेशा ही बना रहता है।

(ख) शिक्षा की कमी जिसके कारण पशुपालकों को सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न पशुपालन विकास कार्यक्रमों की पूरी जानकारी नहीं हो पाती।

(ग) पशु चिकित्सा सुविधाओं की अपर्याप्तता एवं सुविधाओं का अपेक्षित लाभ न मिल पाना।

(घ) अच्छे सांडों की कमी एव पोषण तथा रख रखाव की समुचित व्यवस्था के अभाव के कारण उपलब्ध सांडों की गुणवता में उतरोतर ह्रास।

(ङ) अकाल के दिनों में पशुधन के लिये रियायती दरों पर चारेदाने की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं हो पाना एवं चारा दाना खरीद के लिये विना व्याज का कर्जा मिलने की सुविधा का अभाव।

पशु उत्पाद की विक्री की सुचारु व्यवस्था, दुग्ध डेयरियों की संख्या एवं कार्य क्षमता वढ़ाकर इस कठिनाई का मुकावला किया जा सकता है।

(6) कृषि में वढ़ रहे यंत्रीकरण का प्रभाव इस क्षेत्र की पशु सम्पदा पर भी पड़ा है। 96.30 प्रतिशत मतदाता इस राय के हैं जवकि मात्र 3 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं की इस सन्दर्भ में भिन्न राय रही है। उनका दृष्टिकोण था कि यंत्रीकरण के कारण जमीन की पैदावर वढ़ी है और चारे दाने का उत्पादन भी वढ़ा है, जिससे अधिक संख्या में पशुओं को रख पाना सम्भव हुआ है। पूर्वापेक्षी पशुधन तो वढ़ा है लेकिन वहुसंख्यक राय को देखते हुये उक्त उत्तर को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता।

(7) गरीवी उन्मूलन के लिये चलाई जा रही योजनाओं में पशुधनजन्य रोजगारों का महत्वपूर्ण स्थान है। गरीवों की आय वढ़ाने की दृष्टि से वैलों, गायों, भैंस, भेड़, वकरियों, ऊंट. वैलगाड़ी आदि की खरीद के लिए ऋण व सहायता दी जाती है। इसी सन्दर्भ में यह जानकारी महत्वपूर्ण हो जाती है कि पशुपालन अपने आप में एक स्वतन्त्र व्यवसाय का स्वरूप ग्रहण कर सकता है या नहीं? शहरी क्षेत्रों में हमें ऐसे अनेक परिवार मिल जायेंगे जो पूर्ण आजीविका के लिये पशुपालन पर आश्रित हैं। इस क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में रहने वाले 44.44 प्रतिशत परिवारों ने यह धारणा व्यक्त की है कि पशुपालन स्वतंत्र व्यवसाय हो सकता है यदि समय पर अपेक्षित मात्रा में वर्षा होती रहे एवं चारे दाने के साथ–साथ पशुओं के लिये पेयजल की उपलव्धि वढ़ जाय, लेकिन वहुसंख्यक (55.09 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की राय में इस अंचल में पशुपालन

स्वतन्त्र नहीं हो सकता। क्योंकि इस क्षेत्र में प्राकृतिक संकट की स्थिति सर्दैव बनी ही रहती है। कृषि एवं अन्य व्यवसायों का महत्व नहीं नकारा जा सकता। उदाहरण के लिये वर्तमान में नौकरी, मजदूरी एव अन्य व्यवसायों के बिना इस क्षेत्र के अनेक परिवार जीवन यापन नहीं कर सकते।

(8) पशु उत्पादों के उपभोग की दृष्टि से यह क्षेत्र देश के अन्य भागों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। इस क्षेत्र का प्रमुख उत्पाद दूध एवं ऊन है। दूध के कुल उत्पादन का 48.47 प्रतिशत अंश पशु पालकों के घरेलू उपयोग में आता है कुल उत्पादन का 24.57 प्रतिशत दूध के रूप में और 23.90 प्रतिशत घी के रूप में। बकरों तथा मेमनों एवं लल्डों का (नर भेड़) का मांस के लिये उपयोग होता है लेकिन इसके उपयोग के बारे में सही जानकारी देने में उत्तर-दाता हिचक महसूस करते पाये गये। तीसरा मुख्य पशु उत्पाद ऊन है। वे ऊन का अधिकांश हिस्सा बेच देते हैं। और बहुत थोड़ा अंश काटकर उपयोग में लेते हैं। ऊन बिक्री की सुविधा के विस्तार के साथ ऊन के उपभोग में कमी आई है—और अब ऊन कताई करके उसे बुनाने की जगह खादी संस्था से कमीशन के दिनों में ऊनी वस्त्र एवं कंबल आदि खरीदने का रिवाज बढ़ा है।

चौथा मुख्य पशु उत्पादन गोबर है। 40.74 प्रतिशत परिवार गोबर का खाद के रुप में उपयोग करते पाये गये और 76.39 प्रतिशत ईंधन के रूप में। केवल 1.11 प्रतिशत गोबर का कोई भी उपयोग नहीं करते।

ऊंटों का खेती एवं माल तथा सवारी ढोने में उपयोग किया जाता पाया गया। इनकी उपयोगिता की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि ऊंट सम्पदा का प्रति परिवार औसत 1 रहा है। ऊंट बैलगाड़ी किराये से हुई आय का परिवार की सकल आय में 5 प्रतिशत से अधिक अंश है।

प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुये पशु विकास (खास कर पश्चिमी राजस्थान) के सम्बन्ध में संक्षेप में निम्नलिखित सुझाव तथा दिशा निर्देश दिये जा सकते हैं :—

नीतिगत टिप्पणी :

सर्वेक्षण में प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार ने पशु विकास की जो नीति निर्धारित की है, वह अभी तक समग्र रूप में क्रिया-न्वित नहीं की जा रही है। सरकार ने संयुक्त कृषि, स्थानीय नस्ल प्रोत्साहन, पशु स्वास्थ्य, पशु आहार आदि कार्यक्रमों से सम्बन्धित नीति एवं लक्ष्य निर्धारित तो किये हैं। लेकिन व्यवहार में ये कार्यक्रम छिट–पुट एवं एकाकी रूप में चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों का प्रभाव भी सीमित होता पाया गया। पशु सेवा केन्द्र

मुख्यतः पशु रोग उपचार केन्द्र के रूप में ही चल रहे हैं। अभी ऐसी व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई है जिससे कृषि एवं पशुपालन की संयुक्त तथा समग्र योजना कार्यक्रम चल सके। इसका एक कारण विभिन्न विभागों में एक रूपता एवं समन्वय की कमी भी हो सकती है। हमारा सुझाव है कि कृषि एवं पशु-पालन को एक दूसरे का पूरक मानकर उसका संयुक्त रूप में विकास करने की योजना बनाई जाय। आज व्यवहार में पशु विकास एक अलग थलग कार्यक्रम है। बल्कि पशु में भी दुधारु पशु तथा भेड़, ऊन, सुअर पालन आदि के विकास के अलग-अलग कार्यक्रम हैं और ये एक प्रकार से एकाकी रूप में चल रहे हैं। आवश्यकता उनको समन्वित कार्यक्रम के रूप में चलाने की है। इसके लिये पंचायत समिति स्तर पर समन्वित कार्यक्रम बनाये जायें तथा कृषि एवं सभी प्रकार के पशु विकास को दृष्टिगत रखते हुये कार्यक्रम निर्धारित किये जाय। इसमें स्थानीय नस्ल सुधार, भौगोलिक अनुकूलता और कृषि विकास की संभावना आदि पक्षों को भी ध्यान में रखा जाय।

(2) इसी क्रम में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (आइ.आर.डी.पी.) को पशु विकास कार्यक्रम में शामिल करने का प्रश्न भी आता है। मुख्यतः इस प्रकार के परिवारों को एक दो गाय या भैंस, भेड़-बकरी इकाई आदि दी जाती है। लेकिन देखा यह जाता है कि इससे परिवार गरीब मुक्ति की ओर नहीं बढ़ पाता। उसमें होने वाली नैतिक गड़बड़ियों को छोड़ भी दें तो भी कई प्रकार की बाधायें सामने आती हैं। यथा यह पाया गया है कि मात्र पशुधन दे देना ही पर्याप्त नहीं है। उसे आर्थिक इकाई जमाने की अनुकूलता पैदा करना भी आवश्यक है। अतः पशु उत्पाद की बिक्री एव चिकित्सा आदि की सुविधा बढ़ाया जाना आवश्यक है जो कि अभी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। हमारा सुझाव है कि गरीबी रेखा से नीचे के (आइ. आर. डी. पी.) परिवारों को आर्थिक तौर पर सक्षम पशु इकाई दी जाय ताकि उसे अधिक मजबूत आर्थिक आधार मिल सके। इसके लिये प्रखंड स्तर पर संसाधन एवं सुविधा (बाजार, चारा, दाना, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि) उपलब्ध कराई जाय। उदाहरण के लिये यदि गाय भैंस दी गई है तो उसके दूध की बिक्री एवं चारा उपलब्धि आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाय। यह व्यवस्था पचायत समिति या इस कार्य के लिए बनायी गयी लाभान्वितों की सहकारी समिति/संस्था द्वारा की जा सकती है।

(3) पशु विकास कार्यक्रम को संयुक्त कृषि के रूप में देखना उचित होगा। सयुक्त कृषि के विचार को कृषि आयोग ने भी मान्य किया है। राजस्थान में इस दिशा में अभी तक खास प्रयास नहीं किया गया। पश्चिमी राजस्थान तो

इस दृष्टि से बिल्कुल अछूता है । इस क्षेत्र में यह प्रयास इस कारण भी शक्ति प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि पानी के अभाव में यहां कृषि विकास रुक गया है । अतः इस कार्यक्रम को नहर परियोजना के साथ जोड़ना उचित होगा । जहां नहर का पानी नहीं गया, वहां लिफ्ट सिंचाई द्वारा पानी पहुंचाने की योजना को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये । यह इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि हाल के वर्षों में वर्षा की मात्रा उत्तरोत्तर कम होती जा रही है । अकाल के वर्ष बढ़ रहे हैं । पहले तीन वर्षों के अन्तराल में एक बार अच्छी वर्षा हो जाती थी पर अब कई वर्षों तक लगातार वर्षा नहीं होती । पेड़ एवं प्राकृतिक घास की झाड़ियां कम हो रही हैं । प्राकृतिक चारागाह सूख रहे हैं । उससे पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ रहा है ।

पशु तभी जिन्दा रह सकता है जबकि कृषि जिंदा रहे । इस संदर्भ में आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त संयुक्त कृषि प्रणाली का प्रयोग किया जाना उपयोगी होगा । इस प्रयोग में कृषि भूमि, पशु संख्या, कृषि पद्धति आदि पक्षों पर भी विचार करना चाहिये । इसी क्रम में कृषि में यंत्रों का प्रयोग, पशु शक्ति का उपयोग, प्राकृतिक खाद आदि मुद्दे भी शामिल करना आवश्यक है । इस प्रयोग से पश्चिमी राजस्थान में कृषि-पशुपालन की उपयुक्त इकाई निर्धारित की जा सकती है । प्रयोग नहरी तथा गैर नहरी दोनों ही प्रकार के क्षेत्र में किया जाय । इस प्रयोग में जागरूक किसानों को शामिल करना उचित होगा । यह कार्य कृषि विश्वविद्यालय तथा जागरूक किसानों द्वारा मिलकर अथवा अलग-अलग भी किये जा सकते हैं ।

कृषि में कम्पोस्ट खाद के प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया जाना जरूरी है । रासायनिक खाद से परिणामों तथा उसके आर्थिक एवं व्यावसायिक पक्ष को देखते हुये कम्पोस्ट खाद को प्रोत्साहित करना लाभकारी होगा । सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के अधिकांश भाग में गोबर का खाद के रूप में उपयोग प्रायः नहीं के बराबर होता है । संयुक्त कृषि प्रयोग में कम्पोस्ट प्राकृतिक खाद को अनिवार्य अंग माना जाना चाहिये ।

(4) पशु उत्पाद में स्थानीय उपभोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आहार में दूध का प्रमुख स्थान है । दुग्ध व्यवसाय के विकास ने दुग्ध, उत्पाद का स्थानीय उपयोग घटाया है । इसका दीर्घकालीन प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ना स्वाभाविक है । रेगिस्तानी क्षेत्र की परिस्थिति को देखते हुये दुग्ध, उपभोग में कमी नहीं आये, यह दृष्टि रहनी चाहिये । ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे उपभोग के बाद बचा दुग्ध उत्पाद ही बाजार में बेचा जाय ।

(5) उक्त बातों को ध्यान में रखते हुये संगठित बाजार की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। दूध के साथ साथ ऊन, पशु बिक्री आदि के बाजार को भी सही दिशा में दी जायें। आज ऊन एवं पशु बिक्री में बिचोलिया की भूमिका प्रमुख है जिसे सीमित किया जाना चाहिये। इसके लिये पशु पालन विभाग, दुग्ध उत्पादक फैडरेशन, ऊन विपणन निगम आदि द्वारा मिलकर संगठित प्रयास करना उचित होगा।

(6) पशु आहार तथा पशु स्वास्थ्य की पर्याप्त सुविधा का अभाव पशु विकास की प्रमुख बाधा है। तात्कालिक दृष्टि से चारा आपूर्ति का कार्य व्यापक स्तर पर किया जाना उपयोगी रहेगा। लेकिन दीर्घकालीन नीति के रूप में अधिक मात्रा में चारा उत्पादन ही चारा समस्या का सही समाधान है। इस दृष्टि में पशुपालन विभाग हरा चारा उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम चला रहा है। यह उपयोगी कार्यक्रम है। इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिये। सर्वेक्षण के दौरान छत्रगढ़ में इस योजना को क्रियान्वित किया जाता देखा गया। नहरी क्षेत्र में इसे तेजी से प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

इसी के साथ स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी शिक्षण भी जरूरी है। तात्कालिक चिकित्सा से अधिक जोर रोग निरोधात्मक कार्यक्रम पर दिया जाय, ताकि रोग पैदा ही न हो। यह कार्य उचित आहार तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी एवं सतर्कता से संभव है। परंपरागत उपचार की वैज्ञानिक ढ़ग से जानकारी करके उसे अपनाने का प्रयास करना लाभप्रद होगा।

(7) पशु आहार का प्रश्न पर्यावरण संतुलन के साथ जोड़ा जाना चाहिये। पशु आहार की दृष्टि से दो प्रकार के परंपरागत स्रोत माने जा सकते हैं—प्राकृतिक रूप से उगा घास, झाड़ी और हरे वृक्ष। हाल के वर्षों में अकाल के कारण घास एवं वृक्ष दोनों में तेजी से ह्रास हुआ है। चारा विस्तार नीति में घास एवं वृक्ष दोनों के विकास को शामिल किया जाना चाहिये। उन्नत घास का उत्पादन सिंचित भूमि में ही संभव है लेकिन, वृक्षारोपण असिंचित क्षेत्र में भी संभव है। इस दृष्टि से कम पानी में उगने–बढ़ने वाले वृक्ष लगाने की योजना बनाई जाय। सुबबूल तथा आड़ू के पेड़ इसके अनुकूल हो सकते हैं। यह कार्य जोधपुर स्थित मरु क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रयोग केन्द्र के सहयोग से हाथ में लिया जा सकता है। इससे चारा उपलब्धि के साथ–साथ पर्यावरण सुधार एवं संतुलन को भी गति मिलेगी।

(8) पश्चिमी राजस्थान में उपलब्ध पशु नस्ल देश की अच्छी नस्लों में गिनी जाती है। यहां की दुधारू गायें पर्याप्त दूध देती है। राठी, थारपारकर,

कांकरेग, नागौरी, गिर आदि गौ नस्लों की अपनी-अपनी विशेषतायें हैं। सर्वेक्षण में यह साफ तौर पर देखने में आया कि ये नस्लें धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही हैं। इनका ह्रास हो रहा है। यह पाया गया कि आहार एवं पानी की कमी के कारण यहां की गायों का स्वास्थ्य गिर रहा है। प्रति गाय दूध उत्पादन घट रहा है। बैलों की कार्य क्षमता में कमी आई है। लगातार अकाल के कारण गाय एवं बैलों की अगली पीढ़ी भी कमजोर तथा कम उत्पादक होने की आशंका है। अगली पीढ़ी की गाय का दैनिक दूध उत्पादन न घटे, इस दृष्टि से स्थानीय पशु नस्ल की रक्षा की अनिवार्य आवश्यकता बढ़ गई है। यहां यह भी स्मरण रखना चाहिये कि यहां की परिस्थिति एवं पर्यावरण के सन्दर्भ में संकर एवं विदेशी नस्ल का विकास संभव नहीं है। पिछले 35-40 वर्षों के प्रयास के बावजूद संकर एवं विदेशी नस्लें उस क्षेत्र के पशुपालकों द्वारा पूरे उत्साह से नहीं अपनाई जा सकी हैं। इसलिये यहां तो स्थानीय नस्ल को अधिक सक्षम एवं उत्पादक बनाना उचित होगा। इस दृष्टि से (1) आहार (2) पानी (3) स्वास्थ्य रक्षा एवं चिकित्सा सुविधा और (4) अच्छे सांड की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। स्थानीय नस्ल को प्रोत्साहन देना संयुक्त कृषि के लिए जरूरी है। संतुलित कृषि एवं पशुपालन स्थानीय नस्ल के द्वारा लाभकर बनाया जा सकता है। इस क्षेत्र की परिस्थिति को देखते हुये संकर तथा विदेशी गोवंश को प्रोत्साहित करना उचित नहीं होगा। यहां भी भौगोलिक स्थिति पर्यावरण, मौसम, आहार एवं पानी की स्थिति, पशुपालकों की आर्थिक स्थिति आदि ऐसे कारण हैं जिससे संकर, विदेशी नस्लें अनुकूल नहीं हो रही हैं।

(9) पशु विकास नीति में स्थानीय नस्ल के पशुधन को अधिक सक्षम बनाने की नीति की सिफारिश करने के कई कारण हैं। इस सर्वेक्षण के बाद तथा अन्य अध्ययनों से भी यह स्पष्ट हो चुका है कि यहां की परिस्थिति में सामान्य किसान तथा पशुपालकों के लिए संकर या विदेशी नस्ल के दुधारू पशु उपयोगी नहीं हैं। यही कारण है कि पिछले 40 वर्षों के योजनागत प्रयास के बावजूद सामान्य किसान पशु पालक संकर विदेशी नस्ल के पशु को नहीं स्वीकार कर पाया है। कृषि में यंत्रीकरण के बावजूद आज भी कृषि कार्य में पशु शक्ति का सर्वाधिक स्थान है। एक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि कार्य में जितनी शक्ति लगती है उनमें 66 प्रतिशत अंश पशु शक्ति का, 23 प्रतिशत मानव शक्ति का और मात्र 11 प्रतिशत यंत्र शक्ति का है। स्पष्ट है यहां ऐसी पशु नीति ही उपयोगी होगी जिसमें पशु कृषि में सहायक रहें। यह बात सर्वविदित कि संकर एवं विदेशी नस्ल की उपयोगिता मात्र दूध के लिए ही होती है। कृषि में इन पशुओं का योगदान काफी कम है। यहां यह भी स्मरण रखना चाहिये कि अपने देश में

पशुनीति को दूध उत्पादन नीति के रूप में बढ़ाया गया है। शहरी आबादी के लिए दूध की आपूर्ति कैसे की जाय, अब तक यही मुख्य लक्ष्य रहा है। इसमें कृषि, किसान, तथा सामान्य पशुपालक की आवश्यकता एवं क्षमता को नजरंदाज किया गया। संकर एवं विदेशी नस्ल यहां के पशुपालकों की क्षमता के भी अनुकूल नहीं हैं। इस प्रकार के पशु को दाना, अनाज, खली तथा हराचार चाहिये तभी दूध उत्पादन क्षमता कायम रहती है जो कि इस क्षेत्र के साधनहीन पशुपालक के लिए संभव नहीं है। फिर इसके साथ बीमारी का इलाज, अस्पताल, दवाइयां, वीर्यबैंक, डाक्टर का चक्र है–जिसका आर्थिक बोझ उठाना उसके लिये असंभव सा रहता है। इसी के साथ नस्लों की सुरक्षा का प्रश्न भी है। विश्व में सबसे अधिक प्रकार की दुधारू पशु नस्लें भारत में हैं–यहां गाय की 26 तथा भैंस की 7 उत्तम नस्लें हैं। आवश्यकता उन्हें अधिक सक्षम एवं मजबूत बनाने तथा उनकी रक्षा की है। इन नस्लों का विकास यहां की धरती तथा प्रकृति के साथ एकरस होकर हुआ है।

References

1. Desertification and its control; ICAR, New-Delhi; 1977

2. Central Arid Zone Research Institute 1965; Socio-Economic survey of livestock breeders in Anupgarh Pugal region of western Rajasthan; Human Factor Studies Division, Report No. 65/2; CAZRI, Jodhpur.

3. R. B. Das and others, Grazing capacity studies in grass lands of western Rajasthan, An. Arid Zone 2 (4) CAZRI, Jodhpur.

4. H. S. Mann; Range Management research in Arid Zone of India; Paper presented at the annual meeting; Society of Range Management, U.S.A. February 1-13, 1975.

5. Planning Commission 1973 Integrated agricultural development in drought-prone area; Report of task force on integrated Rural Development; Planning Commission; Govt. of India: May 1955.

6. R. M. Acharya; Role of sheep in the desert ecosystem and drought proofing through improved sheep production with special ref. to Rajasthan; Mimeograph: Central Sheep and Wool Research Institute; Malpura, Rajasthan.

7. Report of the National Commission on Agriculture 1976, Vol. VII-Animal husbandry. Govt. of India, Ministry of Agri. and Irrigation.

8. Report of the Royal Commission of Agriculture in India; London; 1928.

9. Statistical Abstract-Rajasthan 1979, Govt. of Rajasthan; Jaipur.

10. Jodh N. S. and Vyas V.S.; Conditions of Stability and Growth in Arid Agriculture; AERC, Vallabh Vidya Nagar; 1969.

11. Report on Sheep and Wool 1983; Govt. of Rajasthan 1984.

12. Progress Report; Sheep and Wool; 1985-86 Govt. of Rajasthan.

13. The Approach to the Seventh Five Year Plan 1985-90, Planning Commission.

14. Atlas on live stock and live stock products 1945; Govt. of India, 1950.

15. District Census Hand book 1981. Jaisalmer, Bikaner, Barmer, Pali.

16. Sixth Five Year Plan 1980-85; Planning Commission: Govt. of India.

17. Sixth Five Year Plan-Rajasthan 1980-85, Govt. of Rajasthan.

18. All India Report on Agricultural Census 1970-71, Govt. of India; 1975.

19. Singh S. P. and Paul L. K.; Amul; An experiment in Rural Economic Development; Macmillan India Ltd. New-Delhi 1981.

20. National Conference on Crossbreeding; April 27-29, Year 1978, N.D.D. Board, Anand.

21. Report on Agricultural Census 1976-77; Rajasthan; Govt. of Rajasthan.

22. Draft Report-Live stock Census 1983. Rajasthan Revenue Board, Ajmer.

23. ILETA; Nov. 1986: Neatherland;

— गो सेवा गोष्ठी; अ. भा. सर्व सेवा संघ; 1960 वाराणसी ।

— सिद्धराज ढड्डा, गोवंश की महिमा; इतवारी पत्रिका, 23 नवम्बर, 1986

— अकाल में झुलसता राजस्थान; नवभारत टाइम्स, 20–24 मई, 1986 जयपुर

— वीरसिंह, सूखते श्वेत क्रांति के कारनामे; इतवारी पत्रिका, 20 अप्रैल, 1986, जयपुर

— राजेन्द्र रवि; दो नहीं पाई श्वेत क्रांति; इतवारी पत्रिका; 2 फरवरी, 1986, जयपुर